राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या : 22

सोमवार

3 अप्रैल, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : डा. जालमसिंह।

बाड़मेर व जैसलमेर जिले हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना

352. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना राज्य में किन-किन जिलों हेतु स्वीकृत की गई? क्या बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में यह योजना स्वीकृत की गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक उक्त योजना प्रारम्भ कर दी जावेगी?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक राज्य के 17 जिलों की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

जैसलमेर जिले की योजना दिनांक 7.10.2005 को स्वीकृत हो चुकी है एवं इसके कार्यादेश टर्न की आधार पर दिनांक 10.3.2006 को जारी कर दिये गये हैं जिसके अनुसार 60 दिवस में कार्य आरम्भ करना आदेशित है।

बाड़मेर जिले की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु भिजवाई हुई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यादेश जारी किये जावेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र शिव में कितने गांव एवं ढाणियां इस योजना से लाभान्वित होंगी? पहला प्रश्न। दूसरा है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकृत हो चुके हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा या विद्युत चोरी के कारण विद्युत से वापस वंचित हो गये हैं उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं?

(डा. जालम सिंह रावलोत)

बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ढाणियां बहुत दूर-दूर हैं तथा भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं। इसको देखते हुए क्या पन्द्रह ढाणियों के समूह की बजाय दस ढाणियों के समूह को ढाणी योजना में सम्मिलित करने की सरकार मंशा रखती है अथवा नहीं?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, शिव से पधारने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि 2004 के अन्दर नयी परिभाषा लागू की गई और पुरानी परिभाषा के तहत बाड़मेर जिले में टोटल 1941 गांवों में से 1930 गांवों को विद्युतीकृत माना गया, यानी कि 99.43 प्रतिशत। खाली ग्यारह जो गांव थे अनइलेक्ट्रिफाइड थे । नयी परिभाषा के तहत कुल 1941 गांवों में से 580 गांवों को विद्युतीकृत पाया गया है, यानी कि 29.88 प्रतिशत। तो पुरानी परिभाषा के तहत जो ग्यारह गांव अनइलेक्ट्रिफाइड थे और नयी परिभाषा के तहत 1361 गांव अनइलेक्ट्रिफाइड हैं तो उनका विद्युतीकरण इस स्कीम के तहत किया जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 1941 गांव बताये हैं बाड़मेर जिले में जबकि 1975 गांव हैं। और ढाणियां हैं वो कितनी हैं उसके बारे में नहीं बताया है। बाड़मेर जिले में बहुत ज्यादा लोग गांवों में न रह कर सब ढाणियों में रहते हैं। ढाणियों के इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात इस योजना में कही गयी है तो वो कितनी ढाणियां हैं और क्या उनका सही तरह से सर्वे हुआ है? मेरा कहना है कि वास्तव में जो ढाणियां हैं उनका सही ढंग से सर्वे करके योजना बनाकर के नहीं भेजी गयी हैं।

श्री अध्यक्षः आपका तो भेजा हुआ है अभी विद्युत वितरण निगम को भेजा हुआ है अभी क्या बतायेंगे ये? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): योजना भेजी है उसमें कितनी ढाणियां हैं और वो उन ढाणियों का सर्वे अगर सही नहीं हुआ है ढाणियां सर्वे में रह गयी हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप ?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जो साल का सरकार का जो टारगेट है उसके अन्दर इलेक्ट्रिफाइड जो गांव हैं 4017 लिये जाएंगे और ढाणियां हैं 6596 । तो ये ढाणियां जो हैं, जो रेवेन्यू रिकाड्र्स के अनुसार जो आप फरमा रहे हैं जो मैंने आपको गांवों के बारे में बताया है वो तो रेवेन्यू रिकार्डस के, कई तो गैर आबाद गांव हैं तो रेवेन्यू रिकाड्र्स के अन्दर जो हैं उसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू रिकार्ड में ढाणियां कहीं नहीं हैं। ढाणियों का कोई रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है। सिर्फ राजस्व गांव ही रेवेन्यू रिकार्ड में है राजस्व गांवों के बारे में ही मैंने निवेदन किया। इन्होंने 1941 गांव बताये हैं मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में राजस्व गांव 1975 हैं बाकी गांवों के बारे में आप बतायें न गांव है कि नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं 1975 आज की तारीख में हैं तो उन गांवों को फिर आप इसमें शामिल नहीं कर रहे हो। और मेरा कहना है कि जो अभी आपने चार हजार गांवों का कहा है तो बाकी गांवों को फिर आप कब करोगे? कहने का मतलब यह है कि ढाणियां बहुत हैं उनका सर्वे सही नहीं हुआ है ये योजना जो बना करके भेजी है उसमें एक चौथाई ढाणियां ही सम्मिलित की गई हैं। बाकी ढाणियां हैं वो सर्वे से वंचित रही हैं उस वजह से आने वाले समय में इस योजना का लाभ उन ढाणियों के लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए इस पर आप पुनर्विचार करने का सोचते हैं सरकार विचार रखती है कि नहीं रखती या उनको वंचित ही रहने दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: यह आपको कैसे पता लगा कि एक चौथाई ढाणियों का ही भेजा है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह मैंने देखा है मालूम किया है न साहब ढाणियां बहुत हैं और इन्होंने...।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, ये जो स्कीम राजीव गांधी विद्युतीकरण वाली है इसके अन्दर हमें जो केन्द्र सरकार ने खाली साढ़े छह लाख रुपये प्रति गांव दिये हैं। इन्होंने, अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज, और जो विलेज इलेक्ट्रिफाइड हैं उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ढाणियों में भी बिजली देंगे। तो गांव का इन्फ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होना है केवल एक लाख रुपये दिये हैं तो यह जो पैसा जो राशि हमें स्वीकृत हुई है यह ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है । हमने जो कलक्टर्स को नोटिस भेजा है इनके सर्वे की जो आप बात कर रहे हैं, देखिये भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा है और अपनी जो जनसंख्या है वो भी बिलकुल स्केटर्ड है । अभी जो फर्स्ट फेज है जो हम कर रहे हैं यह फर्स्ट हमारा जो फेज है जो दो वर्ष के अन्दर हम पूर्ण करने का सोच रहे हैं। इसके अन्दर जो बेसिक मापदंड जो हमने इस्तेमाल किया है कि पन्द्रह घर जो हों और लगभग साठ लोग हों उस ढाणी को हमने विद्युतीकरण के लिए इस टारगेट में इनक्लूड किया है विदिन ए रेडियस ऑफ 500 मीटर। दूसरा 11 केवीए की जो लाइन हैं वो तीन

(श्री गजेन्द्र सिंह)

किलोमीटर दूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर अपन एक एक ढाणी का विद्युतीकरण करें, amount is very-very large और केन्द्र सरकार हमें देने को तैयार नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, यह आपने ढाणियों का सर्वे किया है, मेरा प्रश्न है कि इसका आपका आधार क्या है? पीएचईडी की चिह्नित ढाणियां हैं जिनके लिए पीएचईडी ने पीने के पानी की व्यवस्था की है, पाइप लाइन डाली है, जीएलआर बनाये हैं। उन ढाणियों को आप ढाणियां नहीं मानते हैं क्या? अगर आप उन ढाणियों को मानते हैं तो उन ढाणियों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एक चौथाई ही आपने शामिल की हैं तीन चौथाई आपने छोड़ दी हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैंने आधार बता दिया है वो तो हमारी जहां बिजली की लाइनें होंगी 11 केवीए से जो तीन किलोमीटर के अन्दर होगा वो ही हमारे लिए इकोनोमिकली वायेबल होगा। तो परिभाषा तो हम हमारी यूज करेंगे विद्युतीकृत का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनके अनुसार करेंगे। हम टोटली पीएचईडी की गाइड लाइंस पर कैसे चल सकते हैं? और हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और हमारा नेटवर्क है वो अलग है कैसे यूज कर सकते हैं परिभाषा?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): परिभाषा आपने ही कहा कि पन्द्रह घर और साठ की आबादी। तो इसका मतलब यह आपका कहना गलत है। और आप जो इकोनोमिकल वायेबल होगी उसी को करेंगे जो इकोनोमिकली आपको सूट नहीं करेगा वायेबल नहीं होगी उसको आप नहीं करेंगे यह इसका मतलब सीधा सा है। आप सिर्फ जो आपको मुफीद होगी उन्हीं को आप इलेक्ट्रिफाई करेंगे बाकी को आप यह विद्युत सुविधा का लाभ नहीं देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहूंगा कि आप केन्द्र से हमें और पैसा दिला दीजिये। अब इसके अन्दर क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप चलिये अभी दिलाने को तैयार हूं। जितना चाहिए आपको उतना पैसा दिला दें। आप चलिये तो सही। आप बतायें तो सही।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कि इतना छोटा। साढ़े छह लाख रुपये और एक लाख इलेक्ट्रिफाइड ...(व्यवधान) कोई बजट भी तो हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप बतायें तो सही चल करके आपको चाहिए उतना दिला दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके समय तो कुछ किया नहीं और अभी चलो इनके साथ। कोई पूछता तो है नहीं और इनके साथ जाएं ये दिलाएंगे ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से। बिजली से संबंध...।

श्री अध्यक्ष: आप बाड़मेर क्षेत्र में कहां फंस गये? आप बाड़मेर क्षेत्र में कहां फंस रहे हैं?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके राज में पांच साल में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा चारों बड़े विभाग जो जन कल्याणकारी हैं उनमें एक पैसा खर्च नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, इनको बाड़मेर जिले की चिन्ता नहीं है सिर्फ जैसलमेर की है। बाड़मेर का नाम आते ही इनको तकलीफ होती है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह प्रश्न बाड़मेर के लिए है न कि जैसलमेर के लिए मेरा ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक तरफ...(व्यवधान) पैसे दिलाइये दूसरी तरफ मैंने प्रश्न पूछा इससे भी इनको तकलीफ हुई।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मेरा सौभाग्य है कि जैसलमेर का रहने वाला हूं। बीस साल से जोधपुर सिटी में रहा और बाड़मेर जिले के लोगों ने मुझे चुना है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बाड़मेर जिले के लोगों ने मुझे चुना है। रहने वाला जैसलमेर का हूं, जोधपुर में भी रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वो रिप्रजेंट करते हैं जैसलमेर को और जैसलमेर की ही चिन्ता करेंगे। बाड़मेर से तो आप हैं न आप करिये बाड़मेर की चिन्ता।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बाड़मेर के लिए किया तो बाड़मेर की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में इनकी सरकार थी उसकी वजह से नहीं दे रही थी, अब हमारी सरकार आयी है खूब पैसा दे रही है। पैसा लेकर उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री खुशवीर सिंह।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मूल प्रश्न बाड़मेर से संबंधित है बाड़मेर के लिए पूछा गया है उसका जवाब माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह नैक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, नैक्स्ट श्री शिवजीराम मीणा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): 235.

श्री अध्यक्ष: आप बात करने में लगे हुए हैं ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, बोला मैडम मैं 235.

श्री अध्यक्ष: मैंने चार बार नाम पुकारा है आपका ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं बोल गया था माइक ओन नहीं हुआ मैडम ।

श्री अध्यक्ष: अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया । चार बार मैंने आपका नाम पुकारा तब तब तो आप बातें करने में लगे थे ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैडम, माइक ऑन नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह । काहे का काम कर रहे थे? वह तो बातें करने में लगे थे आप झूठी पैरवी करते हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 मार्च, 2006)

रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) के राष्ट्रीय उद्यान में ध्वस्त निर्माण प्रकरण

235. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के 500 मीटर की परिधि में हाल ही में सरकार द्वारा मकान/दुकान/होटलों को तोड़ा गया है? यदि हां तो तोड़े गये समस्त भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तोड़े गये भवन सरकारी भूमि पर स्थित थे अथवा स्वयं की खातेदारी/चरागाह भूमि पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के 500 मीटर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

की परिधि में होटल अमाने खास इन्टरनेशनल स्थित है ? यदि हां, तो क्या उक्त होटल या होटल का हिस्सा तोडा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या तोडे गये निर्माण कार्यों (भवनों) के मालिकों को निर्माण कार्य तोडने से पूर्व नोटिस दिये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या तथा उन द्वारा इस पर कब-कब क्या-क्या जवाब प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो जारी किये गये नोटिस, जवाब व की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या दिनांक 30 मई, 2003 को आदेश क्रमांक एफ. 11 (40) वन/01 के द्वारा वन सीमा से 500 मीटर की परिधि में छह होटलों को पाइप लाइन का हवाला देते हुए निर्माण के लिये स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि उक्त तोडे गये मकानों के मालिकों द्वारा उक्त आदेश के अंतर्गत कृषि भूमि की रूपान्तरण राशि जमा करा रखी थी? क्या तोडे गये भवन उक्त आदेश की परिभाषा में आ रहे थे? यदि हां, तो फिर ऐसे कौन से कारण रहे जिससे इन मकानों/भवनों को तोडा गया? उन छह होटलों, जिनको 25 दिसम्बर, 2002 को तत्कालीन वन सचिव ने स्वीकृति जारी की थी, को नहीं तोडे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 235 वन का क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष: 235 का ही बोल रहे हैं राजस्व मंत्रीजी ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप जवाब दे रहे हैं? यह तो फोरेस्ट का क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्रीजी का है यह, राजस्व मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रणथम्भौर का नहीं है, रणथम्भौर रोड पर अतिक्रमण हटाने का है, इसलिए रेवेन्यू का है ।

श्री अध्यक्ष: सुनिए तो सही आप पहले। पहले उन्होंने पूछा था वन मंत्रीजी से वन मंत्रीजी से ट्रांसफर होकर संबंधित इनसे है, इसलिए राजस्व मंत्रीजी के पास चला गया ।

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां । सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(श्री रामनारायण डूडी)

(2) तोड़े गये 17 भवन खातेदारी भूमि में, 3 चरागाह में व 1 सिवाय चक भूमि पर थे जैसा कि परिशिष्ट 'ख' के कालम नं 3 में अंकित है ।

(3) जी हां। जी नहीं । होटल अमन ए खास इन्टरनेशनल होटल प्रयोजनार्थ नियमानुसार संपरिवर्तित होने से नहीं तोडा गया । होटल द्वारा बाद में 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि खरीदी गई जो वर्तमान में रिकार्ड में चरागाह/सिवायचक दर्ज है। संपरिवर्तित भूमि से अधिक कब्जे की भूमि पर घास उगाई हुई है जिस बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किया हुआ है । मैसर्स गार्जियन इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड द्वारा उक्त भूमि अपनी खातेदारी की बताते हुए सेटलमेंट में किये गये इन्द्राज को सुधारने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के तहत उप खंड अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा स्टे जारी किया हुआ है व सुनवाई जेरकर है ।

(4) जी हां। अवैध रूप से निर्मित भवनों के मालिकों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90–क एवं 91 के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसके प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए विधिवत नोटिस दिये गये। जवाब प्रस्तुत करने के लिये नियमानुसार पर्याप्त समय दिया गया। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' के काल संख्या 4,5,6,7 व 8 में अंकित है। जारी किये गये नोटिस, जवाब व की गयी कार्यवाही की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है ।

(5) वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.11(40)/वन/01 दिनांक 30.5.2003 जारी होना नहीं पाया गया। हालांकि वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (14) वन/01 दिनांक 26.5.03 में वर्णित प्रावधानों के तहत 6 होटल/पर्यटन इकाइयों को पाइप लाइन का हवाला देते हुए निर्माण के लिये स्वीकृति दी गई थी। राज्य स्तरीय सर्वाधिकार समिति की बैठक दिनांक 20.6.2003 व 21.7.03 तथा जिला स्तरीय सर्वाधिकार समिति की बैठक दिनांक 28.6.2003 के निर्णय के अनुसरण में जारी आदेशों की छाया प्रतियां परिशिष्ट–'घ' पर संलग्न है ।

(6) जी नहीं। तोडे गये भवन वन विभाग के आदेश दिनांक 26.5.2003 के अंतर्गत नहीं आ रहे थे। तोडे गये भवन नियमानुसार अकृषि

(श्री रामनारायण डूडी)

कार्यों हेतु संपरिवर्तित न होने व अनाधिकृत निर्माण होने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क व 91 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाया गया। दिनांक 25 दिसम्बर, 2002 को तत्कालीन वन सचिव द्वारा 6 होटलों की कोई स्वीकृति जारी नहीं की थी, जैसा कि खण्ड 5 में स्पष्ट किया गया है । इन 6 होटलों को वन विभाग के आदेश दिनांक 26.5.2003 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृति के आदेश जारी किये गये थे, उनके संपरिवर्तन आदेश नियमानुसार जारी किये गये थे, अत: इन्हें नहीं तोडा गया ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में बार-बार 500 मीटर का हवाला दिया गया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह 500 मीटर कहां से शुरू होता है? सबसे पहले वन विभाग के पीसीसीए लैंड सैटेलमेंट आपने बिठा रखे हैं। और नेशनल पार्क की बाउंड्री का क्या, उन्होंने पूरी तरह डिमार्केशन कर और नक्शा तैयार हो गया, उसके आधार पर आप 500 मीटर कहां से मान रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है आपने बताया कि परिशिष्ट 'क' पर जो सूची है उसमें कुछ बैरवा परिवार अनुसूचित जाति के हैं। उन्होंने 1998 में कन्वर्जन शुल्क जमा करा दिया था, अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी और उनके मकान तोडे गये जबकि वहीं एक विवेकानंदपुरम कालोनी है। उन्होने 2004 और 2002 में अपने कन्वर्जन शुल्क जमा कराये और उनको नियमित कर दिये गये। उनके क्यों नहीं तोड़े गये?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही है। जो बैरवा परिवार हैं, 98 में आपने परिशिष्ट 'क' पर 5-6 में ब्यौरा दिया है, इन्होंने 1998 में अपने कन्वर्जन शुल्क जमा करा रखे थे। जबकि वहीं पर एक विवेकानंदपुरम कालोनी है उस कालोनी ने 2002-04 में कन्वर्जन शुल्क जमा कराये उनका तो आपने नियमित कर दिया और इनका अवैध मानते हुए तोड़ दिये, मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मूल प्रश्नकर्ता ने बताया कि इनकी सीमा 500 मीटर कहां से निर्धारित की गई। सीमा के अनुसार एक कमेटी बनी हुई थी और उस कमेटी के अनुसार यह तय किया गया और 26.12.02 को यह निर्धारित किया गया कि 500 मीटर ..

श्री अध्यक्ष: 500 मीटर किस जगह से है यह बता दो आप ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 500 मीटर के निर्धारित चारों ओर ..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, नेशनल पार्क की बाउंड्री का डिमार्केशन कहां से है वह बतायें आप तो ।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिए । हाथ इतना ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है, मैं देख रही हूं ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नेशनल पार्क रणथम्भौर का डिमार्केशन फोरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमैंट की ज्वाइंट कमेटी के तहत 500 मीटर क्षेत्र के अंदर चारों ओर जितने भी हैं, उनमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, होटल, इकाइयां, उद्योग, मैं निवेदन कर रहा हूं, यह सीमा तय की गई थी ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं 500 मीटर नेशनल पार्क की बाउंड्री का नक्शा तैयार है क्या? वन विभाग के सैटलमैंट पीसीसीए पर 10 साल में 9 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और उन्होंने क्या नक्शा बना रखा है? और क्या वहां पर चारों तरफ पिलर लगा रखे हैं, वह बतायें पहले ।

श्री अध्यक्ष: वह वन मंत्रीजी बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल पार्क रणथम्भौर वन क्षेत्र के बाहर 500 मीटर ईको सेंसिटिव जोन है, 26.12.2002 को यह आदेश हुआ था उसके पहले कुम्भट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें नेशनल पार्क की बाउण्ड्री के बाहर दस किलोमीटर की परिधि में कोई भी निर्माण नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: दस किलोमीटर ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, नेशनल पार्क की बाउण्ड्री का नक्शा बतायें आप तो स्पष्ट।

श्री अध्यक्ष: दस किलोमीटर दूरी पर ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, मोनीटरिंग और इम्पलीमैंट कमेटी कान्स्टीटयूट हुई। और उस कमेटी ने वन क्षेत्र के बाहर 500 मीटर चौड़ाई में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराने का आदेश हुआ, उसके पहले आठ होटल का...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, 1000 मीटर हुआ था उसको रिलेक्सेशन देकर 500 मीटर बाद में किया। आप देख लें पहले, आर.एस. कुम्भट कमेटी की सिफारिश देख लें, 500 मीटर नहीं 1000 है।

श्री अध्यक्ष: हजार का तो एक किलोमीटर ही होता है, हजार का एक किलोमीटर (व्यवधान) दस किलोमीटर बता रहे हैं। मंत्रीजी आप तो दस किलोमीटर बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय सदस्य जो फैक्ट्स कोट कर रहे हैं बिलकुल गलत है। कुम्भट कमेटी ने दस किलोमीटर का प्रस्ताव किया था, राज्य सरकार ने कुम्भट कमेटी की सिफारिश को.... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): राज्य सरकार ने कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट को माना है क्या मंत्री महोदय?

श्री अमराराम (धोद): दस किलोमीटर में कई गांव उड जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सवाई माधोपुर पर आ जाएंगे... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): बात तो सुनिये एक मिनिट। कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट में दस किलोमीटर की परिधि को माना था, 26.12.2002 जो रिपोर्ट मोनीटरिंग कमेटी कान्स्टीटयूट हुई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कान्स्टीटयूट हुई उसके अंदर 500 मीटर का निर्णय लिया गया और 500 मीटर के अंदर.....

श्री अध्यक्ष: दस किलोमीटर कहकर 500 पर आ गये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आठ होटलों का निर्माण हो चुका था बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वाधिकार समिति कांस्टीटयूट की गई उसमें कुछ कंडीशन, पाइप लाइन में होटलें थी... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): पाइप लाइन में होटल थी उनमें...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप तो कृपा करके मझे यह बताइये कि आपने 500 मीटर कहां से माना है ? क्या नेशनल पार्क की बाउण्ड्री का नक्शा तैयार हो गया? मंत्री महोदय, पहले इसका जवाब दें फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। क्या नेशनल पार्क का नक्शा आपने लैंड सेटलमैंट

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

पीसीसीएफ बिठा रखा है उन्होंने नेशनल पार्क का एक मात्र, मैं, 300 कुछ रेंजेज हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। एक मात्र नेशनल पार्क का नक्शा बनाकर डिमारकेशन होकर पीलर्स लगा दिये क्या चारों तरफ? उसका जवाब दें, फिर 500 मीटर आयें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेशनल पार्क की वन क्षेत्र की भूमि की परिधि से 500 मीटर का निर्णय हुआ था।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): परिधि कौनसी है, परिधि का नक्शा तैयार है, वहां पिलर लगा रखे हैं, आप जवाब दें ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नेशनल पार्क का वन क्षेत्र तो तय है और उसके बाद में...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, नक्शा है कि नहीं आपके पास? नक्शा है प्रस्तुत करें। नक्शा नहीं बना है, मंत्री महोदय, नक्शा नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप शांत रहें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आज दिन तक यह लैंड सेटलमैंट, पीसीसीएफ खैरात खा रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): रिपोर्ट टेबल करिये। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): करोड़ों रूपये का आपने उनके कार्यालय पर व्यय कर दिया । इनका जवाब नहीं आयेगा तब तक बेचारे होटल वालों को...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो डिमार्केशन, आपका पाइंट जहां कहीं (व्यवधान) वह पाइंट बताइये कौनसा है ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपने कहां डिमार्केशन किया है? मर्जी आये तब वन विभाग के अधिकारी पिलर लगा देते हैं और फिर बेचारों से पैसे लूटकर पिलर हटा देते हैं, वन विभाग वाले।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी दस किलोमीटर से पांच किलोमीटर तो आ सकते हो लेकिन दस किलोमीटर से 500 मीटर नहीं आ सकते। (व्यवधान) नोट पोसिबल ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से संतुष्ट नहीं है, मेरी पूरी बात सुनिये आप। कुम्भट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने पार्टली माना है। उसके बाद में कमेटी कान्स्टीट्यूट हुई है उसके अंदर वन क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी भवन, कोई भी होटल, उसको नहीं करने का निर्णय हुआ है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो मान ली बात।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय सदस्य जो बताते है, यह परिधि की जो बात करते हैं, डिमार्केशन की बात, हमने डिमार्केशन के लिए 26.1.2005 को कमेटी कान्स्टीटयूट की है और उसका पूरा डिमार्केशन करने का निर्णय हमने किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हुआ नहीं न ? 500 मीटर कहां से माप लिया ?

श्री अध्यक्ष: आपके पास कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट है क्या ? आपके पास कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 500 मीटर कहां से ?

श्री अध्यक्ष: इतने माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कैसे... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिना डिमार्केशन के...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हरिमोहनजी एक मिनिट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं कि अक्टूबर 2005 में इन्होंने एक कमेटी डिमार्केशन के लिए..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज, उनको सुन लें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वन मंत्रीजी खुद यह कह रहे हैं कि अक्टूबर 2005 में पीसीसीएफ की अध्यक्षता में डिमार्केन कमेटी बनाई है जो नेशनल पार्क की जमीन का डिमार्केन करेगी। इट मींज आज की तारीख तक डिमार्केशन हुआ नहीं। जब डिमारर्केशन नहीं हुआ तो आपने 500 मीटर कहां से मानकर, आपने उन गरीब लोगों को उजाडा । सवाल यह है हमारा। आपने 500 मीटर कहां से नापा, वह पाइंट आपका कहां से आया, वह क्या है बताइये?

श्री अध्यक्षः मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) वह इसका जवाब दे रहे हैं, प्लीज आप बैठिये ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सीमा का जो निर्धारण किया गया 22.1.2003 को वन ब्लाक का वास्तविक नाम, कार्य योजना उपखण्ड, मानचित्र के एतादशिक नाम, क्रम संख्या एक, नव क बड़ी लाइन खण्डार, नव ख बडी लाइन खण्डार, नव ग बडी लाइन खण्डार...

श्री अध्यक्षः यह क्या बोल रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं यह पाइंट....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपको अधिकारियों ने यह गलत जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह भ्रमित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बोलिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 500 मीटर के क्षेत्र के अंदर काउंट....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बोलिए, ठीक है, ठीक है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जिन ब्लाक से हुआ है 500 मीटर पूरे के पूरे..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डिमार्केशन लाइन बता रहे हैं। जो मूल प्रश्नकर्ता चाहते हैं वह पूरी लाइन बता रहे हैं।

श्री अध्यक्षः डिमार्केशन हुआ कब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बता रहे हैं, वही बता रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): दोनों मंत्रियों में से कौनसा सही है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दो मंत्री कम पड़ रहे हैं क्या जो तीसरे मंत्री को खड़े होने की जरूरत पड़ी ?

श्री अमराराम (धोद): आप कह रहे हैं डिमार्केशन हो गया। तो कम से कम यह तो बताए कि राजस्व मंत्रीजी असत्य कह रहे हैं या वन मंत्रीजी असत्य कह रहे हैं? दोनों तो सत्य नहीं है ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जो कार्यवाही की गई...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो खण्डार, रणथम्भौर और इधर आ जाइये, जहां का मेन सवाल है। जहां से अतिक्रमण हटाये न रणथम्भौर रोड, वहां का बता दीजिए आप तो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रणथम्भौर की ही बात कर रहा हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपका तो कोई लेना देना नहीं है वहां पर । (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, रणथम्भौर की बात कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सही कह रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को सुनिये तो सही आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): 500 मीटर के अंदर जिस किसी ने भी..

श्री अमराराम (धोद): सीमा की बात..(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हां, सीमा की बात कर रहा हूं, डिमार्केशन हो गया सीमा का।

श्री अमराराम (धोद): कब हुआ ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डिमार्केशन कब हो गया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): डिमार्केशन हो गया तो यह वन मंत्री जी कौनसा डिमार्केशन करा रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राठौड़ साहब, आप कोई हैडमास्टर हो क्या इनके?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उनके आधार पर ही कार्यवाही की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राठौड़ साहब, आप कोई हैडमास्टर हो क्या इनके?

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप उनको राठौड़ साहब नहीं कह सकते।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्रियों को बिठाकर सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: क्यों ?

श्री अमराराम (धोद): वह आतुर है देने के लिए। उत्तर देने के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जैसे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर के अगेंस्ट फोरेस्ट मिनिस्टर ने दिया वैसे ही अब वह भी दे दें।

श्री अमराराम (धोद): हमारा सवाल यही है कि डिमार्केशन लाइन का कब हुआ है, एक मंत्री कह रह हैं 2005 में कमेटी बनाई...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हरिमोहनजी, विराजिए। आपका सुपुत्र क्या करके आया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। आप भी एक बार स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीगण आप दोनों में से एक ही बोलें ताकि कम से कम जो जवाब आये, वह तो ठीक है, अब आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, कन्सर्न्ड मिनिस्टर यह है, अब आप जवाब दे दें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विभाग के नक्शे मुताबिक जहां से..

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जिन-जिन गांवों के अंदर जो भाग फोरेस्ट में है उनका डिमार्केशन अलग है और जो भाग रेवेन्यू के अंदर है उनका भाग अलग है, और रेवेन्यू के अंदर जो फोरेस्ट की सीमा से रेवेन्यू के बीच में जहां भी 500 मीटर की परिधि के अंदर किसी प्रकार का पक्का कन्स्ट्रक्शन नहीं किया जाए। यह कुम्भट कमेटी की सिफारिश, दस किलोमीटर की थी। मगर राज्य सरकार ने...

श्री अध्यक्ष: वह तो कह रहे हैं, कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट 10 किलोमीटर की थी और आप बोल रहे हैं 500 मीटर की ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं यही कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं यही कह रहा हूं। कुम्भट कमेटी ने 10 किलोमीटर की सीमा की सिफारिश की थी, न कि निर्णय दिया था। सरकार को भेजा तो हाइ-पावर कमेटी ने यह निर्णय लिया कि 500 मीटर की परिधि के अन्दर कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करें। उसी के तहत यह सारे जो आये हैं। उनको एक अवधि में जिन्होंने एप्लाई कर दिया अपने होटल बनाने के, उद्योग लगाने का, कॉमर्शियल परपज के लिये, और जो इस समय सीमा के अन्दर 26.12.2002 तक उनका माना गया और उसके बाद जिस किसी ने भी फिर एक आदेश के तहत, आपकी सरकार थी। हमारी नहीं थी। आप ही की सरकार ने जो समय-समय

(श्री रामनारायण डूडी)

पर निर्णय लिये हैं, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये यह रिलेक्सेशंस दिये गये हैं। मैं तो आपके पाप धो रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। मंत्रीजी जवाब घुमा कर दे रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपको गलत भ्रमित किया है इन्होंने। यह एक्चुअल में वन विभाग का प्रश्न था। और वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी बला टालने के हिसाब से यह राजस्व को सौंप दिया। अगर वन सचिव ने आदेश दिये तो राजस्व मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। आप तो इतना बताने की कृपा करें कि पी.सी.सी.एफ., सैटलमैंट के कब से बना है राजस्थान के अन्दर। कितने वर्ष हो चुके हैं? और उन्होंने एक मात्र हिन्दुस्तान में, राजस्थान के अन्दर नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, उनका क्या नक्शा बनाकर डिमार्केशन करके, तैयार कर दिया क्या। फिर आप दूसरी बात कर रहे हैं। वह कर दिया, उससे क्या मतलब, मंत्रीजी? आप तो मेरे मूल प्रश्न का जवाब दें। (व्यवधान) अगर आप इतनी बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, वह तो 500 मीटर की बात कर रहे हैं और नाहरगढ़ सैंक्चुरी के अन्दर हार्ट आफ सैंक्चुरी, जे.डी.ए. जमीन हड़पना चाह रहा है सैंक्चुरी का और तीनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और राजस्थान वाइल्ड लाइफ एक्ट और...(व्यवधान) वह तीनों ही, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अन्तर्गत, यह नाहरगढ़ सैंक्चुरी की जमीन आ रही है, अध्यक्ष महोदय। और वह जमीन तो जे.डी.ए. द्वारा हड़पी जा रही है। (व्यवधान) आप 500 मीटर की बात कर रहे हैं, हार्ट आफ सैंक्चुरी, इसका जवाब दे दें। क्या उस जमीन को आप बचाएंगे? वन विभाग ने एतराज भी दर्ज कराया है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हुए होंगे, हुए होंगे। (व्यवधान) नियमानुसार हुए होंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, वन विभाग ने नाहरगढ़ सैंक्चुरी की जमीन जे.डी.ए. जो हड़प रहा है उसका एतराज भी दर्ज कराया वन विभाग के मामूली एक रेंजर ने, जबकि डी.एफ.ओ. को एतराज दर्ज कराना था। आपके पास नक्शा नहीं है, आपके पास डिमार्केशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं इस पर सैटलमैंट के पी.सी.सी.एफ. पर। और आज तक एक नेशनल पार्क का एक नक्शा तैयार नहीं कर सके। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? जिसके ऊपर हम पूरे विश्व के अन्दर नाज करते हैं कि हमारे हां टाइगर हैं। (व्यवधान) आपके रणथम्भौर में मात्र 16 टाइगर बचे हैं। यह असत्य आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले एक साल के अन्दर रणथम्भौर भी सरिस्का की तर्ज पर समाप्त हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: वह तो भाषण दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी, आप तो इतना बता दें कि डिमार्केशन कब हुआ। बस, इतना बताएं कि डिमार्केशन कब हुआ। वन मंत्रीजी कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले इनका जवाब आ जाए, फिर पूछ लेना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, एक सवाल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी पूछना, पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप नाहरगढ़ का बता दें, वन विभाग के अधिकारियों को दबाया जा रहा है, जे.डी.ए. में जाकर। खरबों रुपये का मामला है।

श्री अध्यक्ष: डिमार्केशन कब हुआ, खाली यह बता दें। रणथम्भौर उद्यान का डिमार्केशन कब हुआ, यह बतायें आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप उनका जवाब आने दीजिए ना। नहीं, आप विराजिये, स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आधे घण्टे से हाथ खड़ा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हाथ खड़ा होगा तो क्या मूल प्रश्नकर्ता को मौका नहीं दूं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको दूंगी मौका मैं, लेकिन उनका जवाब आने दीजिए। आप तो डिमार्केशन कब हुआ, यह बता दें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अभी बताता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको क्या पता कि जानकारी नहीं है, वहां खड़े-खड़े हाथ हिला रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि गड़बड़ हुई है। (व्यवधान) वहां पर जबरन होटल बनाये हैं, उनको यह पता है कि अतिक्रमण हुए हैं, इसलिये इनको सब पता है। यह सारा उनके समय का मामला है, अध्यक्ष महोदय, वन भूमि पर अतिक्रमण किया है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य की...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डिमार्केशन कब हुआ, यह बता दें आप तो। अध्यक्षजी ने कहा है, एक ही बात बता दें। यह रणथम्भौर टाइगर पार्क का डिमार्केशन कब हुआ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वहां पर बहुत अतिक्रमण कर रखा है, सरकार ने उनको हटाया नहीं है। यही है दिक्कत। आप हटाते क्यों नहीं हैं उनको?

श्री अध्यक्ष: सरकार आपकी है, आप हटाओ न।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप हटाओ न, आप हटाओ, अभी का अभी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप क्या हैं? अब ये पांचवें खड़े हुए हैं। 3 मंत्री पहले हो गये, अब ये छठे खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेशनल पार्क की घोषणा...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, घोषणा नहीं, वह बाउण्ड्री वाल।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं, बाउण्ड्री वाल, जब कोई राष्ट्रीय पार्क...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, वह हमें मालूम है, सदन को मालूम है। यह आपके अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खैरात खा रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): राष्ट्रीय पार्क बनाने का सैटलमैंट का मानस बना ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मानस बना और श्रीमती इन्दिरा गांधी की सोच थी। इन्दिराजी ने सबसे पहले यह कदम उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। (व्यवधान) यह मालूम है, सदन को मालूम है, प्रश्नकर्ता को मालूम है। आप तो मेरे मूल प्रश्न का जवाब दो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): डिमार्केशन कब हुआ, आप 2005 में डिमार्केशन करवा रहे हो, आप कह रहे हो, 2002 में। डिमार्केशन कब हुआ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आप तो केवल डिमार्केशन की बात बता दीजिए मंत्रीजी, डिमार्केशन कब हुआ और 500 मीटर की परिधि में आने वाले होटल्स को और उनको बचाने के लिये क्या हाइ-पावर कमेटी ने यह निर्णय दिया था कि उनको तो बचाया जाएगा और बाकी गरीबों की तोड़ी जाएगी?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप कह रहे हैं कि नेशनल पार्क इन्दिरा गांधी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान सरकार ने जमीन दी थी। और वह जमीन रणथम्भौर क्षेत्र के अन्दर आइडेंटीफाई की थी। आइडेंटीफाई करने में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो इतना बताएं कि डिमार्केशन कब हुआ। इससे मतलब क्या है? आप तो यह बताएं, डिमार्केशन कब हुआ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वह तो सब कुछ हो गया, मंत्रीजी। (व्यवधान) या तो आप कह दें कि पी.सी.सी.एफ., सैटलमैंट को निरस्त किया जाता है। मंत्रीजी यह घोषणा करें कि यह जो उल्टा पिरामिड कर रखा है नीचे के कर्मचारी तो खतम हो रहे हैं और ऊपर के अधिकारी बढ़ रहे हैं, आप समाप्त करने की घोषणा करें। यह पी.सी.सी.एफ., सैटलमैंट की पोस्ट आज ही निरस्त करने की घोषणा करें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो कोई सुनना चाहता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप कृपया मंत्रीजी का जवाब तो सुनें पहले। इसके बाद कोई गलतफहमी हो तो पूछ लीजिएगा। (व्यवधान) आप सुनिये उनको।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): जवाब ही कहीं का कहीं दे रहे हैं। जवाब जो मांग रहे हैं, वह तो दे नहीं रहे हैं। कहां पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज विराजिये, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमराराम (धोद): सवाल है डिमार्केशन का और वह कब घोषणा हुई। (व्यवधान) जमीन किसने दी। क्या उधार लाये थे या खरीदकर लाये थे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप विराजिये, आप विराजिये, मैं दे रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): सवाल है डिमार्केशन का। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सवाल है डिमार्केशन का। कब हुआ और किस साल में हुआ, किसने किया, और उत्तर दे रहे हैं कब घोषणा हुई, जमीन किसने दी थी? कहां से लाये जमीन। जमीन? तो दी हुई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनें तो सही पहले उन्हें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप जब तक उस पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप जो चाहें, वाणी थोड़ी बोलेंगे हम।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे, एक दिन का मामला नहीं था कि एक दिन के अन्दर सारी राऊंडिंग करके डिमार्केशन कर दिया गया हो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): 1998 से पी.सी.सी.एफ., सैटलमैंट है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हां, सैटलमैंट है, इसलिये तो बात कर रहा हूं। और इसके अन्दर 1.11.1980 से इनका गजट नोटिफिकेशन हुआ। और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद 12 गांवों को वहां से विस्थापित किया

(श्री रामनारायण डूडी)

गया और उसके बाद इनकी पूरी बाउण्ड्री लगायी गयी कि फोरेस्ट में यह रहेगा, बाहर यह रहेगा। उसके अलग-अलग पूरे ब्लाक बनाये गये। ब्लाक बनाने के बाद इनमें पिलर्स लगाये गये। (व्यवधान) मैं पिलर्स की बात कर रहा हूं। पिलर्स लगाने के बाद उनको 500 मीटर की परिधि के अन्दर यदि अवैधानिक तौर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, सरकार की बिना आज्ञा, सरकार के बिना कन्वर्जन कराये हुए, बिना एप्लाई करवाये हुए, उन सारे लोगों के, 21 लोगों के भवन, होटल, 90 ए, 91 की धारा के अन्तर्गत तोड़े गये हैं, यह है मूल जवाब।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह जवाब नहीं है, मंत्रीजी, बिलकुल गलत जवाब दिया है, आपने। अभी हमारे वन मंत्रीजी ने बताया कि हम अभी विचार कर रहे हैं डिमार्केशन और पिलर लगाने का, आपने कह दिया पिलर लगा दिये। बाउण्ड्री वाल खींची गयी है इन होटल्स के सामने और उसके बाद पिलर लगाये गये हैं। बाउण्ड्री वाल अन्दर खींची गयी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह जवाब नहीं है, बिना जवाब ही संतुष्ट होकर..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, छोटा सा उत्तर है रेवेन्यू विभाग का नक्शा है, उसकी बाउण्ड्री वह है। रेवेन्यू विभाग का नक्शा है न वह स्वतः ही...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह गया, वह आया...डिमार्केशन का आपने भी कहा उसके बाद भी वह जवाब नहीं आया।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह तो मैंने निवेदन कर दिया इनको। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जो भी राजस्व की जमीन किसी विभाग को दी जाती है उसका नक्शा बना हुआ होता है रेवेन्यू का। व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप जवाब तो सुनते नहीं हैं। क्या करूं मैं? आप जवाब सुनने को तैयार नहीं हो, मंत्रीजी बैठ जाएं, आप। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी थी, आपने आज्ञा दी थी मुझे, एक सवाल पूछने की।

श्री अध्यक्ष: आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल डिमार्केशन का है, सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वह डिमार्केशन है कहां पर (व्यवधान) डिमार्केशन है कहां, जब तक यह क्लीयर नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा इस बात का?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न कैसे करुं, जब डिमार्केशन का भी जवाब नहीं आया तो मेरे प्रश्न तो हो ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, मुझे एक सवाल पूछने की।

श्री अध्यक्ष: आप सुनने को तैयार ही नहीं हो तो क्या पूछने दें आपको?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछने दीजिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने जिक्र किया अमाने खास इण्टरनेशनल होटल का, आपने जिसके निर्माण को तोड़ने के नोटिस तो दिये लेकिन निर्माण आपने नहीं तोड़ा। यह गार्जियन इण्टरनेशनल से संबंधित है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। कि सैटलमैंट में जब रेवेन्यू रिकार्ड 5 अप्रैल, 2002 को भेज दिया, आपके डिपार्टमैंट को, उसके बाद इसकी रजिस्ट्री सैटलमैंट के रिकार्ड के आधार पर क्यों नहीं हुई? पहला तो मेरा यह सवाल है और दूसरा जब जनवरी में, जिन-जिन लोगों को दिसम्बर में नोटिस दिये गये और जनवरी में जिन-जिन के निर्माण आपने तोड़े तो इस अमाने खास इण्टरनेशनल का निर्माण आपने क्यों नहीं तोड़ा?

एक माननीय सदस्य: कोर्ट का स्टे है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोर्ट का स्टे सरकार ने, यह सवाल लगाने के बाद यह तीन दिन का स्टे, तीन दिन पहले एस.डी.एम. से लिया है। ...(व्यवधान) जनवरी में जब निर्माण तोड़े गये तब कोई स्टे नहीं था। यह इस क्वेश्चन को लगने के बाद...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सरकार ने स्टे थोड़े ही दिया है, यह तो कोर्ट ने दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. के माध्यम से तीन दिन पहले ही स्टे दिया है और इस स्टे की...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में मामला पैंडिंग हो उसके बारे में...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह भ्रष्टाचार का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। अमाने इण्टरनेशनल से पैसा लेकर इसका निर्माण नहीं तोड़ा गया है और इस सदन को गुमराह करने के लिए तीन दिन पहले ही स्टे लेकर...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मेरे प्रश्न का जवाब दें कि आपने डिमार्केशन करवा रखा है या नहीं? पहले उसका जवाब दें और फिर आगे का जवाब दें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टे... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: 2000 में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 2000 मई में? किसकी सरकार थी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जनवरी का महीना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मंत्री महोदय, पहले मेरे मूल प्रश्न का जवाब दें। आप मंत्री महोदय, मूल क्वेश्चन का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: मई में तोड़े गये उस समय किसकी सरकार थी?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने यह बताया कि नेशनल पार्क की बाउण्ड्री कहां से शुरू होती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 लाख रुपये रिश्वत दी है। 18 लाख रुपये रिश्वत दी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को जवाब देना है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, नेशनल पार्क की बाउण्ड्री का जवाब आप दें। नेशनल पार्क की बाउण्ड्री का जवाब दें। माननीय

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दें। मंत्री महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब आप दें।

श्री अध्यक्ष: मई में तोड़ी गयी उस समय किसकी सरकार थी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ निर्माण तोड़े गये तो वह अमाने इण्टरनेशनल का नहीं तोड़ा आपने।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपने नेशनल पार्क की बाउण्ड्री का डिमार्केशन करवा रखा है या नहीं? मेरे प्रश्न का जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तीन दिन पहले स्टे मैनेज किया या नहीं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब वह जवाब दे रहे हैं, विराजिये तो सही आप। कुछ तो सुनो तो सही, मंत्रीजी बता रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, पहले नेशनल पार्क की बाउण्ड्री वाला जवाब दें आप, फिर दूसरे का जवाब देना। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): एक-एक प्रश्न का जवाब दे देंगे, विराजिये आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप नेशनल पार्क की बाउण्ड्री वाला जवाब दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप पांचवें मंत्री खड़े हुए हो। यह पांचवें मंत्री खड़े हुए हो आप। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह आप कह दो कि अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ और यह लैण्ड सैटलमैंट पी.सी.सी.एफ फिजूल में बैठा है, सरकार के ऊपर बोझ बनकर, या तो यह जवाब दें और या स्पष्ट करें, दोनों में से एक जवाब दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो डिमार्केशन कब हुआ एक सवाल का जवाब दे दें बस। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हम तो संतुष्ट हो जाएंगे, मंत्री महोदय, इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इतना ही जवाब सब मिलाकर दे दो कि इसका डिमार्केशन कब हुआ?

श्री अमराराम (धोद): डिमार्केशन कब हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और डिमार्केशन नहीं हुआ है तो वह ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): और नहीं हुआ है तो वह भी आप कह दो कि नहीं हुआ है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर आपने कहां से 500 मीटर नापा? एक बात का जवाब दे दो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हम संतुष्ट हो जाएंगे आपसे, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक सवाल का जवाब दे दो कि डिमार्केशन कब हुआ और डिमार्केशन नहीं हुआ तो 500 मीटर आपने कहां से नापा ? बस एक बात का जवाब दे दो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जिस दिन रेवेन्यू विभाग ने भूमि दी थी उसी टाइम डिमार्केशन ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक नहीं हुआ है तो यह कह दें। दस साल से वह फालतू फिजूलखर्ची हो रही है इसके ऊपर, इतना कह दें।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें पहले।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) जवाब सुनिये आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण डूडी)

माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। यह जब से 1980, 1.11.1980 से गजट नोटिफिकेशन होने के बाद यह-यह बाउण्ड्री तय होगी और रेवेन्यू डिपार्टमैंट के अन्दर जो नक्शा है उन्हीं पिलर्स के आधार पर यह 500 मीटर की परिधि को मतलब किया है। और यही आधार था। और उसी आधार के अन्दर जो मतलब बिना क्नवर्शन किये हुए, बिना एप्लाई किये हुए जिन लोगों ने ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो है जवाब, आप यदि जवाब की जरूरत है तो आप अपनी पुरानी पीढियों को देख लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह सब देख लेंगे आप तो डिमार्केशन कब हुआ यह बताइये आप?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं बता रहा हूं न। मैं कोई आपके ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 1980 में डिमार्केशन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो मंत्रीजी कह रहे हैं कि पी.सी.सी.एफ. की ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सरकार आप हैं, जवाब यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ मामला ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): डिमार्केशन कब किया यह बता दो आप?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह पुरानी पीढ़ी से मतलब क्या है आपका? पुरानी फाइल कहो तो समझ में आता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवजीराम मीणा।

अब आप स्थान ग्रहण करें। बस दे दिया जवाब आपने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब तो दिलवाइये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डिमार्केशन कब हुआ यह बता दीजिए आप तो? डिमार्केशन कब हुआ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महकमे को खराब करके ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, जवाब दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस प्रश्न को स्थगित करके आधे घंटे की चर्चा में ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को स्थगित करके आधे घंटे की चर्चा में ले लें।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर दीजिए। नो-नो, कुछ नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आधे घंटे की चर्चा में इसको ले लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इतना बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं क्या इस जवाब से? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह साफ-साफ भ्रष्टाचार का मामला है। इसका जवाब दिलाया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हो क्या इस जवाब से?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वन मंत्री महोदय, आप नाहरगढ़ की सैंक्चुरी की जो जमीन जे.डी.ए. हड़प रहा है उसके बारे में कुछ अपना वक्तव्य देना चाहेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अरबों रुपये की जमीन जे.डी.ए. हड़प रहा है, नाहरगढ़ सैंक्चुरी की जो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक क्वेश्चन पर पूरे चालीस मिनट हो गये हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : और आपके रेंजर ने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक क्वेश्चन पर चालीस मिनट हो गये। 40 मिनट हो गये। अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उनसे दिलवाइये रिप्लाई आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह जबरदस्त भ्रष्टाचार है, यह जे.डी.ए. द्वारा करोड़ों रुपये का ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सार्वजनिक निर्माण मंत्री का जवाब सुनें, वे क्या जवाब दे रहे हैं वह सुनिये आप। बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं क्या?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. द्वारा अरबों रुपये का घोटाला हो रहा है नाहरगढ़ के अन्दर, उसका अगर आप जवाब दें आपके पास जवाब है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में एक लाइन माननीय मंत्रीजी ने नहीं कही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रही हूं कि आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे सवाल का जवाब तो दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जितनी इनके पास जानकारी थी उन्होंने आपको दे दी। प्लीज आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह एक होटल को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा गया कि इसने 18 लाख रुपये की रिश्वत दी है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप स्थान ग्रहण करिये। आप दूसरे नियमों में आ जाइये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 18 लाख रुपये की, और यह रिकार्ड पर है। (व्यवधान) उनके जवाब में ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप तो डिमार्केशन का जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया, आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम और भी हैं। आप जानते भी हैं। नहीं, प्लीज आप बैठिये। प्लीज बैठें आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बात करते हैं आप? आसन पांवों पर है और आप

(श्री अध्यक्ष)

खड़े हैं। आप यदि संतुष्ट नहीं हैं जवाब से तो नियमों में आइये और नियमों में आकर उसका समाधान होगा, आप आइये नियमों में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नियमों में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पचासों ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार के घोटालों के पचासों प्रस्ताव दिये गये हैं सदन में कितने लगे हैं वह आप भी जानती हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाहरगढ़ सैंक्चुरी की भूमि जे.डी.ए. हड़प रहा है और वन विभाग के जिस अधिकारी ने एतराज दर्ज करवाया है, उसको डांट पड़ रही है कि तुमने क्यों एतराज दर्ज करवाया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर दिलवाइये आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपये का घोटाला जे.डी.ए. द्वारा किया जा रहा है। नाहरगढ़ की सैंक्चुरी की भूमि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब आ गया है। खारची से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत हो गया। चालीस मिनट हो गये एक क्वेश्चन के ऊपर। आखिर दूसरे के भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप एक ही प्रश्न पर लगे रहेंगे, अब आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का चार्ज लगाया है और यदि यह सुनना चाहते हैं जवाब तो मेरे पास यह अमाने खास का जवाब है और उसके अन्दर ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दीजिए आप, जवाब दीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, पहले तो आप डिमार्केशन का जवाब दो। मंत्री महोदय, डिमार्केशन का जवाब दो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसमें भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप पहले नेशनल

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

पार्क की बाउण्ड्री का डिमार्केशन का जवाब दें और बाद में आप चाहे दूसरे जवाब देना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे पास एक-एक प्रमाण है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, नेशनल पार्क की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बात क्या कर रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 18 लाख रुपये की रिश्वत दी है अमाने इण्टरनेशनल ने इसलिए उसका निर्माण नहीं तोड़ा। इसलिए नहीं तोड़ा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): किसका ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अमाने इण्टरनेशनल का। क्या बात कर रहे हो आप?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पर गम्भीर चार्ज लगा है। मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं तो कृपा करके जवाब दिला दीजिए। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं और आपके ऊपर गम्भीर आरोप लगे हैं, 18 लाख रुपये का।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न को 40-42 मिनट हो गये हैं। 42 मिनट हो गये हैं, एक प्रश्न को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 18 लाख रुपये का गम्भीर आरोप लगा है, आप उसका उत्तर देना चाहते हैं तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष: क्या और सब प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना मतलब के, तथ्यहीन, यह मर्जी आये जैसे बोल दें और ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर एक-एक घंटे तक चर्चा चले तो दूसरे यह हमारे पूरे सत्र में एक प्रश्न आता है और माननीय सदस्य क्या करेंगे? उसमें भी एक-एक प्रश्न पर एक-एक घंटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे फिर?

श्री अध्यक्ष: हां, सही बात है यह। ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): और प्रश्नों का भी जवाब दिलवाइये माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह क्या तरीका हुआ? हम भी कोई हमारा प्रश्न आता है और हम तैयारी करके यहां पर आते हैं। और एक-एक प्रश्न पर एक-एक घंटा अगर निकल जाएगा तो हम हमारी बात किसको कहेंगे?

एक माननीय सदस्य: विराज जाइये मंत्रीजी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्री महोदय, समाप्त करो इस बात को।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): तथ्यहीन और बिना अडंगेबाजी के करके यह ... (व्यवधान) ऐसा करते हो आप।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप। नैक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुकार लिया है। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान) I have called next question.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): डिमार्केशन का जवाब दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसके लिए तो आपने सुना क्यों नहीं? यह गम्भीर है, इसका क्यों नहीं सुना आपने?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने कहा है कि ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सदन का समय बरबाद किया जा रहा है।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): दूसरे नम्बर का क्वेश्चन ही अभी चल रहा है। दूसरे लोगों का नम्बर नहीं आ रहा है। एक-एक घण्टा एक-एक प्रश्न में समाप्त कर रहे हैं। सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है माननीय अध्यक्षजी। (व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने खुद ने फरमाया है कि 18 लाख के चार्जेज के बारे में मेरे पास उत्तर है। यदि सुनाना चाहें तो क्या उत्तर है आपके पास, जवाब दें।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): सिरोही से आने वाले सदस्य के पास घोटालों का कितना खजाना है, बता दें। क्या घोटाला करने वाले आपके पास बैठते हैं? हर बात पर घोटाला, हर बात पर भ्रष्टाचार (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्यों तीन दिन पहले आपने इसको स्थगित किया?

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): सब बात पर बोलते रहते हैं आप हर वक्त।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार का जवाब इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के पीछे एक घंटा निकल जाएगा, सारा वक्त निकल जाएगा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने चार्ज (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के पीछे एक घंटा निकल गया।

श्री हीरालाल (निवाई): बड़े ईमानदार हैं, लड़की को तंदूर में भून दिया दिल्ली में, यह आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आचरण है और बात करते हैं। दिल्ली में लड़की को तंदूर में भून दिया और आप लांछन लगा रहे हैं। सदन का समय बेकार कर रहे हैं। नये सदस्यों को सीखने का मौका नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने घोटाले के अलावा कुछ किया ही नहीं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। डिमार्केशन हमारे पास है। रेवेन्यू जमीन और फोरेस्ट जमीन (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले डिमार्केशन।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अगर डिमार्केशन का जवाब नहीं है तो कृपा करके बैठ जाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले डिमार्केशन, उसके बाद दूसरा जवाब। (व्यवधान)...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न पुकारो, एक घंटा स्वाहा हो गया।

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया माननीय सदस्य। (व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी जवाब नहीं है, कृपया करके बैठ जाइये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): चार्जेज उन्होंने लगाया है सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या चार्ज लगाया है? उन्होंने आप पर तो कोई चार्ज लगाया नहीं। क्या चार्ज लगाया है उन्होंने?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह प्रशासनिक तौर पर जितनी भी कार्यवाही की गयी है 1998 (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आपके पास जवाब नहीं है डिमार्केशन का, कृपा करके बैठ जाइये। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप कृपा करके बैठ जाइये। जानकारी नहीं है, आप खड़े हो जाते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर इसका निर्माण क्यों नहीं तोड़ा? 18 लाख रुपये रिश्वत ली और बाद में जब विधान सभा में सवाल लगा, सरकार ने खाल बचाने के लिये एस.डी.एम. को दबाकर तीन दिन पहले स्टे निकाला है। शर्म की बात है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सदन की कार्यवाही नियमों से चलती है माननीय सदस्य।

(समय-सूचक घंटी)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और नहीं किया तो आप कहो हाउस में, कि आपने एस.डी.एम. से स्टे नहीं करवाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। अब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार ने दबाव डालकर एस.डी.एम. से तीन दिन पहले स्टे करवाया ताकि विधान सभा को गुमराह किया जा सके। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आपके पास जवाब नहीं है, कृपा करके बैठ जाइये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनके पास जवाब ही नहीं है और बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं । अगर आपके पास कोई सबूत हो तो कृपया टेबल करें, सरकार पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार ने एस.डी.एम. से तीन दिन पहले स्टे करवाया।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 18 लाख का गबन का आरोप लगाया है माननीय सदस्य ने, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो कृपया टेबल करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तीन दिन पहले ताकि विधान सभा में सदन को गुमराह कर सकें। अगर आपका दामन साफ है तो आप बताओ, आपने अमन खास का निर्माण क्यों नहीं तोड़ा ? उस वक्त कोई स्टे नहीं था, जनवरी में।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, पहले आप डिमार्केशन का जवाब दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, किस पर चार्ज लगा रहे हैं? आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सदस्य, यह आरोप तथ्यहीन हैं। आपको कोई आरोप नहीं है। आपने तथ्यहीन आरोप लगाया है। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो कृपया टेबल करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): एक घंटे से सारा समय खराब कर दिया सदन का। नियमों में आ जायें। अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है? अध्यक्ष महोदय, आप अलाउ कैसे कर रहे हैं इनको ऐसे बोलने के लिये? क्या दूसरों के प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): एक सवाल पर एक घंटा बिता दिया। हम बात को लेकर आये और अध्यक्ष महोदय, आपने एक सवाल पर पूरा घंटा बिता दिया। हम सवाल लेकर यहां आते हैं, आपने एक सवाल का एक घंटा बिता दिया, हम इस बात को लेकर वाक आउट करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने श्री जीतमल खांट को वाक आउट करने से रोका)

श्री अध्यक्ष: आ रहा है आपका भी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, बिलकुल सही कह रहे हैं। आज नई परम्परा डल रही है इस विधान सभा के अंदर।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हम आदिवासी इलाके से आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): यह नई परम्परा डाली जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आदिवासी इलाके से हम आते हैं, हम कोई प्रश्न करें (व्यवधान) क्या जरूरत है? हम अपने आदिवासी इलाके की बात सदन में नहीं करें तो किसकी करें? एक प्रश्न के लिये सारा घंटा बिता दें तो हम किसके सामने हमारी बात कहेंगे?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय सदस्य की पीड़ा सही है। इनकी पीड़ा वाजिब है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा सही है। आपने मेरा नाम पुकारा है मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं आपकी आज्ञा से।

श्री अध्यक्ष: आपके मंत्री नहीं मानते, मैं क्या करूं? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं पांच बार नाम पुकार चुकी हूं। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मामला है और मंत्रीजी के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिट डाउन। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) क्या पता, क्या हो जाता है? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): अध्यक्ष महोदय, क्या है यह? यह कोई नियम में नहीं है, इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): सदन के सामने माफी मांगे अन्यथा मंत्री को बर्खास्त करें। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): कितने रुपये लिये हैं वह तो बताओ।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): भ्रष्टाचार के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): इनसे बड़े भ्रष्टाचारी इस विधान सभा में कोई माननीय सदस्य नहीं हैं और भ्रष्टाचार के विचार यहां पर रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह प्रतिपक्ष के नेता करते हैं ऐसा। नैक्स्ट क्वेश्चन।

बिजोलिया-शक्करगढ़ (भीलवाड़ा) की अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

353. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया से शक्करगढ़ तक सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी? यदि हां, तो यह कार्य स्वीकृति आदेश किस वर्ष में किस योजना/मद में हुआ एवं इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था तथा अब तक इस सड़क का कितना कार्य हो गया एवं कितना शेष रह गया? कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे कार्यों को पूर्ण करवाकर अब तक व्यय की गयी राशि का सदुपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। बिजोलिया से शक्करगढ़ तक सड़क निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1984-85 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के तहत रुपये 18.00 लाख (भूमि अवाप्ति हेतु) वर्ष 1987-88 में केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के तहत राशि रुपये 240.00 लाख एवं वर्ष 1995-96 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत रुपये 25.00 लाख की जारी की गयी थी।

इस सड़क की कुल लम्बाई 37 कि.मी. है। जब कि प्रारम्भिक स्वीकृति 30 कि.मी. के लिये प्राप्त हुई।

अब तक कुल 24 कि.मी. डामर, 1 कि.मी. ग्रेवल, 3 कि.मी. मेटल एवं 9 कि.मी. मिट्टी की सड़क का कार्य किया गया है। इस प्रकार कुल 13 कि.मी. सड़क का डामर सड़क निर्माण शेष है।

कार्य पूर्ण न होने का मुख्य कारण प्रारम्भ से ही 7 कि.मी. लम्बाई की कम स्वीकृति प्राप्त होना एवं भूमि मुआवजे का अनुमान से अधिक व्यय होना राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा मेज नदी पर पुल निर्माण में अधिक किया जाना तथा समयान्तराल में डामर की कीमत में वृद्धि होना रहा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) जी हां। शेष रहे कार्य को पूर्ण करवाकर अब तक व्यय की गयी राशि का सदुपयोग, राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, न केवल मेरे क्षेत्र की बल्कि पूरे जिले की घोर उपेक्षा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): किसी भी योजना में हमारे यहां काम नहीं किये जा रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने खण्ड 1 में यह बताया है कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण 7 कि.मी. की स्वीकृति कम होना, भूमि का मुआवजा अनुमान से अधिक भुगतान होना और पुलिया सड़क निगम ने बनाई है, उसमें अधिक व्यय होना है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, यह संशोधित स्वीकृति कब जारी की जाएगी? खण्ड क में आपने यह फरमाया है कि प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपने खण्ड क में यह फरमाया है इस सड़क का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, इससे जयपुर जो बिजोलिया पट्टी पर आती है, उसकी जयपुर, अजमेर, सीकर पूरे राजस्थान की दूरी कम हो जाएगी। आपने इस रोड को पूरा नहीं होने के जो कारण बताये हैं, उस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं आपने कहा है कि 7 कि.मी. की स्वीकृति कम जारी हुई, भूमि का मुआवजा अनुमान से अधिक चुकाना पड़ा। राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा जो पुलिया बनाई है, इस सड़क से इसका कोई संबंध नहीं था, यह स्टेट हाइवे की पुलिया थी, उसमें अधिक व्यय कर दिया और डामर की कीमत अलग हुई। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसकी रिवाइज स्वीकृति कब जारी की जाएगी? इसको पूरा करने के लिये संशोधित स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: आप भाषण नहीं दें, प्रश्न पूछ लें।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ऐसे प्रश्न होता है क्या?

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इसको पूरा करने के लिये जो आपने कारण बताये हैं, उसकी रिवाइज स्वीकृति कब जारी कर दी जाएगी? खण्ड दो में आपने बताया है कि प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा इसका पूरा होना, तो इसको कब तक पूर्ण कर देंगे? यह दो प्रश्न मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह बता दीजिये कब तक पूर्ण कर देंगे ? एक प्रश्न और आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बिजोलिया से शक्करगढ़ यह एम.डी.आर. 41 का भाग है । इसकी कुल लम्बाई 37 कि.मी. थी और इस सड़क में केन्द्रीय सड़क निधि और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इनके तहत अलग-अलग समय में अलग-अलग स्वीकृतियां जारी हो गयी थीं और 37 कि.मी. सड़क में जो प्रारम्भिक स्वीकृति जारी की गयी थी वह 30 कि.मी. थी। और उसमें 240 लाख रुपये सी.आर.एफ. के तहत जारी किये गये और 18 लाख भू अवाप्ति के लिये मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत जारी किये गये। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो सड़क है, यह सड़क 13 कि.मी. कम बनी हुई है परन्तु इसमें दो कि.मी. सड़क अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किसी गांव को जोड़ने के कारण बन रही है और तीन कि.मी. सड़क जो राजस्थान सरकार और डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. कार्यक्रम है उसके तहत प्रस्तावित है। इस तरह आठ कि.मी. सड़क शेष रहती है । इस आठ कि.मी. सड़क को निश्चित तौर पर इस सड़क का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और इस सड़क के कारण यह जो शक्करगढ़ रोड से बिजोलिया

(समय : 12.00 बजे)

खनन क्षेत्र है। इसमें आपके आधे क्षेत्रों में 20 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी, निश्चित तौर पर किसी न किसी योजना में इस सड़क को प्राथमिकता से लेंगे।

माननीय सदस्य का यह कहना कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, मैं नितान्त गलत मानता हूं। जब से यह सरकार आयी है, इनके निर्वाचन क्षेत्र में 18 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है जिसमें चार गांव प्रगति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर हैं और जो अभी हमने प्रस्तावित किये हैं उसमें भी 34 गांव हैं जबकि पिछली पांच वर्षों में आपके मात्र 12 गांव जुडे थे। ना तो आपके निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और ना ही आपके जिले की उपेक्षा हुई है और राजस्थान में सड़कतंत्र को मजबूत करने के लिए जो काम हमने हाथ में लिये हैं, उस काम को हम आगे बढ़ायेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नहीं, यह मेरी कास्टीट्यूएंसी का है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है बूंदी से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो सड़क है, जिस सड़क के अन्दर अभी आठ किलोमीटर निर्माण का कार्य शेष है उसको आगामी वित्तीय वर्ष में किसी न किसी योजना में लेकर इस सड़क के काम को पूरा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: मैं मेरे विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए आज प्रश्न काल का पांच मिनट का समय बढ़ा रही हूं, श्री जीतमल खांट के प्रश्न का जवाब आने तक। श्री जीतमल खांट।

आनन्दपुरी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) के राजस्व अभियान में भू-आबंटन प्रकरण

354. **श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उप-योजना क्षेत्र में विशेष राजस्व अभियान, 2006 में जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति आनन्दपुरी में अधिकारियों द्वारा आदिवासी, काश्तकारों को भूमि आबंटन नहीं करने की शिकायत क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई थी? यदि हां, तो शिकायती पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शासन उप सचिव (ग्रुप-6) राजस्व, राजस्थान, जयपुर द्वारा एक फैक्स संदेश क्रमांक : 9(30)राज-6/06 दिनांक 17 फरवरी, 2006 द्वारा जिला कलक्टर, बांसवाड़ा से अभियान की जानकारी चाही गयी थी? यदि हां, तो फैक्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने शासन उप

(श्री जीतमल खांट)

सचिव राजस्व (ग्रुप-6) की राजस्थान, जयपुर को उक्त फैक्स की अनुपालना में पत्र क्रमांक : एफ.8(18)/राज./अभियान/2006/712-13 दिनांक 23 फरवरी, 2006 के संलग्न विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की विशेष राजस्व अभियान 2006 की 20 फरवरी, 2006 तक की प्रगति रिपोर्ट भिजवाई गई थी? यदि हां, तो उक्त प्रगति रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रगति रिपोर्ट में पंचायत समिति आनन्दपुरी में कृषि भूमि आबंटन के लिए 592 प्रकरणों में 163.22 हैक्टेयर भूमि आबंटन किये जाने की जानकारी दी है?

(5) कृषि भूमि आबंटन के उक्त प्रकरणें में 163.22 हैक्टेयर भूमि किस-किस ग्राम पंचायत में आबंटित की गई है? आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की जिस पत्र पर हस्ताक्षर कर भूमि आबंटन की सिफारिश की गई है, उस पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां। शिकायत पत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। फैक्स की प्रति परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(3) जी हां। प्रगति रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

(4) जी हां। सूची परिशिष्ट 'घ' संलग्न है।

(5) इस आबंटन प्रक्रिया में कार्यवाही विवरण पंजिका में आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होकर भूमि आबंटन की जो सिफारिश की गयी है, उसकी प्रति परिशिष्ट 'ड़' संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बिंदु संख्या चार में बताया है कि पंचायत समिति आनन्दपुरी में कृषि भूमि आबंटन के लिए 592 प्रकरणें में 163.22 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया। माननीय मंत्री महोदय, आप बताएं कि पंचायत समिति आनन्दपुरी क्षेत्र में आबंटन हेतु कुल कितनी हैक्टेयर भूमि उपलब्ध थी जिसकी सरकार द्वारा उद्घोषणा की गयी थी? नम्बर एक।

नम्बर दो, आपने बिंदु संख्या पांच में बताया है, आप यह बताएं कि ग्राम पंचायत मड़कोला मोगजी, उदयपुराबड़ा, बड़लिया, बरेठ, चांदरवाड़ा, जिसमें किसानों को भूमि आबंटन की गयी है, क्या इस पर आबंटन सलाहकार

(श्री जीतमल खांट)

समिति के सरपंचगणों ने भूमि आबंटन सिफारिश प्रपत्र एवं भूमि आबंटन कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर किये हैं?

तीसरा, क्या पंचायत समिति आनन्दपुरी 2000 हैक्टेयर भूमि आबंटन के लिए उपलब्ध थी? उसकी एवज में मात्र 163.22 हैक्टेयर भूमि ही, शिविर प्रभारी द्वारा शेष भूमि उपलब्ध होने के बाद भी किसानों को आबंटन क्यों नहीं किया गया?

इतना ही नहीं, मंत्रीजी, आपने जिस पवित्र मंशा के साथ गरीब किसानों के जीवन से जुड़ी हुई योजना शुरू की थी, यदि शिविर प्रभारी द्वारा उक्त योजना का लाभ किसानों तक पहुंचने में अगर कोई कोताही बरती गयी है और सरकार की भावनाओं के विपरीत कोई कार्य किया गया है तो क्या ऐसे शिविर प्रभारी के खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्षः यह आनन्दपुरी का तो सब आपको दिया गया है लिखित में, आपने उसको देखा नहीं, 4.07 है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बिना सरपंच के साइन के जो आबंटन किया है, अब देखिये, मैंने लिखा है उदयपुराबड़ा, बड़लिया, बरेठ, मड़कोला मोगजी, चांदरवाड़ा देखें आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विशेष आबंटन जनजाति क्षेत्र में चलाया गया था 21.01.06 से लगाकर 28.02.06 तक और इसके अन्दर उन आदिवासी लोगों को जो सरकार का एक 50 साल के बाद के अन्दर उनकी मांग और यह छोटे-छोटे टुकड़ों पर काबिज थे, उन्होंने काबिल काश्त जमीन बनायी। और इस जमीन बनाने के बाद के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, किस्म परिवर्तन जो प्रतिबंधित और जंगलात के अन्दर जमीनें नहीं थीं, और जिनका सिवायचक, चरागाह, छरड़ा, बरड़ा और इस प्रकार की जो भूमियां थीं, उन भूमियों के जो ठेठ से वह काश्त कर रहे थे और उन्होंने जो जमीनें इस प्रकार की काबिल काश्त बनायी, उनको सरकार ने एक निर्णय लेकर के किस्म परिवर्तन किया। और किस्म परिवर्तन करने के बाद के अन्दर इन क्षेत्रों के अन्दर जमीनों का आबंटन और नियमन किया गया।

जहां तक आपके आनन्दपुरी के अन्दर 592 व्यक्तियों को, काश्तकारों

(श्री रामनारायण डूडी)

को, और जैसा कि मैंने आपको जवाब के अन्दर दिया है, 163 हैक्टेयर जमीन दी गयी थी। और बाकी जो जमीन थी वह जंगलात की होने से जो नियमन योग्य नहीं थी ...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उद्घोषणा में यह जंगलात की जमीन नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि आनन्दपुरी पंचायत समिति में उद्घोषणा में लिया है, कितना रकबा था?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिनके एप्लीकेश थीं, पी.14 के अन्दर जिनकी पत्रावलियां थीं और वो पत्रावलियां थीं, उनको लिया ...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कितने हैक्टैयर भूमि उपलब्ध थी, उद्घोषणा में लिये गये नम्बर, कितने हैक्टेयर भूमि थी? यह तो आपने 163.22 अलाटमेंट किया है, आबंटन हुआ है। लेकिन टोटल उस पंचायत समिति आनन्दपुरी में उद्घोषणा में लिये, कितने हैक्टेयर भूमि थी?

श्री अध्यक्ष: जो आपको दी है सूचना उसमें तो 4.71 हैक्टेयर।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्घोषणा के अन्दर लिया गया और उद्घोषणा के अन्दर लेने के बाद में जिस किसी ने आवेदन नहीं किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, और उसके बाद के अन्दर जो कुछ जमीनों पर विवाद था एक से दूसरे का ...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आनन्दपुरी पंचायत समिति में 163.22 हैक्टेयर तो आपने आबंटन किया है, टोटली वहां पर कितने हैक्टेयर जमीन उपलब्ध थी? नम्बर एक।

नम्बर दो, क्या सरपंचों की बिना सिफारिश के भी आबंटन होता है? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आनन्दपुरी, बांसवाड़ा के अन्दर 1966 प्रकरण थे, इसके पी.14 अंकित है। इसमें से 1277 प्रकरण जंगल, चरागाह आदि के अतिक्रमित भूमि में दर्ज थे और जैसा कि मैंने निवेदन किया आबंटित किया जाना नियमानुसार संभव नहीं था। और शेष 682 अतिक्रमण के प्रकरण काबिल काश्त आबंटन योग्य के पी.14 में

(श्री रामनारायण डूडी)

दर्ज थे उनमें से 337 व्यक्तियों को आबंटन किया गया। और 344 व्यक्तियों को भूमि विवादित होने या प्रार्थना पत्र ...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या विवादित भूमि भी उद्घोषणा में शमिल कर ली गयी थी? माननीय मंत्री महोदय, बताएं कि क्या आपने विवादित भूमि भी उद्घोषणा में शामिल की थी?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपने उद्घोषणा में कितने हैक्टेयर भूमि बतायी, आप यह बताइये, इतनी सी तो बात है।

उद्घोषणा के अन्दर वह सभी भूमियां जो काबिल काश्त उद्घोषणा में कितने हैक्टेयर भूमि है आनन्दपुरी पंचायत समिति में?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। श्री अध्यक्षः 163.22 बिलियन।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है, इनका तो यह है ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी जमीन उद्घोषणा में आपने डिक्लियर की थी? जब आपको मालूम था कि वहां पर कब्जे हैं, फलाना हैं ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): और साथ में यह भी बताएं कि क्या विवादित भूमि को उद्घोषणा में शामिल कर लिया है?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं यह अलग से है। विवादित, जो काबिज काश्त, जो इस प्रकार की किस्म, यह केवल किस्म परिवर्तन करने का मामला था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, वो नहीं है यह।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): इसका है ही नहीं, मंत्रीजी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह केवल किस्म परिवर्तन करने का मामला था और सदा से जो लोग काश्त कर रहे थे उन्हीं को किस्म परिवर्तन करके इन लोगों को आबंटन करने का मामला था।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय मंत्री महोदय, यह काम तो आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, इसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। यह तो आपने पचास साल के इतिहास में पहली बार किया है जो कोई गवर्नमेंट में नहीं किया। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिर्फ आनन्दपुरी पंचायत समिति में उद्घोषणा में कितनी हैक्टेयर भूमि उपलब्ध थी? नम्बर एक।

(श्री जीतमल खांट)

दूसरा है कि क्या सरपंच की अनुपस्थिति में भी आबंटन होता है क्या? यह मैं पूछना चाहता हूं (व्यवधान) न एम.एल.ए. है न प्रधान है तो ...

श्री अध्यक्ष: अलाटमैंट कमेटी के जो मैम्बर्स होते हैं अकेला सरपंच नहीं होता, उसका कोरम यदि पूरा हो जाता है तो होता है अलाटमैंट ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): किए गए आबंटन में जो पांच पंचायतों का जिक्र किया गया है ..

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आबंटन जो भी किया गया है वह सलाहकार समिति की मार्फत किया गया है। उनके अन्दर आपका प्रधान मैम्बर होता है, सरपंच मैम्बर होता है, विकास अधिकारी है, तहसीलदार है उनके सामने यह सारा अलाटमैंट हुआ है। और सलाहकार समिति में यदि माननीय सदस्य थे, यदि शिविर चल रहे थे उस वक्त आप जाते तो शायद हो सकता है कुछ लोगों को फायदा मिलता। मगर आप नहीं गए होंगे तो मुझे मालूम नहीं मगर जिस प्रकार से ..

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): पूरी आनंदपुरी पंचायत समिति के अन्दर दो हजार बीघा उपलब्ध थी और मात्र 800 बीघा का आबंटन हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा आपने बहुत अच्छी स्कीम चालू की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं जमीन जो शेष रह गई है वह आप कब तक आबंटन और कराने की मंशा रखते हैं? आप यह बता दीजिए ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाख छब्बीस हजार कार्य आप, प्रशासन आपके द्वार जिसके कारण से इन आदिवासी क्षेत्र के अन्दर और उनको बुला-बुलाकर पट्टे दिए। मैं खुद दो दिन उस क्षेत्र के अन्दर गया और लोगों के जिस प्रकार के और यदि किसी प्रकार का रह गया है तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई भी कैसेज जो योग्य पात्रता रखते हैं, जो काबिज काश्त के अन्दर किस्म परिवर्तन करके यदि उनको दी जाएगी। तो दी जाएगी केवल प्रतिबंधित भूमियों को और जंगलात को छोड़कर के ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

अब तो स्थगन प्रस्तावों को भी आपने ऐसे ले लिया जैसे कोई पर्ची हो। स्थगन प्रस्ताव काफी आते हैं, दस-दस ।

1. अमराराम (धोद) सदस्य की ओर से जिला सीकर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।
2. श्री जुबेर खान (रामगढ़), सदस्य की ओर से जिला अलवर के ग्राम मुसाखेड़ा थाना किशनगढ़बास के 11 परिवारों को गत चार माह से अपने घरों में प्रवेश से स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के संबंध में।
3. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिन्डौली एवं नैनवां के अधिक भूमि की किस्म रवाल, दर्डे, बर्डे, गैर मु0 पठार में काम कर रहे लोगों पर लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत सज़ा सुनाये जाने के संबंध में।
4. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर), एवं चौदह अन्य सदस्यों की ओर से कंवरसेन लिफ्ट नहर के वर्तमान मुख्यालय को बीकानेर से हनुमानगढ़ किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में।
5. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची), सदस्य की ओर से जिला पाली में 70 प्रतिशत खराबा होते हुए भी फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने के संबंध में।
6. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), सदस्य की ओर से राज्य के निजी शिक्षण संस्थाओं के अनुदान में दस प्रतिशत कटौती के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय। कई विषय तो ऐसे हैं जिन पर माननीय सदस्य पूर्व में बोल चुके हैं, अतः इन स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री भरत सिंह (दीगोद), सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा गठित वन एवं वन्यजीव प्रबंधन समिति, 2005 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल नहीं होने के संबंध में।
8. श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी), एवं श्री महादेव सिंह (खण्डेला) सदस्य की

(श्री अध्यक्ष)

ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत बुधपुरा ग्राम पराणा के सरकारी विद्यालय को ग्राम सेवक एवं विकास अधिकारी द्वारा बेच दिये जाने के संबंध में।

9. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर),एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के ग्रामीण इलाकों में बी.पी.एल. परिवारों के चयन एवं संख्या निर्धारण में हो रही अनियमितता के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री भरत सिंह, श्रीमती ममता शर्मा एवं डा. चन्द्रशेखर बैद को अपने-अपने प्रस्तावों पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से जहाजपुर तहसील के ग्राम ऊंचा एवं कुंचलवाडा कलां को देवली नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा), सदस्य की ओर से तहसील पीपल्दा के किसानों की सीलिंग में गई जमीन का मुआवजा देने के संबंध में।

3. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी), सदस्य की ओर से तहसील चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में।

4. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़), सदस्य की ओर सेन विभाग में एम बी भरे जाने का कार्य अल्प योग्यताधारी के स्थान पर तकनीकी रूप से एवं वैधिक रूप से सक्षम कार्मिकों को सौंपे जाने के संबंध में।

5. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी), सदस्य की ओर से बस्सी के बस स्टैण्ड से बसों का संचालन कराने के संबंध में।

6. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़), सदस्य की ओर से छोटी-छोटी कृषि जोत में सामूहिक खातेदारी एवं जोतो में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़), सदस्य की ओर से उप तहसील बालेसर को तहसील में क्रमोन्नत के संबंध में।

8. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर), सदस्य की ओर से शेखावाटी के गाड़िया लुहारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा), सदस्य की ओर से किसान बुग्गा को अधिकृत कर इसका रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में।

10. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन), सदस्य की ओर से लोक जुम्बिश परियोजना के कर्मचारियों को सर्वशिक्षा में समायोजित कर राज्यकर्मियों के समान वेतन भत्ते देने के संबंध में।

11. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में नियमित आवासीय कालोनी की आन्तरिक सड़कों का डामरीकरण करने के संबंध में।

12. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर), सदस्य की ओर से अजमेर में आर.यू. आई.डी.पी के कार्यो के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री भरत सिंह।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया था स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्षः आपका कल लिया जाएगा। कल लिया जाएगा कह रही हूं ना। आपके स्थगन प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में ..

श्री अध्यक्षः आप कैसे बोलेंगे ? निजी शिक्षण संस्थाओं वाला मैंने पढ़ लिया वह दस प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव आप की ही सरकार ने किया था। दस प्रतिशत कटौती करने का ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारे वक्त में इम्पलीमैंट नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्षः आपने ही किया था वह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने इम्पलीमैंट नहीं कराया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एजूकेशन की डिमांड पर कह दिया था नहीं कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसमें मुझे बोलने की अनुमति दे दें आप।

श्री अध्यक्ष: बोलने की अनुमति फिर इन दस को भी मुझे देनी पड़ेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): स्थगन प्रस्तावों के बारे में अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह होती है या तो आप रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करें तो हमको बोलने की ...

श्री अध्यक्ष: रिजेक्ट कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमको बोलने की अनुमति दी जाती है, यह परम्परा है। सदन में आप बोलने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष: वह परम्परा जब थी जब केवल एक या दो स्थगन प्रस्ताव आते थे अब जब स्थगन प्रस्ताव बारह-बारह आते हैं तो इस तरह से बोलने दिया जाएगा तो विधायी कार्य तो हो ही नहीं पाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पचास-पचास स्थगन प्रस्ताव आए हैं, पांच-पांच बजे तक जीरो आवर चला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच पांच बजे तक जीरो आवर चला है। आप कृपया मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दे दें।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): (व्यवधान) हम क्या कर सकते हैं? समस्या बढ़ गयी हम क्या कर सकते हैं आप बताओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं दो मिनट में ध्यान आकर्षित कर दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह स्थगन प्रस्ताव का विषय है नियमों को और प्रक्रियाओं को पढ़ना तो चाहिए ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज आपके झुन्झुनूं से ही पूरे राजस्थान में स्कूलें बंद हो रही हैं इसलिए आप कृपया दो मिनट की अनुमति दे दें मुझें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी कोई अनुदान नहीं काटा जाएगा और यथावत चार और पांच में था, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मामला सदन में आपके विचारार्थ आया, आपने व्यवस्था दी। आपकी व्यवस्था के बाद ऐसे वरिष्ठ सदस्य काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा के दिन कोई अनुदान जो पूर्व में मिल रहा है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। और आपने खुद ने घोषणा की है उस घोषणा को इम्पलीमैंट भी तो करवाओ आप।

श्री अध्यक्ष: मेरी दी हुई व्यवस्था के प्रतिकूल जो लोग आचरण करते हैं बेस्ट लेजिस्लेटर का जब कभी विचार किया जाएगा, उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं, खैर जो भी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में अर्ज करूंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बी.डी. कल्ला का प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण है पूरे राजस्थान के जन...

श्री अध्यक्ष: वह रिसेंट आकरेंस है क्या? वह रिसेंट आकरेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: अभी लाठीचार्ज हुआ है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यदि आप नाराज नहीं हों तो एक मिनट में कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी, 19.12.2005 को आप शिक्षा मंत्री थे...

श्री अध्यक्ष: अब आप क्या बोल रहे हैं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कृपा करके दस प्रतिशत जो कटौती की है ..

श्री अध्यक्ष: मेरी दी हुई व्यवस्था के प्रतिकूल आप क्यों बोल रहे हैं ? मैंने भरतसिंह का नाम पुकारा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपके आदेश की पालना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या आदेश की पालना कर रहे हैं, जब मैंने नाम पुकार लिया भरत सिंहजी का तो आप क्या बोल रहे हैं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या कह रहे हैं आर्डर निकल रहा है, आपको कहना हो वो कहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, माननीय बी.डी. कल्ला का जो स्थगन प्रस्ताव है पूरे राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं को प्रभावित करता है और हजारों लाखों लड़कों के भविष्य का प्रश्न है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आओ ना प्रस्ताव लेकर के ।

श्री अध्यक्ष: वह आप स्थगन प्रस्ताव के जरिये क्यों लाते हैं दूसरे तरीके से लाइये ना इसे ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): स्थगन प्रस्ताव ही आएगा।

श्री अध्यक्ष: यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है । आपका दिया हुआ स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। पालनीय नियमों में आइये ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदया, 914 ... (व्यवधान) 75 अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं इस प्रकार से ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की है शिक्षा की डिमांड के दिन। घोषणा की है कि कोई कटौती नहीं होगी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय शिक्षा मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, दो शब्द उनसे कहलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं ... (व्यवधान) सुनिये तो सही। प्रतिप्रक्ष के नेता कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, तो कह दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, कह देता हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो कहें, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव में व्यवस्थाएं क्या हैं, अपनी किताबों में क्या लिखा है, यह तो देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह ख्वाहमख्वाह कहां से आ गये?

श्री अमराराम (धोद): (व्यवधान) मंत्रीजी, पहले यह कर देने दो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुख्य सचेतक महोदय ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्थगन प्रस्ताव का जो विषय है ... (व्यवधान) 52 में यह कहा गया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनको सबको पता है, उसके बाद करते हैं। जो यहां बैठे हैं इनको सबको पता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ज्यादा कोई उठाकर ले जाने की स्थिति में नहीं है ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भूल जाते हैं। सदन में एक से अधिक ऐसा विषय नहीं आयेगा, एक ही प्रस्ताव के द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। प्रस्ताव हाल की घटित किसी विशिष्ट विषय तक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर इसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है तो यह अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सबको पता है। महावीरजी, मुख्य सचेतक महोदय, सबको मालूम है। सब पढ़े हुए हैं यह। वह मालूम है लेकिन इस सदन की कुछ परम्पराएं भी स्थापित हुई हैं, वह नियमों से कम नहीं है और उन परम्पराओं के हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देती रही हैं। आप उनको नजरंदाज मत करिये। आप गवर्नमैंट के चीफ व्हिप हैं, हमारे सबके आप संरक्षक हैं, अधिकारों के आप मालिक हैं, अध्यक्ष महोदय को सब मालूम है। हमारी सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं और ऐसे आसन पर बैठी हैं कि वह निष्पक्षता से निर्णय लेंगी । तो पांच मिनट में उनको कह लेने दो।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, प्रतिपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, आप कुछ बोलें।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी को पुकार दिया है अध्यक्षजी ने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था शिक्षा की डिमांड के समय अपने जवाब में मैंने कहा था कि इस वर्ष किसी भी प्रकार की अनुदानित शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनमें कटौती नहीं की जायेगी। पिछले साल जितना उनको पैसा मिला था उतना ही पैसा इस बार मिलेगा। फिर भी कोई प्रकार की अगर शंका हो, चाहो तो मेरे से पूछ लें, या मेरे से आप समय तय कर दें उस समय कितना पैसेवार मिला था, कितना रुपया अब मिल रहा है, कितना पैसा कब काटा गया इसका आर्डर किसने किया था, वह सारा मैं स्पष्ट कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह डिमांड पर कह दिया था आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कह दिया था मैंने।

श्री अध्यक्ष: वह सब कह दिया था। वह सब बातें आ चुकी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देश दिया है इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कह दिया ना यही।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब दुबारा कहो। इस विषय में क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष: वह दुबारा क्या कहेंगे ? दुबारा इस सदन में जिस बात पर एक बार चर्चा हो जाती है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दुबारा चर्चा नहीं होती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कोई कटौती नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा यह अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, 24.3.2006 को आपने आर्डर निकाला है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह तो कह दिया आपने इसलिये इस साल काटोगे। इसलिये स्पष्ट कहा कि जो कटौती ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन का बहुमूल्य समय है। इस सदन का समय बहुत ही मूल्यवान है। सदन का समय निरर्थक विषयों पर बर्बाद न करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं आपकी आज्ञा से। एक स्पष्टीकरण चाहता हूं आपकी आज्ञा से ... (व्यवधान) जब मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था तो स्पष्टीकरण मांगना हमारा धर्म है।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। आसन आपका सम्मान करता है। आसन आपका बहुत सम्मान करता है। इस बारे में जब एक बार बात आ चुकी है और फिर कभी इस तरह का मौका आए, यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और आप आकर मुझसे मेरे चैम्बर में मिल लीजियेगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह 24.3.2006 का आर्डर है, 80 परसेंट से 70 ... (व्यवधान) यह सब विथड्रा कर लिया ना ? आप हमारे से कह दें कि विथड्रा कर लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): करेक्ट कर ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): 24.3.2006 का आर्डर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्षजी, गत वर्ष 23, जनवरी को...

श्री अध्यक्ष: अब भूमिका मत बांधो। आपको तीन मिनट का समय है केवल। आप तीन मिनट में बात कह दो अपनी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य सरकार द्वारा गठित वन एवं वन्यजीव प्रबंधन समिति, 2005 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्षजी, गत वर्ष समाचार छपा था कि सरिस्का में टाइगर मार लिये गये हैं। उसके बाद पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अन्दर यह बात उजागर हुई कि जो हमारे टाइगर प्रोजेक्ट हैं उसमें टाइगर खतम हो गये हैं। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने छह महीने का अध्ययन करने के बाद 350 पृष्ठों की एक डिटेल रिपोर्ट सरकार को पेश करी। इस आशय से पेश करी कि सरकार इनके ऊपर अमल करेगी ताकि जो हमारे रणथम्भौर के अन्दर शेर बचे हुए हैं उनको सुरक्षित रूप से बचाया जा सकेगा। यह रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद दिसम्बर के महीने में, नवम्बर, 2005 में यह खबर आयी कि रणथम्भौर के अन्दर भी सरिस्का के जैसे शेर का शिकार हुआ है और यह अत्यन्त गंभीर बात थी। और भी पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या के अन्दर वन्य जीवों की तस्करी तिब्बत और चाइना में हो रही है। जो रिपोर्ट राज्य सरकार ने सरकार को दी उसमें विभिन्न सुझाव थे। उसमें सबसे बड़ा सुझाव अन्य बातों के अलावा यह था कि हमारे अगर इन नेशनल पार्क्स को बचाना है जो 25 अभयारण्य और 2 नेशनल पार्क हैं जिनकी कुल सीमा 9000 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ज्यादा है जब कि हमारा पूरा फोरेस्ट एरिया 32000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर हम हमारे नेशनल पार्कस और सेंक्चुरी को नहीं बचा पायेंगे तो यह जितने भी जानवर हैं, लुप्त हो जायेंगे। उन्होंने बहुत ही उपयोगी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। मगर मैं इसमें यह भी पढ़ना चाहूंगा कि रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ के ऊपर जो उसके अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान सांसद हैं वी.पी. सिंह, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा ? उन्होंने लिखा है इसमें कि "It is a common knowledge that reports of committees and task forces often sit oneself and failed into the oblivion with the passage of time." यह उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के पहले ही लिखा है कि इन रिपोर्टस को ताक में रख दिया जाता है और इन पर अमल नहीं होता। इसमें वही की वही हुआ है।

छह महीने के अन्दर, सरकार ने जब बजट पेश किया तो यह उम्मीद की थी कि वन विभाग में भर्ती होंगे। शिक्षा विभाग में 26000 अध्यापकों की

(श्री भरत सिंह)

भर्ती होने की बात है। पुलिस विभाग में भर्ती होने की बात है। मगर वन विभाग में जहां टाइगर, सरिस्का में तो गायब हो गये और रणथम्भौर में मारे गये, तो सरकार से यह उम्मीद की थी कि इस सेंसटिव इश्यू पर जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी कन्सर्न शो की। पर्यावरण प्रेमियों और हमारी भावी पीढ़ी को अगर शेर देखना है तो राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। मगर उनका न तो राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर, न बजट के अन्दर, एक कर्मचारी भर्ती करने की व्यवस्था नहीं की है। पिछले 21 साल से वन विभाग में एक कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। आपके फोरेस्ट गार्ड की उम्र 45 साल से ऊपर एवरेज है। अगले दस साल के अन्दर तो आपका फोरेस्ट डिपार्टमैंट ही पूरा बैठ जायेगा। इस पृष्ठभूमि में वन मंत्री इस सदन को यह अवगत कराएं और सदन को ही नहीं सदन के माध्यम से राष्ट्र को अवगत कराएं कि राजस्थान सरकार वन्य जीवों को बचाने के लिये, खासकर शेर को बचाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? मैं तो यहां तक भी कहूंगा मैंने पिछली बार शंका जाहिर की थी कि एक ही मंत्री को वन विभाग और खनिज विभाग, दोनों अलग दिशा में चलने वाले विभाग अगर आप देंगे तो वन विभाग का नुकसान होगा। और मैं दावे से कहता हूं कि वन विभाग का राजस्व जहां हर साल सौ करोड़ रुपये बढ़ रहा है, वह इसलिये बढ़ रहा है कि आपकी जो फोरेस्ट की डिमार्केशंस हैं उनका अता पता ही नहीं है। अभी जो बहस चल रही थी, मैं वहां बैठा हुआ टेलीविज़न पर देख रहा था। मैं भागीदारी इसलिये नहीं ले रहा था क्योंकि आपने मुझे समय दिया है बोलने के लिये। कहीं हमारे फोरेस्ट का डिमार्केशन है ही नहीं। और यह बात सही है जो पांच सौ मीटर की बात चलती है तो जब आपका डिमार्केशन ही पूरा नहीं है, आपके पत्थर गढ़ी भी नहीं है तो आप कैसे करेंगे ? यह भी सही है कि जिस अमान होटल की बात की है। मैं इस कमेटी का मैम्बर था और हमारी कमेटी उस समय रणथम्भोर गयी थी। फोरेस्ट सेक्रेटरी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस समय वहां जो फोरेस्ट सेक्रेटरी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा फोरेस्ट सेक्रेटरी भी यहीं हैं, हमारी कमेटी से मिलने तो नहीं आए। मैंने पूछा कहां है वह फोरेस्ट सेक्रेटरी? तो वह इस अमान होटल में ठहरे हुए थे। हमारी सरकार के जो बड़े-बड़े आला अफसर हैं, जब रणथम्भोर आते हैं, वह रणथम्भौर का रजिस्टर ले लीजिये सर्किट हाउस का। वहां कोई नहीं ठहरता है। जो खायेगा वही गायेगा। इस होटल में ठहरे हुए हैं इसलिये जिसको तोड़ना है उसको तोड़ दिया। मैं इस बात को डाइल्यूट नहीं

(श्री भरत सिंह)

करके चाहूंगा कि वन मंत्रीजी इस बात के ऊपर दें कि सरकार क्या कर रही है, या खुले दिल से साहस करें कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और मैं कुछ करने में असमर्थ हूं। यह बोलें ताकि लोगों को मालूम तो पड़े। दोहरी बोली तो नहीं बोली जाए और मैं तो इनसे इस बात के लिये कह रहा हूं कि हमारा फोरेस्ट एरिया जिस प्रकार से इसमें एनक्रोचमैंट हो रहे हैं, जिस प्रकार से जंगल कम होते जा रहे हैं, जो रिक्वायरमैंट है, जो जैन कमेटी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जितना स्टाफ चाहिये, आधा भी स्टाफ नहीं है। जितने भी हमारे ईको ट्यूरिस्ट के नाम से करोड़ों रुपया यहां वसूल कर रहे हैं, पिछले तीन साल के अन्दर तो इन्होंने छह करोड़ रुपया ऐसे ज्यादा वसूल किया, एक पैसा नहीं लगाया जो ट्यूरिस्ट से चार्ज ले रहे हैं। पैसा नहीं लगाया .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं मैं आपसे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जरूरी थी, जो आपने कह दी। मैंने आपको समय दिया है जरूरी कहने के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद): विषय इतना गंभीर है...

श्री अध्यक्ष: विषय गंभीर है तो सुन ली ना बात।

श्री भरत सिंह (दीगोद): छह महीने से वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक नहीं हुई। साल भर में प्रधानमंत्री तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक बुला लेते हैं मगर राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सात साल से बैठक नहीं हुई। अभी यह शेर मरे उसके तो उम्मीद की थी कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होगी। छह महीने तो इस रिपोर्ट को भी आए हुए हो गये। दो साल के अन्दर वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक नहीं हुई है तो कम से कम मंत्री महोदय से सदन को इस बात की पूरी जानकारी तो मिले कि वन विभाग करने क्या जा रहा है, नहीं तो एक-एक करे रिपोर्ट ताक में, लाखों रुपये इस पर खर्च हो गये और रिपोर्ट धूल खाएंगी और हमारे जानवर बचेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, कुछ कहने की स्थिति में हैं क्या आप ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी कांस्टीट्यूट की थी। कमेटी ने जो अपनी 133 सिफारिशें पेश की हैं उसमें से अधिकांश सिफारिशों को राज्य सरकार ने मंजूर किया है। उसके तहत आरएसी वहां नियुक्त हुई। वहां

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर जो स्टाफ की कमी थी उस स्टाफ की हमने भर्ती की। लेकिन यह जो नेशनल पार्क और सेंक्चुरी के अंदर जो वातावरण बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सरिस्का में जो बात है हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरिस्का में टाइगर नहीं हैं। लेकिन 1988 में जब सेंक्सेस हुई थी उस वक्त 45 टाइगर बच रहे थे और 1989 में जब सेंक्सेस हुई तब मात्र 19 बच गये थे। उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, न तो आपने कोई कमेटी बनायी ना आपने ऐसे प्रिकोशन मेजर एडाप्ट किये।

श्री अध्यक्षः आप तो अपनी बात पर आ जायें, प्लीज आप बीच में ना बोलें...(व्यवधान) आप तो यह बता दें कि आपने क्या किया, इतनी बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अभी नेशनल पार्क के बारे में जो प्रश्न और 500 मीटर के बारे में बताया था ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर टाइगर के बारें में तो बात कर ही नहीं रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन वन मंत्री बीना का, उन्होंने ही पाइप लाइन की जो होटलें थी और उन होटलों को परमीशन दी। इसके कारण भी नेशनल पार्क प्रभावित हुआ। कौनसा ऐसा वातावरण बना, हमने अपनी तरफ से डेढ़ साल के कार्यकाल में सर्चिंग की कार्यवाही की, हमने कमेटी बनायी और जो अधिकारियों और मुलजिमानों के बयानों के आधार पर जहां पोचिंग हुई है उन अधिकारियों को और कर्मचारियों को हमने निलंबित किया। संसारचन्द्र जैसा अंतरराष्ट्रीय तस्कर है उसको हमने गिरफ्तार किया। नीमा को हमने गिरफ्तार किया है, रानी गहरा जो अपने आपको कांग्रेस की दिल्ली की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की महामंत्री बताती है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पुत्रों को गिरफ्तार किया। डेढ़ साल के कार्यकाल में जो वातावरण पहले बिगड़ा हुआ था उस वातावरण को सुधारने में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। जो कमेटी गठित हुई है उस कमेटी की सिफारिशों को राज्य सरकार अपनी तरफ से पूर्णतया लागू करे हम यह प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने चिंता प्रकट की है। राज्य सरकार स्वयं चिंतित है। और सारे निर्णय जो भी लेने होंगे निश्चित रूप से मैं सदन को

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरिस्का आज टाइगर लेस है, निश्चित रूप से हम टाइगर वहां स्थापित करेंगे। वहां अच्छा वातावरण बनाकर के टाइगर को स्टेब्लिश करने की जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर रहे हैं। आज भारत सरकार को तीन हजार करोड़ का जो हमने प्रोजेक्ट बनाकर के भेजा है। उन प्रोजेक्ट में से मात्र 16 प्रतिशत राशि भारत सरकार ने दी है। भारत सरकार ने जो अभी बजट पेश किया था उसमें टाइगर के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में जो भी 30 करोड़ का बजट में प्रावधान था केन्द्र सरकार ने मात्र 28 करोड़ का ही प्रावधान रखा है। यह चिंता का विषय है। एक तरफ प्रधानमंत्री चिंता प्रकट करते हैं नेशनल पार्क में आकर के, और यह मात्र राजस्थान में ही नहीं हुई है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पूरा जवाब आ गया है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, यह गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने यू.सी. नहीं भेजी है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट का समय मुझे भी दे दें।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): इन्होंने गबन किया है इसलिए भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। इन्होंने आज तक यू.सी. नहीं भेजी है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): तिब्बत और चाइना में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): इन्होंने यू.सी. नहीं भेजी है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी प्रस्तुत की और चिट्ठी के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री की। चिट्ठी प्रस्तुत की। और दलाई लामा जो हैं, उन्होंने अपने जितने भी तिब्बती थे...

श्री अध्यक्षः हो गयी, बात हो गयी। हो गया आपका जवाब ठीक है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उन्होंने शपथ दिलायी कि वहां पर न तो टाइगर और ना पैंथर की खालें कोई लेगा । इस प्रकार से एक वातावरण बना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, प्रधान मंत्रीजी ने भी गौर किया और उसका फायदा हुआ है । एक अच्छा वातावरण बना है ।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया आपका जवाब।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): चाइना और तिब्बत में इस प्रकार का पोचिंग करके जो खालें हैं उसको नहीं लेना है, यह शपथ ली गयी।

श्री अध्यक्ष: हो गया जवाब, श्रीमती ममता शर्मा। आपको दो मिनट बोलने का समय दिया गया, you took 6 minutes. ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है ...

श्री अध्यक्ष: अब उन्होंने जवाब दे दिया, सारे मामले में आप फिर वही बात कर रहे हैं। कॉल अटेंशन नहीं है। It is not a calling attention motion.

श्री भरत सिंह (दीगोद): इन्होंने जो बात कही है, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जिन ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): जिस अशोक गहलोत ने 2003 में और वन मंत्री ने जो निर्णय लिया था उसको कंटेम्प्ट करने के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स ने छापा ...(व्यवधान) क्या वास्तव में तीन सौ मीटर की परिधि में वह पाइप लाइन जो हद बनी थी वह गलत निर्णय लिया था अशोक गहलोत ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): अमन रिसोर्ट तो तोड़ेंगे न आप मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब कुछ नहीं, श्रीमती ममता शर्मा ...(व्यवधान)

बुधपुरा ग्राम पंचायत में पराना ग्राम, तालेड़ा पंचायत समिति के डीपीईपी भवन का अनधिकृत बेचान करने विषयक

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति तालेड़ा के ग्राम पंचायत बुधपुरा में ग्राम पराना में एक डीपीईपी का भवन बना था।

श्री अध्यक्ष: क्या बना था?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): डीपीईपी स्कूल और उसको वहां के ग्राम सेवक ने और तत्कालीन जो बीडीओ था उन्होंने मिलकर के 25 हजार में बेच दिया।

श्री अध्यक्ष: डीपीईपी का भवन तो बना था, वह राजीव गांधी था, सरकारी प्राइमरी था?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सरकारी प्राइमरी था।

श्री अध्यक्ष: हां, यूं कहो।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सरकारी प्राइमरी स्कूल था और मेरे पास पूरी डिटेल भी है। लेकिन में यह अवगत कराना चाहूंगी कि ढाई लाख लिये और रसीद केवल 25 हजार की दी और यह भवन बेचान भी कर दिया ।

श्री अध्यक्ष: बेच कैसे सकता है? They have no right.

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं यही पूछ रही हूं कि बेच कैसे सकता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकारी संपत्ति को कैसे बेच सकता है?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं यही पूछ रहा हूं कि कैसे बेचा, यह रसीद वगैरह सब मौजूद और अनपढ़ सरपंच से दस्तखत करा लिया । दो-दो, तीन-तीन पेजेज पर। और अगर आप कहें तो मैं इसको टेबल करने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: अनपढ़ हो और चाहे पढ़ा लिखा हो, उसे बेचने का कोई अधिकार थोड़े ही है ...(व्यवधान) सरकारी संपत्ति को कौन बेच सकता है?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सरपंच बिना पढ़ी-लिखी एक महिला है। जाति से भील है।

श्री अध्यक्ष: खैर आप जांच करायें, देखें क्या बात है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मैं यह चाहती हूं कि उसकी जांच हो और यह तो बहुत बड़ा घोटाला है ...(व्यवधान) और राज्य सरकार को इसका नुकसान है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच ने और ग्राम सेवक ने जो बेचा है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): विकास अधिकारी ने बेचा है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बीडीओ ने बेचा है तो मैं इसकी पूरी जांच करवा लूंगा और यदि कोई गलती पायी गयी तो हम बहुत कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो उसको पता ही नहीं है बेच दिया है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष

(श्री कालूलाल गुर्जर)

महोदय, पहली बात तो यह है कि आपको डीपीईपी के बारे में बताया, डीपीईपी योजना हमारे शिक्षा विभाग से चलती है। शिक्षा विभाग ही वहां पर बिल्डिंग बनाता है। पंचायत बनाती नहीं है और न हमारे अधिकार में है। शिक्षा विभाग के अधिकार में रहती है। अब आप बता रहे हैं कि सरपंच ने बेच दिया तो मुझे तो लगता नहीं है कि सरंपंच को बेचने का अधिकार है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: या तो राजीव गांधी हो उसे बनाती है या सरकारी शाला हो उसे बनाती है। डीपीईपी वैसे थोड़े ही बनाती है । वह तो उनकी रिकमंडेशन पर ही बनती है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डीपीईपी योजना केन्द्र सरकार से जो पैसा आता है, उससे डीपीईपी योजना चलती है।

श्री अध्यक्ष: पैसा सरकार का है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसे बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बना रखी है। वहां के जो प्रधानाध्यापक है वह कमेटी ही कंस्ट्रक्शन करवाती है। पंचायत नहीं करवाती है और कब्जे में भी स्कूल में ही रहती है। स्कूलें अभी शिक्षा विभाग में हैं, प्राइमरी स्कूलें भी शिक्षा विभाग में हैं, पंचायत राज में नहीं है तो वहां सरपंच का तो कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी यदि सरपंच ने अपने अधिकारों के विपरीत जाकर, उसको बेचने का अधिकार नहीं होते हुए भी गलत काम किया होगा तो उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सरपंच ने नहीं बेचा, मामला विकास अधिकारी और ग्राम सेवक का है। सरपंच से तो उन्होंने जबरदस्ती, चूंकि वह बिना पढ़ी-लिखी है, उससे साइन करवाये। बाकी जो मामला है वह तत्कालीन विकास अधिकारी और ग्राम सेवक का है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या ने विधान सभा में इस मामले को रख दिया है, उठा लिया है तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप जाकर के इन सब बातों को ठीक करें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कौन से वर्ष का है?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 5.12.2005 का।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसकी पूरी जांच करा लेंगे। माननीय सदस्यों को भी जानकारी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को भी जानकारी करके जानकारी दे दूंगा और कार्यवाही भी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वर्ष कौनसा है? वर्ष कौनसा है ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 2005 का है ।

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2002 का है ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): जी नहीं, 2005 में, 5.12.2005 का मामला है।

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, आप भ्रष्टाचार के पक्षधर कब से हो गये? पीडब्ल्यूडी में बहुत कामयाब रहे हो ...(व्यवधान) वैसे तो फिर शक करना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद को पुकारा है हमने। अभी नहीं, आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिये थे, बछड़े की उम्र के बारे में आपने आसन से यह व्यवस्था थी कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसकी उम्र के बारे में ?

श्री अमराराम (धोद): बछड़ों की उम्र के बारे में आपने व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी से वार्ता करके सदन को अवगत करायेंगे कि किसानों के साथ बछड़ों की उम्र तीन साल प्रतिबंधित कर दी थी और उससे किसानों, गायों और बछड़ों सब को जो नुकसान हो रहा है । आपने आसन से व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्रीजी को कि मुख्य मंत्रीजी से वार्ता करके सदन को अवगत करायेंगे जिससे राजस्थान को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने मुख्यमंत्रीजी नहीं, मैंने कहा था कि कैबीनेट के जरिये सरकार को फैसला करना है वह फैसला करें, यह कहा था मैंने तो ।

श्री अमराराम (धोद): उसकी व्यवस्था आप फरमा दें तो आज या कल।

श्री अध्यक्ष: कैबीनेट में फैसला होगा । ऐसे कैसे कर देंगे । क्या जवाब देंगे वह अभी । कैबीनेट में होगा, मीटिंग में कैबीनेट करेगी फैसला।

श्री अमराराम (धोद): कम से कम इस सात तारीख तक सदन चलेगा। कम से कम, व्यवस्था हो राजस्थान के किसानों का ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गृह मंत्रीजी, आप अपने ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कम से कम यह सदन जब तक एडजोर्न हो उससे पहले तो यह बात आप सदन के माध्यम से रखें।

श्री अध्यक्ष: यह तो नीतिगत प्रश्न है। गृह मंत्री क्या जवाब देंगे? इसके तीन साल से कम उम्र के बछड़ों को जो लोग खरीद कर ले जाते हैं मेलों से, प्रश्न यह है कि उनको भी बाहर ले जाने का परमिट नहीं है। यह तो नीतिगत प्रश्न है। इसको गृह मंत्रीजी क्या करेंगे? इसका तो कैबीनेट में फैसला होगा।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि सदन एडजोर्न होने से पहले कैबीनेट में सलाह करके चूंकि यह राजस्थान की आम-अवाम का मामला है, बछड़ों का, गायों का, सब का हित जुड़ा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आम किसान का है, पशुपालक का प्रश्न है और नागौर में इन बछड़ों की कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से जो अच्छी किस्म के बछड़े हैं बाहर के लोग इनको खरीद कर ले जाते हैं और किसान इससे नुकसान में रह रहे हैं। सही बात है। लेकिन इस बारे में फैसला तो कैबिनेट करेगी।

श्री अमराराम (धोद): हम यह नहीं कह रहे हैं कि आज ही दे दो। सात तारीख से पहले-पहले कैबिनेट इस पर फैसला करके रिलेक्सेशन दे जिससे राजस्थान के किसान और बछड़े, सबके लिए व्यवस्था हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आप अपनी अध्यक्षीय व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्था कैसे करा दी जाए?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आप अपनी अध्यक्षीय व्यवस्था दीजिए इस पर।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्था कैसे कर दूंगी इस बारे में मैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे राजस्थान के अन्दर किसानों की आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाला मामला है। झुन्झुनूं जिले, सीकर जिले, नागौर जिले के किसान इससे अत्यधिक प्रभावित हैं।

श्री अमराराम (धोद): आपके लिए तो धन्यवाद है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सात तारीख से पहले-पहले निर्णय हो जाए तो किसानों की व्यवस्था हो जाए। उनके बछड़े छोड़ दें, अभी तो बेच दिए, उनको कोई रोकने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: खैर, उनकी तो इकानोमी ही उसी पर निर्भर है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद से यह हो सकता है, आप अपने अधिकार का सहारा लेकर उसे सुलह करवाएं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने तो दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते, यह क्या तरीका है? जब वह खड़े हैं, आप सुनना नहीं चाहते। आप अपनी ही बात कहते रहते हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं अपनी बात कहूंगा तो वह जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको कोई बात कहने की इजाजत नहीं है, वह खड़े हो गए। बैठिए आप। (व्यवधान) बात आ गई, नागौर का प्रश्न है, वह कह रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): नागौर का ही क्यों, राजस्थान का प्रश्न है। यह नागौर का ही थोड़े है, पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री अध्यक्ष: नागौर के मेले से जाते हैं ज्यादातर तो, मोस्टली।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि तिलवाड़ा मेले से अभी तीन साल से ज्यादा उम्र के बछड़े गए हैं, उनकी वहां सब गाड़ियां जब्त कर रखी हैं।

श्री अध्यक्ष: बात तो वही है, वैसे भी जाते होंगे, लेकिन सवाल यह है कि वह कुछ कहना चाहते हैं और आप सुनने को तैयार नहीं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नागौरी बैल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय एक प्रश्न के माध्यम से उठा था और इस पर सदन में चर्चा हुई थी। वैसे यह विषय सीधा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: लेकिन वह तो गौ वंश तस्करी का मामला था।

सीकर जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जो कानून में बदलाव आएगा कि तीन साल के बछड़ों को जाने की स्वीकृति दी जाए। यह विषय चूंकि पिछली बार जब अपने ने गौ वंश निष्कासन पर रोक लगाई थी उसमें तीन वर्ष के बछड़ों को छोड़ दिया था। यह विषय कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने भी अपना डाइरेक्शन यह दिया कि नहीं, तीन वर्ष तक के बछड़ों को नहीं। फिर भी यह विषय चूंकि बार-बार सदन में किसी न किसी रूप में आता है, उठता है और इससे किसानों को नुकसान होता है। यह बात कई बार इस सदन में पिछले सात-आठ साल से इस विषय पर हमेशा चर्चा करते रहे। इस विषय के निर्णय के लिए जैसा आपने कहा था चूंकि यह विषय पशु पालन विभाग का है, कानून में बदलाव करने का विषय है, कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा होने के बाद ही इस पर कोई आगे की लाइन तय हो पाएगी। अभी एकदम तुरन्त इस विषय पर कानून बदल लाने के लिए इसी सत्र में, तीन दिन में यह हो पाना और कैबिनेट होकर इस पर निर्णय हो जाना यह सामान्यतया सम्भव नहीं लगता। इस विषय पर जैसा आपका निर्देश था, निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी को इसकी जानकारी दी। जब कभी भी इसको किसी समय कैबिनेट में डिसकस करके इस पर चर्चा आगे होगी। क्या इसके परिणाम आएंगे, यह तो उसके बाद ही बताया जा सकता है। आज इन तीन दिन में यह तय नहीं किया जा सकता कि हम इसी सत्र के समाप्त होने के पहले-पहले इसमें कोई अमेंडमेंट ले आएंगे। यह आज की स्थिति में कहना सम्भव नहीं है लेकिन विषय गम्भीर है और बार-बार उठता रहता है। पशु पालन मंत्रीजी को भी इस बारे में बताया है और इनके विभाग को भी बताया है। वह भी इस पर विचार करके, क्योंकि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह लेकर आए थे। कैबिनेट ने इस पर डिसकस किया फिर भी यह विषय विचाराधीन है, कहां जाकर के कानून में कब बदल करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर विचार होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। आज की तारीख में यहां कोई कमिट करना कि हम दो दिन में या तीन दिन में इसमें अमेंडमेंट ले आएंगे, यह सम्भव नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय चन्द्रशेखर बैद। ...(व्यवधान) माननीय चन्द्रशेखर बैद, प्रारम्भ करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। तिलवाड़ा मेले से तीन साल से अधिक उम्र के बछड़े जिनको प्रमाण पत्र दिया है डाक्टर ने।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं न मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सांचौर में लोगों की गाड़ियां जब्त कर ली, बछड़ों को जब्त कर लिया, उसके बारे में गृह मंत्रीजी बैठे हैं, बछड़े तीन साल से ज्यादा उम्र के थे उनको वे ले गए। उन व्यापारियों के सारे बछड़े खोस लिए, उनके साथ मारपीट हुई, गाड़ियां तोड-फोड़ दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हो?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमारामजी सही कह रहे हैं। जालौर में गाड़ियां खड़ी हैं, सांचौर में गाड़ियां खड़ी हैं। 18-18, 20-20 हजार की बैलों की जोड़ियां कोई कटने के लिए नहीं ले जाता।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय मंत्रीजी, मैं यह कह रहा हूं कि सात से ऊपर वालों को भी नहीं ले जाने दे रहे हैं, डाक्टर ने प्रमाणपत्र दिया है, जिनकी गाड़ियां जब्त कर लीं, उनके बारे में तो आप कुछ कहें। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको तो बोलने के लिए बोला है, कितनी बार कह दिया, गृह मंत्रीजी ने कह दिया, नीतिगत प्रश्न है, कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, इस पर मंत्रिमण्डल ही निर्णय कर सकता है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं कानून बदलने की बात नहीं कह रहा हूं। अभी तिलवाड़ा मेले से, अभी इसी समय, अभी एक दो दिन में तीन साल से ज्यादा उम्र के बछड़े जो कानून में किस प्रकार प्रतिबन्धित नहीं है फिर भी उनको नहीं ले जाने दिया। उनकी गाड़ियां रोक ली, उनके बछड़े खोस लिए, उनके साथ मार-पीट की। कानून के अनुसार तीन साल से ऊपर के हैं, डाक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। तिलवाड़ा मेले से ले गए हैं। गृह राज्य मंत्रीजी का विधान सभा क्षेत्र है, गृह राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनके क्षेत्र में मेला भरता है, मेरी बात सत्य है कि नहीं, इतना तो कह दो।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): सही है, सही है।

श्री अध्यक्ष: इससे क्या मतलब निकल रहा है? यह बात सत्य है, इसमें क्या बात है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बछड़ों को खोस लिया, इस बारे में जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: एक बार कह दिया कि कैबिनेट के अन्दर इसका फैसला होगा। सरकार ने कह दिया।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमारामजी ने जो बात कही है, मैं कल ही गांव से आया हूं। रानीवाडा में ट्रकें खाली की हैं, जो पशु पालक 20-20, 25-25 हजार में जोड़ी ले जाता है, वह कटने के लिए नहीं ले जाता है, वह खेती के लिए ले जाता है। आदमी वहां खड़े कर दिए, उनका क्या होगा मंत्रीजी जवाब दे दें या तो डाक्टरी सर्टिफिकेट करा दें। हम किसान लोग मेले का इन्तजार करते हैं कि हम हमारे पशुओं को बड़ा करते हैं, मेले में जाकर उनकों बेचें, व्यापारियों ने खरीदा है। मेरे रानीवाड़ा में सहवाडिया मेला लगता है। यह तिलवाड़ा मेला, चूंकि गुजरात दूर पड़ता है, इसलिए ट्रक में ले जाते हैं। वहां पर कल रात को ट्रक खाली किए गए। वह बैल खड़े हैं, बीस-बीस हजार की जोडियां हैं। तो कम से कम उनका मेडिकल कराकर जिन्होंने खरीदा है, उनको तो जाने दिया जाए नहीं तो वहां कोई खरीदने भी नहीं आएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर हम उन पशुओं का क्या करेंगे?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की बात है, सरकार किसानों की हमदर्द है, यह कितनी बड़ी बात है, आप तत्काल इस पर कार्यवाही करें।

श्री अमराराम (धोद): एक माहौल बन गया कि बैल लाना नहीं पड़ेगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): तीन साल से छोटे बछड़े नहीं है, फिर भी उनको नहीं ले जाने दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कटने के लिए कौन जा रहा है और खेती के लिए कौन जा रहा है। कोई खरीदने वाला यह भी कह सकता है कि वह खेती के लिए ले जा रहा है, उसके बाद भी वह किसी को बेच सकता है और किसी काम के लिए । इसलिए इस मामले में बात आ गई है। मंत्रिमण्डल में इस पर फैसला होगा, इसके अलावा कोई अकेला यह तय नहीं कर सकता इस पर।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई न्याय नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है कि सांचौर और रानीवाड़ा में कुछ लोडेड ट्रक जा रहे थे, उनको रोका गया है, केवल उसका वेरीफिकेशन हो जाएगा। कारण क्या है कि पिछली बार जिस प्रकार से सर्टिफिकेट दिए गए, वह सर्टिफिकेट कितने ठीक है या नहीं नहीं है। सर्टिफिकेट के बाद में अगर वह सारी पूर्तियां करते हैं तो निश्चित रूप से उनको जाने दिया जाएगा। उसके पीछे मन्शा यह नहीं है कि हरेक को रोकना है।...(व्यवधान) लोगों का विरोध है, केवल उसका वेरीफिकेशन हो रहा है, वेरीफिकेशन के बाद में रिकार्ड के आधार पर उनको ले जाने की स्वीकृति मिल जाएगी। वह अगर सही होगा तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलेगा, मैं इतना कह सकता हूं कि वेरीफिकेशन वहां सही होगा तो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर चन्द्रशेखर बैद। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है, डाक्टर चन्द्रशेर बैद। आप कहां से बोलने लग गए बीच में?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गायों के वे लोग मालिक बन बैठे हैं जो शहरों में रहते हैं और जिनके पास गाय है नहीं। यदि है तो अपनी गाय का दूध निकाल कर उसे बाहर छोड़ देते हैं, फूस भी नहीं डालते हैं। पशु धन हमारा धन है, किसानों का धन है, गांवों में किसान पहले खेती करता है, अब खेती के लिए बरसात नहीं होती है।...(व्यवधान) किसी तरह से पशु पालते हैं और गायों के बछड़े नहीं बिकेंगे तो गायों की कीमत भी नहीं होगी और उन बछड़ों की कीमत भी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: क्या कहना चाहते हैं आप?...(व्यवधान) बीच में खड़े हो गए, कोई मतलब नहीं है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, 20-20 हजार के बैल कोई कटने के लिए नहीं ले जाता। सबसे बड़ी बात यह है और हमारे बछड़े बाहर नहीं जाएंगे तो कोई गाय पालेगा नहीं। और गायों के जो रक्षक बने हुए हैं वह गायों के रक्षक नहीं भक्षक हैं और हमारे किसानों के प्रति वह अन्याय करवा रहे हैं। मेरा इसलिए निवेदन है कि इन बछड़ों के मामले की जल्दी से जल्दी जांच करवाकर, रानीवाड़ा और जालौर से आने वाले माननीय

(श्री महादेव सिंह)

सदस्यों ने कहा है, 20-20 हजार की जोडियां कोई कटने के लिए ले जाता है क्या?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वह गाय पालते हैं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): वह गाय पालते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं भी गाय पालता हूं और गांव में रहता हूं और गांव में रोज सुनता हूं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः घनश्याम तिवाड़ीजी तो पालते हैं, उनका तो मुझे मालूम है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): तिवाड़ीजी गाय पालते हैं।...(व्यवधान) हम उनसे कमजोर होंगे लेकिन गाय हम भी पालते हैं। जब तक हमारे बछड़ों को बाहर नहीं ले जाएंगे, बाहर के व्यापारी हमारे बछड़ों को खरीद कर नहीं ले जाएंगे तब तक हमारी गायों की कीमत नहीं रहेगी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ऑर्डर, ऑर्डर। स्थान ग्रहण करें। अब अंकित न हो। अब अंकित नहीं करना है। स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री अध्यक्षः आपको अननेसेसरी बोलने का कोई रोग है? डा. चन्द्रशेखर बैद।...(व्यवधान) पशुपालन मंत्री के बस की बात नहीं है। केबिनेट करेगी, इसमें पशुपालन मंत्री अकेले क्या करेंगे?...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्षः गृह मंत्रीजी ने आपको कहा है ..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने पांच साल तक आपकी सरकार थी तब क्या कर लिया था? हमने तो कह दिया बहुत जल्दी सोच रहे हैं।...(व्यवधान) फिर उसके बाद क्या जबर्दस्ती है?...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल बोलने से गोभक्ति प्रकट नहीं होगी। पांच साल तक सरकार चलायी, उस सरकार के समय में भी इस हाउस में कोई सत्र ऐसा नहीं निकला जब यह डिसकस नहीं हुआ। आप उसको नहीं कर पाये। इम इसके बारे में, जब सदन की राय बन रही है तो केबिनेट ही इस पर विचार करेगी और विचार करने के बाद ही कह सकते हैं। कोई दबाव के कारण से तय कर लेंगे क्या? यह संभव नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कह दिया है, आप देर से आये दिखते हैं, मैंने कह दिया कि उनके बारे में वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट और उनके डोकुमेंट सही होंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे, केवल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पशुपालन मंत्रीजी हाथ ऊंचा कर रहे हैं, आपसे परमिशन मांग रहे हैं। बोलो, आप हाथ ऊंचा करके क्यों बैठे हो?

श्री अध्यक्ष: ये बुलवाएंगे।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: पशुपालन मंत्री इसमें क्या करेंगे? जो बात एक बार हो गई है, केबिनेट की बात हो गई है, इसमें पशुपालन मंत्री अकेले क्या करेंगे इस बारे में?

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये पशुपालक हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो अब पशुपालक रहे नहीं, इसलिए आप क्या बात कर रहे हो। आप तो हो नहीं पशुपालक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: ये पशुपालक नहीं हैं। I know better than you. ये पशुपालक नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं इनके घर की हर बात और हर राज जानती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):: सबसे बड़े पशुपालक तो अध्यक्ष महोदय खुद हैं। मैं भी हूं छोटा सा।

श्री अध्यक्ष: मैं तो हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेर बैद।

बी.पी.एल. परिवारों के चयन में कथित अनियमितताएं

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज 27 महीने हो गये, जनवरी, 2004 के अंदर माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने इस सदन के अंदर एक बयान दिया था। जब पहली बार यह खबर आई कि 7 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या कम की जाए, केन्द्र में उस समय एनडीए की सरकार थी, सरकार दबाव में आयी। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने बात कही कि हम केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि बीपीएल परिवारों की संख्या कम नहीं की जाए और लगातार पड़ते हुए अकाल को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में यदि बीपीएल परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हो तो उनको बढ़ाया भी जाएगा। अब आप देखिए पिछले 27 महीनों के अंदर क्या हुआ? अनेक बार यह मांग अलग-अलग मंचों से उठायी गयी कि बीपीएल परिवारों की संख्या का निर्धारण किया जाए। लेकिन आज तक उसका निर्धारण नहीं किया गया। इसमें पक्षपात इस तरीके से बढ़ता गया, राजनीतिकरण करके ग्रामीण और शहरी इलाकों के अंदर जो बीपीएल परिवार हैं, शहरी इलाकों के बीपीएल परिवारों की वार्ड की सभाएं करके उनको चिह्नित करके उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन 76 प्रतिशत पोपुलेशन जो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

गांवों में रहती है, लाखों परिवार जो कि आज लगातार पड़ते अकाल के कारण गरीबी की रेखा के नीचे आ गये हैं उनको बीपीएल की सूची में शामिल करने के लिए कोई मशक्कत नहीं की गई। बीच में यह हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएल परिवारों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक स्टे लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि बीपीएल परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर अभी वेकेंट हुआ है फरवरी, 2006 के अंदर, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, और आपकी अनुमति से मैं ये चार लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

"Foodgrain allocation by Central Government to beneficiaries under TPDS (Targeted Public Distribution System) will be continued to be made at present to States on the basis of Planning Commission estimate of 1993-94 poverty rations which is 36 per cent applied to the population projection of Registrar General of India as on 1.3.2000 or on the basis of families identified and issued ration cards by the State Government, whichever is less."

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी 31 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पावर पाइंट के जरिये स्टेनफोर्ड मिरर कांफ्रेंस हुई थी उसके अंदर उन्होंने यह स्वीकार किया कि राजस्थान में बीपीएल परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत है। और बीपीएल के पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं वे 15 प्रतिशत हैं। इसका मतलब आप अपने आपको यह कहकर सीमित करना चाहते हैं कि बीपीएल परिवारों की संख्या राजस्थान में सिर्फ 17 लाख है। जबकि केन्द्र सरकार यह कह रही है कि हम राज्य सरकार को जो टीपीडीएस देते हैं वो 24 लाख 31 हजार के आधार पर देना चाहते हैं। यदि आप अपना आकलन करके यह दर्शा दें कि 24.31 लाख बीपीएल के परिवार हैं तो हम उसी हिसाब से आपको अनुदान देंगे। लेकिन राज्य सरकार पता नहीं क्यों 17 लाख के ऊपर बीपीएल परिवारों की संख्या को सीमित करके बाकी बचे हुए बीपीएल परिवारों को उससे वंचित रखना चाहती है। इसी प्रकार केन्द्र और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर इस तरह की कोई बंदिश नहीं लगायी कि आप बीपीएल परिवारों की संख्या का निर्धारण इतनी मात्रा तक करें।

मैं आपके माध्यम से तीन उदाहरण पेश करना चाहूंगा। आंध्रप्रदेश के अंदर बीपीएल की संख्या 113 लाख निर्धारित कर रखी है जब कि प्लानिंग कमीशन के आधार पर वह संख्या है 40 लाख। इसी प्रकार गुजरात के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बीपीएल की संख्या का निर्धारण

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

33.93 लाख कर रखा है जब कि प्लानिंग कमीशन उनको 21.20 लाख का अनुदान देता है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों की ग्रामीण इलाके में संख्या निर्धारित करने के लिए शीघ्र ही कोई निर्णय ले। और उसके अंदर वास्तविकता के आधार पर जो उनके मापदण्ड के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या होती है उसका निर्धारण करें। केन्द्र सरकार जितना अनुदान देती है 30.31 लाख वह तो केन्द्र सरकार से लें। और बाकी माननीय मुख्य मंत्रीजी कई बार सदन में कह चुकी हैं हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा हो गया है। तो यदि बीपीएल परिवारों की संख्या 24 लाख से ज्यादा का निर्धारण होता है तो राज्य सरकार अपने संसाधन जुटाकर उनको जो टीडीपीएस मिलता है उसके अंदर बढ़ोतरी करने का निर्णय करे।

दूसरा राज्य सरकार को यह भी तय करना पड़ेगा, चूंकि राजस्थान में बहुत बड़ा भूभाग है और उस भूभाग के अंदर 32 डिस्ट्रिक्ट हैं और 32 डिस्ट्रिक्ट में जो पावर्टी रेश्यो है और लोगों का रहन-सहन है वह अलग-अलग है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको यह तय करना पड़ेगा कि फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी होगी।

मैं आपके माध्यम से यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं अभी सरकार ने एक परिपत्र निकाला। उस परिपत्र में उन्होंने यह कहा कि 15 दिन की सीमा और बढ़ाई जाती है। 27 महीने तो निकल गये, लाखों परिवार बीपीएल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मोहताज हो रहे हैं, शीघ्र ही इस बारे में निर्णय करें, बीपीएल की संख्या निर्धारित करें जिससे आगे आने वाले समय में उनको लाभान्वित किया जा सके, धन्यवाद।

(समय : 13.00 बजे)

श्री अध्यक्षः मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य बैठे हैं, इस बात को नोट किया आपने?

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि बीपीएल कार्ड जो शहरों में बना दिए हैं उनको राशन भी नहीं दिया जा रहा है, आज दो साल से उनको एक किलो राशन तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्षः बस हो गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया था राजस्थान सरकार को कि अकाल के मामले में जो खसरा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गिरदावरी हुई है उस खसरा गिरदावरी में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए आपकी अध्यक्षता में माननीय मुख्य मंत्रीजी विपक्ष के नेता और माननीय संबंधित मंत्रीजी ...

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं हूं उसमें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप हैं साहब, उसमें आप हैं। आप रिकार्ड उठा कर देख लें, 10 तारीख का रिकार्ड है, आप उसमें हैं। और आपने उसमें दो बार व्यवस्था भी दे दी। तीन दिन बाद विधान सभा का सत्र खतम हो जाएगा और उसमें जानबूझकर जो गलतियां हुई हैं जिनको राजस्व विभाग स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष: कभी तो मुख्य मंत्री नहीं होती कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, मैं तो यहां ही मौजूद हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको बुलाना है, साहब, सब को तो। आपकी व्यवस्था का क्या असर रह जाएगा? आपने व्यवस्था दी थी, उस दिन व्यवस्था दी, व्यवस्था के बारे में एक कमेटी बनी। हम सब ने अपनी बात कही, आपने उसका समर्थन किया और अभी तक नहीं हुई। सात तारीख को आप यह समाप्त कर देंगे और हम जाने की स्थिति में और जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: सात से पहले मिल लेंगे, सात से पहले मीटिंग कर लें। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपसे एक प्रार्थना है कि जून, 2005 में शहरी क्षेत्र में हजारों नये बीपीएल के कार्ड दिये गये, अभी तक उनको गेहूं नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, खाली सिरोही जिले में 4 हजार परिवार नये हैं जिनको 8 महीने हो गये गेहूं नहीं दिया जा रहा है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में तो सरकार का वक्तव्य दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी तो हैं नहीं अभी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कि भाई नये बीपीएल कार्ड धारकों को आप गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी तो हैं नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप टाइम तय कर दें, अध्यक्ष महोदय, गरीब का मामला है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): बीपीएल परिवारों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही हैं अस्पतालों में उसके ऊपर भी आप माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करें।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, खाली सिरोही शहर में 1700 नये बीपीएल कार्ड धारक हैं।

श्री अध्यक्ष: वही बात आ गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जून में यह कार्ड दिये हैं, 8 महीने हो गये, अध्यक्ष महोदय, अभी तक गेहूं नहीं दे रहे हैं उनको। ऐसे का ऐसे शिवगंज का है, आबू रोड का है, पिंडवाड़ा का है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): पाली जिले में, अध्यक्ष महोदय, एक किलो गेहूं नहीं दिया गया, पिछले 8 महीने में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कोई वक्तव्य का समय तय कर दें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बीपीएल की बात कर रहे हैं कि एपीएल की बात कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीपीएल की कह रहा हूं।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप समय तय कर दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, बीपीएल परिवारों को एक किलो गेहूं नहीं दिया गया।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप समय तय कर दें।

श्री अध्यक्ष: अभी सदन में मंत्रीजी हैं नहीं, आने पर उनसे बात करके बता देंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माना ली न बात तो। मैंने कहा कि जब वह आएंगे तो उनसे इस बारे में बातचीज करके कुछ न कुछ वक्तव्य दिलवाएंगे उनसे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, बीपीएल परिवारों की चिकित्सा का मामला भी मैंने रखा था आपके सामने। आपके आदेश से चिकित्सा मंत्रीजी अगर इस बात पर कुछ व्यवस्था दे सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्योंकि अस्पतालों में जा जाकर वह परेशान हैं जब तक बीपीएल की सूची उनको नहीं मिलेगी तब तक उनको चिकित्सा नहीं मिल पाएगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था करें कि उन बीपीएल परिवारों का इलाज हो सके अस्पतालों के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: शिवजीराम मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जयपुर के रामगढ़ बांध में तीन लड़के डूब कर मर गये उनमें दो जयपुर के हैं, एक भरतपुर का है। उनके परिजनों ने यह आशंका जताई है कि इसमें कोई साजिश लगती है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कृपया ये अवगत करा दें कि वह दुर्घटना है या एक घटना घटित हुई है, इतनी तो जानकारी करके बता दें।

श्री अध्यक्ष: आपने इस बारे में कोई मोशन तो दिया नहीं है, अब इमिजिएटली तो मेरी समझ में कोई कहने की स्थिति में तो हैं नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हर चीज के बारे में इसी सदन में बताना ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने गृह मंत्रीजी से मिलकर निवेदन किया था, गृह मंत्रीजी ने जानकारी हासिल करने की बात भी कही थी।

श्री अध्यक्ष: हां, तो जानकारी..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): विधान सभा से पहले इतना ही चाहता हूं, शाम तक बता दें, साहब, अभी थोड़े ही बात है, कल बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं नहीं समझ पाया कि इन्होंने ...(व्यवधान) अब मैं एक-एक विषय के बारे में यहां जानकारी आपको आपके सामने मैंने बात की है।

श्री अध्यक्ष: न कोई पर्ची, न कोई स्थगन प्रस्ताव।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सामान्यतया तो कोई घटना नहीं है, पता नहीं..

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: शिवजीराम मीणा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है या क्या है? (व्यवधान) विधान सभा में भी उठाना नहीं चाहते हैं, चाहे जो मामले में मंत्रीजी को कह देते हैं कि जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.के. जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बिराजे हुए हैं और विद्यालयों में करोड़ों रुपये की लूट राजस्थान में हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आपसे मैं कह रही हूं, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य। प्लीज सिट डाउन, अंकित नहीं होगा, कुछ ही मतलब नहीं है, अंकित नहीं करवा रही हूं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: You are wasting time.

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप समय बरबाद कर रहे हैं सदन का, आप सदन का समय बरबाद न करें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित ही नहीं हो रहा है, आप सदन का समय बरबाद करके, गरीब जनता की जो खून पसीने की कमाई है उसे बरबाद न करें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: कौन खून चूस रहे हैं ? इस समय तो आप चूस रहे हैं, बरबाद कर रहे हैं सदन का समय। सदन का समय बरबाद न करें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जहाजपुर तहसील के ऊंचा व कुंचलवाड़ा कलां ग्राम का देवली नगरपालिका में सम्मिलन

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

(श्री शिवजीराम मीणा)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। राजस्थान सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 10(39)नविवि/3/98 दिनांक 25 फरवरी, 2003 द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर तहसील के ग्राम ऊंचा एवं कुंचलवाड़ा कलां को जिला टोंक की देवली नगरपालिका के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। इस अधिसूचना के जारी होने से उक्त दोनों ग्रामों में स्थित कृषि भूमि को विभिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियमन की कार्यवाही के लिए उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के पत्रांक 6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 27-12-2004 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार तहसील जहाजपुर के ग्राम ऊंचा व कुंचलवाड़ा कलां की कृषि भूमि को विभिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन व नियमन की कार्यवाही नगरीय विकास विभाग के नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार टोंक जिले की देवली नगरपालिका के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी अर्थात भीलवाड़ा जिले के अधिकारी संपरिवर्तन के आदेश पारित नहीं करेंगे।

इस अधिसूचना के प्रकाशन से मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को निम्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा :-

1. यह है कि राज्य सरकार के उक्त आदेशों से ग्रामीणों को कृषि भूमि के संपरिवर्तन के कार्य के लिए पटवारी हल्का ऊंचा, तहसीलदार जहाजपुर, नगरपालिका देवली, नगर नियोजक कार्यालय एवं प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालयों में जाकर कार्यवाही पूर्ण करवानी होगी जो अवांछित लम्बी प्रक्रिया तथा गरीब एवं अशिक्षित काश्तकारों के लिए कष्टदायी साबित होगी।

2. यह है कि उक्त दोनों ग्रामों की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन से प्राप्त होने वाली आय ग्राम पंचायत ऊंचा के बजाय नगरपालिका देवली में जमा होने से ग्राम पंचायत की आय में कमी होगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

3. यह है कि उक्त दोनों ग्राम जनजाति बाहुल्य हैं किन्तु शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने से राज्य सरकार के जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे।

4. यह है कि भू-माफियाओं से मिलीभगत कर देवली नगर का मास्टर

प्लान तैयार किया गया है जिसमें अधिकांश खसरा नम्बरों में पूर्व में ही निर्माण हो रखा है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2003 को निरस्त कराई जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल वर्मा। अनुपस्थित।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी की तहसील चाकसू जिला जयपुर में कई वर्षों से यहां के लोगों के पास कृषि एवं पशुधन के अलावा अन्य जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र के बेरोजगार छात्र-छात्राओं को रोजगार की तलाश में प्रतिदिन जयपुर शहर या इसके आस-पास आना-जाना पड़ता है। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने के कारण 10वीं व 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात् छात्र-छात्राएं काम के अभाव में बेरोजगारी के कारण इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं और प्रशिक्षण के अभाव में मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीण बेरोजगार छात्र-छात्राओं के लिए तहसील में कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने के कारण काम की तलाश में अपने घर से दूर जाने को मजबूर हो जाते हैं।

अतः तहसील चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जावे तो यहां के विद्यार्थियों के अलावा आस-पास के विधान सभा क्षेत्र जैसे निवाई, बस्सी, सांगानेर आदि के विद्यार्थियों को भी विभिन्न प्रकार के रोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवक व युवतियां स्थानीय स्तर पर अपना निजी कारोबार या अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया एवं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि तहसील चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री केसर देव बाबर। (अनुपस्थित) श्री कन्हैयालाल मीणा

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नेताओं और गधे की खाल की तुलना की गई थी और आपने फरमाया अध्यक्षजी, मंत्री जी, उसके बारे में कुछ कर रहे हो क्या? कोई कार्यवाही की क्या? मुकदमा दर्ज करवाया क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बीच के अन्दर बेबात पर खड़े हो जाते हैं। जब बात हो गई है, एक बार सदन में जिस विषय पर चर्चा हो चुकी उसे बार-बार नहीं उठाया जाता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कार्यवाही करने के लिए कहा था, वो की या नहीं?

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही करने के लिए कहा तो कर रहे हैं कार्यवाही। एक सैकण्ड में कार्यवाही होगी क्या ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, किताब नहीं मिली हो तो मैं किताब लाया हूं।

श्री अध्यक्ष: किताब को पढ़ा जाएगा, इसको सुपुर्द करेंगे, निकालेंगे। एक सैकण्ड में थोड़े ही होता है यह काम।

एक माननीय सदस्य: इनको तो बोलने की बीमारी है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, किताब नहीं लाये हो तो मैं किताब दे देता हूं इसलिए अर्ज किया है मैंने। इनको नहीं मिली हो। इसमें अच्छा लैसन जिसमें गौ माता, यहां की... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जांच की घोषणा की गई है, इसमें इस बात की भी जांच कराई जाएगी कि नेताओं की खाल मोटी होती है या नहीं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप देखो अपने स्वयं की।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैंने तो किताब के लिए कहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक लेखक ने व्यंग्य लिखा है।

एक माननीय सदस्य: आप अपनी खाल तो देखो पहले।

श्री अध्यक्ष: नेताओं की खाल मोटी नहीं होगी तो नेतागिरी कर नहीं सकते। (व्यवधान) नेताओं की खाल तो मोटी होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक लेखक ने व्यंग्य लिखा है उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि व्यक्तिगत किसी के ऊपर लिखा गया है। एक व्यंग्य है यह। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...पतिव्रता स्त्रियां नहीं खतम हो गई हिन्दुस्तान में... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): व्यंग्यकार ने व्यंग्य लिखा है इसमें ऐसा क्या है जो इसको इश्यू बनाना बिना मतलब में। एक व्यंग्यकार के व्यंग्य लिखने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ....महिलाओं के बारे में व्यंग्य यह होता है क्या कि पतिव्रता स्त्रियां खतम हो गई ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आसन आपसे सहमत नहीं है। इसलिए नहीं है कि मोटी खाल होती है यहां तक तो ठीक है, उनके जैसी मोटी होती है। लेकिन क्या वो मौके-बेमौके रेंकते हैं ? बल्कि गधा तो बेचारा समय पर ही बोलता है।

एक माननीय सदस्य : अपशब्द भी यूज किये गये हैं उसमें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपाल प्रसाद व्यास एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं।

श्री अध्यक्ष: मालूम है। क्या पता कौनसे गोपाल प्रसाद व्यास हैं ये, यह आपको मालूम है क्या? यह कोई अन्य गोपाल प्रसाद व्यास भी हो सकते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने इसकी जानकारी ली है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) मैंने जानकारी ली है इसकी।

श्री अध्यक्ष: व्यंग्यकार है इसका मतलब यह नहीं है कि वो हर कुछ लिख दे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, अब खाल के बारे में तो दुनिया ही कहती है। व्यंग्यकार ने लिख दिया तो क्या हो गया ? (व्यवधान) यूपी के रिटायर्ड आईएएस आफिसर हैं जो बहुत नामचीन व्यंग्यकार हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

बस्सी बस स्टैण्ड से बसों का संचालन

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम 295 के तहत आपके माध्यम से परिवहन मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलिये। आप धीमी गति से मत पढ़िये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): मैं जल्दी-जल्दी पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, कस्बे बस्सी क्षेत्र में लगातार आवागमन के साधन बढ़ने से यहां के मुख्य बस स्टैण्ड क्षेत्र में आवागमन बाधित बना रहता है। साथ ही इस पुराने बस स्टैण्ड में दोनों किनारों पर दुकानें आदि होने से रोडवेज की बसों को घुमाने आदि में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कस्बे के तूंगा मोड़ में आये दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।

कस्बे में वर्ष 2002 में औपचारिक उद्घाटन के चार वर्ष बाद भी बस स्टैण्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनदेखी से उपेक्षित पड़ा है। वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि यहां कबाड़ियों ने अतिक्रमण कर लिया है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करीब एक दशक पूर्व अनुसूचित जाति के एक समाज सेवी ने बस स्टैण्ड के लिए जमीन दान दी थी तथा दूसरे दानदाता ने बस स्टैण्ड का निर्माण कराया था लेकिन यहां पर आज भी निगम की ओर से बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही इस बस स्टैण्ड के टिकट घर एवं दफ्तर के भवन को आस-पास के लोग शौचालय के लिए काम में ले रहे हैं।

अतः निवेदन है कि उक्त कार्य को प्राथमिकता दी जावे ताकि कस्बे के नागरिकों को सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिभा सिंह (अनुपस्थित) प्रतिभा सिंह यद्यपि हैं नहीं लेकिन राजस्व मंत्रीजी, उन्होंने 295 में जो दिया है यह बहुत ठीक दिया है। इस समय लोगों को बहुत परेशानी हो रही है रास्तों के मामलों में, इसलिए इस बारे में आप कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक और है, उसमें बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

बालेसर उप तहसील का क्रमोन्नयन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में उप-तहसील बालेसर, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने बाबत्।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में एक शेरगढ़ ही तहसील के रूप में स्थापित है एवं बालेसर को उप-तहसील का दर्जा प्राप्त है। आपसे निवेदन है कि बालेसर उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने हेतु आप उप-तहसील बालेसर के निम्न बिन्दुओं पर विचार करावें :-

बालेसर उप-तहसील 1982 में सृजित की गई थी एवं इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी इसका क्रमोन्नयन नहीं किया गया है, अत: इसके स्टेटस का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। बालेसर उप-तहसील, शेरगढ़ तहसील से मात्र 30 किमी. एवं जोधपुर शहर से मात्र 65 किमी. की दूरी पर है एवं जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर स्थित है। यदि बालेसर उप-तहसील की निम्न सांख्यिकी पर यदि दृष्टि डाली जावे तो इसका औचित्य स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है :-

1. क्षेत्रफल विस्तार की दृष्टि से यदि देखा जाये तो बालेसर का व्यास लगभग 110 कि.मी. है एवं बालेसर में 33 ग्राम पंचायत हैं जिसमें कुल 136 राजस्व ग्राम हैं। बालेसर में 2 अभिलेख निरीक्षक वृत हैं।
2. बालेसर में 23 पटवार मण्डल हैं। इनके बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एवं कार्यों के निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि इसे तहसील बनाया जाये एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जावे।
3. बालेसर का कुल क्षेत्रफल 184316 हैक्टर है जिसमें से 155415 हैक्टर कृषि योग्य है।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बालेसर की कुल जनसंख्या 174179 है।
5. बालेसर में कुल 13 राजकीय कार्यालय हैं।
6. बालेसर समृद्ध खनन क्षेत्र है जिसमें जोधपुर के विशिष्ट छीत्तर पत्थर की लगभग 7000 खानें हैं।

((श्री बाबूसिंह राठौड़)

7. शिक्षा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र समृद्ध है एवं क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर तक के निजी एवं राजकीय 365 विद्यालय स्थापित हैं।

8. राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में आई.टी.आई. की भी स्थापना की है।

9. संसाधनों की दृष्टि से उप-तहसील बालेसर समृद्ध है एवं समस्त निवासियों की इस सरकार से यह अपेक्षा है कि इसे तहसील बनाया जायेगा जिससे कि उनके दैनिक कार्यों का निस्तारण सुगमता से हो सके।

10. बालेसर में थाना बालेसर, बालेसर क्षेत्र, शेरगढ़ एवं देचू का आंशिक भाग के लिए स्थापित है एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बालेसर को तहसील बना कर थाना क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जावे।

अतः आप उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर उप-तहसील बालेसर को तहसील में क्रमोन्नत करवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

गाड़िया लुहारों के जीवन में सुधार का प्रयत्न

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये शेखावाटी क्षेत्र के गाड़िया लुहारों के गरीब जीवन में सुधार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी।

जैसा कि विदित है, शेखावाटी क्षेत्र में गाड़िया लुहार लोहे से कृषि के काम आने वाले अनेक औजार बनाकर व लोहे की घरेलू कुछ चीजें बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। वर्तमान यांत्रिक युग में लुहार जो लोहे के आइटम्स बनाते थे, वे सीधे कारखानों से हार्डवेयर के व्यापारियों के पास पहुंचते हैं तथा लुहारों से कम लागत में बाजार में मिल जाते हैं। लुहारों का मुख्य पेशा यही था। यह पेशा छीने जाने के कारण लुहार जो सुदृढ़ कद-काठी के स्त्री-पुरुष होते थे, गरीबी का सामना कर रहे हैं। आज के युग में लोहे की चीजें या तो कोई उनसे बनवाता नहीं है, बनवाता है तो काफी कम मात्रा में जिससे इनका जीवन चौपट हो रहा है। जब सड़क के किनारे एक गाड़ी के नीचे रहने वाले लुहार के जीवन को देखा जाता था तो उसके पास न केवल सुदृढ़ गाड़ी व बैल होते थे, बल्कि औरतें भी गहनों से लदी होती थी। आज इसके

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

विपरीत लुहार तंगहाल, फटे-पुराने कपड़ों में नजर आते हैं। बैल लुहारों के पास अब रहे नहीं हैं तथा जो गाड़ी वर्षों पुरानी है, वह भी खण्डित नजर आती है तथा उनके परिवारों के सुस्त व कमजोर चेहरे देखकर आम आदमी का मन भी विचलित होता है। कहते हैं, ये वे ही लुहारों के वंशज हैं जिन्होंने गुलामी सहन नहीं की थी। आज भी लुहार मजदूरी पर नहीं जाता है तथा वह एक कोयले की भट्टी के सामने बैठकर टकटकी नजर से देखता रहता है कि कोई उससे लोहे का सामान बनवाने के लिए आये परन्तु होता इसके विपरीत है। दिन-रात काम करने वाले लुहार के पास काम आता नहीं है तथा उसके पेट के लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था भी बहुत कोशिशों के बाद पूरी होती है जिसकी चिंता उसके जीवन के लम्हों को भी कम करती रहती है। यदि जयपुर से किसी भी रास्ते पर चले जाओ, लुहारों का तंगहाल जीवन हर किसी को नजर आ जायेगा। सड़क के किनारे तंगहाल जीवन जी रहा इनका परिवार सुबह से शाम रोटी के प्रबन्ध के लिए फिरता रहता है। आज भी लुहार अनपढ़ है, उसका धंधा चौपट हो चुका है, शरीर क्षीण नजर आता है। दो जून की रोटी की व्यवस्था हो जाने भर से वह संतोष कर लेता है, उसको मकान नहीं चाहिए। मैं इस सत्यता की ओर माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी तथा एक लुहार परिवार की गरीब स्थिति से उबरने के लिए सरकार को हर प्रकार के कदम उठाने के लिए भी निवेदन करना चाहूंगी।

प्रथमतः मैं हर लुहार परिवार जिसमें पति-पत्नी व उसके बच्चों के लिए प्रति माह मात्र 10 किलोग्राम खाद्यान्न के कूपन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करती हूं जिससे सर्वप्रथम उसको खाने के लिए कुछ राहत सरकार से मिल सके। इसके बाद जहां सड़क के किनारे वह रहता है, वहीं उसको छोटी दुकान सरकार उपलब्ध करवाये एवं लुहार द्वारा बनाये जा रहे आइटम्स की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाये। मेरी तो सरकार से विनम्र प्रार्थना यहां तक है कि जो आइटम लुहार बनाता है, वे आइटम कारखाने न बनाकर मात्र लुहार ही बनाये, ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए। सड़क के किनारे रहने वाले लुहार के गरीब जीवन को गरीबी से उबारने के लिए सरकार को हर प्रकार के कदम उठाने चाहिए।

अंत में मैं पुरजोर शब्दों में शेखावाटी के लुहारों के गरीब जीवन को गरीबी से उबारने के लिए राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करती हूं। यदि राज्य सरकार इनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयत्न करती है तो लुहारों की तंगहाली से उबरने में मदद मिलेगी। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री हरज्ञान सिंह।

किसान बुग्गा का पंजीयन

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के उन गरीब कृषक परिवारों की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं जो अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से कृषि/पशुधन कार्यों के लिए 20 से 25 हजार रुपये व्यय कर एक किसान बुग्गा तैयार करवाता है जिसके माध्यम से वह अपने परिवार एवं पशुधन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री/कृषि के लिए आवश्यक खाद-बीज की व्यवस्था एवं अपने खेत के अनाज/चारा आदि को व्यवस्थित रूप से लाने और ले जाने के काम में लेता है। कई बार तो समय के अभाव एवं अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने पर गांव का किसान उस बुग्गे को लेकर तहसील मुख्यालय पर भी खाद्य सामग्री/खाद-बीज लेने के लिए आ जाते हैं जिन्हें पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ता है और पुलिस इन्हें थाने में बन्द कर देती है जिसे गरीब किसान कई दिनों बाद कोर्ट के माध्यम से छुड़ाता है तो उसे तीन से चार हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और कोर्ट द्वारा किसान बुग्गे को छोड़ते समय उस बुग्गे को तोड़कर (चारों पहिये इंजन बाडी अलग-अलग कर) किसान को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं जो किसान एवं उसके परिवार के लिए बहुत भारी है और उस गरीब किसान के हित में नहीं है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एक गरीब किसान जो ट्रक एवं लोडिंग की गाड़ी मेन्टेन नहीं कर सकता जिसके लिए एक किसान बुग्गा ही ट्रक एवं लोडिंग गाड़ी है, उसके लिए नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे की सड़कों को छोड़कर, एक गांव से दूसरे गांव खाद्य सामग्री, कृषि हेतु आवश्यक खाद-बीज, पशुधन के लिए चारा लाने और ले जाने हेतु अधिकृत कर इसे रजिस्ट्रेशन की परिधि में लाने की स्वीकृति दी जाये। इसी के साथ इस किसान बुग्गा में कोई और तकनीकी सुधार की आवश्यकता हो तो उसे लागू किया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री बद्रीलाल जाट।

लोक जुम्बिश परियोजना कर्मचारियों का सर्व शिक्षा में समायोजन

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सदन के माध्यम से सदन

(श्री बद्रीलाल जाट)

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्व लोक जुम्बिश कर्मचारी जिनका समायोजन सर्व शिक्षा अभियान में 1.7.2004 से किया गया है, जिनको पूर्व में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा राज्यकर्मियों के समान समेकित वेतन अवकाश (समस्त), वेतन वृद्धि व अन्य सुविधाएं दी जा रही थी। उनकी सुविधाएं 1.7.2004 से बन्द कर दी गई हैं जिनको चालू करवाया जाना आवश्यक है।

समायोजित कर्मचारियों को पद के विरुद्ध लगाये जाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं जब कि प्रशिक्षित होने व निरन्तर कार्यरत होने के बावजूद मूल पदनाम नहीं दिया गया है जो कि दिया जाना चाहिए। ये कर्मचारी विगत 12 वर्षों से लोक जुम्बिश परियोजना में कार्यरत थे तथा निरन्तर आगे समायोजित किये जाकर दो वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठा से कार्य कर रहे हैं, जिसमें से कई कर्मचारियों की आयु सीमा अन्य सेवाओं में जाने हेतु अवधि पार कर चुकी है।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकार के कर्मचारियों को वेतन-भत्ते, वेतन वृद्धि, पदनाम, अवकाश व अन्य सुविधाएं नियमित राज्य कर्मचारियों के समान दिलाये जाने हेतु सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। अतः उक्त सुविधाएं, वेतन श्रृंखला, पदनाम व समस्त अवकाश नियमित करने की कृपा करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री बीरूसिंह राठौड़ (अनुपस्थित)।

श्री श्रीगोपाल बाहेती (अनुपस्थित)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट देना था।

श्री अध्यक्ष: दे दीजिये।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों की कालाबाजारी

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दैनिक भास्कर के एक अप्रैल, 2006 में "परीक्षा से 10 घंटे पहले बिका पेपर" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रश्नपत्रों की तथाकथित कालाबाजारी का खुलासा किया गया। इस खबर में यह उल्लेख किया गया कि किस प्रकार से भास्कर संवाददाता ने बी.ए. तृतीय वर्ष इतिहास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विषय का द्वितीय प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से 10 घंटे पहले ही प्राप्त कर लिया। यूनिवर्सिटी के एक छात्रावास से प्राप्त इस प्रश्नपत्र के लिए भास्कर संवाददाता ने 300 रुपये का भुगतान भी किया। एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्र में इस तरह के समाचार से जिससे न केवल राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा जुडी हुई थी, अपितु हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी जुड़ा हुआ था, सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु मेरे द्वारा प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को दिनांक एक अप्रैल को ही निर्देश प्रदान किये गये। जिस पर राज्य सरकार की ओर से दो सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग समिति आयुक्त कालेज शिक्षा एवं उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा को सम्मिलित कर बनाई गई। समिति के दोनों सदस्यों ने एक अप्रैल को ही राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंच कर रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक एवं उप परीक्षा नियंत्रक से विस्तृत विचार-विमर्श किया। चूंकि उप कुलपति दिल्ली गये हुए थे अतः रजिस्ट्रार द्वारा उनसे दूरभाष पर इस मामले में चर्चा की गई। चूंकि समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रश्नपत्र का मिलान मुद्रित प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्नों में समानता मिली है जिसमें प्रथम दृष्टया प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने का मामला बनता है जिसकी सघन जांच करवाकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक हो गई है। समाचार-पत्र में प्रकाशित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जांच करने हेतु प्रोफेसर बी.के. शर्मा, सिंडीकेट मैम्बर के संयोजन में एक समिति गठित की गई है जो दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अन्य सदस्य प्रोफेसर एस.एल. कोठारी सिंडीकेट के मैम्बर हैं एवं जांच समय पर सम्पन्न हो, इस हेतु इनकी सहायता के लिए श्री एन.एन. गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक को लगाया गया है। इस मामले में परीक्षा की गोपनीयता भी भंग हुई है जिससे आपराधिक कृत्य हुआ है एवं इस कृत्य में सम्मिलित सक्रिय तत्वों को बेनकाब कर दोषी लोगों को दण्डित करवाने के उद्देश्य से, विस्तृत पुलिस जांच के उद्देश्य से दिनांक एक अप्रैल को ही गांधी नगर पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। मामले की विस्तृत जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकरण में शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जायेगी। इस प्रश्नपत्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों, इस हेतु जो भी प्रशासनिक एवं अन्य उपाय किये जाने आवश्यक होंगे, किये जायेंगे। धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी, आप यह बतायें कि कितने प्रश्न मिल रहे थे, कितने नहीं मिले? जो प्रश्नपत्र मिला उसके पास से और मूल प्रश्नपत्र में कितने प्रश्न ऐसे थे जो एक जैसे थे? मान लीजिये 12 हैं तो 12 में से 10 थे, 11 थे, 12 थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नपत्र जो बनता है, वह दो प्रकार से बनता है लेकिन इसमें जो लीक हुआ है, उसमें जो हैडिंग थे, वह आठ हैडिंग मिल रहे थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): टोटल कितने हैडिंग थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 11 या 12 होंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने जो तत्परता से कार्यवाही की, यह तो प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन एफ.आई.आर. जब दर्ज हो गई, फिर आपने विशेष लोगों को साथ जोड़ा है, इसका क्या तात्पर्य है, नम्बर एक? कंट्रोलर एग्जामिनेशन को आपने साथ में ले लिया, कंट्रोलर एग्जामिनेशन तो है ही इसमें कल्प्रिट। उसका तो दायित्व है कि पेपर आउट क्यों हो गये। वह तो इसमें मिसगाइड करेंगे, इन्वेस्टीगेशन को प्रभावित करेंगे और यह जो प्रोफेसर को लगाया है, यह क्या है? ये भी इन्वेस्टीगेशन को प्रभावित करेंगे। आपको स्वतंत्र एजेंसी पुलिस की मार्फत इसकी जांच करवाई जानी चाहिए और यह एक रैकेट चल रहा है यूनिवर्सिटी के अन्दर जिसमें बड़े-बड़े लोग सब इसमें शामिल हैं। इनको आप इग्नोर मत कीजिये और बड़े-बड़े लोगों से जब तक पुलिस पूछताछ नहीं करेगी कठघरे में लाकर, तब तक रहस्य नहीं खुलेगा। ये तो प्रभावित करेंगे इन्वेस्टीगेशन को।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट पूछना चाहता हूं। जो प्रश्नपत्र आउट हुए, उसी होस्टल में दूसरे दिन में, उससे पहले वाले दिन के प्रश्नपत्र भी इसी प्रकार से बेचे जा रहे थे और आप यह दिखवा लें एग्जामिनर के मार्फत कि जिन लड़कों ने उन प्रश्न पत्रों के आंसर शत-प्रतिशत एक से लेकर आखिरी तक करेक्ट दिये हैं, वह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उनके पास समय से पहले ही वह प्रश्न पत्र आ गये और उन्होंने हण्ड्रेड परसेंट सही उनके उत्तर लिखे हैं। आप उन पुस्तिकाओं को भी अगर दिखवा लेंगे एग्जामिनर के मार्फत से कि जिससे आपको यह महसूस हो कि अब तक जो यह हण्ड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर ऐसे...

श्री अध्यक्षः क्या आपके, प्रतिपक्ष के नेता का बोलना पूरा, पर्याप्त नहीं था जो आप खड़े हो गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ीः कर दिया इन्होंने।

श्री हरिमोहन शर्माः कोई नई बात तो बोली जा सकती है।

श्री अध्यक्षः क्या नई बात है?

श्री हरिमोहन शर्माः आपसे पूछ कर खड़े हुए हैं। आपसे पूछ कर खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद क्या रह गया?

श्री हरिमोहन शर्माः आपसे पूछ कर खड़े हुए हैं साहब।

श्री अध्यक्षः क्या बाकी रह गया फिर?

श्री हरिमोहन शर्माः आवाज आपके कानों में जा रही है साहब, आप सुन रही हैं मेरी बात को, आप सुन रही हैं।

श्री अध्यक्षः किसके जा रही है, किसी के कान में नहीं जा रही है।

श्री हरिमोहन शर्माः तो इसमें क्या गलत पूछ लिया मैंने?

श्री अध्यक्षः मैं कह रही हूं जब नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया, उसके बाद कौन सी बात बाकी रह जाती है?

श्री हरिमोहन शर्माः नेता प्रतिपक्ष से यह बात कहने से रह गई।

श्री अध्यक्षः अच्छा।

श्री हरिमोहन शर्माः और वह प्रश्न पत्र सवेरे साढ़े सात बजे भास्कर का संवाददाता हमारे पास लेकर के आया था और हमारे उस पर हस्ताक्षर कराये थे कि आप इस पर टाइम मार्क कर दो ताकि ग्यारह बजे जो प्रश्न पत्र वहां आयेगा, अगर उससे यह मैच होगा तो मेरी सत्यता बनी रहेगी। यह सारी मुझको है, इसलिए उन चीजों को भी आप दिखवा लें। और जितनी गंभीरता आप प्रदर्शित कर रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन इससे अधिक चतुराई की, इससे भी अधिक मजबूती की और इससे भी अधिक व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, एक आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जुड़ी हुई यह बात है कि यह तो लाइट में आ गया, एक बात सामने आ गई इसलिए मामला उठ गया। जितने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी

(डा. एन. एस. गुर्जर)

से बहुत ज्यादा रिलेटेड रहे हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं उनके बच्चे, बच्चियां, रिलेटिव जितने भी हैं, हाइएस्ट मार्क्स, आप उठा कर देख लें, इसकी जांच करायें, उनके ही आते हैं।

श्री अध्यक्ष: yes, it is correct.

डा. एन. एस. गुर्जर : इसलिए अध्यक्ष महोदया, इस पक्ष को भी, माननीय मंत्री महोदय, आप दिखवायें। और जिन-जिन लोगों के, अभी पिछले दिनों ही खबर छपी थी कि आफिसर था उसके कितने नम्बर आये, हाइएस्ट मार्क्स आये हैं उसके, किस आधार पर आये, उस पर बवेला मचा पूरी यूनिवर्सिटी में। इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह इसमें सफर करते हैं और जो इस तरह तिकड़मी होते हैं या जिनकी सिफारिश होती हैं वह इसमें हाइएस्ट मार्क्स ले जाते हैं। इससे गरीब लोगों का, जो गांवों से बच्चे आते हैं पढ़ने-लिखने वाले, उनके ऊपर असर होता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रकरण में केवल प्रश्न पत्र की लीक तक आप शामिल मत करिये। अगर जांच करा रहे हैं तो यह जितने भारी और पहलू हैं इनकी भी माननीय मंत्री महोदय, उस जांच में इनको सम्मिलित करिये।

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग से बात है, इसका उसके साथ में ताल्लुक नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने और सभी माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, उससे मैं सहमत हूं। मूल रूप से तुरंत मैंने इसीलिए एक दिन में कार्यवाही की कि सदन के माननीय सदस्य के उस पर हस्ताक्षर थे, एम.एल. मेहता साहब जो पहले मुख्य सचिव थे, उनके हस्ताक्षर थे। यह सारी प्रक्रिया पहले भी मेरे ध्यान में है, कुछ समय के लिए और यह कही बात सत्य है कि चार प्रक्रिया से पेपर निकलते हैं। दिसम्बर में इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। परीक्षा नियंत्रक चार आदमियों को कहता है कि आप चार-चार प्रश्न बनाकर भेजिये, वह चार-चार प्रश्न बनाकर भेजते हैं, फिर वह प्रश्न एक जगह आते हैं, फिर उनमें से सलेक्ट करते हैं और यह मामला बहुत वर्षो से ऊपर-ऊपर से सुनाई दे रहा है, जब कल यह खबर छपी उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे इस विश्वविद्यालय में या अन्य सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। और इसीलिए मैंने एस.पी. से बात करके इसकी रिपोर्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दर्ज कराई है। और इसमें अब रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो वह लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध के बावजूद मैं आपको, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसकी गहराई तक ही नहीं जायेंगे और इसके अलावा भी इसमें और परीक्षा प्रणाली में जो सुधार कर सकते हैं, यह सेमेस्टर सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन की जो पद्धति है, इसको दोबारा करने पर विचार कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं जिसको प्रश्न पत्र का आवश्यक अंग बनाया जाय, इस पर विचार कर रहे हैं। प्रश्न पत्रों की यूनिट प्रणाली प्रारम्भ करने पर विचार कर रहे हैं, सभी विश्वविद्यालयों में समान परीक्षा प्रणाली पर विचार हो, यह भी विचार कर रहे हैं और नवीन महाविद्यालयों को तीन वर्ष तक परीक्षा सेंटर नहीं रखा जाय, इस पर विचार कर रहे हैं। और परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र आब्जर्वर के सामने ही खोला जाय, यह भी तय कर रहे हैं।

यह तीन कारण हैं, अध्यक्ष महोदय। पहला यह होता है कि पेपर सैटर से लेकर वहां तक एक काम केवल दस में से चार प्रश्न कर दे, उसमें सफल हो जाता है, इसलिए सारा सिस्टम एक बार और सारे विश्वविद्यालयों के जो सिस्टम हैं हिन्दुस्तान में या दुनिया में, उनको यह कमेटी जो बनाई है वह इसीलिए बनाई है, जो आपका एग्जामिनर है कंट्रोलर, उसको इस प्रश्न पत्र के लीक का नहीं दिया गया है, उसको उस कमेटी में लिया गया है। जो सरकार ने बातें उनको बताई हैं कि इन बातों पर इन्क्वायरी करके इस परीक्षा प्रणाली को कैसे सुधारा जाय, पेपर सेटिंग करने के सिस्टम को कैसे ठीक किया जाय और इन सारी बातों पर विचार करके इस प्रश्न के द्वारा हम करने की कोशिश करेंगे। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से जो एक हवा सी, एक बात सी जगह-जगह फैल रही थी, उसको दुरूस्त करने और जो योग्यतम विद्यार्थी हैं, पढ़ कर पास होना चाहते हैं, उसके अधिकार किसी प्रकार से कम न हों, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और लागू की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों की इन सभी बातों को सुधारने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और त्वरित कार्यवाही की है। आगे भी कोई बाद में ध्यान आयेगी तो आपके सुझावों को ध्यान में रख कर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रणवीर सिंह गुढा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रणवीर सिंह गुढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए आपका समय ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब क्या पूछेंगे आप, सारी बात तो कह दी उन्होंने, सारी बात तो आ गई।

श्री रणवीर सिंह गुढा: अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की और उसके आफिस की सीक्रेसी आउट करने के बिना पेपर और सैटर का मामला चल ही नहीं सकता और इसमें सबसे एक नम्बर का अगर कोई मुलजिम बनता है तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: तो पुलिस करेगी जांच इसकी, हां।

श्री रणवीर सिंह गुढा : दूसरा, प्रि-पीजी घोटाले का मेन सूत्रधार एन.सी. पहाडिया को वापिस क्यों बहाल कर दिया, उसके ऊपर जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रणवीर सिंह गुढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, एसीडी ने जिन-जिन को दोषी...

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर मीणा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

इजरायल जाने हेतु कृषकों का चयन

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने फरवरी के प्रथम सप्ताह में एक कृषक महिलाओं का, उदयपुर संभाग की महिलाओं का ग्रुप राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब घूम कर आता हुआ 7 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी से मुलाकात की और महिला कृषकों ने उनके अनुभवों का वृतांत बताया कि हमको अच्छा लगा साहब, हम इजरायल जाना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इजरायल जाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर भेजेंगे।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

मुख्य मंत्रीजी के यह आश्वासन के बाद सरकार की तरफ से सभी कलक्टर्स को यह निर्देश भेजे कि हर जिले से दो-दो कृषक, एक पुरूष, एक महिला का चयन करके, कृषि विभाग के अधिकारी और आप मिल कर चयन करके सरकार को लिस्ट भेजें। सभी कलक्टर्स ने कृषि विभाग के अधिकारियों का सहयोग लेकर...

श्री अध्यक्षः प्रगतिशील कृषकों का मांगा, प्रगतिशील कृषकों का।

श्री रघुवीर सिंह मीणाः हां। तो सब से प्रयास करके दो-दो नाम सरकार को भेज दिये। पूरी लिस्ट भेज दी। अब यह मई महीने में यह कृषक जायेंगे इजरायल और वहां कम पानी से अधिक पैदावार कैसे पैदा होती है, कम पानी से अधिक जमीन कैसे सिंचित होती है, इस टेक्नोलोजी का अध्ययन करेंगे, सीख कर आयेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार सभी कलक्टर्स ने जिन-जिन कृषक महिला-पुरूष का नाम चयन करना था उनको पहले कह दिया कि जल्दी आप पासपोर्ट बनवा दीजिये, मई महीने में आपको जाना है। उन्होंने ढाई-ढाई हजार रुपये तो पासपोर्ट बनाने की फीस दे दी, उनके जयपुर तक आने-जाने पर हजार, डेढ़-डेढ़ हजार रुपये खर्च हुए, तीन'-तीन, चार-चार, पांच-पांच हजार रुपये खर्च कर दिये, अब मेरी जानकारी के अनुसार 90 प्रतिशत उस लिस्ट को, 90 प्रतिशत नाम बदल दिये गये और राजनीतिक आधार पर उनका चयन करके सरकार के जो पसंदीदा लोग हैं उन लोगों को इजरायल भेजेंगे।

श्री अध्यक्षः बदल किसने दिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणाः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी कहने दीजिये। (व्यवधान) मेरा निवेदन तो सुन लीजिये, आप डिस्टर्ब मत करिये। तो यहां से, जयपुर लेवल से बदल दिये, सरकार के नुमाइंदे, उन्होंने बदल दिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो कृषक जाना चाहते हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं, वह न जाकर किसी राजनीतिक दल के लोग अपने स्वयं के इन्टरेस्ट के लिए, एंजाय करने के लिए अगर चले जायेंगे तो सरकार का धन भी खर्च होगा, जो सरकार का उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं होगा और जिन लोगों ने, जिन गरीब किसानों ने इजरायल जाने के नाम से पांच-पांच हजार रुपये तो खर्च कर दिये और उनकी यह मंशा है...(व्यवधान) क्या वापस दिलवा दोगे? आइंदा कोई भी कृषि विभाग के अधिकारियों का विश्वास नहीं करेगा, कलक्टरों का विश्वास नहीं करेगा कि इस तरह से इजरायल भेजा है या दूसरी जगह भेजने की बात कहोगे, कोई आपकी बात को मानेगा भी नहीं। इसलिए मंत्रीजी बतायें

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

कि क्या यह सही है कि जो लिस्ट, 64-65 काश्तकार जो जाने वाले थे, महिला और पुरुष इजरायल जाने वाले हैं मई माह में, उनके 90 प्रतिशत नाम बदले गये हैं और खास आपके चहेते लोगों के नाम जोड़े गये हैं? यह जरा सरकार बताये।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर कोई आवश्यक तो नहीं है लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका कि किस स्टेज के ऊपर बदले गये नाम, इसलिए आप बता दें, ठीक है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इजरायल में 9 तारीख से 11 मई, 2006 को.....

श्री अध्यक्ष: वो तो सब ठीक है लेकिन आप तो इतना बता दो कि बदले कि नहीं बदले नाम बस।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर भाषण नहीं होता है। पर्ची पर उन्होंने जो उठाया है पर्ची के माध्यम से यदि वो बात गलत है उसमें उनको कोई शक है, संशय है उतनी बात को आप अपनी स्पष्ट कर दीजिये बाकी कोई जरूरी थोड़े है सब बात बताना। आप यह बताइये कि आपने कोई बदले हैं क्या नाम ? और नाम बदले हैं तो क्यों बदले हैं क्या वजह है उसकी? चार-चार, पांच-पांच हजार रुपये खर्च करवाने के बाद में आपकी स्टेज पर कोई नाम बदला गया है क्या आप तो बस इतना जवाब दो बस।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना की कद्र करते हुए जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि 64 किसान राजस्थान के इजराइल में जाना चाहते हैं और जिला कलक्टर, हमारे डिप्टी डाइरेक्टर से वहां के जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने विकसित और प्रगतिशील किसानों की सूची मांगी थी। जिला कलक्टर से हमारी डिप्टी डाइरेक्टर से और वहां के संबंधित लोगों से फीडबैक लेकर बड़ी सूचियां प्राप्त हुई हैं। अभी सूचियों का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है सभी सूचियों को मिलाकर जो भी प्रगतिशील किसान होंगे उसमें निश्चित रूप से 16 आदिवासी महिलाएं भी शामिल होंगी यह भी सरकार ने निर्णय किया है। ज्यों ही इसका पूरा निर्णय होगा और जो राजस्थान का किसान होगा उसको वहां भिजवाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चार पांच हजार रुपये तो जब वहां से नाम आया तो क्या

(श्री अध्यक्ष)

आपने कहा कि तुम्हारा नाम आ गया है तुम भेजे जाओगे इसलिए तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नाम पलटे या नहीं पलटे?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आना एक अलग चीज है हम लोगों ने अलग-अलग जगह से प्रस्ताव मंगवाये हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं आपने उनको यह कहा क्या कि आप पासपोर्ट बनवा लीजिये। पासपोर्ट बनाने के लिए आपने कहा क्या?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं हमने अभी राज्य सरकार... ऐसा है जब अध्यक्ष महोदय, उसके नाम ही फाइनल नहीं हुए तो उनको डाइरेक्शन देने का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता अभी तो उसकी सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपके कलक्टर ने कहा है कि आपका नाम चयन हो गया है दो-दो नाम मांगे थे कलक्टर के माध्यम से एक पुरुष और एक महिला वो नाम भेज दिये हैं उसके बाद कलक्टर ने कहा कि आप तत्काल पासपोर्ट बनवा लीजिये आपका नाम सरकार के पास भेज दिया है। उन लोगों ने, गरीबों ने पैसों की व्यवस्था करके और पांच-पांच हजार रुपये खर्च करके ढाई हजार उसकी फीस जमा करायी। और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये उनके किराया लगा खाने का खर्चा वगैरह करके पांच-पांच हजार रुपये खर्च करके वो बैठे हुए हैं। और अब उनको ये पता चला कि आपका नाम काट दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी क्या रुचि है जो नाम बदल करके, कलक्टरों ने जो नाम भेजे, कृषि विभाग के अधिकारियों, ने डाइरेक्टर ने, जो नाम भेजे उन नामों को बदल करके आप राजनीतिक आधार पर कौन सा फैसला करना चाह रहे हैं कौन सा नाम जोड़ रहे हैं क्यों जोड़ रहे हैं?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आरएसएस वालों को भेज रहे हो आप ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इजराइल में कोई शाखा नहीं लगती है ...(व्यवधान) वहां इजराइल में शाखा लगती ही नहीं है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जैन साहब, आपने हर जिले से एक एक आरएसएस का जुड़वाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जैन साहब को न तो पता है और न जैन साहब का कोई संबंध है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आरएसएस में जाने वाला किसान नहीं हो सकता क्या? आरएसएस में जाने वाला किसान नहीं हो सकता क्या? कांग्रेसी ही किसान होता है क्या?

श्री अध्यक्ष: सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): प्रगतिशील किसान होंगे तो वो भी जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न वहां कोई ट्रेनिंग है, न वहां कोई कैम्प है न वहां कोई कार्यक्रम है आरएसएस का।

श्री अध्यक्ष: सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं पूछ रही हूं कि आपके पास यदि कोई ऐसी सूची है कि जिसमें सचमुच चार-चार हजार रुपये खर्च कर दिये और पासपोर्ट बनवा लिया तो उनके नाम आप इन्हें बतायें ताकि इन्हें हम पाबंद करें इस बात के लिए। आप बतायें नाम।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): है, हमारे पास सूची है।

श्री रामलाल (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, दो-दो नाम ही भेजे हैं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले से जिस महिला का चयन करके जिला कलक्टर ने भेजे थे उनका नाम हटा दिया है।

श्री अध्यक्ष: क्या पासपार्ट बनाने के लिए पैसा जमा कराया?

श्री रामलाल (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, दो नाम ही मंगवाये हैं दो ही कलक्टर ने भेजे हैं दो नाम ही।

श्री अध्यक्ष: क्या पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा जमा कराया?

श्री अमराराम (धोद): हां करा दिया।

श्री रामलाल (बनेड़ा): पार्सपोर्ट बनाया है अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पासपोर्ट भी बन गया।

श्री अमराराम (धोद): और उनका काट दिया अध्यक्ष महोदय, अब ये जोड़ दें तो मैं कह नहीं सकता लेकिन आज की तारीख में काट दिया।

श्री अध्यक्ष: पासपार्ट आफिस से सूची ला दो आप।

श्री रामलाल (बनेड़ा): सूची आपको ला देंगे दो नाम भेजे हैं उनकी सूची भी ला देंगे।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, फिर तो वो इजराइल चली जाएंगी?

श्री अध्यक्ष: आप नाम तो लेकर आयें पहले। नाम तो लाओ।

श्री अमराराम (धोद): ये एन्श्योर तो करें तब तो वरना तो पासपोर्ट भी क्यों लायें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हमारे पास सूची है नाम भी है परन्तु...

श्री अमराराम (धोद): जब अगर नहीं भेजें, आप व्यवस्था कर दें...

श्री रामलाल (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सूची है सूची भी है केवल दो नाम ही मांगे हैं ।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) मतलब यह है कि आपने पासपोर्ट आफिस में पैसा जमा नहीं कराया मतलब यह है।

श्री अमराराम (धोद): नहीं पैसा जमा करा दिया पासपोर्ट भी जारी हो गया। आप तो उनको भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिये पासपोर्ट भी आपको हाजिर कर देंगे आप तो यह व्यवस्था कर दीजिये कि वो इजराइल जाएंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मंगवाएं तो सही पासपोर्ट, अध्यक्ष महोदय।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): आप तो उनका पासपार्ट अध्यक्षजी के पास ले आयें उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: जब वहां से रिकमंड हुआ है...

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्षजी, ये नकली किसानों को भेज रहे हैं प्रगतिशील किसानों की बात हो रही है जो किसानी के बारे में जानते नहीं हैं उनकी लिस्ट बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं कह रही हूं कि प्रगतिशील किसान का ही नाम भेजा गया है मेरे जिले का मुझे मालूम है प्रगतिशील के ही नाम आये हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, प्रगतिशील की क्या परिभाषा है?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): और जिलों से आये हैं वो आपको बता दें लिस्ट।

श्री रामलाल (बनेड़ा): लिस्ट को पढ़कर ही सुना दें आप तो दो नाम ही मांगे हैं और दो ही नाम कलक्टर ने भेजे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्रीजी ने कोई स्पष्ट किया ही नहीं कि नाम बदले हैं या नहीं, बदले हैं तो क्या करेंगे? क्या कलक्टरों ने लिस्ट दे दी जिनके पासपोर्ट बन गये उन्हीं को भेजेंगे? कुछ तो स्पष्ट करें।

श्री अमराराम (धोद): बदले हैं तो आधार क्या है?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्रीजी पर आरोप लगायेंगे फिर अगर मंत्रीजी स्पष्ट नहीं करेंगे तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सचमुच में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के साथ यह अन्याय तो है कि चार हजार रुपये खर्च कर दे और नाम कट जाए पासपार्ट बन जाए फिर नहीं जाए उचित नहीं है बात तो।

श्री रामलाल (बनेड़ा): 80 प्रतिशत एक ही कम्युनिटी के आदमी हैं और...

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, ये ही नाम लिख देते कि फलां फलां जाएंगे उनको पूछने की कहां जरूरत थी।

श्री अध्यक्ष: यह गलत होगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा अनुमान है कि उसमें एक ही कम्युनिटी के लोग हैं 80 प्रतिशत आप जांच करायें यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: चार्ज आप यों ही लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो भी काश्तकार इजराइल जाए उनका पहले एग्रीकल्चर से संबंधित इन्टरव्यू होना चाहिए। यह मेरी मांग है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वस्त करना चाहूंगा कि इजराइल में जाने वाले दल के 64 में से 64 व्यक्ति किसान होंगे, जो खेती करते हैं जिनकी ड्रिप इर्रिगेशन में, नयी विविधिकरण जो फसल का है उसके बारे में रुचि होगी ऐसे लोगों की सूची हम लोगों ने छांटी है। और एक जिले में मात्र दो ही किसान लेने हैं और दो ही किसानों में से अलग-अलग प्रस्ताव आते हैं तो उनमें कृषि विभाग और हमारे लोग साथ बैठ करके जो भी अंतिम निर्णय होगा, अभी कृषि विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कोई भी सूची इस प्रकार की जारी नहीं हुई है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ...(व्यवधान) दो नाम मांगे हैं दो नाम आ चुके हैं। मंत्रीजी दो नाम ही मांगे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): एक-एक जिले से दो-दो नाम मंगाये हैं वो भी कलक्टर और आपके कृषि विभाग के अधिकारी दोनों की कंसल्ट से आये हैं फिर आप ऊपर से चेंज करना क्यों चाह रहे हैं?

श्री रामलाल (बनेड़ा): लिखित में नाम आ चुके हैं आपके पास।

श्री जोगाराम पटेल: कोई कलक्टर का नाम फाइनल थोड़े ही है। तीन तरह से नाम आते हैं अलग-अलग तरीके से।

श्री रामलाल (बनेड़ा): कोई पांच नाम थोड़े मांगे हैं जो आप तय करोगे। दो नाम ही मांगे हैं आपने।

श्री अमराराम (धोद): आपने दो मांगे हैं।

श्री रामलाल (बनेड़ा): जोगारामजी, दो तीन जगह से मांगे हैं कलक्टर से भी मांगे हैं वहां के एमएलए से भी मांगे हैं एमपी से भी मांगे हैं उनको सबको छांटा जाएगा।

श्री अमराराम (धोद): 32 जिले हैं 64 आपके नाम आ गये। डिस्पोजल वहीं करना चाहिए था।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): दो-तीन जगह से नहीं मांगे आपने एक ही जगह से मांगे हैं और दो ही नाम मांगे हैं आपने ।

श्री रामलाल (बनेड़ा): नहीं एमपी एमएलएज से भी मांगे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) ऐसे बहुत कम लोग हैं मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का डेलीगेशन आप भेजो उसके लीडर हमारे स्पीकर साहब को भेजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप उस डेलीगेशन में किसान प्रतिनिधि के तौर पर जा सकते हैं क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हां किसान हैं ये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं मैं आपके लिए पूछ रहा हूं कि क्या आप किसान प्रतिनिधि के रूप में जा सकते हो क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मैं जा सकता हूं मैं भी जा सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सही-सही बता दो आपको खेत में गये हुए कितने दिन हो गये? आपके अपने खेत में गये हुए कितने दिन हो गये सही-सही बता दो। आज सदन में बता दो आप। ये झूठ नहीं बोलते इन्होंने कुछ मर्यादाएं और परम्पराएं कायम की हैं कि इस सदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में झूठ नहीं बोलेंगे असत्य कथन नहीं करेंगे। आप प्रतिपक्ष के नेता, सही-सही बता दो कि अपने खेत में गये हुए आपको कितने वर्ष हो गये?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मैं अब के चौमासे के अन्दर मेरे खेत में जो मेरे हिस्से में आया है उसमें दो दफा गया हूं ईमानदारी की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौन से चौमासे में?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) सच बोलते हैं तो प्रश्न क्यों? जब प्रतिपक्ष के नेता हमेशा सच बोलते हैं तो फिर यह प्रश्न क्यों पैदा हुआ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो मेरी जानकारी है आप पिछले चार-पांच वर्षों में उस खेत की राह से कभी गुजरे ही नहीं आपको यह नहीं पता कि खेत में कौन-कौन से समय में कौन कौन सी फसल हुई। आज दुःख इस बात का है, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, किसानों की हिमायत करने वाले लोग जिनको पता नहीं कि खेती और किसान क्या है अब वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं और मैं तो कहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता यह कह दें कि आप किसान के तौर पर योग्यता रखते हैं तो सबसे पहले इनको भेजा जाए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो, इस किसानों की टीम के लिए मैंने तो, मेरे किसानों की टीम के लिए, मैं विवाद में नहीं डालना चाहता आसन को। लेकिन मैंने सोच समझ करके यह कहा है कि इनसे ज्यादा जानकारी इस बात की किसी के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह सच है बिलकुल कोई भी आकर के खेती के बारे में मुझ से बात कर ले । यह बात सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए सदन कायल है इस बात का। अध्यक्ष महोदय, आपको जो जानकारी है..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खेती के अलावा भी कई विषयों की जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, खेती की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खेती के अलावा भी कई विषयों की जानकारी है आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): पशुपालन की है इनके जैसी गाय है वैसी किसी के पास नहीं मिलेगी। सहस्र गायें हैं इनके पास। खेती का और गाय का संबंध है।

एक माननीय सदस्य: कासनियांजी को चैलेंज मत करो।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 आदिवासी महिलाएं जो हमने रखी हैं वो आदिवासी महिलाएं किसान के रूप में जाएंगी। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं और प्रतिपक्ष के नेता भी यदि किसान के रूप में वहां चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके नेतृत्व में इजराइल की खेती का वहां पर अच्छी तरह से किसानों को ड्रिप इर्रिगेशन, प्लास्टिक कल्चर, होर्टी कल्चर, फ्लोरी कल्चर आपके नेतृत्व में सारे किसानों को उसका लाभ मिल पाएगा इसलिए...

श्री अध्यक्ष: मैं तो तैयार हूं जाने को।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बताओ कि कलक्टर ने जो आदिवासी महिलाओं के नाम भेजे हैं वह काटोगे या रखोगे? आप प्रतिपक्ष के नेता की और स्पीकर की बात मत करो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): जिनके पासपोर्ट बन गये उनको ले जाओगे या क्या करोगे यह बताओ आप। नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर महोदय को राज़ी करने से काम नहीं चलेगा। आप तो यह बताओ कि कलक्टर ने जो लिस्ट भेजी है और जिनके पासपोर्ट बन गये हैं उनका क्या करोगे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह नाम काटोगे या रखोगे साफ-साफ बताओ ना आप तो। जो जिला कलक्टर ने नाम भेजे हैं वह रखोगे या काटोगे, यह बताओ आप तो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): या आपको किसी नेताओं को आब्लाइज करना है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मंत्रीजी, यह बताइए क्या कलक्टर अंतिम सत्ता है? क्या इस प्रदेश में या उस कलेक्टर के निर्णय के ऊपर सरकार कोई निर्णय ले सकती है?

श्री अध्यक्ष: हां ले सकती है ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने चाहा यह प्रस्ताव कोई अंतिम रूप नहीं हुआ करते । हम लोगों ने जिला कलक्टरों से भी मांगे है हमारे कृषि निदेशकों से भी मांगे है

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हमने और जगह से भी लिये हैं । निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो भी 64 फार्मर जायेंगे और जो 8 विधायक भी साथ में जायेंगे जो वहां पर कृषि के बारे में अपनी नई जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, उनके पासपोर्ट क्यों बनाये आपने। आपने उनके पासपोर्ट बनाये, खर्चा करवाया वह किस आधार पर करवाया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही इजरायल भेजना चाह रहे हो, काश्तकारों को नहीं भेजना चाह रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह विवाद का विषय नहीं है इस पर सीधा-सीधा जो जाना चाहता है उनके इंटरव्यू हो जाये और काश्त के बारे में प्रश्न पूछ लिये जाये जो चयनित होगा वह चला जायेगा ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पासपोर्ट क्यों बनवाये?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, 8 विधायकों में क्या मेरा भी नाम है?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): गरीब किसानों के पांच-पांच हजार रुपये खर्च करवा दिये आप कह रहे हो कि फाइनल नहीं होता ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा मंत्रीजी ने बात का जवाब नहीं देते हुए उसको दोहराया है । कलक्टर महोदय ने अलग लिस्ट भेजी है और उप निदेशक ने भी अलग भेजी है यह बात मंत्रीजी ने पहले स्पष्ट नहीं की । बाद में जाकर उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि कृषि निदेशक से भी नाम मांगे हैं और कलक्टर से भी मांगे हैं। जब कि पहले दोनो से दो ही नाम मांगे थे, उप निदेशक और कलक्टर से समझौता कर के दो नाम मांगे थे और आप बाद में बात पलट रहे हो, ऐसा क्यो? इसका मतलब कुछ संशय है और आप तो स्पष्ट शब्दों में जवाब दो कि कलक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर द्वारा जो नाम आये हैं उनकी लिस्ट फाइनल करेंगे या नहीं करेंगे सीधी सी बात है ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है जब मैंने सदन को कहा है कि जो भी 64 जायेंगे वह किसान जायेंगें, राजनीतिक व्यक्ति उसमें कोई नहीं होगा, होगा तो सिर्फ किसान होगा । नंबर दो, जिला कलक्टर से प्रस्ताव आना अंतिम नहीं है और राज्य सरकार स्तर पर उसका निस्तारण करना है, निर्णय लेना है और यह विचार करके तय किया जायेगा कि वास्तव में खेती करने वाला किसान है और प्रगतिशील किसान है ।

श्री रामलाल (बनेड़ा): मंत्रीजी आपने पासपोर्ट क्यों बनवाया उस आदमी का? (व्यवधान) उन आदमियों का पासपोर्ट क्यों बनवाया?

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): पासपोर्ट कोई अपने आप बनवा रहा है...(व्यवधान) टेबल करो उस बात को, आपने जो बात कही है उसको टेबल करो कि कलक्टर ने उसको लिखकर दिया कि पासपोर्ट बनवाओ ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उन्होंने निर्देश जारी किये उन्होंने कहा कि आपके पासपोर्ट बना लीजिए। उस आदमी ने आज पांच-पांच हजार रुपये खर्च कर के पासपोर्ट बना लिये। आप अपने चहेते लोगों को भेजना चाहते हो। जिन गरीबों ने पासपोर्ट बना लिये, अपनी जेब से खर्च कर दिये उनके नाम लिस्ट से कट गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, खेती तो कोई भी कर सकता है। लेकिन वह खेती करने वाला यदि सुपर फास्फेट में, डीएपी में, पोटाश में अंतर ही नहीं समझता हो, उसको पता ही नहीं हो कि पोटाश का क्या इस्तेमाल है, सुपर फास्फेट का क्या है और यूरिया का क्या है तो ऐसे काश्तकार को भेजने से मतलब ही क्या निकलने वाला है?... (व्यवधान) मेरी बात सुनिए आप, प्लीज सिट डाउन, मैं आपसे कह रही हूं आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): बाजरे का बीज एक बीघे का कितना पड़ता है यह किस किसान को पता है।

श्री अध्यक्ष: इसलिए मंत्रीजी, प्रगतिशील शब्द इसीलिए आया है कि जो प्रगतिशील काश्तकार होगा वही इन सब बातों को समझता है। इसलिए वह भी एक शर्त होनी चाहिये, कुछ समझता ही नहीं हो और एक बीघा जमीन है और एक बीघा जमीन पर खेती कर रहा है, खेती कर रहा है ट्रेडिशनल खेती कर रहा है इससे मतलब नहीं है। हमको ऐसे काश्तकार भी चाहिये जो काश्तकार वहां जाकर सचमुच में कुछ सीखकर आकर उसका प्रयोग यहां पर कर सके। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि कलक्टर ने जो भेजे हैं उन्हीं नामों

(श्री अध्यक्ष)

को अप्रूव किया जाये। हो सकता है इनके दूसरे सोर्सेज से कोई आ जाये। और काश्तकारों की जब बात कही है कि एमएलए भी होंगे तो जो लोग अच्छी खेती करते हैं उनका नाम आ सकता है। इसमें क्या बात है?

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मंत्रीजी से मेरा निवेदन है ...

श्री अध्यक्ष: अब बहुत टाइम हो गया इस पर पूरी चर्चा हो गई । पर्ची के माध्यम से आप समय कितना लोगे, आप बताइए ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी ने कहा और सदन ने कहा कि आप सबसे सर्वोपरि काश्तकार हैं तो आप की अध्यक्षता में पक्ष विपक्ष की कमेटी बनाकर उन काश्तकारों को वहां इजरायल भेजा जाये तो मेहरबानी होगी ।

श्री अध्यक्ष: मैं रिकमंड करूंगी कि गुरजंट सिंहजी को जरूर भेजा जाये। अच्छे काश्तकार हैं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग कहते हैं कि उसको भेजा जाये, उसको भेजा जाये मैं कहता हूं वास्तव में..(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, यह गुरजंट सिंहजी वहां इजरायल में आकर्षण का केन्द्र बन जायेंगे, अकेले गुरजंट सिंहजी।

श्री अध्यक्ष: अच्छे काश्तकार हैं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, मेरे काश्तकार होने में क्या शक है? गुरजंट सिंहजी ही काश्तकार हैं मैं काश्तकार नहीं हूं? मेरी भी तो रिकमंड करो आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इस पर सवाल जवाब हो जाये, इन्टरव्यू हो जाये मैं भी काश्तकार हूं ।

श्री अध्यक्ष: आप सबका इंटरव्यू मैं लूंगी, सब काश्तकारों का इंटरव्यू लूंगी जो-जो आयेंगे, आठों का इंटरव्यू लूंगी मैं।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अध्यक्ष महोदय, जो भी हल चलायेगा, ट्रेक्टर चलायेगा खेत में वह काश्तकार माना जायेगा चाहे गुरजंट सिंहजी हो चाहे जो भी हो। प्रेक्टिकल किया जाये आपके निर्देशों में।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि यह पर्ची के माध्मय से, इनको मैंने पर्ची से

(श्री अध्यक्ष)

इसीलिए अलाऊ किया कि मैं इस मामले में चाहती थी कि यदि कहीं कोई गड़बड़ हो तो चर्चा के जरिये उसको दुरुस्त किया जा सके। बाकी आप पर्ची देते हो जन प्रतिनिधियों के सर्किट हाउस में ठहरने को लेकर उत्पन्न स्थिति के संबंध में। यह कोई ऐसा विषय तो नहीं है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, है इसको आप सीरियसली लीजिए, एमएलए को जाने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: मैं पर्ची पर बोलने वालों को, अब यह है समाज कल्याण छात्रावास में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर। जब डिमांड थी उस दिन आपको बोलना चाहिये था इसके ऊपर, उस दिन तो आप बोले नहीं। मैं चाहूंगी कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कि जिस दिन आपको चर्चा करनी थी उस दिन तो आपने चर्चा की नहीं लेकिन आप इसको पर्ची के माध्यम से नहीं उठायें। मैं चाहती हूं कि 119,127,131 के तहत उठायें ताकि विस्तृत चर्चा की जा सके।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जेडीए के दिये हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, स्थान ग्रहण करें आप ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खान विभाग में भ्रष्टाचार के चार दिये हुए हैं, रीको के चार दिये हुए हैं । एक ध्यानाकर्षण लगता नहीं है तो सिवाय पर्ची के हमारे पास कौनसा रास्ता है ?

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए, आप बात सुनिए। मैं चाहती हूं इस पर विस्तृत चर्चा हो आप 119 में ला सकते हैं, 127 में ला सकते हैं, 131 नियम के तहत ला सकते हैं। आप पर्ची के माध्यम से मैं पांच मिनट से ज्यादा समय दूंगी नहीं आपको। क्या कहेंगे पांच मिनट में आप? आप इन नियमों में आइए, विस्तृत चर्चा कीजिए। क्या दिक्कत है उसमें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप विराजें तो मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष: हां, मैं बैठ जाऊंगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं यह ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है इस पर पर्ची के माध्यम से क्या कहेंगे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप दो मिनट विराजिए, अध्यक्ष महोदय, जब एप्रोपिएशन और फाइनेंस बिल पर चर्चा थी मेरा नाम हमारी पार्टी ने दिया

(श्री संयम लोढ़ा)

हुआ था और मैं बोलने वाला था। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुख्य मंत्रीजी ने जिद पकड ली कि मैं तो 6 बजे ही रिप्लाई करूंगी। और मैं जो बाते फाइनेंस बिल पर बोल सकता था वह बोलने का मुझे मौका नहीं दिया। जेडीए में चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दिये। नियमों में तीन दिन में जवाब आने का प्रावधान है, एक ध्यानाकर्षण का जवाब नहीं दिया। खान विभाग में अनियमितताओं में ध्यानाकर्षण दिया एक का जवाब नहीं दिया। रीको में अनियमितताओं का प्रस्ताव दिया एक जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका 131 में नहीं लगाया, मैंने आपका 131 में लगया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने लिखित में आपको दिया है। यह सत्र शुरू हुआ उसके पहले मैंने आपसे लिखित में निवेदन किया कि आप जेडीए पर एक दिन की चर्चा करा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि नहीं किया? आज पूरा महीना गुजर गया करोड़ों रुपये की लूट जेडीए में हो रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव फण्ड के खर्च के लिये जेडीए में लूट हो रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जेडीए पर सब तैयार थे आपने नहीं होने दी चर्चा ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): चर्चा वाले दिन तो बाहर भाग गये थे। जेडीए पर चर्चा थी उस दिन करते, उस दिन तो आपने चर्चा की नहीं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): उस दिन तो आपने नूरा कुश्ती कर दी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): उस दिन तो आप एक छोटी सी बात पर, वह माननीय सदस्य माफी मांगना चाहते थे और आपने उस दिन जेडीए पर बहस की नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चार मिनट से ज्यादा समय दूंगी नहीं आपको क्या कहेंगे आप?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सारा भ्रष्टाचार का ठेका आपके पास ही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगर आप यह चाहती हैं कि मैं पर्ची पर नहीं बोलूं..जेडीए पर चर्चा करा लीजिए, हमने इतने प्रस्ताव दिये।

(समय : 14.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: 119 लगाइये, 127 में आयें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 131 में चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हुए हैं। 22 सवाल जेडीए पर दिये हुए हैं। चार जेडीए पर दिये हुए हैं ध्यानाकर्षण।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जेडीए पर दिया हुआ है इनका ध्यानाकर्षण। जेडीए पर दिया हुआ है इनका ।

श्री अध्यक्ष: तो जब तक उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब नहीं देती।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आप सरकार को पाबंद कीजिए। जो जवाब तीन दिन में आना चाहिये वह तीस दिन तक नहीं आये, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सरकार को आदेश दीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सरकार महीने भर जवाब नहीं देती है फिर सदस्य कब बोले ?

श्री अध्यक्ष: आपको मिलेगा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : एक आम आदमी जयपुर में भूखा (व्यवधान) यह हालात पैदा कर दिये। एक आम आदमी जयपुर में अपनी झौंपड़ी नहीं बना सकता, यह हालात पैदा कर दिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पूरे जयपुर को बेचकर ठिकाने लगा दिया। बोलने का मौका नहीं देवें।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुर्सी इतनी कमजोर नहीं है कि सरकार जवाब नहीं दे। जब सदन में...(व्यवधान) सरकार की क्या हालत होगी?

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार स्थगन प्रस्ताव देने के बावजूद यदि सरकार जवाब नहीं दे तो हम लोग क्या करेंगे?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अपकी इतनी मजबूरी...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य की चिंता को समझिये, व्यवस्था नहीं की तो विधान सभा में...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जवाब मंगवाइये और कल इसको रखवाइये।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं किसकी सुनूं छह खडे हो आप ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कल का दिन फिक्स कर दीजिए, पर्ची पर चर्चा करवा दीजिए। वह भी तेयारी कर लेंगे, गवर्नमेंट भी तैयारी कर लेगी ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय एक सैकण्ड, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है । यह पर्ची सिस्टम इसलिए इन्ट्रोडयूज किया था कि कोई इस तरह की आकस्मिक घटना हो जाए रिसेंट आकरेंस, जिसकी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो (व्यवधान) अगर कोई स्पेसिफिक इस तरह का प्रकरण हो जो अभी कोई घटित हुआ हो, उसके बारे में, स्पेसिफिक प्रकरण के....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जानते हैं। 5 साल तक आप बोले और आज आपको नियम याद आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सैकिण्ड, अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेसिफिक इस तरह का प्रकरण हो जो अभी कोई घटित हुआ हो, उसके बारे में स्पेसिफिक प्रकरण के बारे में माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने तो आज हां-पक्ष लॉबी में अपने विधायकों को फटकार लगायी है कि पर्ची खोलने नहीं गये, संयम लोढा की पर्ची खुल गयी, क्या बात कर रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पूरे जे.डी.ए. को, अगर यह पर्ची के माध्यम से उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो कहां तक उचित है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है, नई परम्परा क्यों प्रारम्भ कर रहे हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है। मेरे को इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने सोचा आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल दिये तो शायद आप नहीं बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि पर्ची का जो सिस्टम इण्ट्रोड्यूस हुआ है, उसमें जिस दिन, जिस माननीय सदस्य की....

श्री अध्यक्ष: I am going to abolish it in the next session. I am going to abolish.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं तो परम्परा चल रही है उसके अनुसार पर्ची खुल गयी है तो इनको इजाजत दें। यदि आप उचित समझें तो इनका कॉल अटेंशन मोशन दिया हुआ है वह लगा दें। कम से कम इनको अवसर तो दें। जिस व्यक्ति का पर्ची में मामला आ गया है और सदन के सामने विचाराधीन है, उनको विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं इस बात को कई बार दोहरा चुकी हूं कि यह जो पर्चियां आ रही हैं, यह बिलकुल रिसेण्ट आकरेंस पर नहीं आकर के, कोई आकस्मिक बात हो जाए और उस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाए, जिस तरह से स्थगन प्रस्ताव पर बहुत ही अत्यंत गम्भीर बात होती है। और उसकी सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा होती है। उसी प्रकार से कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिस घटना के ऊपर कुछ समय के लिये चर्चा करना आवश्यक हो, उसके लिये पर्ची दी जाती है। लेकिन मैं अब देख रही हूं, मैं 2-3 बार पहले भी कह चुकी हूं कि मैं देख रही हूं कि छोटी-छोटी सी बातों के लिये, जिनका

(श्री अध्यक्ष)

कोई मतलब नहीं, उनको पर्ची के माध्यम से, माननीय सदस्य उठा लेते हैं। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये, मैं आपको बता रही हूं।

अब मैं चाहूंगी, मैं पर्ची के माध्यम से केवल 4 मिनट का समय दूंगी। इसलिये मैंने आपको कहा, नियम 119 भी है, नियम 127 भी है, नियम 131 भी है। उन विषयों के ऊपर आइये ताकि कुछ इसके ऊपर चर्चा हो सके। आपको डिटेल में बोलने का मौका मिलेगा। 4 मिनट में आप क्या बात कहेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप माफ करें।

श्री अध्यक्ष: दूसरी एक बात और है। आज यू.डी.एच. मंत्रीजी का राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक आज है। उस पर भी चर्चा होनी है और मेरी समझ में उसी की तैयारी करके आये हैं। उन पर एडिशनल बर्डन यह और हो जाएगा । सारी जानकारी वे आपको दे नहीं पायेंगे, पूरा जवाब भी नहीं दे पायेंगी। इसलिये मैं चाहती हूं कि इस विषय पर आज चर्चा नहीं करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कल कर दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कल कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, शिरोधार्य है। अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेस्फिक प्रकरण हो उस पर तो ये 4 मिनट आज भी बोल लें। (व्यवधान) कल की जरुरत ही नहीं है। यह जरुरी नहीं है कि पर्ची पर सरकार उत्तर दे, जरुरी नहीं है। अगर इनको सरकार पर कोई आरोप लगाना हो तो 273 पर नोटिस देकर आयें। नोटिस इन्होंने दिया नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां कर रहे हैं, कहां आरोप लगा रहे हैं? किसने कहां आरोप लगाया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह 4 मिनट बोलें ना। (व्यवधान) यह 4 मिनट बोलें ना। अगर ये 4 मिनट बोलना चाहते हैं तो 4 मिनट बोलें, पर स्पेस्फिक रीजन तो हो ना। इतना वाइड स्कोप नहीं होना चाहिए। इतना वाइड स्कोप नहीं होना चाहिए। इतना वाइड स्कोप तो नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैं 4 मिनट का बोलने का समय (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप सदन में थे। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय खाद्य मंत्रीजी, आप रिकार्ड उठाकर देख लें, 3-3 घण्टे तक, 3-3 घण्टे तक पर्ची पर बोले हैं। मंत्री पर

(डा. सी.पी. जोशी)

आरोप लगाये हैं और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया है। अब आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप या तो यह फैसला कर दीजिए, 131 का लगा दीजिए। हम मंजूर करते हैं। आप 131 के अन्तर्गत मंजूरी का काम कीजिए, कल आप 131 पर चर्चा करवा लीजिए। हम सहमत हैं इस बात के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कौनसा जवाब दिया, एक बार भी स्वायत्त शासन मंत्री ने जवाब नहीं दिया। आपके राज में एक बार भी जवाब नहीं दिया।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप भी उस समय सदस्य थे। (व्यवधान) तात्कालिक कोई घटना घटित नहीं हुई और इसके ऊपर भी आपको समय दिया जा रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह तो सब रिकार्ड पर है। यह सब रिकार्ड के अन्दर है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार भाग क्यों रही है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान) मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भाग क्यों रही है?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सरकार काहे को भाग रही है, सरकार कोई नहीं भाग रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलो ना, अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर कोई एतराज नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सरकार आपको समझा रही है कि कानून कायदे से आइये, भाग नहीं रही है सरकार। आपके अन्दर दिमाग है तो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कानून-कायदे, नियम 131, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियमों की पालना करवाइये सरकार से।

श्री अध्यक्ष: माननीय खुशवीरसिंहजी ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह रुल्स ऑफ प्रोसिजर में कहीं .. (व्यवधान) उसके हिसाब से लाइये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 131 के अन्दर 17 ध्यानाकर्षण मैंने दिये हैं, 17 दिये हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह तो आप अन्याय कर रहे हैं। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं । रिक्वेस्ट को भी नहीं मानेंगे आप। अध्यक्ष महोदय, यह तो अन्याय होगा बिलकुल। पर्ची पर भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं1 कल का 131 का समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पर्ची के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, जिसकी पर्ची होती है उसी माननीय सदस्य को अवसर दिया जाता है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, बिलकुल ठीक है। वही बोलेंगे। हां, वे ही बोलेंगे। कोई तकलीफ नहीं है। आप अलाऊ करिये। वे ही बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बोलूंगा और जम कर बोलूंगा और सुनना पड़ेगा आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब पर्ची पर एतराज करते हैं तो हमारा 131 का प्रस्ताव पेंडिंग है। आप वह मान लीजिए, उस पर चर्चा करवा लीजिए। हम आपकी मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास 131 के 54 पेंडिंग हैं। इतने प्रस्ताव आये हैं और प्रायोरिटी से जो आयेगा उसी को ही तो लूंगी मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलने पर मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप खुद चाहते हैं कि जे.डी.ए. पर चर्चा हो। 131 का लगा रखा है। आप दोनों बातें कर रहे हैं। दो बातें न करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक भी ध्यानाकर्षण लगाया नहीं गया है। चाहे वह माइन्स का हो, चाहे वह रीको का हो, चाहे वह जे.डी.ए. का हो, चाहे वह पर्यटन का हो। सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसमें सरकार घोटाले में फंसी हुई हो, एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार ने न तो अभी तक जवाब दिया है और एक भी ध्यानाकर्षण सदन में लाया नहीं गया।

श्री अध्यक्ष: आपका लगाया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह इण्डस्ट्रियल क्लस्टर का, एक लगाया है।

श्री अध्यक्षः आप 175 हैं तो आपका अकेले का ही लगाती रहूंगी और बाकी माननीय सदस्यों का नहीं लगाऊंगी? आपका मैंने एक लगाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)ः अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिशः आपसे मिलकर कांग्रेस के हम 7 विधायकों ने पहले भी निवेदन किया था कि आप एक दिन जे.डी.ए. पर चर्चा करायें। एक दिन। जे.डी.ए. पर चर्चा करवायें। सदन शुरू होते वक्त आपसे निवेदन किया था।

श्री अध्यक्षः जे.डी.ए. पर चर्चा थी। आप उस दिन हू-हू कर रहे थे और नारे लगा रहे थे आप उस दिन, कैसी बात कर रहे हैं आप?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, माफ करें, यह हमारा अधिकार है। हू-हू करने का भी अधिकार है, नारे लगाना भी अधिकार है।

श्री अध्यक्षः सदन में हू-हू करने का अधिकार है? हू-हू करने का अधिकार है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः हां, हू-हू करने का अधिकार है। यह तो अधिकार है हमारा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः यह अधिकार सदन के बाहर है, सदन के अन्दर यह अधिकार नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः नारे लगाने का अधिकार, सदन के बाहर है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः हमारा इस सरकार की बढ़ाई करने का अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्यः अध्यक्ष महोदय, यह हो-हल्ला करने का कौन से नियम में अधिकार है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः अध्यक्ष महोदय, दो बातें नहीं कहें। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)ः अध्यक्ष महोदय, सदन में नारे लगाने के लिये जनता नहीं भेजती है आपको। सदन में जनता की बात रखिये। नारे लगाने हैं तो सदन के बाहर लगाइये आप नारे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)ः ना, ना, याद करिये, आप बाहर लगा

(डा. सी. पी. जोशी)

रहे थे? हमको शिक्षा दे रहे हो। गुरूजी गुड़ खा रहे हैं और हमको शिक्षा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके मंत्रियों ने कपड़े फाड़े हैं यहां पर, तब याद नहीं आया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं। हम आपकी व्यवस्था को मानते हैं, आप कल 131 लगा दीजिए। यह फैसला करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 21 मार्च को मैंने श्री संयम लोढ़ा का 131 के तहत, बोर्ड आफ इण्डिस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा एफ.एम.सी.जी. इण्डस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में निर्णय नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में लगाया था। यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिये मैंने लगाया था क्योंकि राजस्थान के हितों का जहां प्रश्न हो, वहां प्राय: ध्यान कुछ अधिक रहता है। इसलिये मैंने 21 मार्च को आपका लगाया था। इसलिये आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैंने आपका एक भी 131 का नहीं लगाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने यह कहा भी नहीं। मैंने यह कहा भी नहीं है। पर मेरा निवेदन यह है कि इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खान विभाग के बारे में, रीको के बारे में, जे.डी.ए. के बारे में, जिसमें इस सरकार की पूरी कलई खुलती है।

श्री अध्यक्ष: तो सारे आपके ही लगाती रहूं, अकेले के? आप चाहते हैं आपके ही लगाती रहूं और किसी के नहीं लगाऊं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक का भी, सरकार ने अभी तक, नियमों में 3 दिन का प्रावधान है। जवाब देने के लिये नियमों में 3 दिन का प्रावधान है। आज 30-30 दिन हो गये। एक का भी जवाब नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था, आप चाहे विधान सभा सचिवालय से रिकार्ड मंगवा लीजिए, 70 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विभिन्न माननीय सदस्यों के विचारार्थ हैं। जिसका उत्तर आ जाता है, आप नियमानुसार लगाते हैं। मात्र एक ही सदस्य का अधिकार नहीं है। दूसरा मैं निवेदन यह कर रहा था, आपने स्वयं ने यह व्यवस्था दी है और कई माननीय सदस्यों को इस सदन के अन्दर पर्ची पर बोलने से इस आधार पर बोलने से रोका है कि विषय करण्ट आकरेंस का नहीं था।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो कभी नहीं रोका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और वाइड स्कोप इतना नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस्फिक किसी मामले में कहना चाहें तो 4 मिनट में अपनी बात कहें। मैं कोई इनको रोक नहीं रहा हूं। आपने बाकी माननीय सदस्यों को 4-5 मिनट पर टोका है। सरकार कोई बाध्य नहीं है कि ये जो कुछ कहें उसका उत्तर ही हम दें। आपने खुद ने आसन से व्यवस्था दे रखी है, 4 मिनट में कुछ कहना चाहें तो कहें। हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): रोज लुट रहा है, तात्कालिक घटना है, जयपुर रोज लुट रहा है, इसलिये चिंतित हैं हम लोग।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह। (व्यवधान) खुशवीर सिंह का टर्न है। टर्न खुशवीरसिंह का है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है तो।

श्री अध्यक्ष: मैं कोई उनके कहने से करती हूं क्या सारे निर्णय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को आपकी तरह डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं आसन की इज्जत करता हूं, मैं आसन को सर्वोपरि मानता हूं, मैंने प्रार्थना की है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था है कि 131 में आइये, 127 में आइये।

श्री अध्यक्ष: 119 में आइये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो 131 में आपके विचाराधीन है। इसमें जे.डी.ए. है वह स्वीकार कर लो।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, 54 प्रस्ताव 131 के पड़े हैं, 54 प्रस्ताव। एक माननीय सदस्य का एक लगा दिया। उसी के सब लगाती रहूं क्या। औरों के नहीं लगाऊं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और दूसरों ने भी दिये हैं। दूसरों ने भी दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: और किसने दिये हैं? नहीं दिये हैं। ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने सात आदमियों के दस्तखत से दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: यदि जवाब आ गया वह तो लगा दूंगी, मेरे को क्या दिक्कत है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): प्रस्ताव पर मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाए तभी लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 तारीख तक चलेगा। 3 दिन में आप जानकारी मंगा लीजिए। 6 तारीख को लगा दीजिए। हम वह आज और दे देते हैं 131 में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा, बुला लिये जाएंगे। चार मिनट में बोलेंगे। क्या दिक्कत आ रही है ? Mr. Khushvir Singh, please conclude you speech within 4 minutes. आप चार मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करें।

जन-प्रतिनिधियों के सर्किट हाउस में ठहरने विषयक

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

आज प्रदेश में प्रतिवर्ष पड़ने वाले अकाल और दूसरी तरफ हमारा सर्किट हाउस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जन-प्रतिनिधियों के सर्किट हाउस में ठहरने को लेकर है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मेरी भूमिका तो बनाऊं।

श्री अध्यक्ष: भूमिका में रह जाएंगे, बात रह जाएगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर तो अकाल की स्थिति, उधर बी.पी.एल. वालों को गेहूं का नहीं मिलना और दूसरी तरफ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज सर्किट हाउस के अन्दर इस आजादी के 60 वर्ष के बाद, आज का जन-तंत्र किस मोड़ पर खड़ा है, उसके ऊपर हमें पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए अभी हमारे मस्तिष्क पटल से गुलामी की लकीरें नहीं मिटी हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज सर्किट हाउस के अन्दर जितने भी और राजस्थान हाउस के अन्दर जितने भी रिटायर अधिकारी

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

जो ठहर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को तुरन्त समाप्त की जानी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूर्व विधायकों को यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उसकी मांग मैं नहीं कर रहा हूं। इस व्यवस्था को समाप्त करनी चाहिए ताकि इस बढ़ते हुए बोझ में कमी आ सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं एक बार अजमेर सर्किट हाउस में गया और वहां मैनेजर साहब से मैंने कहा कि ठहरेंगे तो उन्होंने कहा कि एनेक्सी में जाइये। मैंने कहा क्यों? इसमें हम नहीं ठहर सकते हैं क्या? यह तो अंग्रेजों के वक्त व्यवस्था थी कि जन-प्रतिनिधियों और हम भारतीयों का नम्बर नहीं आता था। इस मुख्य में हम नहीं ठहर सकते ? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, किसी भी वक्त सैक्रेटरी साहब आ सकते हैं। मैंने कहा कि यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अगर सैक्रेटरी साहब किसी भी वक्त आ सकते हैं, वह ही मात्र उस ए.सी. रूम में ठहरने के लिए अधिकृत हैं इससे ज्यादा इस प्रजातंत्र के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मैं एक सर्किट हाउस की बात नहीं कर रहा हूं। राजस्थान के अधिकांश सर्किट हाउस के अन्दर इस तरह की व्यवस्था है। आप माननीय सभी सदस्यों से अगर पूछ लें, मेरी बात असत्य हो तो जैसा आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। यह मैंने मेरे अनुभव के आधार पर और अन्य माननीय सदस्यों से पूछकर यह जानकारी हासिल करके यह बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात अधिकारों की नहीं है। बात आज जन-तंत्र की है। आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ज्यादा क्या अनुरोध करूं कि आज 15 अगस्त के दिन झण्डा फहराने की बात आती है तो जन-प्रतिनिधियों को किनारे किया जाता है और वहां तहसीलदार और एस.डी.ओ. अगर झण्डा फहराएगा और जन-प्रतिनिधि चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो अगर उनको यह अधिकार नहीं जाएगा तो इस प्रजातंत्र का भविष्य अंधकारमय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मैं आपको एक वृतांत बताना चाहूंगा कि क्या हो रहा है। एक दिन मैं सांगानेर हवाई-अड्डे पर गया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप चाहते क्या हो वह बताओ न ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह व्यवस्था जो पूर्व रिटायर अधिकारियों को सर्किट हाउस में, आज पूर्व मंत्री राजस्थान हाउस में मात्र 3 दिन ठहर सकता है और रिटायर अधिकारी 7 दिन रुकता है, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्व विधायकों को राजस्थान हाउस और सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था करें। मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि किसी की जुर्रत नहीं है यह अधिकार देने की। कोई नहीं दे सकता, आज के इस परिप्रेक्ष्य में किसी की हिम्मत नहीं, किसी सरकार की लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अगर ठहरने की व्यवस्था हमें नहीं दे सकते हैं तो इन रिटायर अधिकारियों की व्यवस्था तुरन्त समाप्त की जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, कुल मिलाकर मेरे यह समझ में आया कि आप यह चाहते हैं कि प्रोटोकोल के मुताबिक जन-प्रतिनिधियों को भी प्रायोरिटी मिले। उसका जो प्रोटोकोल है उसके मुताबिक मिले, यही है न आपका?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यही तो है आपका?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बिलकुल, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीगण। बात हो गयी, अब आप बीच में खड़े हो जाते हैं हर बात में, बिलकुल गलत बात है। मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं। आप माननीय सदस्य, विराजिये। बात हो गयी है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं मेरी बात समाप्त कर दूं?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी संबंध में अपने दो शब्द कहने की आपसे अनुमति मांगता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं तो चीफ सैक्रेटरी की बात तो बहुत दूर की बात है, कार्मिक विभाग के सचिव भी मतलब थोड़ी सी भी उनकी आने की सम्भावना हो तो विधायकों को ही नहीं मंत्रियों तक को भी एक कमरा नहीं मिल सकता।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्रीजी खड़े है न।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जन-प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए सर्किट हाउस में ठहरने के संबंध में प्रोटोकोल के अनुसार इनको सुविधा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जन-प्रतिनिधियों से मतलब इनका यहां पर, सुनिये, जन-प्रतिनिधियों में तो सब आते हैं, सरपंच भी आता है और पंचायत समिति का प्रधान भी आता है। प्रमुख भी आता है। आप विधायक का कहिये। इसमें शब्द 'विधायक' होना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रोटोकोल के हिसाब से।

श्री अध्यक्ष: प्रोटोकोल के मुताबिक ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आपने विधायकों के लिए विशेष बताया है। प्रोटोकोल के हिसाब से विधायक के लिए आपने ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मैंने सुविधा की बात नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात, मेरी भावना से यह मंत्री महोदय अवगत नहीं हुए हैं। मंत्री महोदय, आप भी जन-प्रतिनिधि हैं। आपकी अभी तक, गुलामी की लकीरें आपके मस्तिष्क पटल से नहीं हटी हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ गया हूं ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इन अधिकारियों से आप भी डरते हो और अंग्रेज कानून-व्यवस्था 200 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है इसलिए वह हमारे खून में समा गयी है। आप जन-प्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर चिन्तित क्यों हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है उसका जवाब दें कि आप इनको यह अधिकार देंगे या नहीं? पूर्व विधायकों को सर्किट हाउस और राजस्थान हाउस में ठहरने के लिए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो जन-प्रतिनिधि, अब आप बैठें न। जिस जन-प्रतिनिधि का जो प्रोटोकोल में जहां आता है, उस हिसाब से उसको जगह मिलनी चाहिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): धन्यवाद।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): निश्चित रूप से निर्धारित व्यवस्था है पूर्व से ही।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, वह उसें कहेंगे और बताएंगे न।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसके अनुसार ही सुविधा दी जाती है। और अभी फिलहाल हमने अभी भी व्यवस्था यह की है कि जो पूर्व मंत्रीगण थे, पहले इनको पांच दिन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी। अब इनको हमने 7 दिन कर दी है। इसके बाद में पूर्व सांसद, पूर्व सांसद को हमने तीन दिन की सुविधा पहले से जो चलती आ रही थी, इसको हमने बढ़ाकर पांच दिन की हमने पूरी की है और पूर्व विधायक का अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री जीतराम (मालपुरा): रिटायर चीफ सैक्रेटरी को आप कौनसी देते हो, कौन से फ्लोर पर देते हो, यह बताइये आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इनकी इच्छा है कि प्रोटोकोल के हिसाब से वह बात करिये, बाकी क्या है इसका मतलब नहीं है।

श्री जीतराम (मालपुरा): मंत्रीजी, रिटायर चीफ सैक्रेटरी को कौनसी फ्लोर पर देते हो, यह बताइये आप।

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थान पर बैठिये।

श्री जीतराम (मालपुरा): मंत्रीजी प्रोटोकोल के हिसाब से...(व्यवधान) जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था आपकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को प्रोटोकोल के मुताबिक पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, यह है प्रश्न।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): प्रोटोकोल के हिसाब से जो व्यवस्था निर्धारित है वह व्यवस्था निश्चित रूप से हम दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं हो सकती। नहीं हो रही है साहब, प्रोटोकोल के हिसाब से।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, आप बिलकुल गलत बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): विधायक कहां पर आता है प्रोटोकोल के हिसाब से और कौनसी मंजिल में दिया जाता है?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायकों को भी... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): चीफ सैक्रेटरी या कोई भी सैक्रेटरी हो, उसको तो मंत्रियों वाला देते हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्री महोदय, पूर्व विधायकों की पीड़ा समझ में नहीं आती है आपको?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को तो आप टांग देते हो छठे नम्बर पर।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पूर्व विधायकों के लिए भी कहें। ... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय, आपने पूर्व विधायकों के संबंध में बताया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप भी हमेशा नहीं रहेंगे इस पद पर। आप भी कभी पूर्व होंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पूर्व रिटायर अधिकारियों को रुकने की छूट है तो पूर्व एम.एल.ए. को क्यों नहीं छूट है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिटायर अधिकारियों को अगर छूट दे रखी है तो पूर्व विधायकों को यह व्यवस्था क्यों नहीं है, प्रोटोकोल के हिसाब से, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): या तो रिटायर अधिकारियों की छूट को ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उन अधिकारियों को छूट दे रखी है तो फिर पूर्व विधायकों को यह आपकी व्यवस्था क्यों नहीं है, इसका मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा सा सवाल है कि जब रिटायर अधिकारियों को रुकने की छूट है तो फिर एक्स विधायकों को रुकने की छूट हो या उनकी सुविधा समाप्त की जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक निवेदन मेरा भी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमें भी,... (व्यवधान) पूर्व विधायकों को भी दी जाए या रिटायर अधिकारियों की सुविधा समाप्त की जाए।

श्री जीतराम (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिटायर चीफ सैक्रेटरी को कौनसी ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): वर्तमान विधायक को भी प्रोटोकोल के अनुसार नहीं मिल रही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि मौजूदा विधायकों को भी आज आर.ए.एस. आफिसर आएगा या सीनियर आफिसर आएगा तो उसको ऊपर परमिशन देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक समय में एक ही बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): और यह इनको प्रायोरिटी ग्राउण्ड फ्लोर पर देंगे और हमको मौजूदा विधायकों को प्रायोरिटी नहीं मिलती है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह सही है कि राजस्थान के प्रत्येक सर्किट हाउस में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी (व्यवधान) उनको इस बात से वंचित किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): वैसे ही अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउस में ऊपर रखा जाता है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना है कि एक तरफ एम.एल.ए. जायें सर्किट हाउस में और एक तरफ विभाग का सेक्रेट्री जाये तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। यह सच्चाई है अध्यक्ष महोदय।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी सर्किट हाउसों में इस प्रकार की स्थिति है कि विधायकों को दोयम दर्जे पर रखा जाता है। आपके माध्यम से निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इस बात के लिये व्यवस्था करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जिस प्रकार से प्रोटोकोल में विधायक चीफ सेक्रेट्री से ऊपर है, वैसे ही राजस्थान हाउस में भी ऊपर ही रखा जाता है विधायकों को। जैसे प्रोटोकोल में ऊपर है, वैसे ही ऊपर टांग दिया।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक तो दुबारा भी विधायक चुना जा सकता है लेकिन रिटायर अधिकारी दुबारा अधिकारी नहीं बन सकता, इसलिए पूर्व विधायकों को तो हर हालत में महत्व देना चाहिये और उसको जगह मिलनी चाहिये। पूर्व अधिकारी को कतई नहीं मिलनी चाहिये।

श्री जीतराम (मालपुरा): इनमें मंत्रीगण भी हैं, सांसदगण भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक संघ का एक शिष्टमण्डल मुख्य मंत्रीजी से मिला था। उन्होंने मांग की थी कि उनकी पेंशन कम है। पिछली बार भी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की और इस बार भी जो बिल लाये, उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उनकी यह मांग कि उन्हें राजस्थान हाउस के अंदर तीन दिन रोकने की सुविधा दी जाये, अभी विचारार्थ है। मुख्य मंत्रीजी से बात करके निश्चित तौर पर निर्णय करेंगे। (व्यवधान) एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा दुबारा परिपत्र निकालेंगे और मौजूदा विधायकों को उनके प्रोटोकोल के अनुसार वरियता से उन्हें कमरा मिले, इसकी व्यवस्था भी करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, यह पेंशन का मामला मंत्री महोदय, बीच में मत डालो आप। पूर्व विधायकों का सम्मान करो। आप और हम भी पूर्व होंगे, हमेशा वर्तमान नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आपका हो गया, बैठिये। श्री प्रहलाद गुंजल।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में कार्यरत महिलाओं और कामगारों विषयक

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में कार्यरत महिलाओं और कामगारों के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: चार मिनट का समय है आपके पास, चार मिनट में आप कह दें। 2.36 पर अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कोशिश करूंगा चार मिनट में समाप्त करने की।

श्री अध्यक्ष: कोशिश नहीं, करनी पड़ेगी यह तो।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आसन के प्रति कोई अपराध हो गया, अध्यक्ष महोदय, हर बार यही स्थिति होती है। जो छात्रावास में महिलाएं और कामगार काम करते हैं, उनकी संख्या 1040 है और अधिकतर महिलाएं अनुसूचित जाति और जनजाति की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं हैं। हम कई बार सदन में चर्चा करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनको अधिकार दिलाने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक लाख कहां से हो गयी कामकाजी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 1040 हैं।

श्री अध्यक्ष: छात्रावासों में, कामकाजी?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हां, टोटल महिलाएं और पुरूष, जो काम करते हैं चौकीदार और सरकारी भाषा में उनको अंशकालीन और रसोइये की परिभाषा में रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि किसी भी छात्रावास का चौकीदार, जो आठ घण्टे से ज्यादा रात में ड्यूटी करता है, उसको अंशकालीन चौकीदार कैसे कहा जा सकता है और जो कामकाजी महिला, जो रसोई में खाना बनाती है, एक छात्रावास में खाना बनाने के लिये उसे कम से कम दिन भर में दस घण्टे की सेवायें देनी पड़ती हैं। उसको आंशिक रसोइया कैसे सम्बोधित किया जा सकता है? और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता कि इन आंशिक रसोइया और चौकीदारों को 600 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है, जो न्यूनतम वेजेज एक्ट का भी सीधा सीधा उल्लंघन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में फैसला दिया कि 1 मई, 2005 तक जो कामकाजी महिलाएं और रसोइया और चौकीदार कार्यरत थे, उन सबको नियमित कर दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आपने 1 मई, 2005 को उन तमाम लोगों को अनुपस्थित बताकर उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया, जिन्हें नियमित किया जाना चाहिये था। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अगर आप चौकीदार को नियमित कर दोगे तो वह आठ घण्टे ड्यूटी देगा और आपको पूरा वेतनमान देना पड़ेगा। लेकिन आप उसको नियमित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए न केवल वह 24 घण्टे ड्यूटी देता है बल्कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के घर पर भी ड्यूटी बजाता है और आप उन कामकाजी महिलाओं को रेगुजर कर दोगे तो उसको न केवल वहां पर आठ घण्टे की ड्यूटी के साथ आपको पूरे वेतनमान देना पड़ेगा बल्कि आज जो महिलाएं काम कर रही हैं उन छात्रावासों में 10-10 घण्टे काम करने के अलावा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के घरों पर झाड़ू-पौंछा करती हैं। इस प्रकार का जो विशिष्ट शोषण हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये और मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप छात्रावास खोल देते हो, छात्रावास खोलने के बाद न तो आपके यहां रेगुलर अधीक्षक का पद होता है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

न आपके रेगुलर रसोइये का पद होता है, न आपके पास रेगुलर चौकीदार का पद होता है। तो इस प्रकार के छात्रावास खोलने का क्या औचित्य है? जिसमें रेगुलर अधीक्षक नहीं, छात्रों के भोजन बनाने के लिये व्यवस्थित तरीके से वहां पर रेगुलर रसोइया नहीं रखा, न वहां पर रेगुलर चौकीदार रखा। अस्थाई रूप से 600-600 रुपये में जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद किया जाना चाहिये और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, ईमानदारी से उसकी पालना होनी चाहिये। आपने तय कर दिया 1 मई को यह लोग उपस्थित नहीं थे इसलिए आपने इनको रेगुलर नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, दो महिलाओं ने जब आपकी सरकार के फैसले के खिलाफ आमरण अनशन की धमकी देकर आत्मदाह की घोषणा करके जब धरना दिया तो राजस्थान की सरकार ने उनको रेगुलराइज कर दिया। इसका मतलब दो महिलाओं की धमकी से रेगुलराइज कर दिया तो समाज कल्याण विभाग में कार्यरत 1038 लोग अब इस बात का संकल्प लेकर राजस्थान की सरकार के सामने आयें कि हम मरेंगे, तब जाकर राजस्थान की सरकार उनको रेगुलराइज करेगी।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट हो गये, अब कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी इस दिशा में कोई उचित बात कहेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बिलकुल ठीक है। थैंक्यू वैरी मच। (व्यवधान) अब आप क्या बीच में बोलना चाह रहे हैं। क्या मतलब हुआ? वह जवाब देने जा रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन उठा लिया पर्ची पर, अब आप बीच में ही खड़े हो जाते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह निष्ठुर सरकार है। गरीबों को तनख्वाह भी नहीं दे रही है। 600-600 रुपये में नौकरी दे रही है। घोषणा कर दीजिये मंत्रीजी, आपका दर्जा बढ़ जाएगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब 1993 के पहले अंशकालीन चौकीदार और रसोइये रखे जा रहे थे, उनको साढ़े 300 रुपये दिये जा रहे थे, जो निश्चित रूप से अन्याय था।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब की सरकार आने के बाद उनको जब मैं समाज कल्याण मंत्री था, तो उनको 600 रुपये हमने कर दिये थे। कुछ तथाकथित अंशकालीन रसोइये और चौकीदार सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई को लेकर गये और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जिन्होंने 1995 तक पाँच साल या दो साल कर लिये हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से रेगुलराइज कर दिया जाए और जिन्होंने पांच और दो साल नहीं किये और वह 1998 तक दो साल कर लेते हैं तो तृतीय चरण में उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने लगभग 750 रसोइये और चौकीदारों को हमने नियमित किया, लेकिन कुछ चौकीदार और रसोइये इसलिए रह गये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1 मई, 1995 को जो काम कर रहे हैं, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का भाव यह तो नहीं था कि 1 मई, 1995 को काम पर हों, यह नहीं था। लेकिन उस समय की सरकार ने यह कहकर कि एक तारीख को वह नहीं था, अब एक तारीख को, एक मई को कई बार हमारे यहां छात्रावास बंद हो जाते हैं, कुछ छात्रावास चलते हैं, जिनकी परीक्षाएं होती हैं और जिनकी परीक्षाएं निपट जाती हैं वह छात्रावास बंद हो जाते हैं। कभी-कभी हमारे रसाइये और चौकीदार छुट्टी पर चला जाता है, कभी बीमार हो जाता है, शादियों का माहौल रहता है तो किसी के परिवार में शादी होती है परन्तु उस कारण से उसको डिक-कन्टीन्यू मानकर उनको रेगुलराइज नहीं किया। मैं मानता हूं कि यह उनके साथ अन्याय था ।

श्री अध्यक्षः नहीं, आप 600 रुपये को सेफिशिएंट समझते हैं क्या?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मेरा पूरा निवेदन सुन लें। उनके साथ अन्याय था, यह होना चाहिये था कि उनको उसी समय रेगुलराइज करना चाहिये था जिस समय 750 चौकीदार और रसोइयों को रेगुलराइज किया। अब हम प्रयास कर रहे हैं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं और उनका भाव यह था कि 1 मई, 1995 से पहले से जो काम कर रहे हैं या 1 मई, 1995 से जो काम करने लगे हैं, ऐसे सब रसोइयों और चौकीदारों को रेगुलराइज करना चाहिये था। मैं इसमें, 1 मई को यदि कोई छुट्टी पर था या छात्रावास बंद हो गया था तो उसको रेगुलर मानते हुए हम इसको नियमित करने का प्रयास करेंगे ताकि इसको लाभ मिल सके। अभी हमारे पास पद नहीं हैं, हम वित्त विभाग को पद की स्वीकृति के लिये भिजवा रहे हैं, ऐसे लगभग 80 पद हैं, वह सब रेगुलराइज हो

(श्री मदन दिलावर)

जायें। दूसरा इन्होंने कहा कि 1995 के बाद में काम कर रहे हैं, उनको 600 रुपये दिया जा रहा है। यह अंशकालीन की परिभाषा तो यह होती है कि दिन में एक-दो घण्टे काम करे, परन्तु जो दस घण्टे काम करे, उनको अंशकालीन नहीं कहा जा सकता। ऐसा उनका कहना है और इन्होंने कहा है कि कम से कम दैनिक मजदूरी इनको देनी चाहिये। हम इस प्रकार का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजेंगे और यदि वहां से स्वीकृत हो गयी तो निश्चित रूप से इनको न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयास हमारा रहेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं आयेगी तो क्या शोषण होता रहेगा उन लोगों का?

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों में कथित अपारदर्शिता विषयक

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में 1982 में जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन इसलिए किया गया कि नगर नियोजन की एक सुन्दर परम्परा को विकसित किया जा सके और यहां के बाशिंदों को तमाम बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा सके। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुनियोजित रणनीति के तहत जयपुर में ऐसे हालात बन गये हैं कि जयपुर में एक भू-खण्ड खरीदना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रह गयी। अपने रहने के लिए छोटे से बसेरे को प्राप्त करना या उसका निर्माण करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रह गयी है और यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है।

जमीन का मामला तो एक ओर रहा दूसरी ओर प्राधिकरण की जो खुद की दैनन्दिन गतिविधियां हैं उन तमाम गतिविधियों में वित्तीय नियमों की खुली अवहेलना करना, निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं करना, सुविधा क्षेत्रों के अन्दर भू-खण्डों का आबंटन करना, सड़कों की चौड़ाई कम करके उस चौड़ाई को कम की हुई जमीन पर दुकानों को आबंटन करना, चुन-चुन कर 90 बी की कार्यवाही करना, यह सब चीजें, यह सब कृत्य आज जयपुर विकास प्राधिकरण के मूल स्तम्भ बन चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जयपुर विकास प्राधिकरण में एक करोड़ 10 लाख के काम बिना निविदा के करवाये जा रहे हैं। निविदा का प्रोसेस तक नहीं किया गया। और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन-कौन से काम शामिल हैं,

(श्री संयम लोढ़ा)

अधिकारियों के बैठने की जगह की साज-सज्जा इस बगैर निविदा के करवाये जा रहे काम में शामिल है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विदेशों से बैठने के लिए कुर्सियां मंगवायी गयी। राजस्थान की और जयपुर की गरीब जनता के धन का इतना मिर्मम दुरुपयोग इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह माईक जिस पर आप बोल रहे हो यह 24 हजार का है। बोलिये। वह भी बेल्जियम का। दिस इज फ्रोम बेल्जियम।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सुनियोजित रणनीति के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण में इस तरह का वातावरण बनाया गया। पिछले साल 2005 से इस तरीके की खबरें अखबारों में प्लांट की गयीं कि आई.टी. कारीडोर, नॉलेज कारीडोर, स्पेशल इकानामिक जोन, अजमेर रोड की दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर अन्दर तक, दिल्ली रोड के दोनों तरफ 40 हजार बीघा जमीन एवं 50 वर्ग किलोमीटर भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही होगी। यह सब तरीके की खबरें प्रकाशित होने से एक भय व्याप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष: इससे किसान बड़े खुश हैं। उनकी जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों ने ...

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए, बतायेंगे इनको। इनको कुछ पता नहीं, ए.बी.सी.डी. पता नहीं जबरदस्ती बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसानों में फैले हुए उस भय का फायदा उठाकर भू-माफिया ने किसानों की जमीन को औने-पौने दामों में खरीद लिया। सरकार ने किसानों के अन्दर, गांवों के अन्दर भय फैलाने का काम किया। और जब यह दबाव बनने लगा तो इस तरह की वापस खबरें प्रकाशित करने की कोशिश की गयी कि जरूरत पड़ने पर ही जमीन अवाप्त करेंगे, फिलहाल इसका कोई इरादा नहीं है। धारा 90 बी की रोक का प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों में जो वेदना थी, जो आक्रोश था किसान अदालत में गये। उससे पहले जे.डी.ए. ने जयपुर के कलक्टर को एक

(श्री संयम लोढ़ा)

चिट्ठी भेजी और कहा कि रजिस्ट्री पर रोक लगाओ। और जब किसान उनकी भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी तो हाई कोर्ट में गये ओर हाई कोर्ट के अन्दर गलत शपथ पत्र जे.डी.ए. ने दिया कि इसके सम्बन्ध में ऐसा कोई भी, मंत्री की ओर से दिया गया झूठा शपथ पत्र कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली की दो कम्पिनयां, ओमेक्स और वाटिका अपनी 800 और 300 बीघा ...

श्री अध्यक्ष: चार मिनट हो गये, सब को चार मिनट दिये हैं आपको एक मिनट और दे रही हूं। खास तौर से एक मिनट और दे रही हूं, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह अपनी 800 और 300 बीघा की जो आवासीय कॉलोनी लेकर आये, दो दिन के लिए 90 बी पर रोक हटायी गयी और इन दोनों कम्पनियों की 90 बी की कार्यवाही, माननीय अध्यक्ष महोदय, की गयी। और इससे भी ज्यादा बड़ी संशय की बात और संदेह की बात यह है कि 90 बी की कार्यवाही तो इनकी जे.डी.ए. कर रहा है, वह जमीनें जो उन्होंने खरीदी हैं इसकी रजिस्ट्री ग्रामीण दर से की गयी है।

अब यह वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, राजस्थान के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि किसी संस्था ने पूरा पैसा जमा नहीं कराया गया हो, उसके नाम पर लीजडीड नहीं हुई हो, उसके नाम पर मालिकाना हक नहीं हुआ हो और राजस्थान की मुख्यमंत्री वहां पर उसका शिलान्यास करने के लिए पहुंच जाए। एक आम आदमी अपना 15 परसेंट पैसा जमा करवाने के बाद पैसा जमा नहीं करवाता है उसकी वो राशि जब्त कर ली जाती है। लेकिन इस घोटाले को प्रमोट करने के लिए यह फैसला तक किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज रीको ने राजस्थान में जो 50 हजार भू-खण्ड काटे हुए हैं, 30 हजार भू-खण्ड रीको के खाली पड़े हुए हैं उस पर आपको औद्योगिक विकास नहीं करना। लेकिन मनमाने तरीके से स्पेशल इकानामिक जोन, जैसे राजा और महाराजा पहले खुश होकर के 100 गांव दिया करते थे, 100 गांव दान में दिये, 200 गांव दान में दिये, वैसे ही यह सेज महेन्द्रा को दान में देने का काम किया कि ले, खुश रह। तेरे को यह सेज दिया।

अगर राजस्थान सरकार की इच्छा-शक्ति है कि अगर वो औद्योगिक

(श्री संयम लोढ़ा)

विकास करना चाहती है तो यह जो 30 हजार भू-खण्ड रीको के पड़े हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपया रीको का लगा हुआ है उन भू-खण्डों को विकसित करने का काम आप क्यों नहीं करते हैं? दूसरे राज्यों का उदाहरण देने से यह भ्रष्टाचार जो सेज के अन्दर हुआ है उस पर पर्दा नहीं पड़ सकता।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोहिणी नगर प्रथम और द्वितीय आप कॉलोनी लेकर आये...

श्री अध्यक्षः 6 मिनट हो गये अब आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः चार मिनट के बजाय 6 मिनट हो गये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात तथ्य के आधार पर कह रहा हूं ओर जो विषय है, वो आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है वह विषय बहुत विस्तृत है..

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान) अब नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ×××

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब अंकित नहीं हो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यदि कुछ कहना चाहते हो तो कहें नहीं तो आगे चलूं। आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं बोल रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बोलें। (व्यवधान) आपकी पर्ची नहीं है, माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एक मिनट रुको तो सही, मुझे जवाब देने दो, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: अब बैठें आप, आपने बात कह दी अपनी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने बात प्रारम्भ की थी, 2.49 हो रहे हैं, अब आपने कह ली अपनी बात अब मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब कुछ नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको जो कुछ कहना था आपने कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: यह, बात यह है कि जो बात पर्ची के माध्यम से उठाई गई है, मैंने आपको सात मिनट सुना है। चार मिनट के बजाय मैंने आपको सात मिनट सुना है। आपको सात मिनट दिए हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः क्यों बोलेंगे ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः आपको नहीं बोलने दूंगी एक घण्टा मैं। आप दूसरे नियमों में आते तो अलग बात थी, पर्ची पर मैं आपको एक घण्टा नहीं बोलने दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः आप तो जाने क्या-क्या चेष्टा करते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो देने दें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : ×××

श्री अध्यक्षः नहीं, अब कुछ अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः नौ, नौ ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री अध्यक्षः कुछ नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दूंगा ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब सुन लें उसके बाद कुछ क्वैरी करनी हो तो कर लें, मैं तैयार हूं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : ×××

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो, खुशवीर सिंहजी? संयम लोढ़ा, मैंने आपको यह निवेदन किया, औरों को भी चार-चार मिनट दिये, चार मिनट में उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। गुंजल ने, खुशवीर सिंह ने कर दी। आपको मैंने ग्रेस के तीन मिनट और दिये, सात मिनट बुलवाया आपको, उसके बाद भी आप फिर वही बात कर रहे हैं। अब आप मंत्री का जवाब या तो सुन लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ रही हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं जवाब दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: जयपुर की जनता के हित में काम करें, मंत्रीजी जयपुर की जनता के हित में काम करो, ठीक बात है यह । किसानों के हित में तो ..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो मुद्दे मेरे सामने रखे हैं उनका जवाब मैं देना चाहता हूं उसके बाद अगर कुछ और क्वेरी करते हैं तो मैं तैयार हूं उसका भी जवाब दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से अब और क्या करेंगे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ऐसे थोड़े ही चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि एक ही आदमी पूरे हाउस को ..

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं जवाब दूंगा। पहले मेरे जवाब को ध्यान से सुन लें ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप मेरी बात तो सुन लें माननीय सदस्य को कुछ शंकाएं होंगी तो वह भी दूर करूंगा मैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि सात मिनट दे चुकी हूं आलरेडी, सात मिनट में आपको कहा था कि बात समाप्त कर दें । आपको जो आरोप लगाने थे लगाते आप सात मिनट में ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है अब।

(समय 15.00 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री अध्यक्ष: भाव बढ़ गये अब ... (व्यवधान) जमीन के भाव बढ़ गये ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री अध्यक्ष: 2.22 पर शुरू किया था, पूरे अब 3.00 बजे हैं। 20 मिनट हो गये हैं आपको ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर सवाल जवाब...(व्यवधान) अब उनको... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, पर्ची का जो टाइम था उस पर आप बोल लिये। पर्ची का स्कोप होता है। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन किया था कि आप 131 में आएं। आप 131 में आएं। आप 127 में आएं। पर्ची का जो स्कोप होता था वह इतना ही था और पर्ची पर मैंने आपको सात मिनट अलाऊ कर दिया। अब जवाब सुन लो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः आप हठधर्मी कर रहे हैं। अब आप हठधर्मी कर रहे हैं। आप अनुशासन को नहीं मान रहे हैं। हठधर्मी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? आपको मैंने समय दिया था। आपको मैंने स्पेसिफिक सुझाव... (व्यवधान) आपको मैंने स्पेसिफिक सुझाव दिया था। मैंने आपको सुझाव दिया उसे भी नहीं मानें फिर मैंने कहा अच्छी बात है चार मिनट के बजाय सात मिनट दिये। तीन मिनट और दिये, मैंने कहा इसमें कोई और आप बात कहना चाहें, चलिये आप कह दीजिये। अब आप मंत्री को सुनना नहीं चाहते... (व्यवधान) फिर वही बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः पर्ची पर तो इतना ही स्कोप होता है। जो पर्ची का स्कोप था वह तो समय मैंने आपको दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री...(व्यवधान) माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप आसन को असहाय बना रहे हैं। जब आप कहना नहीं मानते तो इधर से भी लोग उठ जाते हैं, वह भी कहना नहीं मानते। ऐसी हालत में मेरे लिये बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी प्रति कोई कठोर ऐसी बात मैं उठाऊं। मैं नहीं चाहती लेकिन आप मुझे मजबूर भी न करें। अब प्लीज आप अपने स्थान से नहीं उठेंगे और अगर माननीय मंत्रीजी, आपको जो कुछ कहना हो वह कह दीजिये। आपको बोलना है, जवाब देना हो ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ठीक है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से पूरी बात आपने कह दी।...(व्यवधान) आपने पूरी बात कह दी, अब आप सुन लीजिये उनकी बात।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिराजें, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.12 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

पुन: समवेत होने पर

(समय : 15.27 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों में कथित अपारदर्शिता विषयक

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दें पर्ची का।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): जी हां साहब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में वाइण्ड अप कर दूंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): यह तो हो गई बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष: अब आप मुझे मजबूर न करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भ्रष्टाचार का इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। अब नहीं। आपसे मेरी बात हो चुकी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) संरक्षण दे रहे हैं, इनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैं जवाब दे रहा हूं। भ्रष्टाचार किनने किया है, बताऊंगा अभी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए इस सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ हमारा दल सदन से बहिर्गमन कर रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे यह हाउस नहीं चलेगा। यह क्या बात हुई?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का बहिर्गमन किया है, इस पर आसन की तरफ से टिप्पणी आनी चाहिए। आसन की तरफ से व्यू आना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको आप प्रताड़ना दें। इस तरह से बहिर्गमन करके चले जाएं, सुने नहीं, यह आसन का अपमान है, यह परम्पराओं में भी निन्दनीय काम है।

श्री अध्यक्ष: पहले तो पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य, ने प्रश्न उठाया और प्रश्न उठाकर मंत्री का जवाब सुनना चाहते नहीं और एक यह इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। और फिर बहिर्गमन कर जाएं। मैं समझती हूं कि ऐसी परम्परा डालना उचित नहीं है और यह बहुत गलत बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): निन्दनीय काम है यह।

श्री अध्यक्ष: निन्दनीय काम है, आसन इसकी निन्दा करता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पर्ची के माध्यम से जेडीए के कार्यकलापों के बारे में आरोप लगाये हैं। मैं उन सब आरोपों को वैसे तो बे बुनियाद और तथ्यहीन मानता हूं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिए बात, चुपचाप सुनिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन):

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टाइम तो हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है। एक-एक बात का, जो भी पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। पर मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं कि आपने जीई कैपिटल के मामले में क्या किया? आपने ग्रीन फायर के मामले में क्या किया, आपने एस्कोर्ट के मामले में क्या किया?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रतिपक्ष के सदस्य बोलो, नेता तो एक ही है। प्रतिपक्ष के नेता बहुत सारे नहीं हैं, एक ही है। प्रतिपक्ष के सदस्य बोलो आप।

श्री अध्यक्ष: उनके लिए सारे नेता हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आपने ईपी के बारे में जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जो खीझ है यह हमारे दो साल के कार्यकाल में जयपुर में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं उनको लेकर इनकी खीझें हैं। ये जनता के बीच में जा नहीं सकते, जनता इनसे जवाब पूछती है कि आपने पाँच साल में क्या किया, इन्होंने दो साल में यह किया। उस बात की खीझ को मिटाने के लिए ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आएंगे, भूमिका बांधी है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यहां भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और मुख्यमंत्री वसुंधराजी ने जब राजस्थान की सत्ता संभाली उस समय जेडीए में 100 करोड़ से अधिक का कर्जा था। हमने वो कर्जा निपटाया। आज 600 करोड़ के काम जयपुर के विभिन्न इलाकों में चल रहे हैं, यह अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि आप इस तरह का वातावरण बनाते जा रहे हो कि जयपुर में लैण्ड की प्राइसेज काफी बढ़ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे मुम्बई को देख लो, चाहे अहमदाबाद को देख लो, चाहे गुड़गांव को देख लो, चाहे दिल्ली को देख लो। पूरे विश्व में लैण्ड के मामले में बूम आया हुआ है। और यह कीमत मात्र जयपुर में ही नहीं पूरे विश्व में और पूरे देश में बढ़ रही है।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

जहां तक 90 बी का प्रश्न है, 90 बी का माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया कि 90 बी में जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई जिन्होंने पूरे कागजात पेश कर दिये, उनकी 90 बी हमने किसी की रोकी नहीं है, उनकी सब कर दी है। जो भी हमारे पास पेंडिंग हैं उनकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनको भी निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टाउनशिप रोकने का भी जिक्र किया। टाउनशिप 90 बी रोकने का भी जिक्र किया। 90 बी रोकने के पीछे हमारा और मकसद नहीं था, हमारा मकसद था, हम टाउनशिप पालिसी लेकर आ रहे हैं। जयपुर का सुनियोजित विकास हो। जिस प्रकार से पृथ्वीराज नगर आज अपने सामने समस्या बनता जा रहा है या समस्या बन गया है उससे जयपुर में आने वाले लोगों को या जयपुर में जो बसे हैं उन लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिले। इसलिए हम टाउनशिप पालिसी लाने का विचार कर रहे हैं। और टाउनशिप पालिसी वैसे अनाउंस भी कर दी है, कुछ अमेण्डमेंट करके हम उसको लागू भी कर रहे हैं। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए 90 बी रोकी थी। टाउनशिप पालिसी में थोड़ा समय अधिक लगा इसलिए हमने फिर 90 बी को बंद कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पूरे भारत में, जिस प्रकार किसानों के लिए कहा गया, किसानों की भूमि को, किसानों को चूस रहे हो, किसानों की भूमि को आप हड़प रहे हो। पूरे भारत में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां हमने 25 प्रतिशत का फार्मूला दिया है। जहां 5 परसेंट कामर्शियल और 20 परसेंट रेजीडेंसियल जमीन, वह भी उसी इलाके में, उसी जगह दी जाएगी जहां जमीन मिल रही है। इस प्रकार का भी हमने किया है।

डब्ल्यूटीपी के मामले का आपने जिक्र किया। डब्ल्यूटीपी के मामले में माननीय हाई कोर्ट ने किया है कि डब्ल्यूटीपी को जो अलॉटमेंट किया है वह बिलकुल सही तरीके से हुआ है..(व्यवधान) वर्ल्ड ट्रेड पार्क।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि नाहरगढ़ में कुछ जमीन गेम सैंक्चुरी की जेडीए हड़प रहा है, इस प्रकार की चर्चा की। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि नाहरगढ़ फोरेस्ट एरिया में निजी खातेदारों की 90 बी के अंदर दो आवेदन फार्म हाउस योजना के प्रस्तुत किये थे। जेडीए के द्वारा जरिये अख़बार आपत्ति आमंत्रित की गई। वन विभाग ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सूचित किया कि उक्त भूमि नाहरगढ़ सैंक्चुरी में नोटिफाइड है,

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

अतः उक्त भूमि की 90 बी की कार्यवाही नहीं की जाए। अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट एरिया का कोई नॉन फोरेस्ट में कार्य नहीं किया जा रहा है। नॉन फोरेस्ट किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। यह बीड़ पापड़ वाली बात है।

इसी प्रकार इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री फोरेस्ट लेण्ड के बारे में हाईकोर्ट में झूठा शपथ-पत्र मेरे द्वारा दिया गया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई झूठा शपथ-पत्र मेरे द्वारा नहीं दिया गया है।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब जेडीए अभी तक नहीं दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव मैंने अभी आज ही विधान सभा में भिजवा दिया है। आप चाहो तो ओमेक्स, आप चाहो तो वाटिका, आप चाहो तो सब का मैं आपको अक्षरशः जवाब दे सकता हूं।

ये यह भी कह रहे थे कि जयपुर विकास प्राधिकरण की काफी कीमती जमीनों पर इन्होंने कब्जा करवा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी निगाह में लाना चाहूंगा कि सरकारी भूमि पर लगभग 517 बीघा अतिक्रमित भूमि में से अतिक्रमण हटाया है। साथ ही प्राधिकरण के क्षेत्र में बेशकीमती लगभग 84493 वर्ग मीटर सरकारी भूमि में से अतिक्रमण हटवाया गया। सरकारी भूमि के बाबत भू-माफिया के विरूद्ध जयपुर शहर में विभिन्न थानों में 19 प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं। दोहरे पट्टे के संबंध में सोसाइटियों के विरूद्ध जयपुर शहर के विभिन्न थानों में लगभग 24 प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं। स्वीकृत पार्किंग स्थल की भूमि पर किये गये 23 बहुमंजिला भवनों पर अवैध निर्माण हटाया जाकर पार्किंग स्थल को खाली करवाया गया है।

श्री अध्यक्षः जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाये वो इनके जान-पहचान के हैं क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आसन से इस प्रकार की टिप्पणी की उम्मीद नहीं रखते। इस प्रकार आसन से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं रखते। आप एक सदस्य की इंटीग्रेटी पर क्वश्चन कर रही हैं। यह कोई तरीका थोड़े ही हुआ। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः खतम हुई बात ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई बात हुई? इस तरह की टिप्पणी आप करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप यह कहिए नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आप बोलने देते नहीं हो और फिर टिप्पणी करते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप तो यह कह दो कि नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जितने भी आरोप अभी जेडीए के ऊपर लगाये हैं मैं उनको बिलकुल निराधार और तथ्यहीन मानता हूं। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जेडीए जयपुर के लिए जितने विकास कार्य कर रहा है उससे आने वाले समय में और भी अधिक काम करेंगे। हमारा जेडीए भी अच्छा काम कर रहा है और हमारा जेडीए कमिश्नर भी अच्छा काम कर रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जयपुर को स्वर्ग बना दिया जाएगा। वाह-वाह साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जो माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि वहां जेडीए में बिना टेंडर कोई काम करवाया गया है। क्या यह सही है कि बिना टेंडर वहां काम कराये गये? और सेज के मामले में आपने कुछ नहीं बोला। सेज के मामले में पारदर्शिता पर प्रश्न आपके शिक्षा मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी ने भी लगाये हैं। उनके बारे में आप जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर कोई सवाल-जवाब नहीं होता।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 90 बी की कार्यवाही दो दिन में खोल दी और फिर बंद कर दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जवाब तो सब जानते हैं जब मुझे बोलने देते। बोलने देते नहीं हो और फिर खड़े हो जाते हो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 90 बी की कार्यवाही कितनी बार बंद की, कितनी बार खोली, यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बताओ कि 90 बी..(व्यवधान) सैक्रेटरी ने 2004 में लागू कर दिया। आपने अभी तक उनके आदेश जारी क्यों नहीं किये? आप तो यह बता दो।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्व विभाग के भूमि के नक्शों में आम रास्तों का अंकन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत राजस्व विभाग के भूमि के नक्शों में आम रास्तों का अंकन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह तो बता दो कि 2003 में जिसकी 90 बी एप्रूव हुई थी, आपके सैक्रेटरी ने 2004 में एप्रूव कर दिया, अभी तक आपने उसके आदेश क्यों नहीं किये?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): .. (व्यवधान) इन्होंने जीई केपीटल को दी 750 रुपये में ..(व्यवधान) जमीन दी गई 750 रुपये में। ईपी को कामर्शियल जमीन भी 700 रुपये में ..(व्यवधान) ये किस मुंह से जेडीए और हमारी सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं? कहां 700 रुपये और कहां 25 हजार रुपये। इस प्रकार मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं बिलकुल निराधार हैं, बिलकुल तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सेज को भी अलोटमेंट डीएलसी रेट पर हुआ है आपकी तरह से 750 रुपये में नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वन विभाग की भूमि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आप? ..(व्यवधान) ये तीनों एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राजस्थान फोरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट, इन तीनों का आप उल्लंघन कर रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान) वो इकोलोजी का डिक्लेयर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा खतम हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ध्यानाकर्षण कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कर दिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा

(श्री रामनारायण डूडी)

से माननीय परबतसर से आने वाले सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है कि राजस्थान के अन्दर रास्तों को लेकर के बहुत समस्या है और अंकन नहीं है रिकार्ड के अन्दर, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व भू-अभिलेख में अंकन रास्ते से संबंधित प्रावधान है। और 1956 के अन्दर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्य कर रास्ते खुलवाने का पर्याप्त प्रावधान है। मगर जहां कहीं भी उस रास्ते वगैरह में रूकावट होती है तो इसके तहत कार्यवाही की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, जब भी नोटिस में लाया जाता है तो 91 के तहत रास्ते को खुलवाया भी जा सकता है और उसके अन्दर नोटिस देने के बाद में भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जवाब आ रहा है उनका, बीच में हलचल न मचाएं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नोटिस देने के बाद में यदि नहीं खोलते हैं तो उनको 91 की कार्यवाही में एक महीने की सज़ा, तीन महीने की और सन् 1992 में 31.2.92 को एक संशोधन कर और जोड़ा गया । इस प्रकार के रास्ते में यदि रूकावट डालते हैं तो उनको तीन साल की सज़ा का और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः यह तो आप चर्चा कर रहे हैं उनका जहां अंकन है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अंकन है उनका कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अब मैं आगे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं पूरा इसका आपको खुलासा करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बताइए।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अब जहां, अध्यक्ष महोदय, सदामत के रास्ते हैं, जब टिनेंसी एक्ट बनाया गया 1955 के अन्दर, तो हर जगह रास्तों का खुलासा नहीं किया गया था। यह कटान का रास्ता था वह तो एक तरफ हो गया। और आपके सदामत के जो चलते आ रहे थे रास्ते, और हर खेत के अन्दर रास्ता दिया भी नहीं जा सकता था, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, खेती करते हैं अपन लोग। और उसके आधार पर हर खेत के अन्दर रास्ते का अंकन होने से उस वक्ती की जो परिस्थितियां थी मोटे रूप में, उनको नहीं, मगर सहमति से एक दूसरे के खेत के अन्दर जाने की सहमति होती थी। ताकि उनका कार्य नहीं रूके। उनके अनुसार वह सदामत रास्तों के

(श्री रामनारायण डूडी)

आधार पर जाते थे मगर उसके अन्दर भी यदि वह नहीं जाने देते तो पंचायत को यह अधिकार है 251 के अन्दर आपके टिनेंसी एक्ट में कि वह रास्ता दे और काश्तकार अपने खेत में जाए और उसके बाद में यदि ...

श्री अध्यक्षः पंचायत तो आबादी भूमि में ही देगी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): वह तो ग्राम पंचायत की भूमि पर है।

श्री अध्यक्षः आबादी भूमि में होती है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, रास्ता खुलवाने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को 251 के अन्दर है।

श्री अध्यक्षः वह तो सिर्फ आबादी में है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): और उसके बाद में यदि वह 45 के अन्दर ग्राम पंचायत रास्ता नहीं खुलवाती है तो 45 दिन के बाद में तहसीलदार के पास यह मामला आता है। वह 251 में कार्यवाही करके जो सदामत के रास्ते हैं जो हमेशा चलते आये हैं, ठेठ से पुरातन वक्त के सैटलमेंट और वक्त सैटलमेंट के बाद में भी उन रास्तों को ले लिया गया था। फिर भी कुछ बाकी रह गये थे। तो वह सदामत के रूप में जो चल रहे थे जिनको स्वीकार करने के आधार पर कहा जाता है उनको भी 251 के अन्दर तहसीलदार को पावर है खुलवाने का। और उसकी व्यवस्था की जाती है। और उसके बाद में आप, अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही सबसे पहले मामला खेतों के बंटवारे को लेकर के हुआ, रास्ते जो भी थे और एक दूसरे की जो छोटी जोत हुई तो नहीं जाने का हुआ तो ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और मैंने ये पूर्ण रूप से इस बात का पता करवाया और यह हमने रात दिन जो तकलीफें जो गांवों के अन्दर आ रही थी तो मैंने सबसे पहले एक अध्यादेश के जरिए, अध्यक्ष महोदय, 6.11.2004 को जब हमारे राजस्व अभियान हो रहे थे उस वक्त के अन्दर एक परिपत्र के जरिए जो भी आज के वक्त में बंटवारे किये जाएं उस बंटवारे के अन्दर, बंटवारा जब ही किया जाए कि जमीन के अन्दर एक दूसरे को जाने का रास्ते का अंकन किया जाए या सहमति की जाए और उस आधार पर आज पूरे राजस्थान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में जो बंटवारे हुए हैं और इन बंटवारों के आधार पर इन प्रावधान के आधार पर एक दूसरे को जाने का रास्ता मिला है, और यही बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज से यदि 25-30 साल पहले हो जाती तो यह

(श्री रामनारायण डूडी)

सारी व्यवस्थाएं आज जो हमारे इन रास्तों को लेकर लड़ाई है, टंटे हैं, एक दूसरे के खेतों में जाने के जो दावे वगैरह चलते हैं यह स्वतः ही निरस्त हो जाते। और आज यह नौबत भी नहीं आती मगर हमारे 6.11.2004 को यह बात ध्यान में आते ही मैंने सबसे पहले इसमें संशोधन करके और यह प्रावधान किया कि बंटवारे के अन्दर कम से कम यह व्यवस्था रखें।

और दूसरी बात जो भी अलाटमेंट, रेग्युलेशन, आबंटन वगैरह किया जाता है तो उसके अन्दर भी हमने यह प्रावधान कर दिया कि आप जब ही अलाटमेंट करेंगे। आप उसमें रास्ते को रखेंगे और रास्ता रखकर ही उसका आबंटन करोगे। और आगे एक दूसरे के खेत के अन्दर जाने का उनको अधिकार मिले रास्ते के जरिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1955 में जो काश्तकारी अधिनियम अभी बनना है इसमें संशोधन किया जा रहा है। और उन सारी बातों का जो आज काश्तकार के सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में आए हैं और एक दूसरे से जिनको अपन मेड़ पर लड़ाई कहते हैं उस लड़ाई को मिटाने के लिए इसका पूर्ण सरलीकरण करके आने वाले वक्त में काश्तकार आपस में लड़ाई नहीं करें। एक दूसरे के खेत में जाने का और यह भी व्यवस्था हमें आज के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी। जो जमीन जिसके पास होल्डिंग है और उस होल्डिंग के आधार पर उनको अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह अपने खेत के अन्दर खेत की फसल लें, खेत को जोतने और खेत तक जाए। इस प्रकार की व्यवस्था क्योंकि आज जिस प्रकार का आज से 15 या 20 साल पहले जो हमारे समाज का वातावरण था, काश्तकारों का वातावरण था, आज वह वातावरण नहीं रहा। और उसके बाद में भी आज जिस प्रकार की दीवारें वगैरह का चारदीवारी बना देते हैं। खेत के अन्दर मेड़बंदी लगा देते हैं, और उस हिसाब से भी काश्तकार अपने खेतों को जोतने में कठिनाई महसूस करता है। यहां उनको रोक दिया जाता है। तो 1955 का जो नया काश्तकारी अधिनियम जो नया संशोधित हो रहा है उसमें पूर्ण रूप से सारे माननीय सदस्यों की राय, और दूसरे अन्य तरह की जो हमारी दिक्कतें आ रही हैं, जो काश्तकारों को फील्ड के अन्दर दिक्कतें आ रही हैं, उन बातों को देखते हुए उन सब का, रास्तों का खुलासा किया जाएगा। और एक काश्तकार को अपनी जमीन जोतने का, लेने करने का उनको आने जाने का यह सारी की सारी व्यवस्था का समावेश किया जाएगा। ताकि आने वाले वक्त में काश्तकार को रास्ते को लेकर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहे। और

(श्री रामनारायण डूडी)

आज के वक्त में मैं आपके मार्फत इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने समय-समय पर जिला कलक्टर्स को जो हमारे चलते रास्ते हैं उनमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं आए। और यदि कोई रूकावट करता है तो तहसीलदार उनको पाबंद कराये कि उन रास्तों को पूरे राजस्थान में खुलवाये ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि का बंदोबस्त संवत् 2004 से 2010 की अवधि में हुआ। आज 55 साल हो गये, अध्यक्ष महोदय, उस दौरान राज्य के सभी ग्रामों की स्थिति खेतों में जाने का राजस्व नक्शों में अंकन हुआ नहीं। आबादी के मौके पर चल रहे खेतों के रास्ते का राजस्व नक्शों में अंकन करने का प्रावधान जब तक आप करके इसको लागू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी बात का जवाब दे दिया। लेकिन मैं आपको आसन की ओर से एक बात कहना चाहती हूं कि 1955 में जब टिनेंसी एक्ट पास हुआ उस समय राजस्थान के बहुत बड़े इलाके के अन्दर दूसरी फसल रबी की फसल भी हुआ करती थी, सिंचाई नहीं होती थी इसलिए केवल एक फसल होती थी। और तब उस फसल के अलावा जिसकी जहां से मरजी आती वहां से रास्ते से वह जाता था। लेकिन उसके बाद अब सिंचाई के साधन जुट गये, कुओं से खेती होने लग गई, बिजली मिल गई। और नहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूं मैं। तो वहां पर क्या है कि बाप जिंदा था तो रास्ता एक था। उसके बाद जब चाही जमीन हो गई तो लोगों ने थोड़ा डाइवर्ट कर लिया। लोगों ने मान लिया कि खेत में से बीच में से नहीं जाकर के किनारे से चले जाओ और वह रास्ता हो गया। फिर लोगों ने मान भी लिया, एक्सैप्ट भी कर लिया और वहां से वह तरमीम हो गया। लेकिन जब भाई बंटवारा हो गया, आजकल भाइयों में वह प्रेम तो है नहीं। अब भाई बंटवारा होने के बाद में समस्या यह है कि अब वह रास्ते के लिए, एक भाई के खेत में से तो रास्ता आ गया, बाकी चार के आया नहीं। और वो लड़ते-झगड़ते हैं और वहां रास्ता होता नहीं है। इसलिए आप यह स्पेशल अभियान जब कभी भी चलाएं, प्रशासन गांवों की ओर चलाएं या इसको कोई राजस्व अभियान चलाकर के इस बात को बिल्कुल तय करें कि किसी भी व्यक्ति को आने-जाने के अन्दर कठिनाई नहीं हो। पगडण्डी तो दे देते हैं, भाई कहते हैं कि

(श्री अध्यक्ष)

पगडण्डी से चले जाओ। लेकिन आजकल पगडण्डी से काम नहीं चलता। आजकल कम से कम उसको इतनी जमीन चाहिए कि ट्रैक्टर जा सके, बैलगाड़ी जा सके, ऊंटगाड़ी जा सके। यह रास्ते वाली बात है इसको तय करवायें कि ऐसा कोई भी नहीं हो, क्योंकि मुझे मालूम है, बहुत केसेज अदालतों में चल रहे हैं। इसमें पैसा बर्बाद हो रहा है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अभी भी चल रहे हैं। कई कोर्टों में चल रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कई तो भाइयों में मर्डर ही हो गये।

श्री अध्यक्ष: बहुत केसेज हैं इसलिए इस बात को आप बिल्कुल तय करायें कि किसी को भी रास्ता नहीं मिले, ऐसा नहीं हो बल्कि ट्रेक्टर का, गाड़ी का जाने का रास्ता हो, इस बात की आप पुष्टि करावें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): पुष्टि करावें और नक्शे में तरमीम करावें। मेरी एक मांग है कि यह नक्शे में तरमीम होना चाहिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सैटलमेंट का काम चल रहा है और वो अमीन जो नक्शा बना रहा है...

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नक्शे में तरमीम नहीं है यही झगड़ा है। आप तरमीम करवा दीजिये तो कोई झगड़ा नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): वह जो इंस्पैक्टर है, अमीन है उसको पाबंद कर दें, और तहसीलदार और एसडीओ को पावर दे दें कि वो अमीन जो सैटलमेंट का काम कर रहा है, उसमें नक्शे को तरमीम कर दे। ताकि आये दिन, आज भी अगर बारिश होती है तो कल झगड़े-फसाद होंगे। भाई-भाई आपस में लड़-लड़ कर मर जाते हैं। इसलिए बहुत अहम मुद्दा राजस्थान के किसानों के लिए है और राजस्थान के किसानों का...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): रिकार्ड में अमल-दरामद करवाने के आप आदेश दे दें। रिकार्ड में अमल-दरामद होने से कोई समस्या नहीं आयेगी नहीं तो यह ज्यों का त्यों रह जाएगा अध्यक्ष महोदय।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, नक्शे में तरमीम हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नक्शे में तरमीम और यह अमल-दरामद एक ही बात होती है, जिले-जिले की भाषा में फर्क है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा, सहमति कौन देता है, चार भाई हैं वो भी आपस में सहमति नहीं दे पाते हैं, आपस में लड़ लेते हैं इसलिए सहमति होती ही नहीं है। आपने किया, बहुत अच्छा है लेकिन दो साल में जो किया उसका रिजल्ट नहीं के बराबर आया है। सहमति आपस में भाई-भाई देते नहीं हैं, पड़ोसी देता नहीं है।

श्री अध्यक्षः इसमें बहुत कुछ हुआ है लेकिन और भी करना बाकी है। हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन फिर भी बाकी है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक खेत में रास्ता मिलना चाहिए यह उसका एक मौलिक हक होना चाहिए चाहे बंटवारे में हो, कोई भी हो।

श्री अध्यक्षः मिलना चाहिए, सही बात है। ठीक बात है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं मंत्रीजी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि मुझे किसी किसान ने बताया कि गुजरात के अन्दर प्रत्येक खेत चाहे बंटवारे से हुआ हो या हदबंदी हो, उसकी परिधि के अन्दर सरकार 9 या 10 फीट का अपना हक मानती है। और उस हक के तहत जब कभी भी बंटवारा होता है, तो चूंकि सरकार का अपना हक है उस 9 या 10 फीट की परिधि के चारों और में, तो उस समय रास्ता तय कर दिया जाता है। अगर यह व्यवस्था गुजरात में है तो उसका होना चाहिए और राजस्थान के अन्दर भी लागू किया जाना चाहिए नहीं तो सरकार को कानून बनाकर के इस प्रकार का बनाना चाहिए कि प्रत्येक खेत को रास्ता मिलना ही चाहिए। और यह अगर होगी तो मंत्री जी, वाह-वाही मिल जाएगी, लोग-बाग़ पूजा कर लेंगे और मालाओं से भर देंगे। यह मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इसका कोई न कोई निकाल निकालिये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने फरमाया यह वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने जो परिपत्र 6.11.2002 को जो जारी किया उसकी मंशा ही यही थी, वह मैं आपको पढ़कर के बता देता हूं।

श्री अध्यक्षः हां, बता दें आप।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान। विषय-काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्ते का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब तो जिसका करोगे उसका विभाजन तो हो जाएगा लेकिन साल भर पहले जिसका विभाजन हो गया या दो साल पहले हो गया उसका क्या होगा?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वह जो पूर्व की बात है...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जो पहले से चले आ रहे हैं उनका आप क्या करोगे? अभी जो आप करोगे वो तो बंटवारे में शामिल कर लिये लेकिन जो पुराने किसान हैं वो दु:खी हैं, उनके रास्ता नहीं है और रास्ता बंद है। हैलीकॉप्टर से तो जा नहीं सकते। उस खेत में वे जाएंगे किससे ? 1955 में आपने किया उसके बाद में आज तक नहीं किया। उनके बीच का भी करावें।

(समय : 15.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): आपने सैटलमेंट के टाइम किया था वो का वो करना है और क्या करना है। मन्शा सरकार की है (व्यवधान) जो रास्ते हैं और आपको मालूम है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि रास्ते के मामले में जहां मुरब्बाबंदी है वहां तो कोई परेशानी नहीं आयेगी। लेकिन जहां खसरा में भूमि है वहां पर हम पहले से रास्ता तय नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कठिनाई का काम है। इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो वो ही कोई समाधान कर सकता है नहीं तो यह कोई आसान नहीं है। या तो आप मुरब्बाबंदी होने के बाद, किलाबंदी होने के बाद तो रास्ता या प्रति खाते को इकाई मानकर के उसकी जो मेड़ है उस पर जैसे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, जहां एक खसरा का खाता है 90 बीघा, का तो उसकी साइड में 9 फीट वाला जैसा इन्होंने सुझाव दिया है, उस हिसाब से 9 फीट को आप फिक्स कर दो एक दिशा में, तो यह समाधान हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आपका सुझाव बिल्कुल...

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय,

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

मेरा एक सुझाव है कि यह रास्तों का झगड़ा चाहे वह इरिंगेशन में हो, चाहे बारानी में हो, सब जगह है। मेरा मंत्री महोदय को एक सुझाव है कि जो खेत की जमीन है जैसे हमारा 25 किले का एक मुरब्बा बना हुआ है, वो भी दो भाइयों में बंटवारा हो गया। तो ऐसा कोई कानून या व्यवस्था तहसीलदार या कलक्टर को कह कर की जाए कि उसमें भी उसकी जमीन, दो भाइयों का दो जगह है तो जो आगे वाला है वह तो साढ़े बारह जमीन ले लेगा और इधर वाले में रास्ता आ गया तो उसकी भी जमीन काटी जाए रास्ते के लिए। यह सुझाव है मेरा और इस सुझाव के बिना यह काम नहीं बनेगा। जैसे आपने फरमाया, अध्यक्ष महोदया ने भी यही फरमाया कि जो खेत बड़े थे उनको पहले रास्ता था। और दो भाइयों में बंटवारा हो गया उसमें भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो रास्ता बड़ा खेत होगा उसकी भी जोइंट जमीन दोनों भाइयों की या चार भाइयों की काटी जाए और वह रास्ता मंजूर किया जाए। जमीन उनकी से ही होगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गुजरात में ऐसा है कि 10 फीट या 20 फीट का रास्ता गवर्नमेंट की जमीन है उसको रास्ता मान लिया जाए, ऐसा हमारे नहीं है। जमीन काश्तकार की होगी, रास्ता उसी से मिलेगा और मिलेगा उसको जो आगे वाला है जिसके पास नहीं पहुंचता पर जमीन दोनों भाइयों की काटी जाए या चार भाइयों की काटी जाए। उससे सरकार व्यवस्था कर दे कि सब के लिए रास्ता दिया जाए। यह सुझाव है और अगर इसको मान लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो माने हुए वकील हैं, राजस्थान टीनेंसी एक्ट हमारे सामने मौजूद है। आज यह 131 का जो प्रस्ताव है, बहुत सही है। लेकिन इसके पहले शायद टीनेंसी एक्ट की स्टडी हम लोग कर नहीं पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टीनेंसी एक्ट में साफ लिखा है, खेत की मेड़ पर होकर उसके बैल निकलेंगे, मवेशी निकलेंगे, पशु निकलेंगे तो रोकने का उसको अधिकार नहीं है। हमारा ईजमेंटरी राइट है। ऐसी स्थिति में यदि किसी की जमीन खाली है, माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी, जमीन खाली है तो किसान को उस खाली जमीन में से होकर के अपने खेत में जाने का अधिकार है। यह राइट जब हमें मिला हुआ है, जहां किलेबंदी होगी, माननीय सदस्य ने कहा वहां रास्ते छूटे हुए हैं। कल को यह भी समस्या है, हमारे चम्बल कमांड का मुझे याद है कि रास्ता छोड़ दिया उस पर अतिक्रमण

(श्री रामनारायण मीणा)

हो गया। सबसे बड़ी समस्या हमारी भावना है। इसलिए जब खेत खाली है वह निकल सकता है और फसल दोनों की बराबर है आगे पीछे तो कृपा करके खेत में किसी भी तरफ से कोई रास्ता सुविधाजनक ढंग से हो, यह आप अमेंडमेंट कर दीजिये। टीनेंसी एक्ट आप देखकर के, पढ़कर के, आज हम कह दें कि यह कर दो, वह कर दो, ऐसा नहीं है, टीनेंसी एक्ट अपने आप में स्वतः ही साफ है। उसमें कुछ खामियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खामी यह है कि रास्ते से भी ज्यादा, मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, विषय से मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, आज किसान दरख्वास्त देता है रास्ता नापने की, अपनी जमीन नापने की तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं कि यह लगान जमा नहीं किया, वह आदमी मर जाता है, 302 का मुकदमा चल जाता है, भाइयों में

(समय : 16.00 बजे)

झगड़ा है, उसकी जमीन नपती नहीं है। पटवारी कहता है कि मेरे पास दरख्वास्त आई नहीं। कलक्टर को दरख्वास्त देते हैं पर इसमें कोई न कोई प्रोविजन हो माननीय राजस्व मंत्रीजी।

माननीय उपाध्यक्षजी, आप तो जानकार हैं। कृपा करके जो जस्टिंग रास्ते हैं, वह भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए टीनेंसी एक्ट की स्टडी करके हम आपसे आशा करते हैं, आप कुछ करने की सोच भी रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कुछ कर सकें, सदन के ऐसे विधायकों की और आफिसर्स की कमेटी बैठा दी जाये, ऐसे विधायकों की बैठा दी जाये जो टीनेंसी एक्ट को जानते हों, जिनके खेत हों, वह स्थिति को जानते हों। बड़े भयंकर इसमे जो लीकेज हैं, जमीन नहीं नपवा सकते दो साल तक आप दावा कर दो, अदालत में पाँच साल तक डिसीजन नहीं होते कि जमीन नाप दी जाये। इसलिए यह थोड़ा सा भी लिख दें कि दूसरी पार्टी नहीं आई तो जमीन तक नहीं नाप सकते, रास्ते तक नहीं नाप सकते, इन प्रोविजन को ठीक करेंगे।

माननीय राकेशजी, मैं आपकी बात से विषयान्तर नहीं हो रहा, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, वास्तविकता है। माननीय उपाध्यक्षजी, आप सारी बातें जानते हैं इसलिए कृपा करके इन समस्याओं का समाधान, आज मंत्रीजी कुछ कह देंगे, उससे निकलने वाला नहीं है। कृपा करके एक कमेटी बैठा दी जाये। टीनेंसी एक्ट में जो-जो खामियां हैं, नपने में दिक्कत आ रही हैं, डिस्पुट हैं, कहीं पर थोड़ा सा लिख दें एक लाइन कि इसमें संभावना है, उसके

(श्री रामनारायण मीणा)

बाद में जब तक कोर्ट आर्डर नहीं देगा, वह नपती नहीं। इसलिए जो एग्जिस्टिंग रास्ते हैं, उसकी रक्षा हम कर नहीं पा रहे, अगले रास्ते हैं, बहुत सही भावना है, नहीं निकलेंगे, लड़ाई होगी, उसको कोई नहीं देखने जायेगा। टीनेंसी एक्ट में इसका कैसे प्रचार-प्रसार हो, किस तरह से इसमें हमारी समस्या का समाधान हो? कृपा करके इसके बारे में पूरा विचार करने के लिए यह सदन की भावना है, सब सहमत हैं, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें थोड़ा सा वह करके, आगे होकर और मंत्रीजी को कांफिडेंस में लेकर, सरकार को कांफिडेंस में लेकर रास्ता निकलेगा तो हमारा भला हो जायेगा, किसानों का भला हो जायेगा और सबका भला हो जायेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आगे, पहले जो लोगों ने, इसमें जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि केवल मंत्रीजी यहां जवाब दे देंगे, इससे प्रोब्लम सोल्व नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। उसमें रास्ते कटे हुए नहीं हैं। लोग आते-जाते रहते हैं, पहले से आते-जाते रहे हैं। मगर जब से यह पंचायत इलेक्शन होना शुरू हुए हैं, कई जगह दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। आगे एक पार्टी का खेत है, पीछे खेत वाले का जी.टी. शीट में रास्ता नहीं कटा हुआ है तो वह उस राइवलरी के कारण और उन्होंने रास्ता बन्द कर दिया कई जगह किसानों ने और कहा कि हम जाने नहीं देंगे। उन्होंने एस.डी.ओ. को एप्लीकेशन दे दी कि रास्ता निकलवाइये। एस.डी.ओ. कहता है कि नहीं, लड़ाई-झगड़े की संभावना है, मैं कुछ कर नहीं सकता। कानून में ऐसा करिये, ऐसा करिये, प्रार्थना-पत्र लाइये, केस करिये और कई जगह यह प्रोब्लम आई। बहुत गांवों के अन्दर कई जगह लड़ाई-झगड़े होकर आदमी मर गये। केसेज चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेज हो जाते हैं एक रास्ते के चक्कर में क्योंकि आगे वालों को प्रोब्लम है, वह खेत में कैसे पहुंचेगा? तो क्या मंत्री महोदय, आप केवल अभी जवाब देने की बजाय जैसा माननीय सदस्य ने ठीक सुझाव दिया कि जब तक आप कानून का सिम्पलीफिकेशन नहीं करेंगे, सिम्पलीफाई नहीं करेंगे कानून में, टीनेंसी एक्ट में इसका कोई संशोधन नहीं लेकर आयेंगे, कैसे-कैसे लाये जा सकते हैं? कैसे उनको जो रास्ते चलते हुए हैं, परमानेंट कोई रोके नहीं, इस

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सम्बन्ध में क्या व्यवस्था हो सकती है? आपके जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे राय ले लें। आपके जो राजस्व के अच्छे वकील हैं। आप तो स्वयं वकील हैं उपाध्यक्ष महोदय, और लोगों की राय ले लें, लेकर आप इसमें कोई ठोस लॉ में परिवर्तन करिये कानून में, कोई बिल लाइये, आर्डिनेंस लाइये, उसके बाद में सदन में बिल लाइये, ताकि यह समस्या से हमेशा-हमेशा के लिए निजात मिल जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर यह झंझट चलते रहते हैं और तहसीलदार और एस.डी.ओ. का ज्यादातर समय इनमें समाप्त हो जाता है कई कामों की बजाय और इसलिए कोई ठोस कानून इसमें परिवर्तन, अमेंडमेंट लाइये कानून में, ताकि इसका समाधान हो सके।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हम नहीं करते हैं 128 में, आप इसको सीरियसली लीजिये। 128 में पत्थरगढ़ी निकालने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है और यह री-सैटलमेंट क्यों नहीं करा दें और सैटलमेंट हो जायेगा तो सारा मामला ही हल हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि पूरे गांव का जीवन इससे प्रभावित है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न इतना सा ही नहीं है कि रास्ते बनाने की व्यवस्था हम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि राज का दबदबा खतम हो चुका है। आप यहां से जो भी कुछ करते हैं, अखबारों में छपेगा मगर उसको लोग-बाग़ कहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है क्योंकि ग्राम सभा में आप प्रशासन गांवों की ओर चलाते हैं और लोगों की दरख्वास्त आती हैं और इम्प्लीकेशन जीरो है। आप तो इन रास्तों की बात कह रहे हैं, लोगों ने मैन पी.डब्ल्यू.डी. रोड जो छोड़ी है, जो नोन इम्पोर्टेन्ट रोड है, उस पर कब्जा कर लिया। आपके कैनाल के, ड्रेनेज के रास्ते हैं, आपके नाखून है तो पंजा नहीं है, आपके मुंह है तो दाँत नहीं है। आज आपकी सरकार पर पकड़ नहीं है। जब तक आप इस बात को सुनिश्चित नहीं करेंगे इस विधान सभा से यह संदेश नहीं जायेगा गांव के आदमी के पास में कि अगर हमने इस तरह की हरकत करी तो निश्चित समय में हमारे ऊपर कार्यवाही होगी। हम कुछ भी बात कर लें, नये रास्तों की बात करें, हमारे पी.डब्ल्यू.डी. के पुराने रास्ते रोक लिये हैं

(श्री भरत सिंह)

लोगों ने, रोक लेते हैं, कोई उस पर कार्यवाही करने वाला नहीं है, इसलिए बहुत गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री भरत सिंह (दीगोद): मैं तो बिराज जाऊंगा, मैं इसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपके सुझाव आ गये। माननीय सदस्य, आप बिराज जायें। (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, यह वास्तव में रास्तों के झगड़े बहुत लम्बे अरसे से चले आ रहे हैं और यह बहुत लम्बे अरसे तक चलते रहेंगे। हिन्दुस्तान में इण्डियन पैनल कोड बना और उसमें बहुत कम संशोधन हुए, फिर भी मानव प्रवृत्ति है। मानव प्रकृति है कि आपस में द्वेष भावना की वजह से रास्तों के लिए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्दर धारा 251 में प्रोविजन है, ईजमेंटरी राइट्स होने के नाते पहले सिविल शूट हुआ करते थे, उसमें भी परेशानी हुआ करती थी, बहुत लम्बे मुकदमे चलते थे। ईजमेंटरी राइट्स के बाद में राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्दर धारा 251 के अन्दर यह प्रोविजन किया कि पंचायत लेवल पर और तहसील लेवल के अन्दर भी रास्तों में रूकावट होगी वह रूकावट मिटा दी जायेगी। यह तो जब तक आपस में सद्भाव नहीं होगा, काश्तकार आपस में बैठकर इसको समाप्त नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी कानून कभी भी बनाया ही नहीं जा सकता जिससे बनने के बाद में कोई रास्तों के झगड़े खत्म हो जायें। जिस प्रकार से अब हम, जैसा कहते हैं कि आई.पी.सी. के अन्दर किसी प्रकार की कोई नियमों में कमी नहीं है, हर कोई आफेंस उसमें आ जाता है, फिर भी आफेंस रूके थोड़े ही हैं। यह तो प्रवृत्ति है इस तरह की, जैसे चकबन्दी होती थी और जहां आपस में अलग-अलग रास्ते हैं और खाले बन गये थे, वहां पर भी जैसा अभी सरदार साहब कह रहे थे कि वहां पर आपस में भाइयों में डिस्पुट हो रहे हैं। इसके लिए राजस्थान टीनेंसी एक्ट का संशोधन बिल जो आयेगा, आप सब लोगों की उसमें राय लेकर जो आवश्यक संशोधन होंगे, इसमें फिर कोई सुधार की जितनी भी गुंजाइश होगी, वह की जायेगी और इसके लिए राजस्व मंत्रीजी भी चिंतित हैं और पूरे सदस्यगण भी चिंतित हैं। सबकी राय ले

(श्री उपाध्यक्ष)

लेंगे। शायद पहले भी टीनेंसी एक्ट के समय में इस बारे में कुछ डिस्कशन हुआ होगा पुराने टाइम में भी, जब अपने यहां प्रवर समिति बनी थी। अब नये सिरे से राजस्थान टीनेंसी एक्ट संशोधित रूप में आयेगा, उस पर इसमें सरकार की तरफ से ध्यान दिया जायेगा और निश्चित रूप से इस बारे में नियम और एक्ट में संशोधन करके करने की कोशिश की जायेगी ताकि यह झगड़े आइन्दा इस रूप में नहीं आयेंगे।

विधायी कार्य।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि एक कमेटी बना दी जाये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आलरेडी अभी जो 1955 का काश्तकारी अधिनियम संशोधित कर रहे हैं, उसके अन्दर मंत्रिमण्डल के तीन सदस्य की कमेटी बनी हुई है, जिसके अन्दर ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री भी हैं, कनकमल जी कटारा हैं और कालूलाल जी गुर्जर हैं। और मेरी अध्यक्षता के अन्दर यह कमेटी बनी हुई है और उसके अन्दर विस्तृत तौर पर हम इसको पूरी तौर से दिखवा रहे हैं। कहां-कहां कमियां हुई हैं, किस प्रकार से हो, पहले क्या था, कैसे अब करना है। और माननीय सदस्यों की भी जितनी भी भावना है इस सदन के अन्दर समय-समय पर आई, उनको भी हम समावेश कर रहे हैं, और लोगों के भी सुझाव ले रहे हैं और उसी के आधार पर जमीन की बहुत कम होल्डिंग है, हो सकता है, हर खेत को, हर आधा बीघा के अन्दर नहीं दिया जाये। मगर काश्तकारों को यहां तक कम से कम लड़ाई-टंटे हो और उनको अपना अधिकार खेत को जोतने का सुरक्षित हो, यहां तक व्यवस्था करने की कोशिश की जायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

परिनियत संकल्प

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2005

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार की परिपाटी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता आया है पर इसमें जो आडिनेंस जारी किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आदत है, इस आदत को कैसे ठीक किया जाये माननीय मुख्य सचेतक जी, इसमें लिखा है कि निर्वाचन मण्डल, राज्य विधान मण्डल या संसद का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड है, उसकी बाबत इस कारण कि वैसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस वार्ड से अनुपस्थित रहा हो या यह नहीं समझा जायेगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निर्वाचन आयोग के भी इंस्ट्रक्शंस हैं और यह सुनिश्चित माना हुआ है कि विधायक और सांसद, यह यदि उस वार्ड में नहीं भी रहें, जब तक वह उस पद पर हैं जहां से वह निर्वाचित हुए हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हमसे पूछा जाता है कि आपको कहीं चेंज करना है क्या? अब आपकी मशीनरी यदि इस बारे में नहीं पूछे और गलती करे, उसके खिलाफ कभी आपने कार्यवाही तो की नहीं। और कौन सी आपको आपदा आ गई थी, ओले पड़ गये, आप उनको मुआवजा देना नहीं चाहते? और कोई समस्या आ गई उनको करना नहीं चाहते। थाने-तहसील में कोई मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ आप कार्यवाही करना नहीं चाहते। और शिड्यूल कास्ट के लोगों के जो धारा 3 के तहत प्रोवीजन्स हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाय, उनको पैसा मिले, हर्जाना मिले, वह आप पैसा रिलीज करना नहीं चाहते। इस मामले में कौन सी ऐसी स्थिति आ गई थी...

श्री उपाध्यक्ष: फोरमल है जी इसमें तो।

श्री रामनारायण मीणा: फोरमल क्यों आया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने पावर का दुरूपयोग है। ठीक है, आप इसको पास करा लेंगे, विदड्रा कर लेंगे, नया अध्यादेश ला देंगे। जो कुछ आप करोगे, कर दोगे। लेकिन इस सदन के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसका कारण बतायें माननीय मंत्रीजी, ऐसी कौन सी आपदा आ गई

(श्री रामनारायण मीणा)

थी, किस जगह क्या हो गया था? और आज मैं सदस्य हूं, मेरा नाम कहीं भी नहीं होगा तो चुनाव होगा उस टाइम पर देखा जायेगा। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी, अमेण्डमेंट आज तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल को चुनाव में, आज मैं अमेण्ड कर सकता हूं मेरे इसको, इतना लिबरल...

श्री उपाध्यक्ष: आ गई न एकदम से, लाभ के पद पर अचानक आ गई भई। इस प्रकार से अचानक आ जाती है कोई न कोई।

श्री रामनारायण मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, किसके लिए आई? देखिये, आप प्लेन हैण्ड से आइये, आप बात को माननीय, यह बहुत भयंकर मामला है। और यह जो चीज है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपने अधिकार का दुरूपयोग है। और कोई चीज हो तो आप प्लेनली आइये न, साफ मन से आइये, साफ कहिये इस जगह यह स्थिति पैदा हो गई थी। और स्थिति पैदा हो गई थी या हम डिस्क्वालिफाई होने जा रहे थे। जब डिस्क्वालिफाई आप हैं नहीं, आपके ऊपर किसी तरह का वह नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि आपने ऐसा कौन सा इसके कानून का, यदि आप इसको खारिज भी करा लोगे अध्यादेश को, कौन सी स्थिति पैदा हो जायेगी? इससे यह हो जायेगा कि कौन सा निर्वाचक, सांसद या विधायक की सदस्यता नहीं रहेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध करना है कि सरकार वास्तविकता समझे। तुनक मिजाजी में या एट रेण्डम दिमाग में आ गया कि ऐसा हो जायेगा, उसके आधार पर न तो अपने पावर का मिसयूज करना चाहिए, न अपनी मशीनरी का दुरूपयोग करना चाहिए, न सरकार के जो संसाधन हैं जिनके ऊपर आपको दायित्व दिया है राजस्थान की जनता ने, जो आपके अधिकार क्षेत्र में हैं, उनका दुरूपयोग करना चाहिए।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से भी यह लाया गया हो, साफ कारण नहीं हैं, साफ मन, आपके पारदर्शिता नहीं है, ऐसी स्थिति में कृपा करके माननीय मंत्रीजी, इस राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के संबंध में मैं यही निवेदन करूंगा और मैं सदन से भी आशा करूंगा और यह जो मेरा परिनियत संकल्प है, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश (2005 का अध्यादेश संख्या-3) को अस्वीकार करता है। इस परिनियत संकल्प को यह

(श्री रामनारायण मीणा)

सदन स्वीकार करेगा और आपका जो अध्यादेश है उसको निरस्त करेगा या फिर आप पहले हमारे को, सदन को विश्वास में लेंगे और हमें आश्वस्त करेंगे कि इसके कारण से यह स्थिति पैदा होने जा रही थी या पैदा होगी। और आप हमसे मांगे, नहीं तो आप कृपा करके सदन की भावना के साथ सब मिल करके मेरे परिनियत संकल्प को स्वीकार करेंगे। और मैं यही आशा करता हूं माननीय गृह मंत्रीजी, आप भी कृपा करके इस बात को समझेंगे, इस भावना को समझेंगे और थोड़ा सा उनको (व्यवधान) पुराने पापी तो नहीं हैं, नये ही हैं। अभी भी भाई संयमजी ने बहुत कुछ बातें बताई हैं। ऐसी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देकर के, भ्रष्टाचार अलग चीज है, आपने किया या नहीं, अब किया तो उसका तो आप जवाब दे नहीं सकते, जवाब मांगते हो, हमसे कहते हो खा गये, एक उदाहरण दे नहीं सकते। हमारे पुराने जो मिनिस्टर थे, इतने ईमानदार थे, एक तो जांच कर नहीं पाओगे, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया आपने।

श्री रामनारायण मीणा: यह सदन सर्वसम्मति से मेरे परिनियत संकल्प को स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी बात यहां उठाई है, मैं अपने जवाब के टाइम पर इनकी शंकाओं का समाधान कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्या-3) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री रामनारायण मीणा : आप इसके ऊपर मेरे परिनियत संकल्प पर तो जवाब दे नहीं रहे। वह कुछ भी कर लो, आप रूल्स एण्ड प्रोसीजर से चलोगे ना।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका...

श्री रामनारायण मीणा: उधर से जवाब ही नहीं लिया और पहले ही कर दिया आपने तो।

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो मौका मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन: जवाब दे दिया न।

श्री रामनारायण मीणा: कहां दे दिया, दिया ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आपका कोई भी तर्क ऐसा नहीं है, सिर्फ कुतर्क के अलावा, सारे कुतर्क दिये इसलिए जवाब देना आवश्यक नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा: मुख्य सचेतकजी, वह डर गये, कोई सदस्य आरोप नहीं लगा दे...

श्री महावीर प्रसाद जैन: आपका जवाब देना ही आवश्यक नहीं है। आप न तो पढ़ कर आये और न इसकी तैयारी की, न कोई तर्क दिये आपने।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री रामनारायण मीणा: हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं, हमें डराओ मत।

श्री महावीर प्रसाद जैन: कोई तर्क ही नहीं दिया आपने।

श्री रामनारायण मीणा: पिछली सरकार ज्यादा ईमानदार थी, यह सरकार ज्यादा बेईमान है, हम तो इतनी सी बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह तो अपनी शक्ल देख लो।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु प्रस्ताव करता हूं। इसके संबंध में मेरे पास स्पष्ट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

तर्क हैं। अभी जैसा मेरे से पूर्व हमारे डिप्टी लीडर साहब ने जो बातें बताई हैं, संविधान के आर्टिकल 213 के अन्तर्गत आर्डिनेंस लाये जाते हैं लेकिन वह ऐसे कामों के लिए लाये जाते हैं जिसकी अत्यधिक आवश्यकता हो, अर्जेन्सी हो। मैंने पिछली बार भी एक आर्डिनेंस को जब एक्ट के रूप में यहां लाया जा रहा था तब कोल एण्ड शकधर की किताब को कोट करते हुए कहा था कि जब सदन आहूत हो रहा हो और उसकी तिथि नजदीक हो उस वक्त इस प्रकार के आर्डिनेंसेज नहीं लाये जाने चाहिए। 29 दिसम्बर को आप यह आर्डिनेंस लेकर आये और 28 फरवरी से असेम्बली शुरू होने वाली थी, ऐसी क्या अर्जेन्सी थी, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, कि आपको आर्डिनेंस लाना पडा। एक धारा 17 के आगे आपने 2(ए) को जोड़ा है और जोड़ कर जो सांसदों को और एम.एल.एज को रिलेक्सेशन दिया है अनुपस्थित रहने का, उसके लिए आप विधान सभा के दौरान भी एक्ट ला सकते थे। लेकिन आप इस आर्टिकल 213 का दुरूपयोग कर रहे हैं और दुरूपयोग करने के कारण छोटे-छोटे अमेंडमेंट आप आर्डिनेंस के माध्यम से ला रहे हैं, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और साथ-साथ यह भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब कोई बिल आता है तो एक काम्प्रिहेंसिव बिल हमारे सामने आना चाहिए। आज नगरपालिकाओं की क्या स्थिति है, सफाई नहीं, प्रकाश व्यवस्था बिलकुल खराब और वहां पर नालियां महीने-महीने भर नहीं निकलती हैं, स्टाफ की भारी कमी है। सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हो रही है। आज पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों का यदि आप देखें हिसाब-किताब, जो सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो काम है, वर्कलोड है, उसके अनुसार सफाई कर्मचारी नहीं लगे हुए हैं।

डा. एन. एस. गुर्जरः कल्ला साहब, थर्ड रीडिंग पर बोलना यह सब।

डा. बुलाकीदास कल्लाः इस वक्त भी बोल सकते हैं, इसका स्कोप बहुत व्यापक है।

डा. एन. एस. गुर्जरः नहीं-नहीं, इसका स्कोप इतना व्यापक भी नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्लाः बिलकुल बोल सकते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जरः आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना, इसमें कहां व्यापक है। इसमें तो केवल 2(ए), जो 17 (2)(ए) अमेंडमेंट लाया गया है, इतना ही बोलिये, बाकी...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैनः यह प्रोवीजन तो है सफाई वगैरह का और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यह, बिजली का, सफाई का, यह तो पहले से है प्रोवीजन, इसमें ऐसा कौन सा अमेंडमेंट लाये हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: जनमत जानने के लिए परिचालित करने के बारे में बात बोल सकते हैं यहां पर।

डा. एन. एस. गुर्जर: नहीं-नहीं, यह नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप बिराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: बाकी कौन सा अमेंडमेंट लाये हैं? यह जो आप चाहते हैं व्यवस्थाओं के लिए, इसमें नगरपालिका में कौन सा अमेंडमेंट लाये हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला: हां, मैं बता दूंगा अभी, आप बिराजो। मैं बताता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसमें नगरपालिका में कौनसा अमेंडमेंट लाया जाए?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजें मैं बता दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पहले से है उसमें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसको पास नहीं करना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो व्यवधान मंत्री हैं और आप जितना व्यवधान डालेंगे उतनी ही देर ज्यादा बोलूंगा मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): व्यवधान नहीं। मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बैठें तब आपको ज्ञान दूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कि कौन सा प्राविजन ऐसा लाया जाए, यह मेंडेटरी प्राविजन है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जिससे ज्ञान लिया जाता है उनको बैठकर सुना जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मेंडेटरी प्राविजन है कि नगरपालिका सफाई करेगी, पानी की व्यवस्था करेगी, रोशनी की व्यवस्था करेगी नहीं करेगी तो यह दण्डनीय अपराध है यह पहले से प्राविजन है अब कौनसी नयी क्लाज डाली जाए यह बतायें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांप्रीहेंसिव बिल आये। कांप्रीहेंसिव

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बिल लाने के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि डिवीजन हैडक्वार्टर्स हमारे अजमेर, बीकानेर वहां नगर निगम नहीं बने नगर निगम बनाने का आपके अलग-अलग नेताओं ने कई भाषणों में यह कहा है कि हम नगर निगम बनायेंगे उन घोषणाओं का क्या हुआ? जब कोई बिल आता है तो केवल एक दो धाराओं में अमेंडमेंट करने के लिए नहीं आता है उसके लिए तमाम बिल की कांप्रीहेंसिव बिल लाने की आवश्यकता है। आज नगरपालिकाओं की स्थिति यह है कि वहां की आमदनी थोड़ी है और खेंचातानी ज्यादा है नगरपालिकाओं में तनख्वाह चुकाने के लिए पैसा नहीं है। हमारा स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो 2.38 प्रतिशत उनको अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करता है महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन नगरपालिकाओं को अनुदान जितना मिलना चाहिए उतना अनुदान नहीं मिल पाता है। जिसके कारण आज नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत खराब है इसलिए आप कोई कांप्रीहेंसिव बिल लाकर इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूर करते तो एक बात समझ में आती। जहां डिवीजन हैडक्वार्टर में नगर निगम बनाने का यह अमेंडमेंट लाते तो हम उसका स्वागत करते लेकिन आप जो सारे नार्म्स को ताक में रख कर और जिस प्रकार से इस बिल को लाकर के आये हैं आर्डिनेंस के माध्यम से यह निश्चित रूप से...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कल्ला साहब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, Sorry for that.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बोलें तब बोल लेना। आप बीच में नहीं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): Sorry for that. ये जो जनरल...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ये उपाध्यक्ष महोदय, बीच में बोल सकते। क्या आधार पर बोल रहे हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूं न मैं कानून पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले अमेंडमेंट आता है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, ये किस आधार पर बोल रहे हैं बताइये?...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं ये ठीक नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये पहले।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या किस नियम से है पाइंट ऑफ ऑर्डर?

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है वो ही बता रहा हूं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): किस नियम से है?

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नियम से है मैं इसी पर अमेंडमेंट पर...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप नियम कोट करिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी अमेंडमेंट पर जब विचारार्थ विधेयक लाया जाता है तो उस समय उसका स्कोप लिमिटेड होता है। थर्ड रीडिंग पर बोल सकते हैं इस पर पूरा म्युनिसिपलिटी को डिसकस करने लग गये ये। कौन से रूल में है आप मुझे बता दें? आप बता दें मुझे कौन से रूल में है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है परम्परा रही है।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं कौनसी परम्परा रही है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग में तो कोई मामूली सुझाव होता है वो देते हैं अपन लेकिन आप उसके बारे में ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं सुझाव नहीं थर्ड रीडिंग पर आप बोल सकते हैं इस पर नहीं बोल सकते आप इस पर पूरा भाषण देने लग गये कौन से रूल में है यह?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये जनमत जानने के लिए आवश्यक है कि क्या-क्या कमियां हैं, क्यों जाएं जनमत जानने के लिए, जनमत जानने के लिए क्यों जाएं, जनमत जानने के लिए आवश्यक है कि आपके सारे कार्यकलापों को यहां बताया जाए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): लिमिटेड स्कोप है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य अगर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य का कोई विरोध में संशोधन होता तब तो ये संशोधन पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बोलते लेकिन इनका तो प्रस्ताव यह है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए तो इस पर वाइड स्कोप है। पूरी म्युनिसिपलिटी को डिसकस किया जा सकता है कि क्यों जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं नहीं, थर्ड रीडिंग पर थर्ड रीडिंग पर ...(व्यवधान) विचारार्थ में नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): No. There are no such …

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): विचारार्थ में नहीं लिया जा सकता है, विचारार्थ में नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जनमत जानने के लिए कहा जा रहा है, पूरा बोल सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप खुद यहां पर कांप्रीहेंसिव बिल के बारे में खूब बोले हैं। आपकी मैं बता सकता हूं प्रोसीडिंग्स कि जनमत जानने के लिए ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसे थोड़े है कोई। इनका कोई स्पेसिफिक क्लॉज में अमेंडमेंट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनका तो यह है कि बिल ही नहीं आना चाहिए आप इसको पहले जनमत जानने के लिए तो जनमत जानने के लिए जब जाएंगे तो फिर म्युनिसिपलिटी की आर्थिक स्थिति क्या है म्युनिसिपलिटी के कार्यकलाप क्या हैं उन सब पर सही बोल रहे हैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य इनको बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। कल्लाजी, मेरा निवेदन आपसे यही है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये अपनी जो व्यवस्थाएं हैं अध्यक्षीय व्यवस्था इसमें 99 में आप पढ़िये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौन सा पेज?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पेज 99

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जब उन्होंने उठाया टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने तो उनको आने दीजिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का प्रथम संकलन...

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): वो भी बोल सकते हैं इसी पाइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई भी बोल सकता है सदस्य खड़ा होकर सदन का।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप रखें तो सही कि कौनसा नियम है आपने अभी नियम कोट नहीं किया।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बोल रहा हूं न। मैं बोलूंगा। नहीं नहीं नियम कोट कर रहा हूं न मैं। बैठिये। पाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया वो भी बोल सकता है आप भी बोल सकते हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): टोडायरासिंह से आने वाले माननीय सदस्य बताइये कौनसा नियम कोट किया?

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पाइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई भी सदस्य बोल सकता है। अमेंडमेंट ऑफ बिल्स के पाइंट पर उठाया मैंने ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने नियम कौनसा कोट किया है आप नियम बताइये?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत होने पर...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब देख रहे हो पहले पेश कर दिया पहले बोल दिया अब सोच रहे हो, अब देख रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पेज 99 विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत होने पर केवल उनके सिद्धान्तों पर ही वाद-विवाद हो सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये सिद्धांत ही हैं और क्या हैं ये?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब ये सिद्धांत क्या है इसके

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उद्देश्य और कारण लिमिटेड हैं उपाध्यक्ष महोदय, इसके ओब्जेक्ट और रीजन लिमिटेड हैं उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं और यह व्यवस्था दी हुई है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रिंसिपल पर है यह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पूरा पढ़ो आप। आप आधा पढ़कर बता देते हो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रिंसिपल पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रिंसिपल पर, मैं प्रिंसिपल पर ही बोल रहा हूं।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रिंसिपल पर है जनमत जानने के लिए क्या सिद्धांत हम रख रहे हैं ये कारण जनमत के लिए रख रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल लिखा है ये जो आपकी रूलिंग है, लिखा है विचारार्थ प्रस्तुत होने पर केवल उसके सिद्धांत पर चर्चा की जा सकती है इसमें लिखा है – "When the Bill comes for consideration, there will be a discussion over the principles which are laid down in this Bill. If you have to say anything on the principles, you can say so." तो यह जनमत जानने के लिए जो प्रिंसिपल हैं कि आप कांप्रीहेंसिव बिल लाते हैं तो हम उसको जनमत जानने के लिए नहीं कहते। इसलिए प्रिंसिपल को ले कर रहे हैं। प्रिंसिपल इसका पार्ट है हम किसी क्लॉज में अमेंडमेंट थोड़े कर रहे हैं। जनमत जानने के लिए जो सिद्धांत हम प्रतिपादित कर रहे हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर 74 अमेंडमेंट के बाद यह चीज थी कि प्रिंसिपल के आधार पर कांप्रीहेंसिव बिल लाते यह नहीं लाकर आप ये जो बिल ला रहे हैं ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिद्धांत की बात करना ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): प्रिंसिपल उसी पर लागू होगा जो अमेंडमेंट लाया गया है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): Not necessary.

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): जो अमेंडमेंट लाया गया है उसी पर होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जनरल डिसकसन नहीं है प्रिंसिपल का मतलब जनरल डिसकसन नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जनमत जानने के लिए किसी भी बात पर बोल सकता हूं। कोई प्रोब्लम नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): Principle means no general discus-

(डा. एन. एस. गुर्जर)

sion. आप मुझे यह बताइये कि प्रिंसिपल का मतलब जनरल डिसकसन कहां आएगा?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): It is plural, 'principles'.

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नौ, नौ, जनरल डिसकसन कहां है प्रिंसिपल का मतलब?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है it is plural. जो भी सिद्धांत इसमें इनक्लूड हैं वो सब सिद्धांत के बारे में चर्चा कर सकते हैं. It is not principle. It is not confined to single principle. It extends to principles. We propose it कि ये सिद्धांत हैं जिनके आधार पर जनमत जानने के लिए हम रख रहे हैं उन उद्देश्यों का यहां वर्णन करना चाहते हैं। इसिलए it cannot be like this.

यह हमारा पूरा अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय, हम उन सिद्धांतों के बारे में प्रतिपादित करें जिन सिद्धांतों के आधार पर हम जनमत जानने के लिए कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, यह अभी अपने सामने जो कंसीडरेशन के लिए है वो एक सिम्पल अमेंडमेंट इन द पर्टीकूलर बिल में है। अब सिम्पल अमेंडमेंट का जो उद्देश्य है उचित यह रहेगा...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, हम यही तो कह रहे हैं कि आपका सिम्पल हो सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम यह कह रहे हैं कि इतने से की जरूरत नहीं थी हम तो यह कह रहे हैं कि पूरा आना चाहिए और क्या-क्या आना चाहिए, आय कैसे बढ़े, चुंगी खतम होने के बाद क्या स्थिति हुई हम कह रहे हैं कि सारा आना चाहिए इसलिए हम उसी पर तो बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप आर्डिनेंस लेकर आये हैं। आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता ही नहीं थी और ...(व्यवधान) आपको इसलिए कोई आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता नहीं थी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम इसके कारक और उद्देश्यों पर आब्जैक्ट पर नहीं बोल रहे हैं हम तो टोटल इसकी जरूरत ही नहीं थी। हम तो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी हम तो कह रहे हैं जिसकी थी वो हम बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आर्डिनेंस क्यों लाया गया है लाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था इस पर तो अभी बोल नहीं रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बोल रहा हूं न।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, उस पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसके बजाय आप बोल यह रहे हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने कहा कि विधान सभा होने वाली थी। इन्होंने कहा कि विधान सभा 28 फरवरी से होने वाली थी यह फिर क्यों लाया गया? यह पहले बोले हैं जब आपका ध्यान जोधपुर गया हुआ था माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह बिल इसलिए नहीं लाये ...(व्यवधान) नहीं पर माननीय सदस्य, इस बिल के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये नगर से आने वाले माननीय सदस्य को क्षमा मांगनी चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्षजी, ये एक्सपंज करिये। ये एक्सपंज करिये। डेरोगेटरी बोला आसन के बारे में बोले कि आपका ध्यान जोधपुर गया हुआ था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन का ध्यान जोधपुर गया हुआ था।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह आसन का अपमान है। आप इसको एक्सपंज करिये और प्रताड़ना दीजिये इनको ...(व्यवधान) क्या बोल रहे हैं आप?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं ही वापस ले लेता हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हो तो वापस लीजिये ऐसे ऊट पटांग बोलते हो कुछ भी ...(व्यवधान) क्या बोल रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो अपना रूल बोलें उट पटांग। खड़े होकर बोल दिया और रूल आपको याद ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माफी मांगें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आसन के बारे में कैसी टिप्पणियां करते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब बतायें न रूल।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां मैं रूल बता रहा हूं आप आसन के बारे में कैसी टिप्पणियां करते हो ।

श्री उपाध्यक्ष: जो कोई बोलने के लिए खड़ा होता है आप उसको टोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। कल्लाजी को बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप भी रूल बताने में बहुत देर करते हो एकदम फटाफट 911 बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार माननीय आसन का अपमान करना कि आपकी नजर वहां जोधपुर हो जाना है यह भले ही आप इसको निकाल दें। पर यह प्रमाण है कि इस प्रकार ये विद्वान कहलाने वाले, लेकिन इस प्रकार आसन का अपमान करेंगे यह हम नये आने वाले सदस्य सहन नहीं करेंगे। आप इनको हिदायत दें कि ऐसे आसन का अपमान नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसी नीयत से नहीं कही गयी है आप इस पर चिन्तित मत हों। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन यह करना है कि यह नया बिल तो इन्ट्रोड्यूस हुआ नहीं है। और बिल में एक पर्टिकुलर क्लाज के लिये संशोधन हो रहा है। तो संशोधन से संबंधित बात ही आप कहेंगे तो उचित रहेगा जनरल बिल का डिसकशन कि यह सुधार होना चाहिये, बिल में यह अमेंडमेट होना चाहिये। इसका स्कोप इस स्टेज पर है नहीं। उसके बावजूद भी अगर आप कोई विशेष बात कहना चाहे तो कह सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया अब इस पर बहस नहीं हो सकती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैंने क्लाज वाइज कोई संशोधन दिया हुआ होता तो आपकी बात बिलकुल सही थी। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसको जनमत जानने के लिये क्यों भेजा जाये उसके पीछे मेरे जो तर्क हैं वह मैं दूंगा और हमेशा दिये जाते रहे हैं। मैं आपको हजारों नजीरे बता दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब आसन से व्यवस्था हो गई है । वह तर्क का यह समय नहीं है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक्ट के बारे में जब प्रवर समिति का प्रस्ताव जनमत जानने के लिये देने का प्रस्ताव आता है तो जो भी माननीय सदस्य उसके बारे में कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप चैलेंज कर रहे हो क्या उपाध्यक्षजी की व्यवस्था को?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज सारी बहस होगी उसमें देख लेना कि बीजेपी के लोग क्या कहते हैं आप सुन लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप चैलेंज कर रहे हो क्या उपाध्यक्षजी की व्यवस्था को। उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): देखिए कल्ला साहब, हम आपको रोक नहीं रहे हैं बोलने से लेकिन थर्ड रीडिंग पर बोलिए आप जो बोल रहे हो। आपको हम रोक नहीं रहे हैं आप खूब बोलिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप भी अभी बोलेंगे मैं देख लूंगा कि आप क्या बोलते हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां मैं इससे रिलेटेड ही बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इसलिए मेरा निवेदन करना यही है कि...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am sorry. That will be justified, how can you say it? हम जो आर्ग्युमेंट प्रपोज कर रहे हैं उससे जस्टिफाई होगा । आप बिल लाये हैं, बिल को जनमत जानने के लिये हमने प्रस्ताव रखा है। हमारी ड्यूटी है हम जनमत जानने के लिये क्या आर्ग्युमेंट प्रपोज करते हैं । यह कोई थोडे हो सकता है? उसमें फिर तो आप इसको पास करा दीजिए । उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं जनमत जानने के लिये हम आर्ग्युमेंट प्रपोज करेंगे कि हम जनमत जानने के लिये क्यों जा रहे हैं. You cannot put restrictions. जनमत जानने का विजन दे रहे हैं कि यह सिद्धांत है इन सिद्धांतों के आधार पर यह बिल नहीं आया इसलिए जनमत जानने के लिये भेज रहे हैं हम। हम जब सैक्शन वाइज चलेंगे तब उसमें बात कर सकते हैं, हम सैक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। We are going for this that यह जो बिल लाया गया है वह बिल इन-इन सिद्धांतों पर नहीं लाना चाहिये था यह हमारा आर्ग्युमेंट है । उसमें आप एग्री करें या नहीं करे, but you cannot restrict us कि आप मत बोलिए इस पर । You can't put restrictions on this.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिल पर जो संशोधन दिया जा रहा है वह संशोधन से संबंधित बात ही.. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। यह आपकी विधान सभा की रूलिंग है उसी को कोट कर रहा हूं । रूलिंग पढ रहा हूं। मैं विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत होने पर केवल उनके सिद्धांतों पर ही वाद विवाद हो सकता है। सिद्धांतों पर वाद विवाद हो सकता है. Not for this. सिद्धांत यह है कि आपने एक अमेंडमेंट लाने के नाम पर इतना बड़ा बिल आप लेकर आये है। इसके बनिस्पत आप कम्प्रेहेंसिव बिल लेकर आते जिसमें यह चीजे होती है। यही सिद्धांत तो हम प्रतिपादित कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को आपने इनक्लूड नहीं किया और आप बिल लेकर आये हैं इसलिए जनमत की बात कर रहे हैं, यह सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो कारण दे रहे हैं वह एक बिल के संशोधन से संबंधित नहीं है ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, मैं यह कोट कर रहा हूं संकलन यह राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, 1952 को विचारार्थ लेने के प्रस्ताव पर श्री हरकिशनजी व्यास ने कहा है– "I raise to oppose this Bill." इस पर अध्यक्ष ने वाद विवाद का क्षेत्र बताते हुए बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह ओरीजनल बिल से संबंधित है पूरा बिल डिसकशन हो रहा था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट खराब हो गये अब तक तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात कह लेते। आप अलाऊ कीजिए बहुत लोगों ने संशोधन दिये हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खराब की बात नहीं है यह सिद्धांत की बात है ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सिद्धांत क्या है वह आप हमको बतायेंगे क्या? सिद्धांत हम बतायेंगे। आप तो बिल लेकर आये हैं, सिद्धांत हम बतायेंगे किन सिद्धांतों पर विरोध कर रहे हैं हम, यह हमारा अधिकार है. It is our privilege that सिद्धांत हम प्रतिपादित करें यह आपका नहीं है। आप तो ले आये अमेंडमेंट, यह आपका प्रिविलेज नहीं है ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नाथद्वारा से आने वाले माननीय

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 86 की तरफ दिलाना चाहता हूं, Passing of a Bill. यह है Scope of a Debate. बिल आते हैं स्कोप आफ डिबेट क्या होगा. Rule 86. "The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): यह हम डिसाइड करेंगे "than is necessary for the purpose of his arguments..." It is my argument. मेरे आर्ग्युमेंट आप प्रपोज नहीं कर सकते. Please don't misinterpret it.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): थर्ड रीडिंग पर तो ऐसा हो सकता है विचारार्थ लिये जाने पर यह नहीं हो सकता।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): "... for the purpose of his arguments..." It is my argument. मैं आर्ग्युमेंट प्रपोज करूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): जो अमेंडमेंट है जनरल नेचर में आप डिसकशन थर्ड रीडिंग पर कर सकते हो इस पर नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग के लिये कहां लिखा हुआ है जनमत जानने के लिये हमेशा पूरे बिल के बारे में आर्ग्युमेंट देते रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं की बात को फिर रिपीट कर रहा हूं. "In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments" यह मेरे आर्ग्युमेंट है आप कौन होते हैं? मेरे आर्ग्युमेंट में मैं जो ठीक समझ रहा हूं वह मैं आपको प्रतिपादित कर रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आर्ग्युमेंट का मतलब यह नहीं है, किसके बारे में आर्ग्युमेंट देंगे।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बिल के बारे में, आगे पढिए आप। "which shall be of a general character." मैं जनरल करेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, कोई संबंध नहीं है इसका।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): 2ए जो अमेंडमेंट लाया गया है

इसके बारे में ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पहले बोल नहीं पा रहे हैं तो क्यों दूसरे को वापस कर रहे हो? आपका नाम पहले नहीं आया... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट दिया गया है उस तक ही यह जो कह रहे हैं, in my opinion, वह 2ए तक ही सीमित है उसके बाद नहीं बोल सकते । कल को आप डिसकस करने लग जाओ कि जोधपुर नगरपालिका में यह हो रहा है, you can't discuss that. जोधपुर निगम में यह हो रहा है, you can't discuss that.

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): It is not our concern. It is for Bill. You are talking about section, whereas we are talking about Bill. हम बिल पर बोल सकते हैं, सैक्शन की बात मत कीजिए आप। हमारा आर्ग्युमेंट बिल के संबंध में क्या है वह प्रपोज कर सकते हैं। (व्यवधान)

हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर में तो बिल ही हो जाता।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आज मात खा गये आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य उचित यह रहेगा आप ज्यादा डिटेल में न जाकर .. (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं बता रहा हूं न क्लियर प्रोविजन है कहां मात खा गये, जबरदस्ती ही कर रहे हैं. In my principles, क्या प्रिंसिपल होंगे जो अमेंडमेंट दिया है वही प्रिंसिपल होंगे ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक वगैरह जो हैं वह अनुभवी तो है नहीं। कटारियाजी अनुभवी हैं उनसे पूछो कि जनमत जानने के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव पर आप लोग बोले हैं या नहीं बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वह बात ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं काम्प्रेहेंसिव बिल लाने के बारे में अपने तर्क दे रहा हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित क्यों किया जाये इसके लिये तर्क दे रहा हूं और इसको देने का मुझे राइट है। किताबों के अलावा परम्पराएं हैं इस सदन में हमेशा जब भी प्रवर समिति का प्रस्ताव और जब भी कभी काम्प्रेहेंसिव बिल लाने के लिये जनमत जानने का प्रस्ताव लेकर आये हैं उस समय पूरे बिल के बारे में और पूरी नगरपालिकाओं के बारे में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हमेशा बोलते आये हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं को रखने के लिये आप सत्ता पक्ष से हमको संरक्षण दीजिए। उनको बताइए कि यह सदन की परम्परा रही है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है मैं आपको पढकर सुनाता हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सदन की परम्परा तो रही है पर उसमें कोई जनमत जानने का कारण बताकर खतम करे कोई भाषण थोडे ही होगा जो चाहे वह बोल दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बता रहा हूं न।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पूरी नगरपालिकाओं के ऊपर आप डिसकस करने लग जाओ यह थोड़े ही होगा इसमें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सैकिण्ड लाइन में लिखा है "... shall be confined to be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill ....." आप डिटेल डिसकस नहीं करोगे।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आगे पढिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आगे भी पढ रहा हूं . Details of the Bill. आगे नहीं कहा कि डिटेल नहीं देगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कुछ भी बोल सकते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कल्ला साहब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले शर्त लगा दी कि आप डिटेल आफ द बिल नहीं देंगे। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि क्या बोलेंगे आप, डिटेल नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट आया है उसके बारे में ''details of the Bill further than is necessary" यह डिटेल तो नहीं दे पायेंगे लेकिन क्या देंगे " than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.'' क्या करेंगे कि डिटेल में आप डिसकस तो नहीं करेंगे लेकिन जो अमेंडमेंट आया है उसके संबंध में आपके जो प्रिंसिपल है उनको आप यहां पर डिसकस कर सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य आप सबसे अच्छे लेजिसलेटर रहे हैं और लेजिसलेशन बनाने के लिये यह

(श्री जुबेर खान)

सदन है और उसमें आप इस तरह के आर्ग्युमेंट कर रहे हैं। जिस विधायी कार्य के लिये यह विधायिका है उसके अंदर अगर आप इस तरह से पाइंट आफ आर्डर उठाकर माननीय सदस्यों को अपनी बात करने से रोकोगे तो आपके लिये यह शोभा नहीं देता जिसके लिये आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आप ही इस तरह की बात करेंगे तो कैसे होगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप डिमांड पर डिसकस करेंगे... (व्यवधान) आप बीच में खडे हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो आर्ग्युमेंट देने है वह दें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो आर्ग्युमेंट हैं कोई भी बिल आता है उस पर अमेंडमेंट आता है उसमें दो चीजे साफ कही गई हैं कि उस पर डिटेल डिसकशन नहीं हो सकता, पहली बात उन्होंने यह कह दी रूल 86 में। दूसरा यह कहा है, कहा है ना अभी, मैंने पढ़कर सुनाया है। दूसरा यह कहा उपाध्यक्ष महोदय कि आप डिसकशन उसमें उतना ही कर सकते हो जितना आप आपके प्रिंसिपल आरग्यू कर सको. Regarding what? पहले सुन लीजिए, आपको जो बोलना है खड़े होकर बाद में बोलना। जो आपके आरग्यूमेंट है, जो आपके प्रिंसिपल है उसको आरग्यू करने के लिए जो भी उस अमेंडमेंट से संबंधित है उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को डिसकस कर सकते हैं. Yes, I am in agreement. लेकिन उन्होंने उसके पहले एक शर्त लगा दी कि आप डिटेल डिसकशन नहीं कर सकते नम्बर एक। नम्बर टू, मेरा आरग्यूमेंट एक और है अगर इस तरह से आपने किसी बिल पर एक लाइन का अमेंडमेंट बिल आ गया एक सैक्शन में और उस पर आपने पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिसकशन की छूट दे दी तो उपाध्यक्ष महोदय, मांग डिसकशन होती है हाउस के अंदर। और जो बिल पर अमेंडमेंट आता है उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मांग संख्या की तरह यहां डिटेल भाषण आप नहीं ठोक सकते, विधान सभा में नहीं दे सकते इसलिए इन्होंने एक राइडर लगाया है 86 में "there shall be no detailed discussion" but उन्होंने कहा कि फर्दर, कितना होगा कि जो प्रिंसिपल जुडेंगे उस अमेंडमेंट से उस तक आपका डिसकशन सीमित होगा इसलिए this is very clear, Sir, you give your ruling on what we have said. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय मंत्रीजी की फेवरसी करने के लिए कोई आरग्यूमेंट दे रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है but don't give such arguments. आपको पता है, आप मंत्री जी को फेवर करने के लिए स्कोप को लिमिटेड करना चाहते हैं तो वह आपका अलग आरग्यूमेंट है बाकी इसमें कोई आरग्यूमेंट नहीं है। बिल में डिसकशन कर सकते हैं, जो हमारा आरग्यूमेंट है जिनके ऊपर हम जनमत के लिए भेज रहे हैं, कोई आइडल नहीं है। मंत्रीजी को प्लीज करना है कर लीजिए वह अलग बात है, but please don't give false arguments.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : I am talking about rules and nothing else.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया मैं उस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी बिल को सबसे पहले पुर:स्थापित किया जाता है। पुर:स्थापित करते वक्त कोई बहस नहीं की जाती, यह सदन की परम्परा भी है और नियम में प्रावधान है। उसके बाद फिर जैसे अभी हमारे डिप्टी लीडर साहब ने अध्यादेश के बारे में कहा कि इसको स्वीकार नहीं किया जाए वह स्टेज शुरू होती है । उसके बाद प्रवर समिति और जनमत जानने के लिए परिचालित करने वाले प्रस्ताव आते हैं । माननीय सदस्य ने जो नियम कोट किया है वह खण्डश: विचार का है, आप इसको उठाकर देख लें, जब खण्डश: विचार होगा, इन्होंने रूल को गलत कोट किया है आपके सामने। आप रूल देखें 68 "Member by whom motions in respect of Bills may be made."

श्री उपाध्यक्ष: कौनसा लायेंगे आप? इसके लिए कौनसा है?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसके लिए कौनसा है वह बता दीजिए आप, इसके लिए कौनसा है बता दीजिए? अमेंडमेंट के लिए कौनसा है वह बता दीजिए ना पढ़कर, फिर यह नहीं है तो कौनसा है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं 68 बता रहा हूं जब प्रवर समिति और जनमत जानने के लिए परिचालित करने वाला कोई भी प्रस्ताव आता है उसके बारे में रूल में स्पष्ट प्रावधान है "No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member in charge

except by way of amendment to a motion made by the member in charge: ...”

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): क्या है यह? यह बता दिया इन्होंने साहब। यह बता दिया, क्या है यह?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): “... Provided that if the member in charge of a Bill is unable, ...”

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इस बारे में है कि एक मिनिस्टर नहीं करें तो दूसरा कर सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): “ ....for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorize another member to move that particular motion with the approval of the Speaker.”

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह क्या पढ़ रहे हैं माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य? यह इर्रिलेवेंट है। यह क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जो बिल पेश करता है वह मंत्री परमीशन लेकर, दूसरा मंत्री...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह 68 तो गलत पढ़ दिया आपने।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : यह क्या पढ़ रहे हैं? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले मैं अपने पूरे तर्क दे दूं उसके बाद देना। मैं आपका ध्यान 67 के बारे में, विधेयक के सिद्धान्त की चर्चा, इसको आप मुलायजा फरमायें। जिस दिन (व्यवधान) 66 में कोई प्रस्ताव किया जाए उस दिन या उसके बाद किसी दिन जिसके लिए चर्चा स्थगित की जाए, विधेयक के सिद्धान्त, उसके बिन्दुओं पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की कार्यवाही के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन का समय, आज की कार्यसूची दोनों बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय आज के दोनों बिल पास होने तक बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस प्रकरण पर, विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे किन्तु यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कि विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाए या प्रस्ताव में उल्लेखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए। यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करें कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को प्रस्ताव में उल्लेखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए । जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाए कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए और विधेयक उस निर्देश के अनुसार परिचालित किया जा चुका हो, उस पर राय प्राप्त हो गई हो तो प्रभारी सदस्य यदि वह अपने विधेयक पर अगर कार्यवाही करना चाहता हो प्रस्ताव करेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाए। अगर अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे कि विधेयक पर विचार किया जाये, परन्तु यदि इस नियम के अन्तर्गत कोई संशोधन या प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव किया गया हो तो कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव है । विधेयक में कुछ खास या अतिरिक्त उपबंध करने, यदि आवश्यक या सुविधाजनक हो तो ऐसे संशोधनों पर जो उस मूल अधिनियम के संबंध में प्रस्तावित किये जाए जिसे विधेयक द्वारा संशोधित किया जा रहा हो विचार करने और प्रतिवेदन देने का अनुदेश दे, यह स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? यह पूरा आपने जो रूल कोट किया वह खण्डश: विचार के बारे में था। और मैंने आपको जो बताया रूल, वह प्रवर समिति और हमारे जनमत जानने के प्रस्ताव पर, हम कोई भी मूल अधिनियम के बारे में जो सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं और यह सदन की परम्परा भी रही है। आप सारी प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लें। जब कभी कोई माननीय सदस्य प्रवर समिति के बारे में अथवा जनमत जानने के लिए बोला है तो उसने सारे मूल एक्ट के बारे में और जो-जो सुझाव हैं, उस विभाग में क्या हो रहा है, पूरा वाइड स्कोप रखते हुए उसने अपनी बात कही है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जो पाइंट आफ आर्डर टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है उसको रिजेक्ट करें और फिर मुझे बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया है कि यह जिस प्रकार का संशोधन इस बिल के अंदर लाया जा रहा है उसमें मेरा आपसे निवेदन करना है आप इस बारे में जनरल बिल के ऊपर चाहे जितने अपने विचार रख सकते हैं पर उचित यही रहेगा कि आप यह जो टैक्नीकल ग्राउण्ड, किसी ग्राउण्ड के ऊपर संशोधन लिया जा रहा है, इस संशोधन के ऊपर बोलेंगे तो उचित होगा। जनरल पूरे के पूरे नगरपालिका एक्ट को लेकर आप चलेंगे, पूरी बहस करेंगे तो यह इससे संबंधित बात थोड़ी उचित नहीं रहेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए जो अपना प्रस्ताव दिया उसके पक्ष में मैं निम्न प्रकार से अपने तर्क रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार पैरा स्टाफ ला रही है। चपरासी भी पैरा, आरएएस आफिसर भी पैरा, पुलिस का अधिकारी भी पैरा और म्युनिसिपिलिटी का कमिश्नर भी पैरा। मैं जानना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री जब अपना उत्तर दे तो बताये कि वह क्या म्युनिसिपिलिटी में पैरा स्टाफ का पैटर्न लागू करेंगे या रिक्त पदों को भरेंगे, जितने भी सफाई कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट होती है उसको चाहिये कि वह भूमिहीन लोगों को मकान के लिए जमीन दें। मैं जानना चाहता हूं कि आपने सवा दो साल में कितने लोगों को जमीन अलाट की, कितने लोगों को स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे दिये, कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं हो रहा है और न ही यहां पर स्टेट ग्रांट के पट्टे मिल रहे हैं। घुमन्तु परिवार गाडिया लुहार जो घूमते रहते हैं उनको दो रूपये से लेकर दस रुपये प्रति वर्गमीटर के ऊपर जो जमीन अलाट होती है उसके मामले में भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं, आप एक ऐसा काम्प्रीहेंसिव बिल लेकर आए जिसके अन्तर्गत एक निश्चित तारीख तक कच्ची बस्तियों का नियमन करने के लिए एक तारीख फिक्स करें और उसके अनुसार यदि आम रास्ते में मास्टर प्लान के अनुसार कोई बाधा नहीं होती है तो ऐसे लोगों को नियमित करने का प्रावधान करें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। और, तो और उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम हाउस टैक्स, जीतकर आयेंगे तो माफ करेंगे। आज सवा दो साल हो गये। आपने हाउस टैक्स माफ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हाउस टैक्स माफ करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे। आप कह रहे हैं आपका 5 साल का एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र है तो आधा समय तो आपका निकल गया। अब आप कब से हाउस टैक्स माफ करेंगे। इसके बारे में भी इनको अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। इन सभी कारणों के अन्दर मैंने सैद्धान्तिक आधार पर यह कहा है कि कोई बिल आता है तो पूरे राजस्थान की समस्याओं का उसमें समाधान होना चाहिए। इसलिये इसको कम्प्रिहेंसिव बिल के रूप में लाने के लिये इसको एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए और सरकार नगरपालिकाओं में ऐसी व्यवस्था करे कि वहां पर तनख्वाह समय पर मिले, प्रकाश की व्यवस्था बराबर हो। उसके साथ-साथ नालियों की सफाई हो, सड़कें बनें और नगरपालिकाओं के काम समय पर हों।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो आर्डिनेंस लाने की प्रवृत्ति इस सरकार की है उसको आइन्दा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमको इस सरकार के खिलाफ महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपतिजी से मिलना पड़ेगा कि एक-एक लाइन के अमेंडमेंट के लिये सरकार बार-बार अमेंडमेंट ला रही है। यह विधान सभा के सत्र के दौरान भी बिल लाया जा सकता था। इस बिल में जो अमेंडमेंट हमने सुझाये हैं, आज नगर निगम बनाने की आवश्यकता है, जो छोटी नगरपालिकाएं हैं उनको नगर परिषद बनाने की आवश्यकता है। ऐसे कामों को आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब मंत्रीजी जवाब दें तो इनके बारे में आप प्रकाश डालेंगे। जिन नगर पालिकाओं की एक तरीके से योग्यता हो गयी है कि इनको नगर परिषद बनाया जाए उसके बारे में भी आपकी क्या पॉलिसी है? जिन नगर परिषदों को नगर निगम बनाया जाना है उसके बारे में आप क्या एक्ट में कोई संशोधन ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? नहीं तो मैं चाहूंगा इसको आप एक माह के लिये

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जनमत जानने के लिये परिचालित करें और विधान सभा के सदस्यों की राय लेकर इस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करके लोगों के जनहित की बातों को समावेश करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो संशोधन विधेयक यहां रखा है, राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2006, उसको मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को यहां नहीं दोहराना चाहूंगा जो पूर्व में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। लेकिन मैं इतना जरुर निवेदन करुंगा कि इस अध्यादेश की आवश्यकता, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि अध्यादेश लाने की मजबूरी हो गयी और सत्र चल नहीं रहा है, विधान सभा होने वाली नहीं हो, तब इसका उपयोग राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से कराया जाता है। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि 28 दिसम्बर, 2005 को अध्यादेश लाने की क्या जरुरत पड़ गयी। दिसम्बर में तो किसी नगरपालिका के चुनाव नहीं थे। यह प्रकरण शुरू हुआ है, मेरा यह कहना है कि यह अध्यादेश एक व्यक्ति विशेष के लिये लाया गया है। जनहित में यह अध्यादेश नहीं लाया गया है। कल्याणकारी सरकारें जनहित में अध्यादेश लाती हैं, जनता के हित में। इसमें राजस्थान की जनता का कोई हित नहीं हुआ है। किसी सांसद या विधायक ने सरकार से यह आपत्ति नहीं की या नगरपालिका में या चुनाव आयोग में कि मेरे अधिकारों, जो मतदाताओं के अधिकार हैं उनका हनन होगा, अगर इस तरह का अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा किसी नगरपालिका के चुनाव में, अगर नगरपालिका के चुनाव हुए। झालावाड़ के भी हुए, धौलपुर के भी हुए और भी कुछ म्युनिस्पैलेटिज के चुनाव हुए। यह प्रकरण आया है समाजवादी पार्टी के यहां के युवा प्रदेश अध्यक्ष, मिस्टर विपुल पुरोहित। उन्होंने इलेक्शन कमीशन, नई दिल्ली को लिखा है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री और झालावाड़ के सांसद, उनके दो-दो नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों में नाम हैं।

मैं निवेदन करना चाहूगा कि झालावाड़ में निर्वाचक नामावली, 2005 में वार्ड संख्या-3, भाग संख्या-6 के प्रताप चौक स्थित मकान क्रमांक 88 में

(श्री जुबेर खान)

क्रम संख्या 554 पर वर्तमान मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे का नाम दर्ज है। क्रम संख्या 555 पर वहां के सांसद दुष्यंतसिंह का नाम दर्ज है। इसी तरह से नगर पालिका, धौलपुर में भी निर्वाचक नामावली, 2005 के वार्ड संख्या 11 के भाग संख्या 16 के प्लेस रोड, क्रम संख्या 197 परक्रम संख्या 2 पर वसुन्धरा राजे का नाम दर्ज है और क्रम संख्या 3 पर झालावाड़ के सांसद दुष्यंतसिंह का नाम दर्ज था। यह आपत्ति जब इलेक्शन कमीशन में आयी, क्योंकि रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 में यह प्रावधान है, जो यह प्रावधान अभी विधेयक में लाना चाहते हैं, पंचायत राज संशोधन बिल जो लाये, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, 1994 में लाये थे। उसमें भी यह प्रावधान है कि उस वार्ड में या एरिये में स्थानीय विधायक या सांसद नहीं रहता है तो उसको यह नहीं माना जाए कि वह नियमित नहीं रहा है। लेकिन यह नगरपालिका के जो 1959 का कानून है उसमें यह लागू नहीं था। नगरपालिका कानून, 1959 है जो यह सिर्फ इसलिये है कि चुनाव आयोग नई दिल्ली ने यहां जांच भेजी और उस जांच के आधार पर इलेक्शन कमीशन, राजस्थान ने भी जांच की। क्या यह सही नहीं है कि दिसम्बर, 2005 में कलक्टर, भरतपुर द्वारा माननीय वसुन्धराजी के नाम को भी विलोपित किया, 2005 की निर्वाचन मतदाता सूची से और श्रीमान दुष्यंतसिंह का नाम भी विलोपित किया, धौलपुर से? वहां के, धौलपुर के कलक्टर ने झालावाड़ में रखने के लिये, आपने देखा, 21 दिसम्बर को चिट्ठी लिखता है, इलेक्शन कमीशन कलक्टर्स को कि यह गलत है इस तरह से एक व्यक्ति का नाम दो-दो जगह नहीं हो सकता है। क्योंकि नगर पालिका नियम, 1959 में यह प्रावधान है कि साधारणतः वह व्यक्ति उस वार्ड में लगातार आवास करना चाहिए। इसलिये आपको यह संशोधन, राज्य सरकार अध्यादेश, यह आपको आर्डिनेंस लाना पडा क्योंकि आप एम्ब्रेसमेंट से मुख्य मंत्री को और उनके सुपुत्र जो सांसद हैं, झालावाड़ से, उनको बचाना चाहते थे। इसलिये आप 28 दिसम्बर, 2005 को यह संशोधन लाये। इस बीच में कोई नगरपालिका का चुनाव नहीं था। अगर जनवरी में चुनाव भी हुए हैं तो टोडारायसिंह के हुए, मालपुरा के हुए और ऐसी नगरपालिकाओं के हुए जहां के किसी सांसद या विधायक के बारे में कहीं आपत्ति नहीं की गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह अध्यादेश एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये एम्ब्रेसमेंट पोजीशन से हटाने के लिये, और आप कहां-कहां से संशोधन लायेंगे। आप सरोजनी नगर, नई दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य

(श्री जुबेर खान)

मंत्रीका नाम है, वहां कौनसे अध्यादेश से आप हटवायेंगे? देहरादून में नाम है, वहां किससे हटवायेंगे, गुना और ग्वालियर के अन्दर नाम है, वहां किससे हटवायेंगे? इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि यह अध्यादेश हमारी मुख्य मंत्री और उनके सांसद पुत्र को, सिर्फ दो व्यक्तियों को बचाने के लिये इस अध्यादेश को लाया गया है। इसमें कोई जनहित नहीं हो रहा था। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि महामहिम राज्यपालजी के माध्यम से यह अध्यादेश लाया जाता। अगर कोई संशोधन लाना था तो 28 फरवरी से ही विधान सभा का सत्र होने वाला था। इसे सही रूप से लाते, यहां चर्चा करते और इसको पास करते। मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि यह जो अध्यादेश लाया गया है, महामहिम राज्यपाल महोदय को केबिनेट ने जिस तरह से सुझाव देकर उसको सिफारिश करके लाया है, यह गलत परम्परा है। यह राजस्थान की परम्परा कभी नहीं रही । राजस्थान प्रजातंत्र में, प्रजा महान है, जनता महान है, व्यक्ति विशेष नहीं है, यह राजा-महाराजाओं का समय नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह आप राजशाही दुबारा से मत लाइये कि एक व्यक्ति के लिये अध्यादेश जारी करवायें जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल लायें। इसमें जो कमी और रह गयी है, नगरपालिका विधेयक, 1959 में बहुत सी परिस्थितियां बदली हैं, आज जरुरत है, नगरपालिका विधेयक, 1959 में संशोधन लाने की, परिवर्तन करने की आज नगरपालिकाओं में जो स्थिति हो रही है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उनको दुरुस्त करने की जरुरत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको एक कम्प्रेहेंसिव बिल, एक नया बिल लाया जाए और इस बिल को यहां जनमत जानने हेतु जनता के सामने भेजा जाए ताकि जनहित में एक नये तरीके से, सही ढंग से बिल आ सके। मैं आपके माध्यम से यह सदन से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर और सारगर्भित तरीके से जो राजस्थान म्युनैसपैलेटिज अमेंडमेंट बिल 2006 में मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उन्होंने आपके सामने और सदन के सामने...(व्यवधान) क्या फरमा रहे हैं?

(समय : 17.00 बजे)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): बली हुई जेवड़ी है, मैंने कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसको काट देंगे। उसको काट देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो विचार रखे हैं कि यह सार्वजनिक हित के बजाए व्यक्तिगत हित को साधने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। अच्छा होता कि आप सार्वजनिक हितों का ख्याल रखकर जन हित में कोई काम करते। व्यक्तिगत परेशानी से बचने के लिए उसको सार्वजनिक हित का आवरण ओढ़ा कर व्यक्तिगत हितों की जो आप... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): जैसा परसों आपके बेटे ने किया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आपने ठीक कहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जैसा आप और आपके भाई काफी दिनों से करते आये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आपने ठीक कहा क्योंकि यह प्रकरण तो मुझे याद है कि आना ही था लेकिन मैं इसके बाद जस्ट आपको जवाब दूंगा और...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): क्या जवाब देंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर आप कहो तो पहले उसका दूं?

श्री उपाध्यक्ष: रहने दीजिए। इसी पर ही।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ने जो चर्चा आरम्भ की उस पर मेरा स्पष्टीकरण देता हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसको जाने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, जाने क्यों दें। आप कार्यवाही से निकाल दीजिए। आप कार्यवाही से निकाल दीजिए जो उन्होंने कहा। आप अगर रिकार्ड में लेंगे तो इनको स्पष्टीकरण का मौका आपको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देना पड़ेगा। यह तो रिकार्ड पर है। आन रिकार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या आया है रिकार्ड में? कुछ नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मेरा लड़का इंजीनियर है। क्वालिफाइड सर्वेयर है। उसने किसी मकान का वेल्यूएशन किया। वेल्यूएशन उसने बताया उसका 25 लाख। चीफ इंजीनियर ने बताया उसका 20 लाख, यह उसका दोष है जिससे आपने उसको मुज्जिम बनाया है। मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस तरीके से मेरा मुंह आप दबाना चाहो, मुझे चुप करना चाहो बिलकुल असम्भव है लेकिन आपकी तरह उस आदमी ने सरकारी प्लाट को नहीं बेचा है।...(व्यवधान) आपकी तरह उसने गम्भीरता के साथ, जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार अख्तियार कर रहे हो और भ्रष्ट आचरण आपके हैं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): +++

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वैसा काम उसने नहीं किया है और अगर कोई फिर भी...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): +++

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सरकार है, यह गृह मंत्री हैं, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं और दोषी हैं तो सज़ा आप दिलवाइये। मैं आपसे कभी मिन्नत नहीं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैंने पहले ही कहा कि यह बली हुई जेवड़ी है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप तो बली हुई जेवड़ी हैं, यह पहले ही मैंने कह दिया था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो फिर भी वक्त-वक्त में... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं आपको आज फिर कह देता हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये, स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो फिर भी वक्त-वक्त पर बचने के लिए हमसे मिन्नत करते रहे हैं लेकिन हरिमोहन शर्मा इस जगह पर किसी से कोई मिन्नत करने नहीं जाएगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सवाल ही नहीं उठता। मदन दिलावर ने कभी किसी को मिन्नत नहीं की है। कभी मिन्नत नहीं की है मैंने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और डंके की चोट कहता हूं अगर इस राज ने ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं कहता हूं कि अगर कोई भी अपराध करे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले मुझे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे यह याद था।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं यह कह रहा हूं, आपकी तरह मिलने वाला नहीं हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं मिलने वाला नहीं हूं। मुझे यह याद था कि जब मैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैंने यदि कोई अपराध किया है तो पांच साल तक आपका शासन था। क्यों नहीं सूली पर लटकाया मुझे, क्यों नहीं सूली पर लटकाया? क्यों नहीं सूली पर लटकाया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मदन दिलावर, तुम्हारे काले कारनामें, जो सम्पत्ति का जो मेरे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मेरे पास सम्पत्ति है तो आप करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं बताऊंगा कि आपका क्या आचरण है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप करो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक गली में रहने वाला आदमी आज करोड़पति होकर मुझसे सवाल पूछ रहा है ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): जांच करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक गरीब ... (व्यवधान) रहने वाला वहां। (व्यवधान) जोतने वाला ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): जांच करो।

श्री उपाध्यक्ष: मदन दिलावर साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे पूछो आप, मैं डंके की चोट कहता हूं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जो प्रकरण इन्होंने छेड़ा है, उस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करायें। चाहे उसमें इस पक्ष के आदमी शामिल हो, चाहे उस पक्ष के आदमी शामिल हो। चाहे किसी ने उठाया हो, मैं डंके की चोट कहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि अगर आप उसको सी.आई.डी. (सी.बी.) में

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करवाओ रिपोर्ट, आज के इतिहास में किसी भी सर्वेयर के खिलाफ चाहे उसकी मोनोपोली रही, आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है इस राजस्थान के इतिहास में। किसी इंजीनियर, सर्वेयर के खिलाफ कि वेल्यूएशन का डिफरेंस है, यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो यह काम किया है, आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाइये और उस जांच के आधार पर दोषी होगा तो सज़ा पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आ जाइये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दोषी होगा तो सज़ा पाएगा लेकिन दिलावर साहब, आपके काले कारनामें खोलने पर, सरकार के काले कारनामें खोलने पर मुझे रोका नहीं जा सकेगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपको सौगन्ध है मेरे काले कारनामें नहीं खोले तो, खोलिये-खोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे रोका नहीं जा सकेगा। मुझे यह भी याद है। मुझे यह भी याद है कि किस मिलीभगत से काम हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपको सौगन्ध है मेरे काले कारनामें नहीं खोले तो ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं बताऊं आपको, कितना ही... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपको सौगन्ध है भारत-माता की यदि तुमने मेरे कारनामें नहीं खोले तो, खोलिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यहां पर खोलिये, सदन में खोलिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह तो आपकी परम्परा रही है। काले कारनामें तो कांग्रेसियों के कारनामें रहे हैं और परम्परा रही है। काले कारनामें कांग्रेस वालों के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पूरा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस 45 साल तक देश को लूटती रही और ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये आप। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण को मैं समाप्त करता हूं और बात पर आता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को, मैं सोच रहा था कि कहां स्पष्टीकरण दूं और आपने स्पष्टीकरण दिला दिया इसलिए आप बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाये हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जनहित और सार्वजनिक हितों के बजाए व्यक्तिगत हितों की ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने न तो आरोप सुना है और न स्पष्टीकरण सुना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): धन्यवाद आपको। आप निर्विकार भाव से बैठे रहे पूरे सदन में, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून आप बनाते हैं। कानून बनाने के बाद उसकी अनुपालना का काम आपका है। लेकिन जब से यह सरकार बनी है, कानून को अपनी जेब में रखकर उसकी धज्जियां उड़ाकर जिस प्रकार से यह बिल व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाया गया है, उसी प्रकार से नगरपालिका अधिनियम का खुला उल्लंघन करके उसको अपनी जेब में रखकर यह सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ इस प्रकार के घृणास्पद कार्य कर रही है कि कहीं किसी भी प्रकार के विधान की कोई अनुपालना नहीं कर रहे हैं। आपको याद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। अविश्वास प्रस्ताव वहां पर पेश हुआ। अविश्वास प्रस्ताव वहां पर पास हुआ और पास होने के बाद कोई निर्णय डेढ़ महीने तक यह सरकार, यह राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री उस पर एक भी किसी, न तो वहां पर चेयरमैन रखा और न वाइस चेयरमैन रखा। यह कानून बनाने से क्या फायदा? कानून जेब में रखकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हो, अपने निजी हितों की पूर्ति करते हो, राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हो और फिर जब सदन में उठा मामला, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सदन में उठा कि यह कैसा कानून है कि नगरपालिका में डेढ़ माह से न चेयरमैन है और न वाइस चेयरमैन है। और सदन में विश्वास दिलाया, स्वायत्त शासन मंत्री

(श्री हरिमोहन शर्मा)

ने विश्वास दिलाया और यह कहा कि तीन दिन में मैं इस सब व्यवस्था को सुधार दूंगा। और वहां पर जो भी निर्णय हुआ वह भी कर देंगे, क्या निर्णय किया? अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद, हिन्दुस्तान के और राजस्थान के इतिहास में स्वायत्त शासन मंत्री ने कलक्टर से कहकर यह फैसला करवाया कि अविश्वास प्रस्ताव पर दुबारा चर्चा होगी। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि यह पास हुआ है या फेल हुआ है, इससे ज्यादा कलंकित बात और क्या हो सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिनियम को पास कराकर जिन लोगों के हाथ में इन नियमों का पालन नहीं कर पाये इनका उल्लंघन खुले आम करते हो और फिर भी दम ठोककर इस सदन में यह कहें कि यह नियमों के अनुसार चलने वाली सरकार है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना का राजनीतिक दंगल का क्या हुआ? डीडवाना का राजनीतिक दंगल का क्या हुआ? वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब डीडवाना का नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आप सुनिये। अब आप सुन लीजिए। पांच मिनट में तसल्ली से सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई डीडवाना पर नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका अधिनियम की बात है। क्या कानून की जरूरत है, जब कानून, जब कानून को जेब में रखते हैं, काहे को अमेंडमेंट लाये हैं। जचे जो भी कर लेते न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। वहां से जो अध्यक्ष कांग्रेस का था और जो उपाध्यक्ष था वह निर्दलीय था।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या संबंध है इन सब बातों का ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और जब लेकर आया और वहां से जो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आठ मैम्बर गाडि़यों में बैठकर, गाडि़यां ... (व्यवधान) हां-हां, आप सुन लीजिए पहले। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह विधेयक पर बोल रहे हैं या किस पर? जब चाहे किसी पर भी बोलना शुरू कर दिया। आप विधेयक पर बोलिये न। आप क्या कह रहे हैं डीडवाना अविश्वास प्रस्ताव पर।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): सूचना तो सही दें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): विधेयक पर बोलो न।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना में सिर्फ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। उपाध्यक्ष के खिलाफ नहीं आया हुआ है, नम्बर एक बात तो यह। नम्बर-दो बात कांग्रेस के पांच पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, बी.जे.पी. के उनके साथ है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिलकुल, हां-हां, तो कुल मिलाकर जब आठ आदमी जब वे बहुमत को लेकर और उस उपाध्यक्ष को, निर्दलीय को लेकर जब वे गाडि़यों में बैठकर जा रहे थे तो माननीय मंत्रीजी आपने यह टेलीफोन किया कि इन गाडि़यों को पकड़ो, इनमें शस्त्र रखे हुए हैं। इसमें पिस्तौलें रखी हुई हैं, इसमें बंदूकें रखी हुई हैं। पुलिस में इनको ले गये। पुलिस में बैठा दिया और आपने अपने आदमियों को भेजकर उस निर्दलीय जो पार्षद था, वाइस चेयरमैन को खींच कर लाने की बात की और पुलिस वालों ने कहा कि साहब, यह किधर जाना चाहता है। उसने कहा कि नहीं, मैं आठ के साथ रहना चाहता हूं, इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है? आप मंत्री हैं, मंत्री होने के बाद, शपथ लेने के बाद आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और आपने इस प्रकार की व्यवस्था वहां करके उनको थाने में बैठाया, यही नहीं माननीय यातायात मंत्री भी हैं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यही नहीं माननीय यातायात मंत्री भी हैं, इन्होंने सोचा पुलिस में नहीं चले।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री की शपथ लेने के बाद आज तक कोई दुरुपयोग नहीं किया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह दुरुपयोग है। यह पावर का दुरुपयोग है। यह पावर दुरुपयोग है।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): अगर मैं यह चाहता तो वह खींचकर लाते। (व्यवधान) हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। हम आज भी कह रहे हैं कि यह निराधार और गलत बात आप कह रहे हैं। सदन के अंदर आप शुरू से गुमराह कर रहे हो। आप असत्य बात रख रहे हैं सदन के अंदर। (व्यवधान) अभी आपने कहा उपाध्यक्ष के खिलाफ रखा। कांग्रेस के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। सदन को गलत गुमराह कर रहे हैं। हमने कभी किसी तरह का दुरुपयोग नहीं किया। यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन्होंने डी.टी.ओ. को कहा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात कह रहे हैं प्यार और जंग में तो सब चलता है। हरिमोहनजी प्यार और जंग में सब चलता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, यह अलग बात हुई। स्वीकार करो। स्वीकार कराओ इनसे। उपाध्यक्ष महोदय, डी.टी.ओ. को कहा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप गलत नहीं है। गाडियां थाने में खड़ी हुई हैं।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): परिवहन विभाग के अधिकारियों ने किडनैप करने की कोशिश की है पार्षद को।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): यह सदन को अभी भी गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव रखा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उत्पीड़न हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन्होंने डी.टी.ओ. से कहा और डी.टी.ओ. से उनकी दोनों जीपें पकड़वाई । उनको गाड़ी से उतरवाया और उससे कहा (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सदन को गुमराह मत करो हरिमोहन जी।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): मैं चैलेंज करता हूं अगर हमारे डी.टी.ओ. ने कोई भी कार्यवाही की हो तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा थोड़े ही हो रही है। नहीं, यह गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कैसे नहीं हो रही है। नगरपालिका अधिनियम पर हो रही है। नगरपालिका अधिनियम पर चर्चा हो रही है। यह कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। जब कानून की यह ठीक प्रकार से पालना नहीं करें, कानून को ठीक प्रकार से काम में नहीं लें, कानून के अनुसार काम नहीं करें, क्या फायदा इस कानून को बनाने से?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आज अध्ययन करके नहीं आये माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब तक यह अपनी मनमर्जी से काम करेंगे कानून बनाना बिलकुल बेकार है। लोकतंत्र का गला घोंटा, कानून को जेब में रखो, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाये तो उसको रोक दो, दुबारा से उस पर तारीख तय कर दो, फिर हाई कोर्ट ने उठाकर एक उधर से मारे, एक इधर से मारे तो मुंह लटकाकर बैठ जाओ। और इसी प्रकार जो डीडवाना वाली बात है, यह मैं फिर कहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि माननीय यातायात मंत्रीजी, आपका जो ग्रुप था, आपका जो काम था, वह लोकतंत्र विरोधी और आपने जो शपथ ली उसका खुला उल्लंघन है। और आपको नैतिकता के नाते इस पद से हट जाना चाहिये।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं फिर आपको कह रहा हूं आप सदन को गुमराह नहीं करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमने किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं किया और आज भी वह आदमी स्वतन्त्रता के साथ घूम रहे हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। यह अख़बार से क्या कह रहे हो आप? अख़बार में आपने छपवाया होगा, आपने छपवाया होगा अख़बार में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वहां के अखबारों में छपा है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आपने छपवाया होगा। माननीय सदस्य, आप सदन को गुमराह कह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने छपवाया होगा। अखबारों में आपने छपवाया होगा मिलीभगत करके।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप हाउस को कंट्रोल करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। अख़बार में छपा है आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): व्यक्तिगत आरोप है क्या साहब? यह व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बिना तथ्यों के आरोप लगाये जा रहे हैं। कोई तथ्य नहीं आपके पास, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक पार्षद को किडनैप करने की कोशिश हुई और पुलिस ने दिलवाया वापस पार्षद को। बिलकुल सही हैं ये।

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी ने ऐसा गलत काम किया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सदन को गुमराह कर रहे हो आप और कोई तथ्य नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह अलाऊ नहीं करेंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बिना तथ्यों के आधार पर आप आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यू.पी. जाते डीडवाना के पार्षदों को पकड़ा। डीडवाना राजनीति का दंगल हुआ। यह वहां के अखबारों में है, आपके हवाले से।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप माननीय हरिमोहनजी ने लगाया है, इसकी मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। सदन में आपने एक निराधार आरोप लगाया है। यह जितने भी पार्षद डीडवाना से गये कल रात को भरतपुर में भी ऐसे जगह रहे जो बीजेपी का गढ़ है। अगर जबरदस्ती का चाहते तो उनको रात को ले जा सकते थे, कहीं भी पहुंचाया जा सकता था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको गलतफहमी है यातायात मंत्रीजी, कि आप जबरदस्ती करते तो ले जाते। गलतफहमी में मत रहना। वह भी पूरी तैयारी से थे। आपने तो पुलिस में बिठवा लिया, यातायात से जीपों में उतरवा दिया। यह वहां के अख़बार कह रहे हैं। यह अख़बार कह रहे हैं वहां के।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह झारखंड के विधायक बार-बार यहां आते हैं उससे क्या आप एक्सपर्ट हो गये क्या? उससे एक्सपर्ट हो गये।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं करें। (इशारे से अंकित करने से मना किया)

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मुझे आपसे निवेदन करना है आप विषय से इतना दूर मत हटिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार व्यक्तिगत हितों को साधने के लिये इस कानून का दुरूपयोग राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के मंत्री कर रहे हैं, कैसा भी कानून आप बता दें, कैसा भी हम से पास करवा लो, लेकिन यह दुरूपयोग करेंगे। इसलिए इन सब भावनाओं के साथ यह जो संशोधन है, इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित)

डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कानून बनाने का काम हम सब सदस्यों को करना पड़ता है और इसीलिये कानून बनाने की संसद कहा जाता है, सभासद कहा जाता है। दुर्भाग्य है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ बातें अभी जो अलवर से माननीय सदस्य आये हैं, रामगढ़ से आये हैं, बीकानेर से आने वाले सदस्य हैं और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही वह इस बात का प्रतीक है कि माननीय मंत्रीजी को सदन को यह अवगत कराना चाहिये कि यह

(डा. सी. पी. जोशी)

म्युनिसिपैलिटी एक्ट बन गया 1959 में, 1959 के बाद 2005 तक क्या आवश्यकता नहीं पड़ी कि इसमें कमी और खामी थी? राजस्थान सरकार को बने हुए करीब डेढ़-दो साल हो गये, 74 अमेंडमेंट हो गया, 74 अमेंडमेंट के जो प्रोविजन थे उन प्रोविजन के संबंध में कभी सरकार ने समय नहीं निकाला कि 74 अमेंडमेंट के संबंध में एक कोम्प्रीहेन्सिव बिल लाकर अमेंडमेंट लाकर सदन में चर्चा कराये, लेकिन सडनली 2005 में यह ध्यान में आया कि जो पीपुल एक्ट और म्युनिसिपैलिटी प्रोविजन एक्ट के अन्तर्गत अन्तर है। इस अन्तर को आधार मानकर यह आर्डिनेंस लाये हैं। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं यदि यह बातें सत्य हैं माननीय मंत्री महोदय, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लोकतंत्र के लिये खतरा है कि यह सरकार किसी एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के निर्देशों का पालन नहीं हो, उसको मीट-आउट करने के लिये अमेंडमेंट लाये। इससे बड़ी और कोई खतरनाक बात नहीं हो सकती। यह सभी जानते हैं कि पीपुल एक्ट में यह प्रोविजन है कि नाम कटाना, हटाना, जुड़ाना, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हों, जो राजस्थान के सांसद हों, उनका उत्तरदायित्व ज्यादा हो जाता है कि वह अपना नाम कहां जुडवा रहे हैं, कहां कटवा रहे हैं, उनका नाम कहां लगा हुआ है, कहां नहीं लगा हुआ, यह जिम्मेदारी इनकी है। पीपुल एक्ट के अंदर नाम जुड़वाने के लिये खुद की एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है एक फार्म प्रैसक्राइड है पीपुल एक्ट के अन्तर्गत, उसके अन्तर्गत नाम जुड़ता है, हटता है। हमारी माननीया धौलपुर से भी एमएलए रहीं, माननीया मुख्य मंत्री महोदया झालावाड़ से एम.पी. रहीं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया दिल्ली में भी निवास करती हैं । अलग-अलग जगह पर नाम जुड़ा हुआ था जब वह धौलपुर में एम.एल.ए. थीं तो उन्हें मालूम था कि उनका नाम धौलपुर में है तो क्या उन्होंने अपना नाम कटवाया और नाम कटवाने के बाद नाम झालावाड़ में जुडवाया और झालावाड़ में जब नाम जुड गया तो धौलपुर में नाम क्यों नहीं कटवाया? यह एक बहुत बड़ा अपराध है पीपुल एक्ट के अन्तर्गत। यदि एक्ट में यह अपराध है माननीय मंत्री महोदय खड़े होकर बतायें कि यह पीपुल एक्ट में अपराध है या नहीं?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी.पी. साहब को इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता पर यह रिप्रजेंण्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, पीपुल एक्ट कोई है ही नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले सी.पी. जोशीजी को बोलने दें, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): और कोई बात नहीं कहनी। रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सदस्य को बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम दो जगह है तो राजस्थान में क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बोल लिये, मैं बोलूं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो उनका नाम धौलपुर में भी है, उनका नाम वहां भी है, हो सकता है आप और हमारा नाम कोई वोटर लिस्ट से बाहर लेकर ले जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपराध है यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता?...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): Ignorance of law is no excuse.. अपराध है यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राजस्थान में कहीं भी वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो राजस्थान से कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है वो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मुख्य सचेतकजी, चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है सवाल यह है कि एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि उसका नाम कहीं जुड़ा हुआ है तो दूसरी जगह नाम जुड़ाने से पहले उसका नाम कटवाये। यह ओनस, यह जिम्मेदारी उस नागरिक की है। इसका यह एक रिप्रजेंटेटिव ऑफ पिपुल एक्ट के अन्तर्गत अपराध है। यदि यह अपराध नहीं है तो मावली से आने वाले माननीय सदस्य मुझे बताएं। यदि यह अपराध है तो जब आपको, आपने चुनाव लड़ा धौलपुर से, धौलपुर में आपका नाम था और

(डा. सी. पी. जोशी)

झालावाड़ से आप सांसद बनने गये तो यह ओनस आप पर था कि आप धौलपुर से नाम हटवा कर झालावाड़ में नाम जुड़ाते और झालावाड़ में आप सांसद बन गये तो यह ओनस आप में था कि धौलपुर में अपना नाम कटवाते।

चुना हुआ जन प्रतिनिधि यदि यह काम नहीं करता तो रिप्रजेंटेटिव ऑफ पिपुल एक्ट के अन्तर्गत वह अपराध करता है। इस अपराध से बचने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस को लाकर इस कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संविधान में शपथ ली है हमने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में आर्डिनेंस कब आयेगा, आर्डिनेंस आने में जनता का क्या फायदा है? मुझे मंत्री महोदय खड़े होकर के बतायें कि इस आर्डिनेंस आने के पीछे जनता का क्या फायदा हो रहा है? यह इसमें नाम जुड़े, नहीं करे, यह करे, चुनाव में कोई एम.पी., एम.एल.ए. चुनाव लड़ने वाला नहीं था नगरपालिका का, इसके पीछे जो हिडन एजेंडा है उस हिडन एजेंडा को जनता के बीच में लाना जरूरी है कि यहां राजस्थान के मुख्य मंत्री एक नागरिक के रूप में अपने अपराध के कृत्य को छिपाने के लिए इस कानून का सहारा लेकर यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान की विधान सभा में हो नहीं सकता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार 74 के अमेंडमेंट के जो प्रोविजन हैं उस प्रोविजन को अण्डर लॉ लाकर इन्होंने बिल नहीं लाये नगर पालिका में लेकिन केवल मात्र एक जिम्मेदार व्यक्ति को बचाने के लिए इस कानून में संशोधन करने का काम कर रहे हैं। यह जो कानून का प्रोविजन है हम हमारे दल की तरफ से गवर्नर महोदय को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट महोदय को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के कानून को पास नहीं किया जाए जिस कानून का दुरुपयोग करके जनता की जिम्मेदारी के पद पर बैठ कर लोगों के अपराध को बचाने का काम किया जाता है, उसमें हम भागीदारी नहीं निभाना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, 74 अमेंडमेंट के मैं क्लॉज बताना चाहता हूं। 74 अमेंडमेंट का सबसे बड़ा क्लॉज है जिसकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की यहां कमेटी की बात की गयी है, मानीटरिंग कमेटी की बात की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज

(डा. सी. पी. जोशी)

जयपुर के अन्दर जे.डी.ए. जो काम कर रहा है वह 74 अमेंडमेंट के बिलकुल खिलाफ है। 74 अमेंडमेंट के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं 74 अमेंडमेंट का खाली एक रेफरेंस देना चाहता हूं आपको 243 (डब्ल्यू) में लिखा है "Power, Authority and Responsibility of Municipality Act." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 243 (डी) में लिखा हुआ है Committee of the District Planning. और 243 जैड (ई) में लिखा है Committee for Metropolitan Planning. मैट्रोपोलिटिन प्लानिंग के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून में प्रोविजन लिखा हुआ है कि कब मैट्रोपोलिटिन प्लानिंग कमेटी बनायी जायेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आरोप लगाना चाहता हूं आप पर, जयपुर का विकास करने की आपके मन में कल्पना है तो 243 जैड (ई) के अन्तर्गत आपने मैट्रोपोलिटिन प्लानिंग कमेटी क्यों नहीं बनायी? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अन्तर्गत जयपुर डवलपमेंट के प्लान को एप्रूव क्यों नहीं कराया? अपनी मनमानी से जयपुर के विकास की जो कल्पना कर रहे हैं यह टोटल नेगेशन है 74 अमेंडमेंट का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार संविधान के प्रोविजन के अन्तर्गत काम नहीं करना चाहती। म्यूनिसिपैलिटी अमेंडमेंट को लाकर उनको संविधान की व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहती है। और संविधान के इतर जो व्यवस्था है, जे.डी.ए. के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जे.डी.ए. के अन्दर जो पंचायत की जमीनें हैं उस पंचायत की जमीन के अन्दर आप रजिस्ट्री किस भाव से करवा रहे हैं? जयपुर में रजिस्ट्री का भाव अलग, पंचायत का भाव अलग। 90 बी आपने करायी ओमेक्स की, वाटिका की करायी, उसके भाव क्या लिये आपने? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जे.डी.ए. का डवलपमेंट होने के अन्तर्गत हम इन सब बातों की चर्चा करें। आपने इस कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर एक व्यक्ति को लाभ उठाने के लिए यह कानून की व्यवस्था की। हमारी पार्टी और मैं व्यक्तिगत तौर से इसके पक्ष में नहीं हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि इस काले कानून को, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस काले कानून को यहां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कुर्सी पर बैठे हैं, कानून के ज्ञाता हैं, आपकी अध्यक्षता में यदि यह काला कानून पास होता है तो लोकतंत्र में यह बात कही जायेगी? एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, अपराध को बचाने के लिए एक काला कानून लाकर आप बिल ला रहे हैं। इसकी हम भर्त्सना करते

हैं और मांग करते हैं कि जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। और राजस्थान की पांच करोड़ जनता को मालूम होना चाहिए कि मुख्य मंत्री और अपने बेटे के कृत्य को बचाने के लिए, अपराध को बचाने के लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल से जनता का कोई फायदा नहीं है केवल मात्र अपराध को बचाने के लिए काम किया गया है। जो अपराध रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट के अन्तर्गत प्रोसीक्यूट करने लायक है, डिस्क्वालिफाइड करने के लायक है, उसको छिपाने के लिए काम किया गया है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा धाराप्रवाह भाषण दिया मुख्य मंत्रीजी ने अपराध कर दिया, आपराधिक कृत्य कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब लोग साक्षी रहे हैं, प्रत्येक वर्ष निर्वाचन नामावली का हमेशा पुनर्निरीक्षण होता है और कई बार, मेरा नाम जयपुर में है, मेरा नाम चूरू में है। मैंने मेरा नाम खुद दर्ज कराया तो मैं दोषी हूं, अपने आप जब उसका पुनरीक्षण हो और कोई नाम आ जाए उस पर ऐसा अपराध हो गया कि आर्डिनेंस ले आये और इतना बड़ा अपराध कर दिया, मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर इस तरह की बातें वो भी इस तरह आरोप लगाये...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इतना आपका है, इतने सज्जन आदमी हो और आपके आर्ग्यूमेंट हैं तो आर्डिनेंस को विथड्रा कर लो। मुख्य मंत्री ने कोई गलत कृत्य नहीं किया, हम अपने आर्ग्यूमेंट विथड्रा करते हैं। आप इस आर्डिनेंस को विथड्रा करो, कानून अपना रास्ता लेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसका स्कोप यहां नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके इतने इन्नोसेंट आर्ग्यूमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आप इतने ज्ञान की बातें अज्ञानियों को दिया करो, ज्ञानियों को मत दिया करो। आप इतना ही सिम्पल मामला है आर्डिनेंस को विथड्रा करो, हम आर्ग्यूमेंट विथड्रा करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको यह याद है कि नहीं कि दरख्वास्त देकर नाम जुड़वाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ज्ञानी हो या ज्ञाना हो, इस पर मैं नहीं जाऊंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हमने जो आरोप लगाये हैं हम सब आरोप विथड्रा करते हैं इस सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े होकर कहें यह कानून बनाया गया है इस कानून में हम फेस कर लेंगे। आप विथड्रा कर लीजिए। आप बोलिये विथड्रा करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस बिल का स्कोप यह है क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इस देश के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी का नाम आसाम में नहीं था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस बिल का स्कोप ही वो नहीं है। इस बिल का स्कोप पढ़ लें आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस बिल का स्कोप यह है कि दो जगह नाम आ गया इसलिए हटाने के लिए?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस बिल का स्कोप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको याद है कि नहीं है, नाम दस्तखत से जुड़वाया है। फार्म भर कर जुड़वाया है नाम, याद है कि नहीं आपको?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके चुनाव हुए 1994। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री माननीय भैरोसिंहजी शेखावत ने कराये थे, तब मालूम नहीं पडा आपको, आज मालूम पड़ा? आप लोकतंत्र में और वहां की ...(व्यवधान) विथड्रा करिये इसको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का प्रधानमंत्री संसद में जाए तो गलत एफिडेविट के आधार पर, वहां पर आसाम में उनका ...(व्यवधान) गलत एफिडेविट देकर और वहां पर मतलब इस देश का प्रधानमंत्री संसद में जाने के लिए ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आगे डिबेट चालू कराइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते। आप विथड्रा करिये इस कानून को। आप में अगर इतनी हिम्मत है, विथड्रा करिये इस कानून को।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे डिबेट चालू करिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर गलत आर्ग्यूमेंट देकर आप यहां काला कानून नहीं बना सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बहुमत के आधार पर पार्लियामेंट में ...(व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर को बचाने का काम लोक सभा में ...(व्यवधान) यह गलत बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यहां गवर्नर भी हैं, राष्ट्रपतिजी भी हैं हम गवर्नर को बतायेंगे, राष्ट्रपति को बतायेंगे कि यह कानून जो बनाया गया है यह कानून एक अपराध को बचाने के लिए कानून बनाया गया है।

महावीरजी, हल्ला करने से नहीं चलता है अगर हिम्मत है, साहस है और ईमानदारी से जमीर है तो खड़े होकर के कहिये विथड्रा करते हैं इसको, हम अपने चार्ज विथड्रा करते हैं। विथड्रा करिये इसको। विथड्रा करने का साहस नहीं है आपमें और यहां ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि इतनी ईमानदारी है तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी से माफी मंगवाओ, इस्तीफा दिलवाओ फिर सारे लोग ईमानदार हो जायेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मनमोहन सिंहजी से, यहां तो करो पहले, सब कर लेंगे। भाषण देने जा रहे हैं यहां करो पहले ...(व्यवधान) मनमोहन सिंहजी से करें, फलाना से करें, यहां तो मुख्य मंत्री के सामने आवाज नहीं निकलती, खिसियाते हो। यहां तो खड़े होकर के बोल रहे हैं वहां तो आवाज ही नहीं निकलती है, धोती में पीछे हाथ लगाना पड़ता है। और यहां भाषण देने खड़े हो रहे हैं। हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, क्यों बेकार बैठे हो आप? क्या मतलब ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप तो चर्चा शुरू करें आगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो सत्ता में रहते हुए और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कोई मेरी जुबान को रोक नहीं सकता। लेकिन आप अशोक गहलोत के आगे घुटने ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जोर-जोर से बाहर बोलिये, यहां नहीं बोलते। यहां वो बोल रहे हैं, वो आ रहे हैं ...(व्यवधान) उनको बोलिये, उनको सुनाइये। हिम्मत नहीं है बोलने की। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने यह आदर्श और यह नियम और कानून की बात करने वाले, महावीरजी जैन, हिम्मत नहीं है मुख्य मंत्री के सामने बोलें, साहस है, इस बिल को विथड्रा कराओ, हम अपने विथड्रा कर लेंगे। है साहस? इसको विथड्रा करवाइये। कानून अपनी जगह लेगा, कानून अपने आप कार्यवाही करेगा। कानून से बचाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे में साहस है, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री से अपनी गलती स्वीकार करवा लें तो मेरे में साहस है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारत के प्रधानमंत्री पर जा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मेरे में साहस है। उन्होंने आसाम में अपना नाम लिखवाया। आसाम में लिखवाया कि नहीं लिखवाया ? आसाम के निवासी हैं क्या वो? यह बता दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): काई कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आसाम में लिखवाया था, दूसरी जगह नाम नहीं था उनका।...(व्यवधान) दो जगह नाम नहीं था उनका, आप गलत कह रहे हैं। दो जगह नहीं था नाम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ सेक्शन 17 में अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के द्वारा जो पंचायत राज में व्यवस्था है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सोनिया गांधी का अभी भी इटली में नाम है। इटली में भी नाम है यहां भी है। इटली का नाम लेने से ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई नाम नहीं है, फालतू कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां मुख्य मंत्री दोषी हो गयीं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इटली में भी रहेगा, और रहेगा, आप बोलो न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिलकुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। खाली इटली, इटली कर रहे हो।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): महावीरजी, यह इटली कहां है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, सी.पी. जोशी साहब, यह मुख्य मंत्रीजी से बात करने जाते हैं +++

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। संशोधन...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कौन मुख्य मंत्री से बात करे और कौन नहीं करे, इससे आपको क्या लेना-देना है। या तो कव्वालियां करो और या जमीनों पर कब्जा करो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैडम-मैडम कर के, महारानी महारानी कर के और चरण चूमते हो और बात मेरे से करते हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोज देखता हूं, मैंने आज तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं प्रतिपक्ष में बैठता था कभी इसको क्रॉस नहीं किया, किसी मंत्री के यहां जाकर नहीं गया। आप रोज देखते हैं मंत्रियों के ढोक देते हैं, मुख्य मंत्री के जाकर और नमन करते हैं, चरण छूते हैं और बात करते हैं हिम्मत की। किसी मंत्री के यहां पर नहीं गया, आप रोज देखते हैं मंत्रियों के ढोक देते हैं, मुख्य मंत्री के जाकर नमन करते हैं और चरण छूते हैं और बात करते हैं हिम्मत की।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने हाथ वाली बात की..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रोज तो फ्लोर क्रास करते हो, रोज काम कराने के लिए गिड़गिड़ाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौन गिड़गिड़ाता है, कोई गिड़गिड़ाता नहीं है, फालतू की बात करते हो ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सवाल ही नहीं उठता महावीरजी, सवाल ही नहीं उठता, महावीरजी धमका कर काम करवाते हैं धमका कर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ..

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने हाथ वाली बात क्या कही माननीय माहिर साहब ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज तक यह सी. पी. जोशी बैठे हैं कल यह ...(व्यवधान) मैं बी-4 में रहता था उस समय वह आए कि आप अपना क्वार्टर दीजिए, मैंने दिया, बोले एक कमरा आपके लिए खाली रहेगा, आज तक उसमें प्रवेश नहीं किया, क्या बात करते हो हम जो हैं मूल्यों की राजनीति करते हैं और यह केवल गिड़गिड़ाने का काम, कभी किसी से दोस्ती करते हो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप और मूल्य कहां हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह काम मैं नहीं करता हूं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके इलाके में जाओ, आपके इलाके में जाकर के बात करके आओ ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे इलाके में बात करके आया हूं और आपने कुछ दिन पहले भी मुझे कहा था ...(व्यवधान) हाउस में यह पत्रकार महोदय भी बैठे हैं ..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कुंदनलालजी को लेकर आओ पता लगेगा कि ...(व्यवधान) आपको पता लग जाएगा..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप सदस्य की बात करते हैं मैं धरती पर ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कुंदनलालजी को लाओ आपकी पोल खुलेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने वह स्वीकार नहीं किया जो मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया मैंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) यह स्वीकार नहीं किया ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जो भी आरोप लगाओगे वह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

स्वीकार है, उसकी जांच कराएं। लेकिन आपकी कुंदनलाल शर्मा ने जो पोल खोली है ना ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप कोई आरोप अगर साबित कर दो तो.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऊपर से लेकर नीचे तक आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया है कि इधर के कई आदमी वहां मंत्रियों से दोस्ती करते हैं उनकी सूची प्रकाशित करो। कौन आदमी मंत्रियों से मुख्य मंत्री से, दोस्ती करते हैं उनकी सूची बताओ आप? इल्जाम मत लगाओ आप किसी पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रोज जाते हैं रोज।

एक माननीय सदस्य: यह कौनसा संशोधन पास हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कर्नाटक में गये, अध्यक्ष महोदय गवाह हैं इस समिति की रिपोर्ट है कर्नाटक में इन्होंने जालसाजी की वहां मारवाडियों को बुलाकर के ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सभी लोगों पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं जो लोग मिले हुए हैं उनका नाम बताओ आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनसे चाय के थैले ले आए ...(व्यवधान) बात कर रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जांच करवाइये आपकी सरकार है कर्नाटक में ...(व्यवधान) जांच कराओ, हिम्मत है तो जांच कराओ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्वयं स्पीकर साहब को मालूम है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखिए, चिल्लाने से काम नहीं चलता है जांच कराओ जांच ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं कर्नाटक में जाकर आया हूं और कर्नाटक के लोगों ने मुझे बताया ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): छोड़ो आप फालतू की बात करते हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की छोटी बातें सदन में कहना मैं मानता हूं निरर्थक है । कौन किसके पास बैठता है कौन कहां जाता है यह सदन की बातें हैं क्या और जो किसी बिल पर बहस हो रही है ...(व्यवधान) यह बात निरर्थक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो कह देंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनो पहले आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सदस्य, नाम बताओ आप, आप एक दो पर यूं नहीं कह सकते इधर के लोग मिले हुए हैं आप सूची प्रकाशित करो आपके मुख्य मंत्री और मंत्रियों से हमारी तरफ से कौन मिले हुए हैं हम पर ही इल्जाम लगाते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यदि सूची आ गयी तो क्या करने वाले हो? यदि सूची प्रकाशित हो गई तो क्या करोगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम आपका नाम कम कर देंगे हम तो रोज देखते हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्या लेना देना है इन बातों से ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुख्य मंत्री कोई बीजेपी की नहीं है, मुख्य मंत्री राजस्थान की हैं । राजस्थान की मुख्य मंत्री से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि वह मिल सकता है । मुख्यमंत्री हमारी भी हैं आपकी भी हैं और मंत्री हमारा भी है, आपका भी है, मुख्य मंत्री और मंत्री से मिलना कोई पाप नहीं है और सदन के अन्दर कोई छोटी बातें करता है, मैं समझता हूं निरर्थक है इस प्रकार की, मुख्य मंत्री राजस्थान की हैं, मुख्य मंत्री के हम भी प्रतिनिधि हैं और मुख्य मंत्री से बात करना कोई गुनाह नहीं है क्या बात करते हो, यह कोई बात है क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे से क्या बात करते हो ?

एक माननीय सदस्य: इन्होंने यही किया है पांच साल से ..

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह किस बिल पर बात हो रही है, कौन से बिल पर आ रहे हो आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप मेरे लिए कहेंगे मैं नहीं कहूंगा, क्या बात करते हैं ...(व्यवधान) न आज तक मेरा ऐसा कोई वो है जो यह कह देंगे...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह नगरपालिका का बिल पास हो रहा है क्या? यह कौनसा संशोधन पास हो रहा है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कब मकान दिया मुझे बताइये, कौनसा मकान दिया, किसको मकान दिया, आप क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ..

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक निवेदन करना चाह रहा था..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने यह कहा है सी. पी. जोशी साहब जब मंत्री बनकर आए थे तब मैं बी-4 में रहता था तब वह आए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने न आपकी शक्ल देखी न मैं आपसे मिला, जेडीए का काम है मकान अलाट करना, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं मिले ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल नहीं मिला, दिमाग से निकाल दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप मिले हैं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल नहीं, तीन महीने तक सर्किट हाउस में रहा हूं आई नेवर मैट यू, आप फिर याद कर लीजिए मकान राजेन्द्र चौधरी को अलॉट हुआ है मुझे अलाट ही नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप मिले और आपने यह कहा..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप करैक्ट कर लीजिए। आपका मकान राजेन्द्र चौधरी को अलाट हुआ है मुझे तो अलाट ही नहीं हुआ है। वह मकान मुझे अलाट ही नहीं हुआ है करैक्ट कर लीजिए अपने आपको मेरे को कोई मकान अलाट नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आदत में नहीं है, रिकार्ड करैक्ट कर लें। मकान मुझे अलाट नहीं हुआ है वह मकान राजेन्द्र चौधरी को अलाट हुआ है, फालतू बात करे जा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए कि किसको मकान हुआ है क्या हुआ है ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुझे खेद है इस बात का महावीरजी कि ...(व्यवधान) राजस्थान की विधान सभा का चीफ व्हिप इस प्रकार की बात करता है। यह पूरे सदन में शर्म की बात है इस प्रकार का चीफ व्हिप अगर सबसे मुख्य व्यक्ति ...(व्यवधान)

(समय : 17.36 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, देखिए कोई भी आसन से परमिशन लेकर आप बोलिए। यहां जो बिल पर चर्चा चल रही है अमेंडमैंट पर, अभी इस पर यहां जो भी आप चर्चा कर रहे हैं जो विषयान्तर है, मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है। माननीय श्री संयमजी लोढ़ा ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापतिजी, मुझे तो मात्र एक बात कहनी थी माननीय नगर से...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन ने आपको इजाजत नहीं दी आप विराज जाइये, आसन ने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री सभापति: एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं ?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी हमारे चीफ व्हिप महोदय के बारे में कि जब मुख्य मंत्री के पास जाते थे +++ यह कार्यवाही से निकालना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने नहीं, सी. पी. जोशीजी ने कही है । क्या हो गया?

श्री सभापति: कार्यवाही से निकाल दीजिए। श्री संयम लोढ़ा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खुद ही तो कहलवाते हो और खुद विथड्रा करवाते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी ही पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। बैठे-बैठे नौ कमेंट्स प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में जब कभी कोई विधेयक या किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो इस बात पर बहुत विचार करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। विधायकों के वेतन या भत्ते में भी किसी तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाता है बढ़ाने का तो बहुत समग्र रूप से चिन्तन होता है, विचार होता है कि इस बात को इस सन्दर्भ में हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन का प्रयोग और राजस्थान की सरकार का प्रयोग अध्यादेश लाने में किया। उन्होंने इस बात पर जरा भी नहीं सोचा कि राजस्थान की जनता क्या कहेगी । वसुन्धराजी का नाम लेते ही जिस सत्ता पक्ष को चार सौ वाट का करंट लग जाता था आज उन पर यह पूरे यह इस बात के आरोप लगे कि रीप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट के तहत एक आपराधिक कृत्य उन्होंने किया है उसके बाद भी जिस तरह से सत्ता पक्ष बिखरा हुआ और जिस तरह से निठल्ला सा रहा वह अपने आप में जाहिर करता है कि सत्ता पक्ष इस अध्यादेश को लाने के बाद में किस अपराध बोध से ग्रस्त है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रभारी मंत्री जो यह विधेयक लेकर के आए हैं मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार परिवर्तन के नाम पर राजस्थान की जनता से जनादेश लेकर के आयी है। और इस सरकार से राजस्थान की जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं कि जो व्यवस्था बनी हुई है जो व्यवस्था की कमियां हैं इसमें आमूलचूल परिवर्तन यह सरकार करेगी। जेडीए 1982 में अस्तित्व में आया उसके बाद से चौबीस साल गुजर गए। अगर इस सरकार का जरा भी परिवर्तन का सोच है तो आज के सन्दर्भ में क्या जेडीए को एक अलग स्वरूप के साथ राजस्थान के लोगों के लिए लाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? और 74वां संविधान संशोधन होने के बाद जिस मैट्रोपोलिटन मानीटरिंग कमेटी की कल्पना की गयी थी क्या इस सरकार का दायित्व नहीं था कि उस कमेटी के गठन का यह सरकार काम करती? आज किस तरह के हालात बने हैं हम परिवर्तन को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं । जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो स्थापित नियम हैं, जो स्थापित मानदंड हैं, नगरीय विकास की संस्थाएं,

(श्री संयम लोढ़ा)

स्थानीय निकाय उसका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, खुल्लमखुल्ला मखौल उड़ा रहे हैं। कोई वित्तीय नियम नहीं, कोई टेण्डर का प्रोसेस नहीं, कोई ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, एक निवेदन है विषय से संबंधित कहें ... (व्यवधान) एक मिनट। यदि विषय से संबंधित कहें तो ...

श्री सभापति: आप बैठिये। ... (व्यवधान) नौ-नौ। आपकी बारी आए, बोलिये। No. I would not allow. Please sit down. Take your seat. I would not allow you. जब आपकी बारी आए, बोलियेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई वित्तीय नियम नहीं, कोई मानदंड नहीं, कोई नियम की पालना नहीं, कोई निविदा व्यवस्था नहीं, आप डवलपमेंट के काम करने जा रहे हो। आप आर्किटेक्ट का अपाइंटमेंट कर रहे हो। आप वास्तुविद् का अपाइंटमेंट कर रहे हो। आप सलाहकार का अपाइंटमेंट कर रहे हैं। कोई निविदा प्रक्रिया नहीं, मेरे घर की खेती है जिसको चाहे काट कर दूं। इस तरह के हालात नगरीय विकास की संस्थाओं में बने हुए हैं। सेवा निवृत्त लोगों की भीड़ उठाकर हम उस संस्था में इकट्ठी कर देते हैं। हम इस पर विचार नहीं करना चाहते कि जहां पर वह लोग पहले कार्यरत रहे, जिन संस्थाओं में कार्यरत रहे, जिस व्यक्ति के साथ कार्यरत रहे, वहां उनके क्या कारनामे रहे ? पूरा का पूरा समूह उठाकर हम नगरीय विकास की संस्था में लाकर क्यों बिठा देते हैं और इसको ठीक करने के लिये हमें क्या करना चाहिये ? सरकार का कोई विचार नहीं है। हमारा इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा सिस्टम है डिपार्टमेंट का, उस सिस्टम का हम उपयोग भी नहीं करना चाहते हैं। फार्म कलेक्ट करने तक की व्यवस्था निजी संस्थाओं को देना चाहते हैं। लाखों रुपये का उनको कमीशन देना चाहते हैं। फार्म छपाने का काम भी हम टेण्डर से नहीं करना चाहते। फार्म छपाने के काम पर अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और लाखों रुपये का नुकसान स्थानीय निकाय की संस्थाओं को पहुंचाना चाहते हैं और उस समय कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, देखिये ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं उसी सन्दर्भ में कह रहा हूं।

श्री सभापति: आप बोलिये। आप कहां दिल्ली पहुंच गये ? कहां दूसरी जगह पहुंच गये?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनिये। आप मेरी बात सुनिये। आप सुनेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि मैं ठीक हूं।

श्री सभापति: You speak about the amendment please.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बिलकुल रेलेवेंट बात कहता हूं। अगर आप ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर आप इधर-उधर होंगे तो फिर मुझे मजबूर होकर अंकित ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल इधर-उधर होऊं तो आप आदेश दे देना मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति: Please limit yourself up to the amendment.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह कहां आ गये तत्कालीन प्रधान मंत्री? यह म्युनिसिपल एक्ट के अमेंडमेंट में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहां आ गये?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी बात सुनिये, बात तो सुनिये आप। मैं नहीं ला रहा हूं। बात तो सुनिये आप।

श्री सभापति: नौ-नौ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 73वें संविधान संशोधन को लेकर के अखिल भारतीय सम्मेलन वैंकय्या नायडूजी ने बुलाया और इस पर चिंतन हुआ। इस पर विचार हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं और निकायों को कैसे मजबूत बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उस सम्मेलन में मौजूद थीं। और उसके बाद में 2003 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधीजी ने कांग्रेस शासित मुख्य मंत्रियों की एक बैठक की जिसमें यह निर्देश प्रदान किये कि कांग्रेस शासित राज्य स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये विशेष कदम उठाएं। माननीय सभापति महोदय, आनरेबल पार्लियामेंटरी मिनिस्टर और यू डी एच मिनिस्टर भी पिछले सदन के सदस्य थे 2003 के अन्दर इसी सदन के अन्दर। दो दिन का विशेष

(श्री संयम लोढ़ा)

सत्र बुलाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को कैसे सुदृढ़ किया जाए? अब जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिये जो कल्पना की गयी है वह बहुत स्पष्ट है। उसमें स्टेट के हाथ में बहुत कुछ नहीं है लेकिन जो दो दिन तक राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में 2003 में चर्चा की ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप इसके बारे में do not talk about the Panchayat.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और तब उस चर्चा का अमृत मंथन यह निकला कि राजस्थान सरकार स्थानीय निकायों के चेयरमैन के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से करवायेगी और यह स्टेट का अधिकार है। संविधान संशोधन में भी यहां राज्य पर छोड़ दिया गया है और तब समग्र रूप से चिंतन होने के बाद राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन ने 2003 में यह मत व्यक्त किया था। आज 2006 आ गया और यह सरकार परिवर्तन के नाम पर जनादेश लेकर आयी है लेकिन राजस्थान में इस...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो किस बात की आप घण्टी बजा रहे हैं ?

श्री सभापति: मैं समाप्त के लिये कह रहा हूं आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: इतना लम्बा इसमें भाषण नहीं होता है अमेंडमेंट में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। घण्टी तो मत बजाओ।

श्री सभापति: करिये, करिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं कि किस बात की घण्टी बजा रहे हैं। यह तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो बैठ जाता हूं, लो।

श्री सभापति: नहीं, उन्होंने पूछा है मेरे से। मेरे से पूछा है। बाकी कोई अधिकार को चुनौती नहीं दी है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं, आपके लिये यह शब्द इस्तेमाल किया है कि किसके लिये घण्टी बजा रहे हो आप।

श्री सभापतिः आप अधिकार को चुनौती दे रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं दे रहा हूं।

श्री सभापतिः नहीं दे रहे हैं। बस ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सदन का आज्ञाकारी सदस्य हूं और मैं आसन के निर्देश की पूरी पालना करता हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञाकारी हैं या नहीं है, यह तो सब सदस्य जानते हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, तगारामजी, वह समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने दीजिये उनको। यस प्लीज समाप्त।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, संयम लोढ़ा बोलते वक्त कभी हंसते नहीं हैं लेकिन आपने हंसा दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब का यह प्रयास होना चाहिये कि व्यवस्था कैसे सुधरे। आज नगरपालिकाओं की क्या स्थिति बनी हुई है। एक चेयरमैन बनने के लिये लाखों रुपये खर्चा होता है। होर्स ट्रेडिंग होती है। उन पार्षदों को बिठाकर रखना पड़ता है। पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है। अगर आपकी नीयत साफ है और राजस्थान की जनता के लिये आप कुछ करना चाहते हो, खाली मुख्य मंत्री और उनके बेटे की आपने वह करने का आपका इरादा नहीं है, राजस्थान की जनता के लिये कुछ करना चाहते हो तो आप यह अमेंडमेंट समग्र रूप से लाओ और इस बात की व्यवस्था करो कि राजस्थान में आने वाले वक्त में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होंगे। हम राजस्थान की जनता को इस बात का मौका देंगे कि वह चेयरमैन, मेयर, महापौर, उनका सब का निर्वाचन सीधे करे और ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः समाप्त प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और एक ऐसा जनादेश देकर स्थानीय निकायों की व्यवस्था सुदृढ़ करें जिससे यह महीने के महीने जो पार्षदों को पैसा पहुंचाना पड़ता है, वह पैसा पहुंचाने का काम ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, होर्स ट्रेडिंग इन्होंने की, चेयरमैन अपनी पार्टी के, कब्र खोदी सिरोही में जिला परिषद् में मार्केटिंग इन्होंने की है सिरोही में।

श्री सभापति: श्री मोहम्मद माहिर आजाद। प्लीज।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने अपनी कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदी। सिरोही में खोदी है कि नहीं खोदी है, जवाब दे दो आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो बिराज जाओ। अब आपका तो बिना पढ़े आ गया...(व्यवधान) आपको तो वही नहीं दिखता है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त कीजिये। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिये मेरा इतना ही निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप समग्र रूप से परिवर्तन का विधेयक लेकर आएं जिससे स्थानीय निकायों की राजस्थान की व्यवस्था बेहतर हो, सुदृढ़ हो, अच्छी हो, आपके भी चार चांद लगें, आपकी मुख्य मंत्री के भी छह चांद लगें। और यह जो आपराधिक कृत्य मुख्य मंत्री ने किया है और आप इसमें जो भागीदार बन रहे हो। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, इस आपराधिक कृत्य के लिये राजस्थान की मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह पूर्ण असत्य है, मनगढ़ंत है।

श्री सभापति: श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस सदन के वरिष्ठ सदस्य नावां से आने वाले श्री हरिशजी कुमावतजी का आज 63वां जन्मदिन है, मैं आपके माध्यम से सब सदस्यों की और से उनको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

श्री सभापति: हमारी सबकी ओर से आपको बहुत बधाई। मेरी ओर से भी और सदन की ओर से भी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सात बजे इनका खाना भी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं वह जिक्र नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप बड़े विद्वान हैं, एलएलएम हैं और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान) आप देखिये अभी बोलना शुरू किया और इनके ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं। प्लीज बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे आप। आप बोलने दीजिये उनको। वह क्या बोलें, आपसे पूछकर नहीं बोलेंगे। प्लीज सिट डाउन।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह बोल रहे हैं कि बहुत विद्वान हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज। नो प्राब्लम। मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, आपको क्या आपत्ति आ रही है ? क्या आपत्ति है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन कर रहा था कि आप बड़े विद्वान हैं, कानून के जानकार है, एलएलएम हैं। मेरे मित्र जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य भी वकील हैं। मावली से आने वाले सदस्य भी वकील हैं। यहां लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं आपसे ही यह कहना चाहता हूं कि क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1927 के प्रावधानों में एक व्यक्ति का दो जगह नाम होना जायज है क्या? आप बता दीजिये। आप बहुत निष्पक्ष और न्याय की बात करते हैं, एक व्यक्ति का दो जगह मतदाता सूचियों में नाम है, यह जायज है क्या और ला में इग्नोरेंस ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका कई बार दो जगह नाम नहीं रहा क्या ? जौहरी बाजार से नाम रहा, आपका झुंझुनूं से नाम रहा, आपका नगर से नाम रहा ... (व्यवधान) नो-नो सिर्फ ... (व्यवधान) गलत। माननीय सभापति महोदय, आयी बार निर्वाचन नामावली का पुन: निरीक्षण होता है। सभापति महोदय, आप सब जानते हैं अगर किसी ने जान बूझकर दो जगह नाम अपना रखा हो तो बात हो सकती है। यह अगर किसी ने जान बूझकर दो जगह नाम रखा हो और यह फार्म संख्या होती है। फार्म संख्या छह भरकर अपना नाम इसमें इंद्राज कराएं तो वह तो सही हो सकती है और नाम शाश्वत चलता रहता है। बिना मतलब आपराधिक कृत्य और यह ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैंने ... (व्यवधान) इनको आपत्ति इस बात पर हुई ... (व्यवधान)

श्री सभापति: पहले माननीय मंत्रीगण, सारी डिबेट सुन लीजिये उसके बाद में बोल लीजिये।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सभापति महोदय, आपका सवाई माधोपुर में मकान है और आपका नाम है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, या तो माननीय सभापति महोदय, इस बात के लिये कह दें, आश्वासन दें ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कह दो ना आप। आप कह दो इस सदन के अन्दर कि आपका नाम नहीं है। आपका कई बार नाम बताऊंगा मैं दो-दो, तीन-तीन जगह। बिना मतलब आपराधिक कृत्य, आपराधिक कृत्य ... (व्यवधान) तो इनका नाम है। आपका कई बार नाम बताऊंगा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपका कितनी जगह नाम है, आप जवाब दीजिये... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दो जगह नाम कोई इंटरेस्ट पर थोड़ी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपराधिक कृत्य ... (व्यवधान) किस तरह का वातावरण बना रहे हैं?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके कितने जगह नाम हैं, आप बता दीजिये?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बहुत जगह नाम को इंटरेस्ट से थोड़े ही किया है ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कितनी जगह नाम है, आप बतायें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाम लिखने वाले आते हैं तो वैसे ही लिख देते हैं । जान-बूझकर के कोई लिखाता नहीं है। यह तो रुटीन में नाम लिख जाते हैं। एक आदमी का नाम तीन-तीन जगह भी हो सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें । माननीय मंत्रीजी ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दो जगह नाम ...(व्यवधान) थोड़े रखा है ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): स्वयं अपराध करें, दो जगह नाम ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): क्या बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जायें । सरकार जवाब देगी न, आप बिराज जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इतना ही निवेदन था कि मनमोहन सिंहजी को चुनाव लड़ना था राज्य सभा का आसाम में नाम लिखा दिया, वाजिब बात है, वसुंधराजी का नाम दो जगह है तो अपराधिक है।

एक माननीय सदस्य: दो जगह मतदान करना अपराध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सारा मामला अमेंडमेंट का है ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं।

श्री सभापति: आपका जवाब आयेगा न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां जा रहें हैं, कहां जा रहे हैं ...(व्यवधान) आपने कोई अनुमति दे दी इनको?

श्री सभापति: जब जवाब आयेगा तब यह सारी चीजें दे दी जायें । बाद में कर लेना सभी को एक बार ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में इतना ही निवेदन था कि सैक्शन 17 में अमेंडमेंट सरकार लेकर आयी है । इनके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट उल्लेखित किया । उसी स्कोप में यह डिबेट करें तो समझ में आये । कहां बात को कहां का लेकर के गये हैं। प्रत्येक वर्ष निर्वाचन नामावली का पुनर्निरीक्षण होता है । आप तो खुद साक्षी रहे हैं । कई बार नाम एक जगह से होता है फिर दूसरी जगह भी हो जाता है। अगर कोई फार्म संख्या 6 भरकर अपना नाम दो जगह इंद्राज कराये तो दोषी हो सकता है । अगर यह बता दें कि फार्म संख्या 6 उन्होंने भरा है तो कोई बात है । अब बिना कारण से दोषी हैं, मुख्य मंत्रीजी दोषी हैं, किस तरह का वातावरण यह बनाना चाहते हैं ।

श्री सभापति: आप उनको बोलने दीजिये । बाद में सरकार अपनी तरफ से जवाब दे तो इन सब बातों का खुलासा कर दीजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): बोलने में कोई तुक नहीं है।

श्री सभापति: तगारामजी, विराज जायें ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): बिना तुक की बात है।

श्री सभापतिः हां, विराज जायें । आपकी बात आ गयी है, बैठिये ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यहां बिलकुल सारी बात हो रही है कि किस विषय पर बोलना है।

श्री सभापतिः माननीय तगारामजी, बहुत सारे सदस्य हैं जो अपने विचार व्यक्त करें वह रख देंगे ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं भी करूंगा, मैं भी बोलूंगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): स्पष्ट विचार रखने हैं ...(व्यवधान) कई बार माननीय सदस्य जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं वहां से नाम कटाकर के नगरपालिका के वार्ड का चुनाव लड़ते हैं । इसमें कौनसा अपराध कर दिया गया?

श्री सभापतिः विराजिये माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कैसे नियमों पर बोलना था, जितने भी सदस्य थे ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिये प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, श्रवण जी बैठे हैं, यह चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): एम.एल.ए. कहेगा वही होगा यह कोई कानून थोड़े ही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनसे पूछ लो कि कई बार अपने यहां वोटर लिस्ट की बात होती है । वोटर लिस्ट में कई बार गांवों के अंदर भी नाम रह जाते हैं । कई बार शहर में नाम रह जाते हैं । कोई जबरदस्ती अपना नाम लिखाने की बात है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, यह सही है कि नाम रह जाता है । लेकिन कानूनी रूप से वह अपराध की श्रेणी में आता है । आप किसी भी एक्ट में पूछ लो ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय हिण्डौली से आने वाले सदस्य ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप किसी भी एडवोकेट से पूछ लो, हम अपराध तय नहीं करेंगे, अपराध कानून ने तय कर रखा है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जानकारी में नहीं है तो कोई अपराध नहीं है। जान-बूझकर के लिखाया हो तो अपराध में आयेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको और जानकारी दे दूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय हिण्डौली से आने वाले सदस्य का अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: माननीय हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, एक मिनट बैठें ।

एक माननीय सदस्य: अपने सुपुत्र महोदय का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप चाहे कोई भी बोलते हैं आसन की तरफ मुखातिब होकर के बोलते है । आप सीधे ही इधर बोल रहे हैं और आप उधर बोल रहें हैं । आसन से परमिशन नहीं ले रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं । आप पहले बोल चुके हैं, आपने जो भी बोला है कोई अंकित नहीं हुआ है इसलिए कोई भी आसन की परमिशन के बिना बोलेगा चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सदस्य हो उसका अंकित नहीं होगा । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले सदन में एक अनुशासन रखना जरूरी है, जिसकी मर्जी में आता है चाहे जब खड़ा होकर उधर मुंह करके बोलने लग जाता है । यह गलत है । आसन की परमिशन लेकर के बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री ने नाम लिया ...(व्यवधान) मैंने न मुख्य मंत्रीजी का नाम लिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात बोलिये, छोड़िये उसे ...(व्यवधान) उनकी बात पर मत जायें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं अपनी बात कह रहा हूं मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूं कि ignorance of law is no excuse. बताइये सही है या नहीं है? अब आदमी यह कह दे कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है और इसलिए मैं दोषी नहीं हूं ऐसा नहीं है । दूसरी बात अभी यह कहा कि मेरा नाम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सवाई माधोपुर में है, झुंझुनूं में है, मैं एक मिनट में कह रहा हूं । मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मेरा नाम केवल जौहरी बाजार विधान सभा क्षेत्र के 42 विधान सभा क्षेत्र में है । जहां से भी चुनाव लड़ता हूं मैं वोटर सर्टिफिकेट लेकर के उसकी प्रति देता हूं । आप चुनाव आयोग से निकलवाकर देख लीजिये । यह मेरा चैलेंज है ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सभी प्रति देते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो। यह कोई नई बात नहीं है ।

श्री सभापति: माननीय तगारामजी बिराज जायें । क्या है यह बार-बार? आप तो बहुत सीनियर और अच्छे सदस्य हैं । सबको ज्ञान देते हैं । आपसे सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता । मैं जो इसका स्कोप है इससे बाहर भी बात नहीं कहूंगा । मैं आपसे केवल दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं कि पहली चीज तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि वह महामहिम राज्यपाल महोदय से आर्डिनेंस जारी करवाना पडा। यह बात सही है कि न कोई दिसम्बर में चुनाव थे ना कोई आफत आ रही थी। फरवरी में विधान सभा का सबको पता था कि बजट सत्र होने ही वाला है। फिर आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आप इस आर्डिनेंस को लाये पहली चीज तो यह।

दूसरी चीज यह कि जब आप नगरपालिका अधिनियम 1959 के अंदर आप चेंज करना चाह रहे हैं, संशोधन करना चाह रहे हैं तो आप केवल एक छोटी सी बात के लिये आ गये । मैं ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में तीन नगर निगम बने हुए हैं जयपुर, कोटा और जोधपुर। आप स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछ लीजिये। आज तक आपने नगर निगम एक्ट नहीं बनाया। आज भी जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों को आप म्युनिसिपल एक्ट के तहत चला रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता थी तो आप नगर निगम एक्ट लाते, उसमें प्रोविजन लाते। 1959 से आज तक इतने साल हो गये। तीन चुनाव नगर निगम के हो गये। नगर निगम के चुनाव बराबर हो रहे हैं, नगर निगम बन गये। अब आपने संभागीय मुख्यालयों पर अजमेर, बीकानेर में और दूसरी जगह भी नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन आज तक आप नगर निगम एक्ट का प्रोविजन नहीं लाये। जो कानून

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में आवश्यकता थी, जो जरूरत थी जिसके लिये आपके सदन की कमेटी बनी। दूसरी जगह गये जानकारी करके लाये वह तो ला नहीं रहे हो और केवल एक इतनी सी बात के लिये कि कोई सदस्य वहां रहता है या नहीं रहता है उसकी प्रजेंस मान ली जायेगी । उसके लिये आप यह अमेंडमैंट ले आये । हम यहां कोई बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि सदन का समय खराब कर रहे हैं । यह बिल लाकर के आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको जिसके लिये लाये उसका पूरा मकसद, परपज हल नहीं होता है। यह जनहित में नहीं आया है। किसी भी कल्याणकारी वैलफेयर स्टेट के लिए कोई भी एक्ट आप लायें उसमें आपको यह बताना पड़ता है कि इससे हम जनता को यह फायदा पहुंचाना चाहते हैं या इससे यह सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं। इसलिए यह जनहित में नहीं आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप जनमत जानने हेतु प्रचारित करें।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक, 2006 पर कई माननीय वरिष्ट सदस्यों ने अपनी बातें रखी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में दो अधिनियम हैं एक नगरपालिका अधिनियम और एक पंचायत अधिनियम। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनावों से संबंधित है । एक तो विसंगति है जिसकी और मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो विसंगति है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । कई माननीय सदस्यों का काम पड़ा होगा नहीं तो पड़ भी सकता है । उदाहरण के लिए कोई एक नवयुवक है उसने बीस-इक्कीस या जो शादी की उम्र है कानून के अनुसार विवाह कर दिया, दो संतान हो गयी। चार या पांच साल बाद में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, पुनर्विवाह का अधिकार है उसने अपना पुनर्विवाह कर लिया । पुनर्विवाह के उपरांत उसकी उम्र शायद पच्चीस-छब्बीस पहुंच गयी । अब जो उसकी पत्नी है वह यह चाहती है कि वह संतान उत्पन्न करे और उसका पति जो है वह मना करेगा कि तुम संतान उत्पन्न कर दोगी तो मैं पंचायत राज में कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता हूं। यह विसंगति इसलिए हो गयी कि दो अलग-अलग अधिनियमों में दो अलग-अलग प्रावधान हो गये । एक म्युनिसिपैलिटी एक्ट में वर्ड है पर्सन, और पंचायत राज में स्पष्टीकरण 19 (4) का एक्सपेलिनेशन है वह वर्ड है कपल। ऐसी विसंगति माननीय राजस्थान

(श्री जोगाराम पटेल)

उच्च न्यायालय के समक्ष आयी कि अगर कोई पत्नी जिसने विवाह किया है उसका संतान उत्पत्ति का एक फंडामेंटल अधिकार है और उसका पति इस आधार पर मना करता है कि मेरा पंचायत राज में जो खड़ा होने का अधिकार है

(समय : 18.00 बजे)

वह इससे समाप्त हो रहा है, तो उस परिस्थिति में किया जा सकता है। फरगा बनाम स्टेट आफ राजस्थान में सन् 1999 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि चूंकि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 के एक्सप्लेनेशन 4 में वर्ड 'कपल' है और चूंकि वह जो पूर्व की दो संताने हैं वह इस कपल की नहीं है, पूर्व के कपल के पार्टनर की हैं, उसका देहान्त हो गया इसलिए यह डिसक्वालीफिकेशन लागू नहीं होती है। परन्तु ऐसा प्रावधान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में नहीं है।

मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि उसका दूसरा रूप भी हो सकता है। सपोज किसी बहन का विवाह किया हो, भगवान न चाहे उसका सुहाग उजड़ गया हो, उसके पूर्व के पति से दो संतान हो और हमारे यहां रिवाज है कि उक्त संतान होते हुए भी वह पुनर्विवाह करती है, उस पुनर्विवाह के उपरान्त भी पति संतान उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि वह पत्नी यह कहेगी कि यदि आप संतान उत्पन्न कर देंगे तो मैं पंचायतीराज या नगरपालिका अधिनियम के अनुसार चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती। उन दोनों ही परिस्थितियों में आज यह मौका है, मेरी बात सदन के सामने रखने का, उन दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा अमेण्डमेण्ट लाना जरूरी हो गया। नगरपालिका अधिनियम में 'कपल' वर्ड हो जाए। 'कपल' वर्ड यूज हो जाने के बाद चाहे पति हो चाहे पत्नी हो उनका संतान उत्पन्न करने का जो फण्डामेण्टल अधिकार है या इलेक्शन लड़ने का जो फण्डामेण्टल अधिकार है उस पर कुठाराघात नहीं होगा क्योंकि कपल तभी गिना जाएगा जब उन दोनों पार्टनरों ने मिलकर कोई संतान उत्पन्न की होगी। अगर किसी एक पार्टनर की है और वह पार्टनर इस दुनिया में नहीं रहा है तो वह कपल बदल जाता है। इसलिए आज इस मौके पर, सबसे महत्वपूर्ण जजमेण्ट है फरगा बनाम स्टेट आफ राजस्थान, उसका निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में 'पर्सन' की जगह 'कपल' वर्ड का जैसा अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा, आमूलचूल परिवर्तन का विधेयक लाना चाहिए। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं, ऐसी विसंगति आ सकती है और कई बार आई है, हमारे सामने तो

(श्री जोगाराम पटेल)

कई बार आई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अमेण्डमेण्ट इस नगरपालिका अधिनियम में किया जाए कि किसी भाई या बहन को मात्र इस कारण से उसके फण्डामेण्टल अधिकार से चाहे वह संतान उत्पत्ति का अधिकार हो चाहे चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, इस कारण से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पूर्व के पार्टनर से कोई संतान उत्पन्न थी, अब दूसरी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, चाहे भाई हो या बहन, संतान होती है इसलिए मेरा इस मौके पर इतना निवेदन था।

दूसरा, अभी यह विवाद खड़ा किया गया कि किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों की वोटर लिस्ट में नाम आ गया, यह अपराध है। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि नाम आना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। मैं निवेदन कर दूं मेरे सभी वरिष्ट माननीय सदस्यों को जो यह बात कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई भी कानून कहीं भी यह प्रोवाइड नहीं कराता है कि एक व्यक्ति का दस जगह या दस से अधिक जगह पर नाम आ गया है तो उसने गुनाह किया है, गुनाह है तो वोट कास्टिंग करना, एक से दूसरी जगह वोट कास्ट करता है तो वह गुनाह है। इस आधार पर आज जो डिस्कस कर रहे हैं या इस आधार पर जो अपनी बात रख रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सहमति ली जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे फार्म भरवाया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे शपथ पत्र लिया जाए, वोटर लिस्ट में नाम लिखने की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत किसी का नाम ज्ञानता या अज्ञानता से लिख दिया है तो वह कोई अपराध नहीं है और इस सम्बन्ध में शायद किसी व्यक्ति का नाम लेकर या जनरल आधार पर जो यह कहा गया कि उसका नाम दो जगह है इसलिए उसने अपराध किया है या इस वजह से अधिनियम या आर्डिनेन्स लाया गया है, मेरा सब्मिशन है कि वह पूर्ण रूप से गलत है। मैं अपने द्वारा दिया गया जनमत जानने हेतु प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव विड्रा करने की अनुमति मांगता हूं।

श्री सभापतिः क्या सदन अनुमति देता है विड्रा करने की?

(स्वीकृत)

यह विड्रा किया गया अमेण्डमेण्ट।

श्री सभापतिः श्री शान्तिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें जो नगरपालिका अधिनियम में हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं। नगरपालिकाओं में आज की तारीख में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। एक हजार की जनसंख्या पर कम से कम 10 या 8 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, वह नहीं है। उनकी भर्तियां अति शीघ्र की जाए। यह आज सभी जगह का आलम हो गया है कि ठेके पर रखो और सारी जगह गंदगी हो रही है। बहुत ही अच्छा होता कि यह कम्प्रिहेन्सिव कोई बिल लाया जाता और फिर सारी प्रोंस एण्ड मींस पर विचार किया जाता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायतीराज मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि चूंकि जब हमने यह अमेण्डमेण्ट किया था पंचायतीराज में कि दो संतान होगी तो उसके बाद यह नहीं हो सकेगा, म्यूनिसिपैलिटी में भी किया, जैसा कि भाई, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात वास्तव में सत्य है, यहां 'कपल' शब्द और जोड़ा जाना चाहिए। वास्तव में कोई भी व्यक्ति शादी करना चाहेगा तो उसकी पत्नी अवश्य चाहेगी कि उसके संतान उत्पन्न हो और इस कारण से कई बार हो जाता है और रोज पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज में जब चुनाव होते हैं तो इस प्रकार के झगड़े काफी तगड़े आते हैं और रोजाना गलत एफेडेविट देकर प्रीजाइडिंग आफिसर के सामने कहते हैं कि मेरी तो यह संतान ही नहीं है। जिसके संतान पैदा हुई है वह यह कहता है, उसके तो संतान नहीं है, यह तो मेरी संतान ही नहीं है, चारों तरफ रेकार्ड का फर्जीवाड़ा करते हैं। इसलिए इस बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो हमारे बनानी थी प्लानिंग के लिए वह हमारे यहां नहीं बनाई गई है उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। इस राजस्थान में पुरा योजना में 28 म्यूनिसिपैलिटीज को लिया जाना चाहिए था उसमें उदयपुर जिले की फतेहनगर म्यूनिसिपैलिटी भी थी और माननीय वाजपेयीजी प्रधानमंत्री थे तब बात आई थी, सारी प्लानिंग भी बनाई और अब न जाने वह योजना कहां गई। पुरा योजना में म्यूनिसिपैलिटी के पांच सात किलोमीटर के सारे गांवों में उसी तरह से डवलप करना शहरी तरीके से डवलप करना, रोडें बनाना, उनका जाल बिछाना, छोटी टाउनशिप डवलप हो जाए, उस तरह से काम करना था और म्यूनिसिपैलिटी में यह नहीं हो पाया।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(समय : 18.07 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापतिजी, नगर निगम का भी कोई कानून अभी तक नहीं बन पाया है और मेरी पुरजोर शब्दों में आपसे मांग है कि उदयपुर क्योंकि एक विकसित शहर हो गया है। उदयपुर में भी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि नगर निगम बनाया जाए जिससे वहां अधिक से अधिक सुविधाओं का काम हो सके, रोडों का जाल बिछ सके और नगर निगम अभी तक कोटा, जयपुर और जोधपुर ही हुए हैं और उसके पश्चात् इस बारे में कोई कानून नहीं आया । वही म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से हम गवर्न हो रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हर डिवीजन हैड क्वाटर पर नगर निगम बनाये जाने चाहिए, इस आस्पेक्टिव से हो कि उसकी आबादी क्या है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है सरकार को जिससे डिवीजन हैड क्वाटर अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कम्प्रिहेन्सिव बिल लाया जाता, इसमें कई बातें हैं जिनको मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहता। आज आपने यहां पर, वह डिफेस न करें, और इस तरह से यहां पर पेशाब किया जाएगा तो इस प्रकार का जुर्माना होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा के पास सारे लोग पेशाब करते हैं। क्या हमने उस दिन बिल तो पास कर दिया, उसके बाद हमारे गवर्नर साहब के दस्तखत हो जाएंगे, उसके बाद लागू हो जाएगा। क्या हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जो जयपुर शहर है जिसकी आबादी 30 लाख है। वहां पर भी कर दिया है क्या आपने वहां पर लेट्रिन की व्यवस्था कर दी है, बाथरूम्स की व्यवस्था कर दी है, इस बारे में आपको पूरा सोच विचार करने के पश्चात् ही किसी प्रकार का बिल लाया जाना अपेक्षित रहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं कि मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को सौंपने का अमेण्डमेण्ट दिया था उसको विड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: क्या सदन इस बात की अनुमति देता है?

(स्वीकृत)

विड्रा किया गया।

आदरणीय डाक्टर एन. एस. गुर्जर।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : यह बहुत ही सिम्पल बात है, इसका बहुत लम्बा-चौड़ा पता नहीं, क्या-क्या इंटरप्रिटेशन इस सदन में निकाल लिया गया। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं वोटर लिस्ट बनती है वह तीन तरह की वोटर लिस्ट बनती है। विधान सभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, म्युनिसिपैलिटी का अलग इलेक्टोल रोल बनता है, पंचायत का अलग बनता है, ईवन को-आपरेटिव का जब चुनाव होता है तो उनका इलेक्ट्रोल रोल अलग बनता है। हम जानते हैं लोक सभा के चुनाव होते हैं, लोक सभा के लिए भी उस समय वापस रिवीजन होता है। विधान सभा की एक अलग वोटर लिस्ट है, म्युनिसिपैलिटीज की अलग है। इस कानून में एक विसंगति आ रही थी। विसंगति यह थी कि विधान सभा में किसी का नाम हो, विधान सभा जो रिप्रजेंशन आफ पीपुल्स एक्ट है, यह मेरे पास हिन्दी में है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने ला इंग्लिश में पढ़ा है तो हिन्दी में बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं अभी आपको 2(ए) सेक्शन 17 है, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज् अमेण्डमेंट बिल, 2006 का सेक्शन 17 है इसका 2 और 3 ..(व्यवधान).. जब हमने यह पंचायत राज एक्ट 1994 में यह ड्राफ्ट हुआ था यह म्युनिसिपल एक्ट उसमें से काफी कुछ लिया गया था। लेकिन कुछ चीजें उसमें से छूट गई थीं। और जो छूटी हुई चीजें हैं सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन है 2 और 3, इसके बीच में एक्सप्लेनेशन 2(ए) जोड़ा गया है इस बात को दूर करने के लिए कि जो अलग-अलग विभिन्न तीन एक्ट में प्रोविजंस थे तो सेम प्रोविजन उनको एक साथ, एक जैसा बनाने के लिए यह एक्सप्लेनेशन 2(ए) इसमें जोड़ा गया है।

मैं आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में जो प्रावधान है उसके सेक्शन 20 की ओर दिलाना चाहूंगा. Meaning of Ordinary Resident. इसका 1(बी) है- "A member of Parliament or of the Legislature of a State shall not, during the term of his office, cease to be ordinarily resident in the constituency in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason of his absence from that constituency in connection with his duties as such member."

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में एक प्रोविजन है और सेक्शन 20 के 1(बी) में।

इसी तरह से पंचायत राज अधिनियम, 1994 में एक प्रोविजन है सेक्शन 18(2) में। 18 है- Electors and Electoral Rolls. इसका सेक्शन 2 है- ''Subject to provisions of sub-section (3) to (6), every person who …" सेक्शन

(डा. एन. एस. गुर्जर)

18 का क्लाज 2 जो 3 से 6 तक दिया गया है इसका 'ए' है –"… is ordinarily resident in a ward or a constituency of the panchayat raj institution concerned, shall be entitled to be registered in the electoral roll for the ward or the constituency."

इसका एक्सप्लेनेशन 4 है- "A member of Parliament or of a State Legislature shall not, during the term of his office, cease to be ordinarily resident in the ward or a constituency in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason only of his absence from that ward or constituency in connection with his duties as such member."

इतनी सी बात है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में जो प्रोविजंस हैं और जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये लोक सभा व विधान सभा का जो इलेक्ट्रोल रोल बनता है उसमें ही लागू होती हैं। उसी तरह से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 में सेक्शन 18 के सब क्लाज 2(ए) और एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर जो प्रोविजन है जिसके अनुसार पंचायत राज अधिनियम के तहत जो इलेक्ट्राल रोल पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में बनता है। इसी तरह से म्युनिसिपल एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, छूट गया था, एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस तरह का सेम इनमें है। इन तीनों में एकरूपता लाने के लिए और इस विसंगति को दूर करने के लिए यह सेक्शन 17 आफ दी राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1959 और उसके बाद उसके बाद सेक्शन 17 में एक्सप्लेनेशन 2 और 3, इसके बीच में यह है राजस्थान एक्ट नम्बर 38, सेक्शन 17 इसका एक्सप्लेनेशन 2 और 3 के बीच में एक एक्सप्लेनेशन 2(ए) जोड़ा है और इसमें कहा गया है, सेम लेंग्वेज है करीब-करीब "A member of Parliament or of the State Legislature shall not, during the term of his office, cease to be ordinarily resident in the ward in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason of his absence from that ward in connection with his duties as such member." सेम चीज है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून में है, जो पंचायत राज अधिनियम में है, जो उस अधिनियम में है वह का वह प्रोविजन वहां से उठाकर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 2(ए) में रखा गया है। इतनी सी बात है ताकि विसंगति दूर हो सके।

अब तीन अलग-अलग रोल हैं। सबको पता है कि विधान सभा का चुनाव होता है उसका रोल अलग बनता है, म्युनिसिपैलिटी का अलग बनता है। इसलिए यह कहा गया एक जगह से दूसरी जगह नाम होगा, यह हो जाता है,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इसलिए ऐसा हो गया। विधान सभा की सूची अलग होती है, म्युनिसिपैलिटी की सूची है उससे हम फार्म भरते हैं। तो विधान सभा की मतदाता सूची बनती है उसका एनरोल नाम है वह उसके साथ लगाना पड़ता है। म्युनिसिपैलिटी में नाम है वह उसके साथ नहीं लगाना पड़ता। पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जो नाम जुड़ता है वह उस समय जब चुनाव होता है तो उसमें नहीं लगाना पड़ता। इसलिए सदन में जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उनका अधिकार है, वे कुछ भी इस पर आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपने विचार प्रकट करने की सबको स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता। अपनी-अपनी व्याख्या है, कानून का अपना-अपना इंटरप्रिटेशन है, वे कर सकते हैं, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा है, एक-दूसरे को इंटरप्रिटेशन को समझने की, डिबेट होने की। मैं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता, प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन जो मैंने कहा कि विधान सभा का चुनाव लड़ते समय विधान सभा के इलेक्ट्राल रोल में से उसकी कापी हमको लगानी पड़ती है, म्युनिसिपैलिटी की नहीं लगानी पड़ती। पंचायत राज अधिनियम के तहत जो वोटर लिस्ट बनती है उसकी नहीं लगानी पड़ती। इसलिए एक विसंगति थी म्युनिसिपल एक्ट में, उस विसंगति को दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन 2(ए) जोड़ा गया है। इतना सा अमेण्डमेंट है, इसमें लम्बा-चौड़ा कुछ नहीं है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें एक बात कही कि इसके कारण कांस्टीट्युशन के अंदर जो 73वां और 74वां अमेण्डमेंड आया उसके अंदर इसका अंतर पड़ेगा। उन्होंने 2-3 धाराएं 243 डी, जी और डब्ल्यू कोट कीं।

सभापति महोदय, कांस्टीट्युशन अमेण्डमेंट 73वां और 74वां है, यह सही है कि वह कांस्टीट्युशन का भाग है। लेकिन उसके साथ-साथ कांस्टीट्युशन स्टेट गवर्नमेंट को यह इजाजत देता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जब भी जमीन की आवश्यकता होगी, स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों की जमीन भी म्युनिसिपल एरिया की जमीन भी जब चाहे सरकार अधिगृहीत कर सकती है, जब चाहे वह ले सकती है, इसलिए यह ऐसा कोई राइडर नहीं है। यह कोई कानून के विरूद्ध ऐसी स्थिति नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि जब चाहो म्युनिसिपैलिटी की जमीन भी, पंचायत की जमीन भी यदि जनता के हित के लिए लेना चाहे, अधिग्रहित करना चाहते तो कांस्टीट्यूशन के तहत

(डा. एन. एस. गुर्जर)

स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वह ले सकती है। इसलिए जो माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने आशंका व्यक्त की है वह बिलकुल उचित नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, यह तो अमेंडमेंट लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इस पर भी जनमत जानने का मैंने दिया था उसको मैं विदड्रा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः क्या सदन की इजाजत है ?

(स्वीकृत)

विदड्रा किया गया।

श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2006 पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह सामान्य प्रकृति का विधेयक है और इस पर चर्चा के आधार सीमित हैं। अभी मेरे से पहले टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात रखते समय कह रहे थे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1950 की धारा 20 के (1) बी में जो उल्लेख है कि कोई सांसद या विधायक अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए अगर अपने आवास से जो सामान्य आवास है उससे बाहर रहेगा इस आधार पर उसको वहां का स्थाई निवासी नहीं माना जाएगा जिस जगह से उसने चुनाव लड़ा है, यह गलत है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 का (1) बी हमको अधिकार देता है कि सांसद और विधायक को इस आधार पर निर्वाचन नामावली से आप अलग नहीं कर सकते और ऐसा प्रावधान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा (2) बी में भी समाहित है और इन दोनों को देख कर जनप्रतिनिधि के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 17 में जो संशोधन किया है, स्पष्टीकरण दो और तीन के बीच में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और पंचायती राज की धारा (2) बी में जो समाहित है उसको ठीक प्रकार से यहां पर समाहित करने का काम किया है। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इसको समाहित कर देने के बाद जिस रेफरेंस में चर्चा हो रही है कि दो जगह मतदाता सूची में आना, यह एक्ट न तो उसका उल्लेख करता है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

न उसकी इजाजत देता है और न उस पर कोई विपरीत प्रभाव डालता है । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, माननीय सभापति महोदय, कि इस बिल पर चर्चा करते समय चूंकि जब स्वायत्त शासन विभाग की चर्चा हो रही थी तो यह सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया था और इसलिए बिल पर चर्चा को अवसर के लाभ में लेते हुए अब बिल पर सीमित चर्चा के बजाय व्यापक रूप से विभाग की चर्चा पर माननीय सदस्य आ गये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, चूंकि चर्चा का दायरा व्यापक हो गया और जब आसन से यह व्यवस्था दी गई कि चर्चा बिल के सीमित दायरे में होनी चाहिए, विधेयक के इंटेंशन पर व्यापक प्रभाव डालने वाली चर्चा होनी चाहिए लेकिन विधान सभा की नामावली के व्यापक दृष्टिकोण को सामने रख कर माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इस बात पर एतराज जताया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को ऐसा लगता है माननीय मुख्य मंत्रीजी के दो जगह मतदाता सूची में नाम होने के कारण लाया गया। बहुत नैतिकता का प्रदर्शन चर्चा में कर रहे थे, अभी कुछ समय बाद देश में एक विधेयक के आने की बहुत व्यापक चर्चा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों एक घटनाक्रम घटा और लाभ के पद पर उस आधार पर जया बच्चन को अपमानित करने के लिए राज्य सभा की सदस्यता को समाप्त किया गया। और जब सत्ताधारी दल अपने चक्र में फंस गया तो त्याग का उदाहरण पेश करने के लिए दो-दो इस्तीफे एक साथ दिये। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उसके बावजूद भी अपनी चाल में सफल नहीं हुए। आज उनको इस कारण से अपनी सत्ता पर संकट नजर आ रहा है कि क्या उस सत्ता को बचाने के लिए जो विधेयक का लाभ लेने की चर्चाएं जो लगातार देश की पार्लियामेंट के बाहर आज हो रही हैं, देश की सत्ता संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की किस प्रकार से बची रहे इसके लिए सर्वदलीय सहमति बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नैतिकता के धरातल पर प्रतिपक्ष पार्टी के लोग इसको उचित ठहराते हैं? मैं आज आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का दो जगह नाम है, जांच करो लें, उनका भ्रम है। और यह विधेयक अगर लाया गया, अगर माननीय सांसद, माननीय विधायक जो मंत्री

(प्रहलाद गुंजल)

भी हैं, नगरपालिका की मतदाता सूची बनाते समय अगर उन्हें अस्थाई आवास के आधार पर उनका नाम काट दिया गया तो उनके मत के संवैधानिक अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। उनका कांस्टीट्यूशनल राइट है, जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में वोट देंगे। जिस पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में रहते हैं उस वार्ड के पंच को वोट देंगे, उसके सरपंच को, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् के सदस्यों को वोट देंगे। न केवल यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 (1) बी और पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा (2) बी का अनुसरण है बल्कि नगरपालिका के क्षेत्रों में सांसद और विधायकों को उसके निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग करने की बात को सुरक्षित करने के लिए लाया गया बिल है। और इसलिए इस चर्चा को व्यापक संदर्भों में जब हम लेना चाहें।

अभी माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण तत्काल लाना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, यह सामान्य नियम है जब कोई विसंगति ध्यान में आएगी, दुरूस्त की जाएगी। भैरोंसिंहजी के राज में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया गया कि वर्षों से ट्रेडिशनल तरीके से लोग सरपंचों के पद पर पदासीन हैं, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष बनते चले जा रहे हैं, कमजोर तबके के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और बिल आया। रिजर्वेशन का बिल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन का और यह तय किया गया कि नगरपालिका में शिड्यूल्ड कास्ट की महिलाएं चेयरमैन होंगी, पंचायत राज में शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाएं प्रमुख होंगी, प्रधान होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी परम्परागत रूप से जो राजस्थान की मानसिकता रही, अविश्वास के आधार पर उनको कई जगह गिराया गया। और गिराया जाकर वाइस चेयरमैन के नाम पर लम्बे समय तक वहां के शासन की व्यवस्था में दखलअंदाजी करने की चेष्टा की गई। जब ध्यान में आया कि मूल एक्ट के प्रावधान के अनुसार उन वंचित वर्गों को लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तब तुरंत अमेंडमेंट आया, अविश्वास का प्रस्ताव भी आएगा तो चाहे वार्ड पार्षद होगा उसी के वर्ग के व्यक्ति को चार्ज दिया जाएगा। अविश्वास का प्रस्ताव भी आएगा तो चाहे सरपंच उसी वर्ग का होगा, उसी को चार्ज दिलाया जाएगा। इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इंटेंशन के आधार पर जब कोई विसंगति ध्यान में आती है, कानून में प्रेक्टिकल रूप से वह सामने आने पर उसका उपभोग करने पर कानून का इस्तेमाल होने पर तक जाकर के उसमें से एक नई धारा के जन्म का निर्माण की स्थितियां होती हैं। और मैं समझता हूं कि इस मंशा से राजस्थान की सरकार इस बिल को लेकर आई है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। और मैंने जो अपना जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपने उस प्रस्ताव को वापस लेने की आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति: क्या सदन की इजाजत है ?

(स्वीकृत)

वापस लिया गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। सभापति महोदय, ऐसा है, इस सदन में जब कभी भी कोई प्रस्ताव वापस लिया जाता है तो उसके पहले आप अनुमति सदन की मांगते हैं उसके बाद वो करते हैं कि मैं यह प्रस्ताव वापस लेता हूं इसलिए इस प्रोसेस को आप करैक्ट करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं इस प्रस्ताव को वापस करता हूं।

श्री सभापति: वापस लिया गया। श्री अमरा राम धोद (अनुपस्थित) श्री जोगेश्वरजी गर्ग (अनुपस्थित) श्री जालमसिंह रावलोत (अनुपस्थित), श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

(समय : 18.31 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक मिनट में बोल देता हूं इसमें क्या हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक जो संशोधन के लिए रखा गया है उसके प्रस्ताव में काफी चर्चा हुई पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से। यह बात जरूरी है कि जब व्यावहारिकता में लाते हुए, कभी-कभी नियम और कहीं-कहीं व्यावहारिक जीवन में कहीं अड़चन आती है तब उसमें कोई न कोई सुधार के लिए बिन्दु रखा जाता है। प्रतिपक्ष

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

के माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी क्या आवश्यकता है। यह जब कहीं न कहीं व्यावहारिकता में तकलीफ आती है तब रखा जाता है। मैं सारी जो चर्चा हुई है पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा, लेकिन एक बात मैं पूरे सदन के सामने निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो प्रवासी बन्धु राजस्थान से बाहर चैन्नई, मदुरै, मुम्बई, अहमदाबाद, सूरत में कमाने जाते हैं और राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता उनसे सेवा कार्य के लिए हास्पिटल, स्कूल, धर्मशालाएं बनवाने के लिए करोड़ों रुपये की अपेक्षा करती है। तो क्या उन अप्रवासी बन्धुओं का अधिकार यहां पर कभी रहे तो यहां पर मत देने के लिए अधिकार नहीं होगा क्या ? मैं यह आपके माध्यम से पूरे सदन में निवेदन करूंगा कि उन प्रवासी बन्धुओं का जिनकी अचल सम्पत्ति उस गांव में है, उस नगरपालिका क्षेत्र में है और वो यहां पर स्कूल, धर्मशालाएं बनाता है, 25-25 लाख की इमारतें जनता के उपयोग के लिए खड़ी करता है तो उनका अधिकार राजस्थान की धरती पर भी हो। मान्यवर, यह दुर्गति होती है कि उस दानदाता को अपना कोई जाति, मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। वोट के अधिकार के लिए आता है तो उसको दर-दर भटकना पड़ता है, उनका नाम नहीं है। तो इस विसंगति को दूर करना भी आवश्यक है।

एक मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस पूरे राजस्थान में पानी की जो समस्या है, जैसा तमिलनाडु में किया गया कि नगरपालिका के क्षेत्र में उसी मकान का प्लान पास किया जाए जिस मकान के तहत वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाएगा। इस पानी की सुरक्षा को भी कहीं न कहीं कानून में लाना पड़ेगा तभी जाकर के इसमें सुधार आ पायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेने का निवेदन करता हूं। जो जनमत जानने के लिए मैंने निवेदन किया उसको वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन श्री शंकर सिंह राजपुरोहित ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री मदन राठौड़।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे वापस लेंगे तो समय क्यों खराब कर रहे हो ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह राजसथान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 हमारे हितों की रक्षा करता है। सांसद और विधायक अपने-अपने क्षेत्र में काम में लगे रहते हैं। सांसद दिल्ली में व्यस्त रहता है और संसदीय कार्यों में व्यस्त रहता है और ठीक इसी प्रकार विधायक भी क्षेत्र में भी और यहां जयपुर में भी व्यस्त रहता है। लेकिन फिर भी यह मैंने प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव रखा उसके पीछे एक कारण था कि जब पंचायती राज संस्थाओं में इस प्रकार का विधेयक मौजूद है तो नगरपालिका क्षेत्रों में भी निश्चित रूप से विधेयक होना चाहिए था।

यही नहीं, इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं उनको जब इस प्रकार की सुविधा दी गई हैं कि वे बाहर भी अपना नाम रख सकते हैं और हिन्दुस्तान में भी अपना नाम रख सकते हैं। जब उनको इस प्रकार की व्यवस्था है तो ठीक इसी प्रकार से जैसा अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, जो अप्रवासी राजस्थानी बन्धु हैं जो राजस्थान से बाहर अपना व्यवसाय करता है और उनका नाम भी यहां पर होना चाहिए। उनकी यहां पर सम्पत्ति है और जब कभी भी उनको जरूरत पड़ती है तो यहां पर उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनका नाम भी यहां पर निश्चित रूप से होना चाहिए। यह मतदाता सूची का जब प्रारूप तैयार करते हैं तो एक सामान्य मास्टर तैयार करता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर एक सांसद हैं जिनका नाम पुष्प जैन है, उनके पिताजी का नाम जौहरी लाल जैन है लेकिन मतदाता सूची में जब नाम लिखा गया तो गलती से पुष्पा जैन लिख दिया और पुत्र की जगह पत्नी लिख दिया और जौहरी लाल जैन नाम लिख दिया। अब आप कहते हैं कि जागरूकता होनी चाहिए लेकिन वो कितना व्यस्त रहते हैं अपने क्षेत्र में। जब नामांकन भरने के लिए आये और जब वहां पर देखा कि नाम इस प्रकार से है और पत्नी लिख दिया गया तो यह ध्यान में आया कि बहुत बड़ी त्रुटि हुई तो फिर उसमें संशोधन भी करना पड़ा, सुधार भी करना पड़ा। तो मैं यह आपके सामने इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, यह विधेयक होना ही चाहिए। (व्यवधान) सांसद अपने क्षेत्र में लगा रहे, दिल्ली में लगा रहे, वहां पर वह काम करे, संसदीय कार्यों में

(श्री मदन राठौड़)

व्यस्त रहे तो नगरपालिका में इतनी जागरूकता रख पाना उसके लिए कठिन होता है और जब यह अधिकार आ जाएगा तो स्वतः ही इस प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से यह व्यवस्था होनी चाहिए। यह आप चिल्ला रहे हैं बहुत जोरदार, कई हमारे विपक्षी सदस्य चिल्ला रहे हैं, इन्होंने सोचा नहीं कि सोनियाजी का नाम इटली में फ्रेंकबर्ग में लिखा हुआ था, हिन्दुस्तान में उनका नाम लिखा हुआ ही नहीं था। कई वर्षों तक वो यों ही चलाते रहे। और जब यहां लिखाया गया तो वहां से नाम कटवाया भी नहीं। आप जब दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकते हैं और खुद शीशे के मकान में बैठे रहते हैं। थोड़ा विचार करना चाहिए। (व्यवधान) श्रवणजी का भी होगा। कई तो ऐसे सदस्य हैं जिनके नाम ही अलग-अलग नाम से और कई जगह पर वो अपना नाम लिखवा करके रखते हैं। कई जगह अपनी गुमनाम सम्पत्तियां भी आप दर्ज करवाकर रखते हैं। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इस प्रकार से कई जगह पर कोई नाम भी लिख देता है। जान-बूझकर के नाम लिखवाना भी आपकी कांग्रेस सदस्यों की सूची में है, कई ऐसे-ऐसे नाम आ गये जिनके बारे में आप विचार करेंगे कि कोई अफगानिस्तान के किसी नेता का नाम आपकी उस सूची में है, कहीं इस प्रकार के नाम आपने भी लिख दिये, मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन स्वयं मनमोहन सिंहजी का नाम आसाम से भी है और दिल्ली में भी है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, कई बांग्लादेशी हिन्दुस्तान में यहां आकर के निवास कर गये, आसाम में तो बहुसंख्यक बनने लग गये हैं वो। इस प्रकार की स्थिति बनने लगी है। आप उनका तो समर्थन करते हैं, आपके कई सदस्य हैं जो मैं बता सकता हूं, मेरे पाली में भी हैं जो उनके नाम भी लिखवा देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, किस आधार पर कहते हैं कि मनमोहन सिंहजी का आसाम में भी है और दिल्ली में भी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने जब कहा कि मुख्य मंत्रीजी का नाम धौलपुर में भी है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कब कहा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके माननीय सदस्यों ने कहा, आप उनको प्रताड़ित करो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वो आपको इनसे पूछनी चाहिए थी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, थर्ड रीडिंग पर मैं सब बता दूंगा कि कहां-कहां नाम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर हम भी बता देंगे कि कहां-कहां नाम हैं। (व्यवधान) कहां से सदस्य हैं वो ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह राजस्थान की बात हो रही है। (व्यवधान) फिर तो कई निकलेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बता दो मनमोहन सिंहजी पिछली बार... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इसको मत छेड़िये, अच्छा यह रहेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो सभी जानते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह तो वैलनॉन है, हिन्दुस्तान की पूरी जनता जानती है, उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य कह रहे हैं। माननीय सदस्य किस आधार पर कह रहे हैं। बात तो सुनो आप। (व्यवधान) यह क्या बात हुई? माननीय सदस्य, आप किस आधार पर कह रहे हो कि मनमोहन सिंहजी का नाम आसाम में है और दिल्ली में भी है ? माननीय सदस्य किस आधार पर कह रहे हैं कि मनमोहन सिंहजी का नाम आसाम में भी है और दिल्ली में भी है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं बता रहा हूं आपको। आप मुझे बोलने तो दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कैसे बता रहे हैं बिना आधार के? आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं है। मैं कहता हूं नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बैठो तो मैं बोलूं। आप बिराजें, मैं बोलूं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कहता हूं कि नहीं है। आप कहते हैं, है। आप बिना आधार पर कहते हैं। मनमोहन सिंह जैसा आदमी, देश का प्रधान मंत्री...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मनमोहन सिंहजी राज्य सभा के लिए चुने गये, इसलिए उनका आसाम में नाम है। यही नहीं,....

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): डिप्टी स्पीकर महोदय, सुनिये। आप सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गलत एड्रेस लिखाया है वहां।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनिये। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति दो जगह नाम नहीं लिखवा सकता। सबको पता है कि दो जगह नाम लिखाना आफेंस है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सोनियाजी का इटली में नाम क्या है, बताओ जरा प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको पता है कि फ्रेंकबर्ग इटली में है और वहां पर इनका नाम है। इटली में नाम सानिया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको पता है कि दो जगह नाम लिखना अपराध है, इलेक्टोरल आफेंस है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप इल्जाम लगाते हो। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगाते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लो लो सुनो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब। आप प्रस्ताव वापस लें। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जो सही बात है, वह मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप प्रदेश की मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हो। आप प्रदेश की मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव करिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कहता हूं, इस तरह की मिथ्या बात नहीं कहनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा आदमी है, उसके ऊपर आप यह कहते हैं, यह गलत है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हमारी भी मुख्य मंत्री राजस्थान में सबसे बड़ी हैं। (व्यवधान) हमारी मुख्य मंत्री के ऊपर बड़े नहीं हैं। आपके नेता बड़े हो सकते हैं, हमारी नेता बड़ी क्यों नहीं हो सकती?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग प्रसिद्ध वकील हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नहीं, आपके नेता बड़े हो सकते हैं तो हमारी नेता बड़ी नहीं हो सकती क्या? आपके नेता बड़े हो सकते हैं तो हमारी नेता भी बड़ी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग प्रसिद्ध वकील हैं। आप तो प्रसिद्ध वकील हैं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हलफनामा देना पड़ता है कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मेरा दो जगह नाम नहीं है, एक ही जगह मेरा नाम है, यह मैं लिखवा रहा हूं। यह लिखना पड़ता है और...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि आप कहें तो, एक ही जगह कहां है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देश के प्रधान मंत्री के लिए कहते हैं कि उनका दो जगह नाम है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह आप बता दो, सोनिया गांधी का नाम रायबरेली में है या दिल्ली में है? रायबरेली में है या दिल्ली में है, यह बता दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बता दो यदि आप सही बात जानते हो तो। नेता प्रतिपक्ष, यदि आप सही बात बता सकें तो बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको पता है, लेकिन एक ही जगह है, एक जगह है। दो जगह नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक जगह है, दो जगह नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सही बता दें उनका नाम कहां है?

श्री उपाध्यक्षः इण्डिया में है। आप तो अपना प्रस्ताव वापस लीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कृपया यह बताइये कि उनका नाम कहां पर है?

श्री उपाध्यक्षः आप बैठो, आप इसमें काहे के लिए कर रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप मिथ्या बात करते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बताइये कहां है मनमोहन सिंहजी का नाम?

श्री उपाध्यक्षः यह कोई व्यक्तिगत जानकारी थोड़े ही है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक जगह है। कहीं पर है, एक जगह पर है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कहां? कहीं भी क्या मतलब है? कैसी बात कर रहे हो आप। आप बिना जानकारी के मत बोलिये। आप बहुत बड़े पद पर बिराजमान हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक जगह पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका मतलब है कि आपको नोलेज नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप झूठ बोल रहे हैं। आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके पास जब तक तथ्य नहीं हो, आप मेरी बात को मत काटिये। आपको मालूम ही नहीं है कहां है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आसाम में उनका नाम है। आप जानकारी कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं, एक जगह पर है। असम में है, एक जगह पर है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं गया हूं वहां पर। हमारी कमेटी वहां पर गयी थी, हमारी प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति असम में गई थी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नहीं, ये कह रहे हैं कि एक जगह से ज्यादा है, आपको पूरी जानकारी थोड़े ही है। ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दो जगह पर है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): असम में पता किया है, असम में उनका नाम है। असम से वे राज्य सभा के सदस्य चुने गये थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जिम्मेदार आदमी हो, मंत्री हो। आप मंत्री होकर ऐसी बात बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप यह बता दीजिये कि एक जगह कहां पर है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रधान मंत्री के ऊपर आप जैसा व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता। आप आरोप मत लगाइये। आप जिम्मेदार आदमी हैं, मनमोहन सिंहजी का एक जगह नाम है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): किस जगह पर है? आपको जानकारी नहीं है। आप खाली धुप्पल में ही अपनी बात कह रहे हैं। आपके सभी नेताओं के दो-दो जगह नाम हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप आरोप मत लगाइये। यहां रबड़ी बैठी है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ऐसे ही एक जगह कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह बता दीजिये कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दरख्वास्त देकर नाम झालावाड़ में नहीं लिखवाया क्या? बताइये आप, नाम लिखाया कि नहीं लिखाया?

एक माननीय सदस्य: आप विषयान्तर मत करो। आप अपनी बात कहो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह नाम लिखना गलत था। नाम नहीं लिखवा सकते। नाम होते हुए दूसरी जगह नाम लिखना, नाम नहीं काटकर वहां नाम लिखना, वह गलत था। वह नाम लिखवाना गलत था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राज्य सभा में जाने के लिए लिखवाया है उन्होंने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं तो निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि बिना जानकारी के काटना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए था लेकिन मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि यह विधेयक...

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन वापस लीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, राजस्थान के हितों के लिए है। सांसद और विधायक, जन प्रतिनिधियों के हितों की रक्षा करने वाला है इसलिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने प्रवर समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव किया है, मैं इसको वापस लेना चाहता हूं, कृपया अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब प्रस्ताव वापस लेना है तो दिया ही काहे को था?

श्री उपाध्यक्ष: ...श्री मदन राठौड़ ने विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री मदन राठौड़ संशोधन वापस लेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो मैंने प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन एक्ट जो लाया जा रहा है, जो बिल पास करवाया जा रहा है, इस बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं माननीय विपक्षी दल, प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा कि यह सब काम माननीय मुख्य मंत्री और झालावाड़ से सांसद श्री दुष्यन्त सिंहजी के लिए ही यह कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, यह कानून बनाया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसके उद्देश्य और कारण बताना चाहूंगा और फिर जो भी बिल के मार्फत हम यहां ला रहे हैं और लाने का क्या कारण है, इससे भी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा सदस्य और सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अन्य शहरों में भी रहना पड़ता है। इसके कारण वर्तमान में नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 17 में सामान्य रूप से उन्हें....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पढ़ा हुआ मान लेते हैं, आप उनको दे दो यह, पढ़ा हुआ मान लेते हैं, इसमें दिक्कत कहां है? पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप ज्यादा जोर से बोलकर, बीच में बोलकर अपने आपको विद्वान घोषित नहीं कर सकते।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विद्वान डिक्लेयर है डाक्टर एन. एस. गुर्जर, मैं गलत फहमी में नहीं हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं, डाक्टर एन. एस. गुर्जर तो विद्वान हैं ही, पर आप जो भ्रम पाले हुए हो, इसको दूर कर लो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके मामले में?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अधिनियम 1959 की धारा 17 में सामान्य रूप से उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का निवासी माने जाने का प्रावधान नहीं है। नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु निर्वाचन सूची में इसके कारण उनका निर्वाचन सूची में नाम रखे जाने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह जिसने आपको लिखकर दिया है, गलत बुलवा रहा है आपसे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): चलो कोई बात नहीं, बाद में मुझे समझा देना, मैं ठीक कर लूंगा। (व्यवधान) और वह अपने निर्वाचन में मताधिकार से वंचित रह सकता है। इस उद्देश्य से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 17 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 17 में विधान सभा सदस्य और सांसद द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में नगरपालिका के अपने वार्ड से बाहर रहने पर उन्हें सामान्यत: वार्ड का ही निवासी माने जाने का प्रावधान का अभाव था। इसी विसंगति को दूर किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 17 में संशोधन किया जा रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। ये रेफरेंस दे सकते हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते हैं मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इशारा करने से कोई व्यवस्था थोड़े ही हो जाती है। आप क्या यह बतायें, क्या मंत्री वर्ड टू वर्ड पढ़ सकता है क्या? वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, देखिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): क्यों नहीं पढ़ सकता।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप मंत्रीजी से कहिये कि जवाब मंत्रीजी की हैसियत से दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप कैसे कह सकते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उद्देश्य तो वर्ड टू वर्ड ही पढ़ेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उद्देश्य और कारण जो इन्होंने लिखे हैं बिल में, वह तो पढ़ ही सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये नहीं पढ़ रहे हैं वह, उद्देश्य और कारण नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपने और नई जानकारी दी है कि ये क्या पढ़ रहे थे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, आपसे सब खुश हैं। मंत्री महोदय, आप पास करवा लीजिये। माननीय मंत्रीजी, आपसे सब खुश हैं। सब सहमत हैं। पास हो जायेगा। माननीय मंत्रीजी, आपसे कोई नाराज नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको ज्ञानवर्द्धक बातें मंत्रीजी बता रहे हैं, सुनना नहीं चाहते हो आप। आपने दो घंटे खराब किये तो मंत्रीजी एक-एक चीज का जवाब देंगे, मंत्रीजी आपकी एक-एक बात का जवाब देंगे।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ये घनश्यामजी तिवाड़ी आपको... बिराजें मंत्रीजी आप तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सांवर लालजी, यह बाकी का समय तो बचा लो।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आपका पढ़ा हुआ ही मान लेते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये जवाब नहीं देंगे, आप वापस ले लें। आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लो।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): आज हमारे माननीय सदस्य का 63वां जन्म दिवस है, सब लोगों को जाना है और प्रतापसिंहजी सिंघवी की विद्वता पर किसी को डाउट नहीं है। आज हमारे माननीय सदस्य का 65वां जन्म दिन है, सब लोगों को जाना है और प्रताप सिंहजी सिंघवी की विद्वता पर किसी को डाउट नहीं है, He is a good man, no doubt. पास करवा दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: पहले वापस लेओ आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको।

श्री श्रवण कुमार: है ही नहीं। विद्वान आदमी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: पहले अपना प्रस्ताव तो वापिस लो।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले पढ़ लेते तो इनको हमें नहीं पढ़ना पड़ता। (व्यवधान) हो गया, हो गया। प्रश्न यह है, (व्यवधान) हो गया भई, सुन लिया इन्होंने। मंत्रीजी, सुन लिया। सुन लिया इन्होंने, सुन लिया।

श्री संयम लोढ़ा: यह इसका तो जवाब दे दो, बिहार के चुनाव में जो फण्ड भेजा था वह जेडीए से भेजा था, कहां से भेजा था। बिहार के चुनाव में जो फण्ड भेजा था वह कहां से भेजा था, जेडीए से भेजा था, कहीं और से भेजा था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: आपसे नहीं लिया था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। प्रश्न सुन लिया। माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता: माननीय मंत्रीजी, आप जवाब दीजिये आज पूरा, सारे सदस्यों का जवाब दीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में नियम हैं....

श्री उपाध्यक्ष: हो गया मंत्रीजी, सुन लिया इन्होंने, पहले पढ़ा नहीं था, अब इन्होंने सुन लिया, जानकारी मिल गई है। प्रश्न यह है (व्यवधान) आ गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाय? जो पक्ष में हों, हां कहें, जो विपक्ष में हों, ना कहें।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर। यह प्रस्ताव तो माननीय मंत्रीजी करेंगे, फिर आप वोटिंग करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीजर तो पूरा कराओ, पहले प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान) कब किया है।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ तो पहले रख दिया, पहले हो गया था। (व्यवधान) कह दिया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

डा. सी.पी. जोशी: थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे, सर। थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे।

विधेयक का पारण

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या बोलोगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो हमारा अधिकार है साहब। आप राज कर रहे हो, हमको यह अधिकार है, हम यहां बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: पर जितना बोल लिया उससे ज्यादा तो कुछ बोलेंगे नहीं।

श्री जुबेर खान: नहीं, उनसे अलग बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बाकी तो छोड़ा नहीं है आपने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: नहीं, एतराज नहीं है, अभी-अभी श्रवण कुमारजी ने कहा था...

श्री जुबेर खान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री जुबेर खान)

जब जनमत जानने हेतु भी मैंने बात कही थी तो मैंने जिम्मेदारी से बात कही थी और मैं अभी भी जो कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य को कोई आपत्ति मेरी बात पर हो तो नियम-कानूनों में मेरे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने यह कहा था कि दो जगह वोट था, था, उन 2005 की नगरपालिका नामावली में मैंने धौलपुर नगरपालिका में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, धौलपुर नगरपालिका की मतदाता सूची 2005 में....

श्री महावीर प्रसाद जैन: नगरपालिका की नामावली ....

श्री जुबेर खान: आप चुप रहिये, एक मिनट सुन लीजिये, आप ऐसे कोई दबा नहीं सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन: नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं, दबा नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं कि नगरपालिका की नामावली से विधान सभा और लोक सभा के चुनाव होते हैं क्या?

श्री जुबेर खान: यह नगरपालिका का संशोधन आ रहा है ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन: नहीं, आ रहा है पर आपने जो कहा...

श्री जुबेर खान: तो मैं वही कह रहा हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन: क्या नगरपालिका की नामावली...

श्री जुबेर खान: वार्ड संख्या 11 में...

श्री महावीर प्रसाद जैन: और वह अलग होती है।

डा. सी. पी. जोशी: फिर आप अमेण्डमेंट क्यों लाये।

श्री जुबेर खान: उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर नगरपालिका के वार्ड संख्या 11 में भाग संख्या 16, जहां मतदान केन्द्र जो होता है, के क्रम संख्या 2 पर वर्तमान मुख्य मंत्री वसुंधराजी राजे का नाम है और क्रम 3 पर झालावाड़ के सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंहजी का नाम है। और इसमें 2005 की मतदाता सूची में नगरपालिका झालावाड़ की निर्वाचक नामावली 2005 के वार्ड संख्या 3 की भाग संख्या 6 के क्रम संख्या 554 पर वसुंधराजी का नाम दर्ज है। और 555 पर सांसद दुष्यंत सिंहजी का नाम दर्ज अगर नहीं हो 2005 की नामावली में, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर के माह में जब जांच आई चुनाव आयोग दिल्ली से, कलक्टर के पास जयपुर के माध्यम से चिट्ठी गई कि यह नाम नहीं रह सकता। नगरपालिका का जो विधेयक 1959 राजस्थान

(श्री जुबेर खान)

का जो है, जिसके लिए आज यह संशोधन लाया जा रहा है तो जिलाधीश, धौलपुर ने वहां नामावली से नाम विलोपित कर दिया, क्या यह सही नहीं है, मंत्रीजी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: एक जगह रह सकता है।

श्री जुबेर खान: दिसम्बर, 2005 को, जब चिट्ठी गई झालावाड़ कलक्टर के पास में, कि वहां भी म्युनिसपैलिटी में नाम नहीं रह सकता क्योंकि साधारणतया, जनरली वसुंधराजी और उनके पुत्र यहां रहते नहीं है। वसुंधराजी जयपुर रहती हैं और सांसद साहब दिल्ली रहते हैं। जब वहां वह चिट्ठी गई, पशोपेश हुआ क्योंकि चुनाव आयोग की चिट्ठी थी कि क्या किया जाय? 21 तारीख को चिट्ठी जाती है और 28 दिसम्बर को केबिनेट के माध्यम से महामहिम गवर्नर से आर्डिनेंस जारी कराया जाता है। क्या यह बात सही नहीं है? और मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यह बात कही, माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय ने यह बात कही, माननीय और भी एक-दो सदस्यों ने यह बात कही कि हम तो विधायक हैं, सांसद हैं, कोई हमारा नाम लिख दे, हम क्या करें? क्या यह सही नहीं है कि 1978 में, उपाध्यक्ष महोदय, वसुंधराजी ने दरख्वास्त देकर विधान सभा क्षेत्र धौलपुर और नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर में अपने स्वयं की दरख्वास्त देकर क्या नाम नहीं जुड़वाया था 1978 में? क्या यह सही नहीं है? और क्या यह भी सही नहीं है कि 1998 में वसुंधराजी ने एक दरख्वास्त देकर और उनके पुत्र ने, दुष्यंत सिंहजी ने कि तत्कालीन आवासन मण्डल के अध्यक्ष श्री एस.एन. गुप्ताजी के प्रताप नगर के हाउसिंग बोर्ड के मकान में किरायेदार के रूप में नाम दर्ज नहीं कराया था? क्या यह बात सही नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: यह संशोधन...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: दोनों जगह नाम जहां जिस व्यक्ति ने 1985 में...

श्री तगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, क्या प्रश्नकाल शुरू हो गया, क्या हो गया। यह कोई संशोधन पर बोल रहे हैं क्या।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान: 1989 में, 1990 में, 1993 में धौलपुर में वोट डाला हो और 1998 में और 1999 में, 2003 में झालावाड़ में डाला हो, उसको यह पता नहीं है कि मेरा नाम कहां का है। यह इग्नोरेंस नहीं हो सकती।

श्री तगाराम: उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वर्तमान संशोधन जो है, वह हर किसी विधायक या किसी सांसद के लिए है, किसी...

श्री तगाराम: प्रश्न का कोई विषय नहीं है यह।

श्री उपाध्यक्ष: यह किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं है।

श्री जुबेर खान: तो नगरपालिका में दो जगह नाम है और मैं यह कहता हूं, आप मंत्री झुठला दें, उपाध्यक्ष महोदय, आप पार्टी मत बनिये...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें व्यक्ति के लिए थोड़े ही है।

श्री जुबेर खान: मंत्री अपने जवाब में कह दे कि दिसम्बर 2005 में क्या धौलपुर कलक्टर ने...

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप जो कह रहे हैं, उसको यह नगरपालिका का चुनाव लड़ना है क्या?

श्री जुबेर खान: वसुंधराजी का और दुष्यंतजी का नाम विलोपित किया नहीं था क्या? आप बता दें। अगर नहीं किया हो तो, और यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने कलक्टर, झालावाड़ को भी लिखा कि नाम को विलोपित करके रिपोर्ट करिये।

श्री उपाध्यक्ष: गलत-सही का प्रश्न नहीं है...

श्री जुबेर खान: तब जाकर यह अध्यादेश लाया गया। आप चाहते क्या हैं उपाध्यक्ष महोदय?

श्री महावीर प्रसाद जैन: उपाध्यक्ष महोदय, यह नगरपालिका...

श्री जुबेर खान: आप विधेयक पर इस तरह टोकाटाकी नहीं कर सकते। यह हमारा अधिकार है कि हम विधेयक पर अपने तर्क रखें। मैं कोई रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप बार-बार इशारा करके क्या बंद करना चाहते हैं? फिर आप पास करा दीजिये, हमको बाहर निकाल दीजिये, क्या हम सच्चाई नहीं कह सकते?

श्री उपाध्यक्ष: हम रोक थोड़े ही रहे हैं। मैंने रोकने के लिए नहीं कहा, किसने रोका आपको, रोक थोड़े ही रहे हैं। (व्यवधान) यह कह रहे हैं, माननीय सदस्य, यह कोई वर्तमान...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: Caesar's wife should be above suspicion. उपाध्यक्ष महोदय, Caesar's wife should be above suspicion.

श्री बंशीलाल खटीक: इस तरह सीधा-सीधा आसन को धमकाया जा रहा है। आसन को धमकाया नहीं जा सकता इस प्रकार। आप अपनी व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री जुबेर खान: आज कोई साधारण व्यक्ति कानून तोड़ता है, उसकी कथनी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान: आज गृह मंत्री के परिवार का आदमी कोई कानून तोड़ता है उसकी लोग चर्चा करेंगे। आज प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं या ट्यूशन करते हैं कोई भी टीचर, उसकी ज्यादा कथनी नहीं होगी। लेकिन आदरणीय घनश्यामजी के परिवार से कोई करेगा, उसकी दस जगह चर्चा होगी। आज साधारण आदमी का नाम दो जगह है या तीन जगह है, इसकी बात तो नहीं होगी, आज राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने, जिन्होंने जानकर दो-दो जगह नाम लिखाया है, वह दो जगह उनका नाम हो, उनकी जानकारी बाद हो, इसकी चर्चा होगी। आज अध्यापकों के दो हजार से तीन हजार भत्ता कर दिया गया, सलेक्शन दे दिया गया, करोड़ों रूपये का राज्य पर भार पड़ गया, कोई चर्चा नहीं होगी, विधायकों का दो हजार रूपये महीना भत्ता बढ़ाया जाता है तो राज्य में चर्चा होती है। सवाल यह है कि हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति हैं, हम कोई आचरण ऐसे करेंगे कि जिसमें लोगों की कथनी हो, हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि विसंगतियां आपने दूर की लेकिन ...(व्यवधान) रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1950 में यह बात है सही है ...(व्यवधान)

(19.00 बजे)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं लेकिन सोनियाजी दो जगह, सोनियाजी हिन्दुस्तान में रहती रही बिना वहां से नाम कटवाये हिन्दुस्तान की ...(व्यवधान) नागरिकता प्राप्त की है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्थान पंचायत राज एक्ट, 1994 यह बात सही है तो सही है और म्युनिसिपलिटीज एक्ट 1959 में यह बात लाये यहां तक बिलकुल सही है । अधिकार है ...(व्यवधान) सांसद का ...(व्यवधान) आना चाहिए लेकिन।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बतायें सोनियाजी हिन्दुस्तान में रहीं वहां से बिना नाम हटाये आप उसके बारे में कुछ ...।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या है आप चुप रहिये न। 'क' का जानते नहीं, आ जाते हैं कहां-कहां से।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप उसका स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं यह भी बताऊंगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वो रह सकती हैं सोनियाजी हिन्दुस्तान में ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वो भारत की नागरिक हैं भारत की नागरिक हैं। ...(व्यवधान) मैं बड़ी गम्भीरता से अपनी बात कह रहा हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार से बोल रहे हैं माननीय सदस्य को।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये कैसे कह रहे हैं ? आपका संरक्षण चाहिए। I am in possession of the floor of the House.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप जरा आपके भी तो देखिये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपको देख कर संबोधित कर रहा हूं लेकिन ये ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कहते वहां तक तो ठीक है पर अगर माननीय सदस्य के लिए ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कि कहां-कहां से आ जाते हैं...।

श्री जोगाराम पटेल: कहां-कहां से आ जाते हैं यह हटाया जाए। ये इन्होंने बोला अभी कि कहां-कहां से आ जाते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप जैसे चुनकर आये हो वैसे ही जनता से वोट लेकर आये हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कहां-कहां से आये आपकी मेहरबानी से नहीं आये हैं।

श्री जोगाराम पटेल : यह ऑब्जेक्शनेबल है ...(व्यवधान) ये कहां कहां से आ जाते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): 13 साल सोनियाजी ने शादी होने के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली थी ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धूल चटा कर आया हूं और जनता ने धूल चटायी है आपके मंत्री को।

श्री हीरालाल (निवाई): सोनिया गांधीजी ने शादी होने के बाद तेरह साल तक नागरिकता ग्रहण नहीं की और अवैध रूप से हिन्दुस्तान में रहीं यह भी जांच का विषय है। इसकी भी जांच की जाए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके मंत्री को धूल चटा कर आया हूं सदन में कोई मेहरबानी से नहीं आया हूं आपकी।

श्री हीरालाल (निवाई): तेरह साल तक ...(व्यवधान) तेरह साल बाद भारत की नागरिकता ग्रहण की।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कहां-कहां से आ जाते हो ...(व्यवधान) इतने गलत काम करते हो आप ये तो देखें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी किसी को गलत टोकाटाकी नहीं करता और मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं तो आपने यह कैसे कहा कि कहां कहां से आ जाते हैं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और मैं कोई बात, मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो बात कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) और ये ...(व्यवधान) आज ...(व्यवधान) सरकार आपके सामने है जरा बोलिये उन्हें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): जो ये कहा है उस शब्द को विलोपित किया जाए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बोलिये सुचित्राजी से क्या संबंध है कल्लाजी आप बोलिये ...(व्यवधान) कहां-कहां से आ जाते हो मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां कहां से आ जाते हो इस शब्द को विलोपित किया जाए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) सुचित्राजी से संबंध ये बोलो खड़े होकर के ।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) कहां-कहां से आ जाते हो, आपकी मंत्री को धूल चटा कर आया हूं और चुनाव जीतकर आया हूं। जनता के आशीर्वाद से आया हूं आपकी मेहरबानी से नहीं आया हूं। आपकी तरह गलत कारनामें करके नहीं आया हूं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि कोई जिम्मेदार आदमी अगर कोई कानून तोड़ता है उसकी ज्यादा कथनी होती है यह स्वयं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह किसी सदस्य के द्वारा कानून तोड़ने का मुद्दा नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कैसे नहीं है मुद्दा।

श्री अध्यक्षः यह जनरल संशोधन भविष्य के लिए है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप जानते हुए, आप वकील हैं दो जगह नाम कैसे रखते हैं?

श्री उपाध्यक्षः जनरल संशोधन भविष्य के लिए है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी जानकारी के होते दो जगह नाम कैसे रख सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, यह संशोधन भविष्य के लिए है किसी के अनियमितता करने पर ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो यही मैं कह रहा हूं कि यह संशोधन विधान सभा चल रही थी अब भी आ सकता था ।

श्री उपाध्यक्षः आप इसकी मंशा नहीं समझ रहे हैं। इसकी मंशा यह है कि भविष्य में ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसकी मंशा मैं समझ रहा हूं उपाध्यक्ष

(श्री जुबेर खान)

महोदय, अगर यह अध्यादेश नहीं आता तो झालावाड़ से मुख्य मंत्रीजी का और सांसद का नाम विलोपित हो जाता मैं फिर कह रहा हूं आप मेरे वर्ड सुन लीजिये जांच करा लीजिये।

श्री उपाध्यक्षः आप विषय को समझ ही नहीं पा रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप भी नहीं समझना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह काम सरकार का है आपका नहीं है, आप हाउस ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य आसन से उलझ रहे हैं यह क्या बात हो गयी आसन से कैसे उलझ सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आप जांच करा लीजिये अगर यह आर्डिनेंस नहीं आता तो नाम विलोपित हो जाता इसलिए आर्डिनेंस लाया गया है और यहां यह भी कहा गया, सरदार मनमोहनसिंहजी देश के प्रधानमंत्री हैं उनका आसाम के अलावा हिन्दुस्तान में किसी वोटरलिस्ट में नाम नहीं है। यूपीए की चैयरमेन रही सोनिया गांधीजी का ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दिल्ली में भी है दिल्ली में है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कहीं नहीं है आप जांच करा लीजिये।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आप पर्सनल नॉलेज ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दिल्ली में भी नाम है उनका।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां मुझे नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज के आधार सत्य बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः कई जगह आप में से और हमारे में से कइयों के बहुत सी जगह नाम मिल जाएंगे आपको।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप बोलने ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्षः उससे कोई मतलब हल नहीं होता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप डिबेट कर रहे हैं कि डिबेट को प्रिसाइड कर रहे हैं? आप डिबेट को प्रिसाइड कर रहे हैं डिबेटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिबेटिंग नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि ...।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हां तो आप भूल गये आप भूल गये कि आप डिबेटर नहीं हैं आप डिप्टी स्पीकर हैं डिबेटर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिबेट की नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसका कनेक्शन यह है..।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): नहीं क्या कह रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये तो सबूतों के साथ बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा क्योकि रेफरेंस आया था श्रीमती सोनिया गांधी का नई दिल्ली विधान सभा क्षेत्र के अलावा हिन्दुस्तान में दूसरी जगह कोई नाम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहनसिंहजी का आसाम के अलावा कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेकिन इनके यहां के मुख्य मंत्रीजी का क्या करें जिनका पाच-पाच जगह नाम देश में हो विधान सभा क्षेत्रों में, इसका कहां से जवाब लायेंगे? और क्या यह सत्य नहीं है कि 1998 में दरख्वास्त दी कि एसएन गुप्ताजी के मकान में किरायेदार की हैसियत से रह रही हूं मेरा नाम जोड़ा जाए? क्या यह रिकार्ड पर नहीं है मंत्रीजी जब जवाब दें तो कह दें क्या 1978 में धौलपुर में दरख्वास्त देकर नाम नहीं लिखाया गया? आप इनको भी नकारोगे मंत्रीजी जवाब दें, दे दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय सदस्य, आप यह भी बता दें कि मनमोहनसिंहजी वहां आसाम में रहते हैं क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह विधान सभा जिसके लिए कानून बना सकती है उनको तो पहले निकाल दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सरकार अमेंडमेंट लायी है यह वांछित नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये जो हालात बता रहे हैं ऐसे पहले भी हुए हैं कोई कानून नहीं लाये। यह बीजेपी सरकार की खुद को बचाने के लिए कानून लाने की एक हैबिट बनी हुई है। यही स्थिति कल परसों यहां झारखंड के लोग आये थे एक ऐसा ही कानून

(श्री रामनारायण चौधरी)

बनाकर के वो यहां पर आये थे और उनका विरोध हुआ था । हमने तो आपकी इज्जत के लिए उनका विरोध नहीं किया, छोटा सा संकेत किया था बाकी वो ऐसा काला कानून बना करके आये थे जिसे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उनकी सदस्यता खतरे में नहीं पड़ जाए, ऐसा कानून बनाकर के आये थे और यहां हमें शक्ल दिखा रहे थे । हम उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे । लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब मुझे स्पीकर साहब के कमरे में ले गये तो वहां उनके साथ बैठे भी, चाय भी पी। अब आज आप ऐसा कानून बना रहे हो, इस कानून को हम पसंद नहीं करते हैं । यह व्यक्ति विशेष के लिए कानून लाया जा रहा है । ये देश का प्रदेश का काला कानून है हम इसको पसंद नहीं कर सकते। हम इसमें भागेदारी नहीं करना चाहते। मेरा दल इससे वाक आउट करता है।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्य इस बिल पर बिना किसी आधार पर यहां से वाक आउट कर रहे हैं जो कानून लाया जा रहा था उसके स्कोप पर तो ये कोई बोले नहीं इधर-उधर की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं । फालतू की बातें कर रहे हैं । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून हम इसलिए ला रहे हैं कि इस प्रकार का प्रोविजन पंचायत एक्ट में भी है और जो आरपी एक्ट है उसमें भी है । ...(व्यवधान)... आप थोड़ा सुन तो लें साहब।

श्री उपाध्यक्ष: पंचायत एक्ट में है। रिप्रजेंटेशन एक्ट में है इसलिए ला रहे हैं इसको करने के लिए, नारमल है इसमें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बात तो सुन लें साहब। जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए यहां कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को और उनके बेटे दुष्यंत सिंहजी को बचाने के लिए आप यह काला कानून ला रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं है । इसमें सभी माननीय सांसद और विधायक कवर होते हैं । अगर ये कानून हम नहीं लाते तो ये नगरपालिका की जो वोटर लिस्ट 1 जनवरी को साया होती है इसलिए हमको यह आर्डिनेंस दिसम्बर में लाना पडा क्योंकि 1 जनवरी

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

को ये नयी वोटर लिस्ट बनती है और अब चूंकि उसके बाद विधान सभा का सत्र अब आया है इसलिए इसको बिल के रूप में ला रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए निवेदन किया गया है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी इस प्रकार से माना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का श्रीमती वसुंधरा राजेजी का नाम दिसम्बर में उन्होंने माना है कि उनका नाम राजस्थान में एक ही जगह वोटर लिस्ट में झालवाड़ में है इसके अलावा कहीं भी नहीं है । इस प्रकार का मेरा और जहां तक इसको जनहित में इसको प्रचारित करने का और सलेक्ट कमेटी को सौंपने का सवाल है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इसलिए इसमें मेरा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इस आर्डिनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पारित करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 श्री राजेन्द्र राठौड प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 रखा है मैंने इसमें संशोधन दिया है इसको जनमत जानने हेतु, प्रवर समिति को सौंपा जाये तीन महीने के लिये नामों की घोषणा बाद में कर दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जनमत वाले में ही नाम है इनका ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका जनमत जानने हेतु ही है ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): पहले जनमत वाला लीजिए उसके बाद ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जाने हेतु परिचालित किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार जिस तरह से विधेयक, कानून और नई-नई ऐसी व्यवस्थाएं बना रही है यह मोनोमेंट्स, आर्कोलोजिकल साइट्स, एन्टीक्यूटीज है यह जो संग्रहालय है, यह भवन है, यह किले हैं उनको प्राइवेट संस्थाओं को देने के लिये यह बिल लाया गया है । आज राजस्थान में आर्कोलोजिकल डिपार्टमैंट है, आरटीडीसी डिपार्टमैंट है कला व संस्कृति डिपार्टमैंट है और बहुत सी जगह के भी ट्रस्ट बने हुए हैं जैसे सिटी पैलेस के लिये ट्रस्ट बना हुआ है, जोधपुर में भी बने हुए हैं यह नये तरीके से जो थोड़े बहुत संग्रहालय जो राजस्थान सरकार के पास है, जनता के पास है, प्राइवेट प्रोपर्टी है इस कानून के माध्यम से इनको भी राजस्थान सरकार किसी निजी व्यक्तियों को, किसी फर्म को या किसी ट्रस्ट को देने का काम कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखें जितना कलेक्शन प्रवेश शुल्क से चाहे आमेर का किला हो, चाहे एलबर्ट हाल हो चाहे और दूसरे स्मारक हो या आर्कोलोजिकल साइट्स हो उनका पैसा, इस बात के लिये तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने यह प्रावधान कर दिया कि इनके पैसे को इनके रखरखाव के लिये लगाया जाये, आपने नई व्यवस्था शुरू की है आप इनको सरकार के अधीन से प्राइवेट लोगों को देंगे तो क्या होगा जिस तरह से टोल टैक्स में गुंडागर्दी होती है, रायल्टी के सेल्स टैक्स में गुंडागर्दी होती है, शराब के ठेकेदारों द्वारा गुंडागर्दी होती है किसी को भी पकड़ लेना जीप में डाल लेना यही परम्परा आप यहां करने जा रहे हैं कि मनमर्जी से ढाई हजार रुपये तक उसमें रख सकते हैं । एक तरह से यह स्थल

(श्री जुबेर खान)

जो आम जनता के लिये हैं जहां से लोग प्रेरणा लेते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानते हैं वहां ऐसा हो जायेगा कि धनाढ् सेठों के अलावा कोई नहीं जा सकेगा । ढाई हजार रुपये की फीस रखने का प्रावधान है कि ढाई हजार रुपये तक रख सकते हैं तो वहां पर साधारण आदमी जो दूरदराज से आता है, आदिवासी देखने आता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह के संग्रहालय बनाए हुए हैं वह कैसे उन में घुस पायेंगे । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि, और आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि आप इसमें इतनी जल्दी मत कीजिए इसको जनमत जानने के लिये भेजिए। इसमें लोगों के सुझाव आयेंगे, जनप्रतिनिधियों के सुझाव आयेंगे, संस्थाओं के सुझाव लीजिए, जो लोग इनसे जुडे हुए हैं साहित्यकार हैं, इन स्मारकों से और इन किलों से जुडे हुए जो दूसरे लोग हैं उनके भी सुझाव लीजिए। आप निजी भागेदारी से कालेज भी बना देंगे, मेडिकल कालेज भी बना देंगे, स्कूल बना देंगे, भवन बना देंगे और जो राजस्थान पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है, स्मारक है जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं उनको भी आप इन प्राइवेट फर्म और प्राइवेट लोगों को और ट्रस्ट को देने का काम जो कर रहे हैं और इसमें प्रक्रिया क्या अपनाओगे यह तो घनश्यामजी जाने। किस तरह की पारदर्शिता रखोगे या नहीं रखोगे यह तो बाद की बात है। आप किस तरह से इनको अलाट करोगे या इनको टेण्डर करोगे, किसको दोगे, किसी को मुम्बई से बुलाओगे या दिल्ली से बुलाओगे जैसे सेज में आपने बुलाया । आप यह परम्परा मत डालिए। राजस्थान सरकार इतनी भूखी नहीं है कि हमारे स्मारकों की देखभाल नहीं कर सके, हमारे संग्रहालयों की देखभाल नहीं कर सके। हमारे आज भी हो रहे है और इसको आप प्राइवेट लोगों को देकर जो पुरातत्व की चीजे हैं, एंटिक है, ऐतिहासिक चीजें हैं। इनको और गायब करा दोगे । वह एफआईआर दर्ज करा देंगे कोई चोरी कर ले गया । कानून में कोई प्रावधान नहीं है । एक नया रास्ता खोल रहे हो। इससे तस्कर लोग जो हमारे बेशकीमती ग्रंथ है और जो दूसरी चीजें हैं इनको वह लोग विदेश में बेच देंगे जैसे टाइगर की खालों को बेच दिया । आप यह काला कानून मत बनाने जाइए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलेंगे कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये और सही तरीके से इसमें लोगों की राय लेकर नये सिरे से इस कानून को लाया जाये । मैं आपसे प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह जी (अनुपस्थित) श्री प्रहलाद गुंजल ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, मैने राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है । जिन परिस्थितियों में सरकार इस बिल को लेकर आ रही है आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी महती आवश्यकता है । मैं इस पर बात रखता किन्तु समय कम है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को एक माननीय विधायकजी के जन्म दिन के अवसर पर जाना है । मैं आपकी अनुमति से मैंने जो प्रस्ताव जनमत जानने का दिया है उसको वापस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 में जो संशोधन लाये हैं उन संशोधनों के पीछे उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण बात है । महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि यह कुछ ऐसे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर जो ऐतिहासिक स्थान है और जो इतने कीमती और इतने बढ़िया है कि जिनको दुनिया सभी दृष्टिकोण से, कलात्मक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनको बहुत महत्वपूर्ण मानती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह उन ऐतिहासिक स्थलों को किसी भी तरीके से ऐसी संस्थाओं को हस्तान्तरण करना चाहते हैं जो मानसिक रूप से इनके विचारों के पोषक हो और चाहे वह ट्रस्ट योग्य हो या अयोग्य हो लेकिन इनकी विचारधारा का अगर वह पोषक है तो इन कीमती चीजों को जो अरबों करोडों रुपये की हैं उनको इस अमेंडमेंट के माध्यम से इनको हस्तांतरण करना चाहते हैं ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा यदि आपकी विचारधारा के समर्थकों को देवे तो फिर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): देने वाला आपको बनाया ही नहीं किसी ने।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको देवे तो क्या दिक्कत है, विचारधारा के आधार पर .. (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर यह प्रश्न मेरे सामने कोई कैबिनेट मंत्री करे तो जवाब दूं, आप देने की स्थिति में ही नहीं हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दे देंगे, यदि आपकी विचारधारा के लोग चाहे किसी को लेने का तो क्या आप दे देंगे? आप वकील हो कोई अच्छा तर्क रखें यह जचा नहीं मामला ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार का कोई प्रस्ताव आये तो विचार करें ना । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके पीछे मुझे जो लग रहा है और यह बात लगने के लिये मेरे पास ठोस आधार है एक बहुत कीमती अरबों रुपयों की लागत का एक राधा माधव मंदिर वृन्दावन में है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और प्रार्थना है कि जिन्होंने देखा बहुत अच्छा किया। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा कृपा पूर्वक उस मंदिर को एक बार जाकर जरूर देखें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपके साथ ही चल चलेंगे ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां मैं ले चलूंगा आपको अपने साथ ।

श्री मदन राठौड़ : आपको आपकी पार्टी निकाल देगी अगर साथ चलोगे तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आपसे सलाह ले लूंगा जो भी आप बुद्धि दोगे उसी के माफिक चलूंगा अब तो संतुष्ट हैं आप । अरबों रुपये की लागत का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है राधा माधव मंदिर जिसको यह चोर दरवाजे से पहले देवस्थान विभाग के माध्यम से निम्बार्क सम्प्रदाय का मंदिर है उसको चोर दरवाजे से अभी-अभी 6 महीने पहले भरतपुर के एक दो लोगों को लेकर एक ट्रस्ट बनाया जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित है। और उनसे उस अरबों रुपये की लागत के मंदिर को लेने के लिये देवस्थान विभाग में आवेदन करवाया। और उस आवेदन करवाने की एक विज्ञप्ति निकाली देवस्थान विभाग से । लेकिन उस विज्ञप्ति पर जब एतराज का सवाल आया तो उस पर गंभीर कानूनी रूप से जो कमियां थीं कि ले सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इस सारे प्रकरण पर, उस पर आपत्ति की गई। और इन्होंने यह महसूस किया कि वैधानिक रूप से जो देवस्थान विभाग का, दूसरे ट्रस्टों को और इनको देने का जो प्रकरण है उस प्रकरण के आधार पर हम उसको नहीं दे सकते। और उसमें कारण था। कारण यह था कि तीन आधार थे जिस पर देवस्थान विभाग, मंदिर को किसी भी निजी संस्था को, ट्रस्ट को दे सकता था। कारण था जिस मंदिर में मूर्ति नहीं हो, खण्डहर स्थिति में हो, सेवा-पूजा की व्यवस्था नहीं हो ऐसे मंदिर जिन्हें जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, आप जाकर उसको देख लें । उसको बनने में चालीस साल लगे हैं । जब बना था उस समय लाखों रूपये का खर्चा था आज अरबों रूपये की सम्पत्ति के रूप में वहां पर है। वहां हमारा देवस्थान विभाग चलता है निम्बार्क सम्प्रदाय के, वहां नियम यह था कि उस सम्प्रदाय के लोगों को वह मंदिर अगर दिया जा सकता है तो उसी सम्प्रदाय के लोगों को वह दिया जा सकता है। और जिनकी प्रशंसक, और माननीय उप राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भी अजमेर के पास जो निम्बार्क सम्प्रदाय के परमपूज्य गुरूदेव हैं उनके यहां जाते हैं, उन्होंने खुद ने एतराज किया कि यह जो स्थान है यह हमारे सम्प्रदाय का है और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को नहीं दिया जा सकता । उस वैधानिक और उनकी आपत्ति के बाद वहां जन आंदोलन हुआ, धरने हुए। सरकारें सामने आई और नतीजा यह निकला कि जब उस तरीके से ट्रस्ट को यह देने की स्थिति में नहीं रहे तो यह दूसरे तरीके से उस स्थान को, उस कीमती स्थान को निजी रूप से किसी संस्था को, किसी ट्रस्ट को देने के लिए यह नियम लाए । मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप चोर दरवाजे से अपने व्यक्तियों को, अपने विचारधारा के लोगों को अगर यह अरबों रुपये की सम्पत्ति ट्रान्सफर करना चाहते हैं, अगर उनको देना चाहते हैं। इसके कारण तो यह आपका घोर अपराध विकृत्य होगा और इसके लिए राजस्थान की जनता आगे आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी ।

मेरा दूसरा विनम्र अनुरोध यह है कि उस स्थान पर देवस्थान के सहायक आयुक्त है, वहां पर कार्यालय है, मंदिर की पूर्ण व्यवस्था है। ठीक प्रकार से व्यवस्था चल रही है, पहले भी उसके कुछ हिस्से को दूसरों को दिया था, आज की तारीख में आप जाकर देखें तो उसमें ऐसे कलात्मक और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा बोर्ड वहां लगा रखा है कि हमारे टयूरिस्ट के हिसाब से और सब दृष्टिकोण से वृंदावन के सबसे प्रमुख मंदिर है उसको आप इस तरीके से, इस विश्वास के साथ और इस कानून में अमेंडमैंट करके मोन्यूमयेंट घोषित करके, इधर लाकर उसको अगर ट्रान्सफर करने की, ऐसी संस्थाओं को ट्रान्सफर कराने की अगर आपकी योजना है तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अमेंडमैंट से जहां हम व्यवस्था कर सकते हैं, जब आप टैक्स लगा ही रहे हो, टैक्स लगाने से उस पर आमद होगी तो प्राइवेट आदमी से, प्राइवेट ट्रस्ट से,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

प्राइवेट संस्था से एग्रीमेंट करने का क्या सवाल है? आप एक ओर तो टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव साथ के साथ ला रहे हो, जब आर्थिक स्थिति से आप स्वयं मजबूत हो जाएंगे, टैक्स लगाने से और टैक्स वसूल करने से जब आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएंगे। तो जो भी फण्ड उसका आयेगा उससे आप खुद व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक प्रकार से चला सकते हैं । ठीक प्रकार से संस्थागत रूप से, ठीक प्रकार से इंतजाम कर सकते हैं । सरकार मानसिक रूप से ऐसी संस्थाओं को, ऐसे मोन्यूमेंटस को जो बहुत कीमती है, करोड़ों रूपये की लागत के और बहुत कीमती है उनको प्राइवेट एग्रीमेंट के जरिये किन्हीं भी लोगों को ट्रान्सफर करने की जो साजिश अमेंडमेंट बिल को लाकर कर रही है वह बिलकुल अनुचित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी अनेक संस्थाएं, यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है, इनके पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि कीमती जगह को किसी न किसी नाम से लीज के नाम से, एग्रीमेंट के नाम से उनको स्थानान्तरण कर दो। और आप जानते हैं कि एक बार लीज देने के बाद, एक बार एग्रीमेंट होने के बाद, एक बार किसी दूसरे पक्ष को कब्जा देने के बाद चाहे वह कितनी ही कमियां करें, आप कानूनी रूप से तो उसको कुछ कर सकते हो लेकिन कब्जा छुडाना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इन सारी परिस्थितियों पर, सारी बातों पर विचार करने के लिए इस बिल को जनमत के लिए प्रसारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रशेखर बैद । (अनुपस्थित) श्री सी.पी. जोशी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की धारा आर्टिकल 49 में.

"Protection of monuments and places and objects of national importance."

यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 49 है।

"It shall be the obligation,'' the word I am saying, 'it shall be the obligation' of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest. To be of national importance, from spoilation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be."

डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 49 कहता है, यह सरकार की

(डा. सी. पी. जोशी)

जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे मोन्यूमेंटस को प्रोटेक्ट करें । इस बिल के द्वारा सरकार ने अपने उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त कर लिया, मतलब सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुत कहती है कि हमारे पास पैसा है, वित्तीय प्रबंधन हमारा है वह सरकार इन मोन्यूमेंटस को प्रोटेक्ट करने में असफल है । डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 49 है उससे सरकार ने अपने आपको मुक्त कर लिया इसके लिए तो मैं सरकार को साधुवाद देता हूं कि सरकार नीति निर्देशन तत्वों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है जब कि 49 में क्लियरकट है कि सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार इन मोन्यूमेंटस को प्रोटेक्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो बिल लाए इसमें दो बातें देखें। पहला प्रोवीजन इन्होंने किया 13 (1) के अन्तर्गत कि यह व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ, फर्म के साथ, ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं । एग्रीमेंट के साथ-साथ दूसरा प्रोवीजन इन्होंने यह किया, जिस प्रोवीजन के साथ में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों मिलकर एग्रीमेंट करेंगे

"...having regard to the expenditure involved in the maintenance of the monument and collection of fee, interest on the capital invested, reasonable return on the investment and the volume of visitors."

यह जो इन्वेस्टमेंट करेंगे प्राइवेट आदमी के साथ में, इस पर सरकार जो एग्रीमेंट करेगी, वह कैपीटल इन्वेस्टमेंट में यह ध्यान रखेगी कि उसके विजिटर कितने आएंगे, वोल्यूम आफ विजिटर्स, रिटर्न आफ दा इन्वेस्टमेंट इसका ओब्जेक्टिव असेसमेंट कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव असेसमेंट। मुझे राजेन्द्र सिंह जी राठौड को एक्सपर्ट मानकर मोन्यूमेंटस का ठेका देना, उपाध्यक्ष महोदय, तो मोन्यूमेंटस का मैं ठेका दे दूंगा उसको। और ठेका देने के बाद किस तरीके से वसूल करेगा इसका फैसला सरकार और वह दोनों बैठकर करेंगे कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट होगा वह इन्वेस्टमेंट रिजनेबल है कि नहीं, कितने विजिटर्स आयेंगे कि नहीं आयेंगे, इसका कोई भी ओब्जेक्टिव कार्य इसके अंदर नहीं रखा, सब्जेक्टिव पैटर्न रखा ।

मैं कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार ने आमेर के किले का 35-40 करोड़ रूपये का ठेका एक व्यक्ति को दिया है । कोई टैण्डर नहीं निकाला और 40 करोड़ रूपये का ठेका रिन्युवल करने के नाम पर आमेर किले का दिया गया। 40 करोड़ रूपये का इन्टरेस्ट, बनाकर उसको रिन्योवेट करने के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। और आज यह सरकार उसको, जब यह

(डा. सी. पी. जोशी)

उसमें बिल नहीं लाये, बिना बिल के, बिना टेण्डर के एक आदमी को कर दिया, ट्रस्ट बना दिया । अब यह बिल लाकर, आप किसी व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों के संबंध में कोई क्राटेएरिया नहीं बना रहे, उन क्राइटेरिया के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट करने के बाद एंट्री फीस करने के लिए आप अपने हिसाब से फैसला करेंगे । अच्छा होता यदि आपके मन में कल्पना है कि हम मोन्यूमेंटस को सरकार अपने संसाधनों से ठीक ढंग से मेंटीनेंस नहीं कर सकती है, प्राइवेट पार्टी के पास हम जहां जाते हैं, आप इसमें यह वर्ड नहीं लिखते। इसमें लिखा है "A limited and regulated private participation." Why a limited? लिमिटेड पार्टी. सिपेशन क्यों करना चाहते हैं? आप ओपन टैण्डर कराइये, दुनिया में बहुत बड़े एक्सपर्ट आदमी अवेलेबल हैं, उनसे लेकर हमें यह करना चाहिये। लिमिटेड, आप सलेक्टर करेंगे यह दस एक्सपर्ट हैं, उनका सलेक्शन भी आपके पास है। उनको ओबलाइज करने के लिए, कानून का जामा पहनाने के लिए यह दुर्भाग्य है। 50 साल तक राजस्थान के मोन्यूमेंटस को मेंटेन करने के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही थी। अब सरकार कुछ व्यक्तियों को लाभ देने के लिए कानून का जामा पहनाकर यह व्यवस्था करना चाहती है। उन व्यक्तियों को मनमर्जी से काम दे और काम देने के बाद एक ऐसा एग्रीमेंट करें जिस एग्रीमेंट से वह पैसा वसूल कर सके जनता से । यह टोल टैक्स का नया तरीका निकालकर सरकार अपने संसाधनों की बात करना चाहती है । यह संशोधन नहीं जुटाने का काम है। यह केवल मात्र अपने लोगों को ओब्लाइज करके राजस्थान की जनता पर इनडायरेक्ट में टैक्स लगाने की व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, "It is also considered appropriate to levy entrance fee in respect of certain protected monuments to be specified by the State Government so as to argument funds for their maintenance." इसका मतलब सरकार ने बिल्कुल मान लिया है कि उनकी आरग्यूमेंट, मैंटेनेंस करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, प्राइवेट पार्टी के साथ बैठकर हम यह काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, इसमें आपने ओब्जेक्ट में लिखा है, "The State is gradually acquiring world-wide recognition for its historical monuments and places and is attracting tourists not only from within the country but also from foreign countries." जब आप मानते हैं कि स्टेट में दो तरह के टयूरिस्ट आएंगे । फोरेन के टयूरिस्ट आएंगे, स्टेट के टयूरिस्ट आएंगे तो आपने इसमें पाच हजार रूपये का लगाया, उसमें डिस्क्रिमीनेशन क्यों नहीं किया, इस पेटे इतना पैसा लगेगा, फोरेन के पेटे इतना

(डा. सी. पी. जोशी)

पैसा लगेगा । जब आपको मालूम है कि फोरेन का जो टयूरिस्ट आता है वह ज्यादा पैसा देता है वहां पर जो फोरेनमनी होती है उसकी एक्सडचेज रेट अलग होती है तो आपको इसमें व्यवस्था करनी चाहिये। इंडियन टयूरिस्ट है, डोमेस्टिक टयूरिस्ट है उसका पैसा अलग लगेगा ।

फारेन ट्यूरिस्ट का पैसा अलग लगेगा, हमने यह व्यवस्था भी नहीं की। यह भी हमने छोड़ दिया है। वह उसका फैसला करेंगे कि फारेन ट्यूरिस्ट से फायदा ज्यादा मिल रहा है कि डोमेस्टिक ट्यूरिस्ट से फायदा ज्यादा मिल रहा है उस हिसाब से उससे एग्रीमैंट करेंगे। मैं समझता हूं कि यदि आपको यह करना था तो आपको यह जानना चाहिए था कि आपका जो पास्ट का रिकार्ड है, उसमें जो फारेन विजिटर्स आ रहे हैं वह मोन्यूमेंट्स को देखने ज्यादा जाते हैं। वह जो पेइंग क्लाइण्ट्स हैं उन पेइंग क्लाइण्ट्स को करने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे। इसमें आपने दो तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आपने दोनों का ब्लेंकेट अधिकार ले लिया। फिर आपने मोन्यूमैंट्स, विरासत, हैरिटेज का स्कूल्स में, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन में कोर्सेज शुरू किये। उन बच्चों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की हमने? क्या हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन बच्चों को फ्री हम देंगे? हमने यह व्यवस्था नहीं की है। हमने यह व्यवस्था की है,

"…any class of persons from the payment of entrance fee."

इसमें हम व्यवस्था करेंगे, पूरी माफ करेंगे कि आधी माफ करेंगे। क्यों, ब्लेंकेट लिख देते कि जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी कि हमें मोन्यूमैंटस के बारे में बच्चों को सिखाना है, जानकारी देनी है हिस्टोरिकल, तो हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था हम कर रहे हैं यह हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं, यह ओब्लिगेशन, ओब्लाइज, पैसा वसूल करना, पैसा वसूल करने के लिये कानून का जामा पहनाना, यह नई व्यवस्था राजस्थान में प्रारम्भ हुई है। मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस नई व्यवस्था के बारे में आज सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य नहीं समझ रहे हैं तो आने वाला इतिहास इनको माफ नहीं करेगा कि कैसे-कैसे लोगों को आपने इस कमिटमेंट के नाम पर, फर्म के नाम और व्यक्तिगत आदमियों को यह काम दे दिया और कैसे पैसा आप इक्ट्ठा कर रहे हैं। उनके ऊपर आपका कोई

(डा. सी. पी. जोशी)

अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संस्कृति की बात करने वाले, आज माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आप संस्कृति की रक्षा करने वाले आदमी, राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाकर संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं या लोगों को ओब्लाइज करने के लिये व्यवस्था करके पैसा कमाने का धन्धा बनाना चाहते हैं। मेरा आरोप है, यह व्यवस्था करके कुछ लोगों को पैसा कमाने का एक एग्रीमैंट करने का कानून लाया जा रहा है और हमारे राजस्थान के हित में नहीं है। इसलिये मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप अच्छी मनसाहत से जो कानून बना रहे हैं, अच्छा होता कि आपने 5 करोड़, 65 करोड़ रुपये ट्यूरिज्म के लिये रखे। आप 10 करोड़ का प्रोविजन करते कि मोन्यूमैंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिये राजस्थान सरकार अपने बजट से 10 करोड़ रुपये देगी। आपका तो वित्तीय प्रबन्धन अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट आपने ठीक कर लिया। कौन रोक रहा था आपको 10 करोड़ रुपये खर्च करने के लिये। लेकिन हमारे मन में न गुरु गोलवलकर के प्रति कमिटमैंट है, न श्यामाप्रसाद मुखर्जी के प्रति कमिटमैंट है, न दीन दयाल उपाध्याय के प्रति कमिटमैंट है। हमारा कमिटमेंट है कुछ लोगों को ओब्लाइज करके राजस्थान सरकार से पैसा वसूल करने का और यह कानून लाने के लिये हम पार्टी बनना चाहते हैं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस कानून के माध्यम से एक ऐसा तरीका निकाला जा रहा है जिस तरीके से कुछ व्यक्तियों के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लगाकर मोन्यूमैंट्स को प्रोटेक्शन के नाम पर पैसा इक्ट्ठा किया। आप जब तक इसको आब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाकर नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाकर कानून में आप लोगों के साथ कुठाराघात करेंगे। इसलिये यह कानून काला कानून है। यह कानून संस्कृति की रक्षा करने का कानून नहीं है। यह कानून जिससे राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी से जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उससे बचने का कानून है, इसलिये इस कानून को जनता के जनमत जानने के लिये इसको भेजा जाना चाहिए। जनमत जानने से ही पता चलेगा कि इस सरकार की प्राथमिकता कैसी है। सरकार की कथनी और करनी में क्या अन्तर है, कैसे संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, कैसे लोगों को इसमें एक्सपटाइज, the words I want to use 'have you ever identified.'

इसमें लिखा है उपाध्यक्ष महोदय, "The matter is engaging the atten-

(डा. सी. पी. जोशी)

tion of the State Government for quite some time past. After considering the whole matter, the State Government is of the view that proper maintenance and restoration of these monuments would need huge resources and great expertise." How do you define the great expertise? Do you have these courses?

आपको मालूम है कि कौन एक्सपटाइज है। एक रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल जो पुराना आदमी है, वह आपको आइडेंटीफाई करेगा कि एक्सपटाइज है। उसके पास डिग्री है, उसने कोई काम किया? जिसको आप सर्टिफिकेट देंगे वह एक्सपर्ट है। आपने आमेर का ठेका दिया, उसको एक्सपटाइज डिक्लेयर कर दिया, 40 करोड़ का ठेका दे दिया। एक व्यक्ति को एक्सपटाइज के नाम पर how will you define the expertise? एक्सपटाइज को डिफाइन करने की व्यवस्था आपने नहीं की। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं बड़े अच्छे और लाफ्टी गोल्स करने के आधार पर आप जो बातें करना चाहते हैं वह राजस्थान की जनता के साथ बहुत कुठाराघात कर रहे हैं। या हो सकता है राजस्थान की जनता आपके संस्कारों को नहीं समझती हो, राजस्थान की जनता आपके प्लान को नहीं समझती हो। पर हम कहना चाहते हैं कि आज के ढाई साल के बाद जनता के सामने यह बातें स्पष्ट होकर आयेंगी कि यह सरकार ने कुछ व्यक्तियों को लाभ देने के लिये ऐसा कानून बनाया है जिस कानून से राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय में आप भागीदार बनाना चाहते हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम कहना चाहते हैं, इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का एक गौरवशाली अतीत है और पुरातत्व सम्पदा के लिहाज से राजस्थान बहुत समृद्ध है। निश्चित रूप से इस सम्पदा का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जिस रूप में कानून में संशोधन लेकर आयी है, 1961 के कानून में, उससे इस सरकार की नीयत बहुत साफ हो जाती है। इस सरकार का सोच पुरातत्व सम्पदा के संरक्षण का नहीं बल्कि सरकार एक व्यावसायिक सोच के साथ आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने सैक्शन 13 में एक संशोधन प्रस्तुत किया है, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, जिसमें धारा 14 में के स्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

पर अभिव्यक्ति धारा 4 में प्रतिस्थापित की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 13 में क्या प्रोविजन हैं।

"Maintenance of certain protected monuments. The State Government shall maintain every monument which has been acquired under section 12 or in respect of which any of the rights mentioned in section 14 have been acquired."

अब इस सैक्शन 14 की जगह आप सैक्शन 4 डाल रहे हैं। सैक्शन 14 में क्या है, "Voluntary contributions. The Director may receive voluntary contributions towards the cost of maintaining a protected monument and may give orders as to the management and application of any funds so receive by him;

Provided that no contributions received under this section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed."

वालियंट्री कंट्रीब्यूशन का प्रावधान पहले से था एक्ट में और उस प्रावधान को हटाकर, उस सैक्शन के प्रावधान को हटाकर के अब आप ला रहे हो सैक्शन 4, उस सैक्शन 14 की जगह पर। सैक्शन 4 क्या है, Section 4. Acquisition of rights in or guardianship of a protected monument. इससे साफ जाहिर है कि आप की मंशा क्या है। वालियंट्री कंट्रीब्यूशन को आप, यदि आपकी मंशा वालियंट्री कंट्रीब्यूशन को एन्क्रेज करने की रही होती तो आप सैक्शन 14 के प्रोविजन को हटाकर के सैक्शन 4 नहीं लाते। लेकिन आप बहुत खुले रूप से बाजार की व्यवस्था को इसमें लाना चाहते हो। जैसे इस सरकार की नीयत रही है। हर मामले में, और भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार रही है, ऐसे मामलों में जो नीयत रही है, आज तक हैरिटेज के नाम पर आपने क्या किया। आप कुछ समूह को, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये आप हैरिटेज लिकर लेकर आये। हैरिटेज लिकर के नाम पर आपने क्या किया, कंसलटेंसी का पैसा दिया। हैरिटेज लिकर के नाम पर गंगानगर शुगर मिल का ढाई करोड़ रूपया आपने लगाया और आपकी मार्च महीने में सेल क्या रही, हैरिटेज लिकर की, मात्र 50 हजार रुपया। इस तरीके से जितने आधारभूत ढांचे के विकास के कार्यक्रम भी आप लेकर आये हो, चाहे वह रिडकोर के माध्यम से, 4 सड़कें बनाने का काम हो, आप अपनी पालिसी लेकर विधान सभा में आये, आपने अपनी कोई स्पष्ट नीति बनायी, आपने कोई टेण्डर प्रोसेस किया? आपको जो आदमी पसन्द आ गया उसको आपने एम.डी. बनाकर बैठा दिया। इसी तरीके से जितने फैसले आपने किये, एक भी फैसले

(श्री संयम लोढ़ा)

पर इस गवर्नमैंट के काम पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। चाहे विंड एनर्जी की पॉलिसी हो, 2000 की सेंक्शंड पालिसी थी, आपने उसको रोक दिया। पैसा कम कर दिया। फिर अपने वेस्टेड इंट्रेस्ट पूरे होने के बाद उस पालिसी को फिर लागू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने काम इस गवर्नमैंट ने किये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जे.डी.ए. जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन, निविदा प्रक्रिया किस काम में आप अपनाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस विषय पर बोल रहे हैं आप। यह विंड एनर्जी पालिसी की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। आज यह प्राइवेट सहभागिता का लेकर आये हो। क्या ट्रांसपेरेंसी है आपकी। क्या आपने पॉलिसी सदन में प्रस्तुत की, क्या आप प्रक्रिया करना चाहते हैं, यह गवर्नमैंट तो उपाध्यक्ष महोदय, कोयले के इम्पोर्ट के मामले में भी इण्टरनेशनल बिड में नहीं गयी और 98 करोड़ का जिस सरकार ने कोयला खरीद लिया, बिना इण्टरनेशनल बिड में गये हुए और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने क्या अनुमति दे दी, यह काहे पर डिस्कशन आप करवा रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक बहुत बड़ा खतरा राजस्थान की पुरातत्व सम्पदा के लिये प्रस्तुत हो रहा है। बहुत अच्छा होता कि अगर आप इस सम्बन्ध में प्राइवेट सहभागिता के लिये लाने वाले हो, आप एक विस्तृत नीति लेकर आते, आप सदन में अपनी नीति को रखते। हमारे यह मोन्यूमैंट्स हैं, इन पर सरकार का अब तक इतना खर्च हुआ है, इसके साथ इतनी जमीन जुड़ी हुई है, उस जमीन की इतनी लागत होगी। यह सब कुछ करके इतना प्रस्ताव होता है और प्राइवेट एण्टरप्रिन्योर को देने के लिये हम इस लागत के प्रस्ताव देंगे, इतनी कीमत का आंकलन करेंगे। इस आधार पर मोन्यूमैंट्स को प्राइवेट लोगों को देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा एक भी प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। ऐसी कोई नीति इस सदन में प्रस्तुत नहीं की। यह उसी तरीके से होगा, मेरी नजर में तू एक्सपर्ट, तू यह ले। मेरी नजर में तू एक्सपर्ट, तू यह ले। चुन-चुनकर खुद के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम इस काले कानून के माध्यम से यह सरकार करेगी। इस काले कानून के माध्यम से यह सरकार अधिकार लेने जा रही है।

(श्री संयम लोढ़ा)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया वृन्दावन के मंदिर का। क्या प्रक्रिया आपने बनाई? करोड़ों रुपये का मंदिर एक समूह विशेष को आप देने जा रहे हो। क्या उसकी प्रक्रिया अपनायी और इस बात की क्या गारंटी है कि यह अधिकार लेने के बाद और यह अमेंडमैंट करने के बाद राजस्थान की तमाम पुरातत्व सम्पदा को आप निजी हाथों में चुन-चुनकर खुद के लोगों के हाथों में सौंप देंगे? अभी जिक्र आया था बीच में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के शिल्प संस्थान का। क्या प्रक्रिया आप अपनाने जा रहे हो? उस शिल्प संस्थान के गुजरात अम्बुजा से आपको प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर उसको देने का विचार कर रहे हो। आप पूरी उस सम्पत्ति की लागत का प्रस्ताव बनाते और लोगों के सामने प्रस्तुत करते। इतनी इसकी लागत हो रही है। हम इस रूप में यह टेंडर दे रहे हैं, यह कोई प्रोसेस नहीं।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कोई खाली आधारभूत ढांचे के या विकास के कार्यों के प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। राजस्थान का समृद्ध अतीत इससे जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान इससे जुड़ा हुआ है और उस सबको अपने निहित स्वार्थों के लिए अगर राजस्थान की सरकार नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने इस अमेंडमैंट के अन्दर यह 20 (क) में जो प्रोविजन किया है, जिसमें उसकी सम्पूर्ण लागत का तो आपने जिक्र कर दिया और प्रति व्यक्ति 2500 रुपये से अधिक नहीं हो। मैं कहता हूं कि प्रति व्यक्ति 2400 रुपये भी आप रखो, कौन आदमी इसका भुगतान करने की स्थिति में है? क्या राजस्थान के उस गरीब आदमी को उस, उस पुरातत्व सम्पदा को देखने का कोई हक नहीं है? आपके इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद में राजस्थान का आम आदमी और वह आदमी जिसने राजस्थान की इस सर्वोच्च सत्ता पर आपको बैठाया है, आपको राजस्थान की हुकूमत का मालिक बनाया है, क्या उस आदमी के साथ अन्याय नहीं है? यह लागू करने के बाद हमारी पुरातत्व सम्पदा, राजस्थान के आम-आदमी और आम बच्चे की पहुंच से बाहर हो जाएगी इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काले कानून को वापस लें

(श्री संयम लोढ़ा)

और यह जन विरोधी है। राजस्थान की संस्कृति पर हमला करने वाला है और जिस तरीके से जोधपुर और दूसरी जगह किलों को और दूसरे मोन्यूमैंट्स को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हो और उस पर पहले ही यह एक्ट आने से पहले ही काम शुरू हो चुका है, वह राजस्थान की जनता की नजर में है। पर यह लोगों को फायदा पहुंचाने के नाम पर राजस्थान के गौरवशाली अतीत के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करे। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने वेबसाइट इलेक्ट्रोनिक, यह जो आप प्राइवेट आदमियों को काम दोगे, उसकी रायल्टी को रोकने का काम किया क्या आपने? आपने कोई इसमें प्रोविजन नहीं रखा। जिस प्रोविजन के अन्तर्गत वह आदमी वेबसाइट पर इन चीजों को दुनिया में बताएगा और पैसे वसूल करेगा। आपने इसमें कोई प्रोविजन नहीं रखा है। आपने तो जो एग्रीमेंट किया उसमें देख लीजिए। कहीं भी एक सेंटेंस इसमें आपने जिक्र नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें इसके ओरिजनल एक्ट के सेक्शन 38 में रूल बनाने का अधिकार सरकार को है। यह सब रूल्स के अन्दर सारी चीजें आएंगी जो आप कह रहे हो। आपकी सारी शंकाओं का एक-एक शंकाओं का जब मैं जवाब दूंगा, उन शंकाओं का समाधान करेंगे आपकी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, रूल में तो वह आता है जो एक्ट में, आप जो फरमा रहे हो एक्ट के अन्दर यदि प्रोविजन ही नहीं है, आज आपने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बारे में आपने सोचा ही नहीं है। ... (व्यवधान) वेबसाइट कैसी होगी, उसको बाहर भेजकर वह पैसा कमाकर खाएगा। उसको रोकने के लिए तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। आप जब एग्रीमेंट करें तो उसमें प्रोविजन रखना पड़ेगा कि इस प्रोविजन के अन्तर्गत यह जो अधिकार है, यह राजस्थान सरकार के पास रहेगा। यदि यह सरकार, यदि वह प्राइवेट पार्टी के पास रहा तो वेबसाइट लेकर वह बाहर भेजकर पैसा खाएगा, वह आपके अन्दर नहीं आएगा। इसमें प्रोविजन रखा ही नहीं आपने। रूल का प्रोविजन क्या होगा? रूल का प्रोविजन होता है एक्ट के प्रोविजन के अन्तर्गत, रूल होता है, रूल्स में, मूल एक्ट के अलावा कोई नहीं हो सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए तो रेगुलेटेड एण्ड लिमिटेड प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हमने इस एक्ट में की है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं मान्यवर, आप फिर उलटी बात कर रहे हैं। उसमें आपने एक्ट में कहां प्रोविजन रखा रोकने की, आप उलटा वह आर्ग्यूमैंट दे रहे हैं मुझे। लिमिटेड और रेगुलेट कर रहे हैं आप लेकिन एक्ट के अन्दर तो प्रोविजन रखेंगे आप, उसको रोका जाएगा यह तो प्रोविजन रखा ही नहीं आपने, यह तो छूट दे दी उस आदमी को।

श्री उपाध्यक्ष: नियमों में आगे। मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी दे देंगे आप उनको। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको तो खाली जवाब देना है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Rajasthan monuments, archaeological sites and antiquities (amendment) Bill, 2006. पर बात हो रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजेन्द्रजी को जवाब देना है। साइन करने वाले दूसरे हैं। उनको तो खाली जवाब ही देना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी को काम है। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं अच्छा होता कि यू.डी.एच. वाला जवाब भी आप ही दे देते फिर, नहीं मैंने तो सलाह दी है परफारमेंस के हिसाब से ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो बातों का मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ में। हिण्डौली से आने वाले मेरे से वरिष्ट और मेरे से बहुत ज्यादा अनुभवी माननीय सदस्य और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कही कि इसके पीछे जो उद्देश्य है वह राधा मोहन मंदिर जो निम्बार्क पंथ का है और जो वृन्दावन में आया हुआ है, उसको किस तरह से लिया जाए, उसके पीछे इसकी बेड इंटेंशन गवर्नमैंट की है और उसी उद्देश्य से यह बिल लाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि उनका यह अधिकार है पर जब यह थर्ड वर्जन

(श्री जोगाराम पटेल)

पर या सैकिण्ड वर्जन पर इस बात का जवाब दें कि क्या यह एक्ट राजस्थान से बाहर जो सम्पत्तियां हैं, जो मंदिर हैं या हिस्टोरिकल मोन्यूमैंट्स की सम्पत्तियां हैं उन पर लागू होता है क्या? यह जो एक्ट है, यह एक्ट की धारा 1 का सब क्लॉज 2 है,

"It extends to the whole of the State of Rajasthan."

और राजस्थान से बाहर किसी भी सम्पत्ति पर, राजस्थान से बाहर की धरती पर यह कानून लागू नहीं होता है। वह सम्पत्ति या वह पुरातत्व का मंदिर या वह पुरातत्व की सम्पत्ति जिस प्रदेश या जिस स्टेट में है, वहां का कानून लागू होगा, यह कानून इसमें लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं इसके जो नियम बने हुए हैं, जिसका नाम है राजस्थान स्मारक पुरातत्व स्थल तथा पुरावशेष नियम, 1968 और उसका नियम 1 है उसका प्रचार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में ही है। तो यह एक्ट और रूल जो इसके तहत बने हुए हैं। वह राजस्थान प्रदेश में स्थित सभी सम्पत्तियों के संबंध में तो हो सकते हैं। पर जो राजस्थान में स्थित ही नहीं है तो उसके लिए एक्ट लागू नहीं होगा और इस तरह से आप अगर कहें तो मुझे लगता था कि हम कुछ सीखें पर। जब वह एक्ट वहां पर एप्लाई,... (व्यवधान) राधा मोहन मंदिर के लिए लाया गया है तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि, मैं चैलेंज तो आपको नहीं कर सकता और मेरा अधिकार भी नहीं है, पर ऐसी मेरी प्रार्थना है कि यह आपका जो तर्क है वह कहीं ठीक नहीं बैठ रहा है। दूसरा, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांस्टीट्यूशन में जो ... (व्यवधान) सारी-सारी, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आर्टिकल 49 है, उसका जो आब्लिगेशन गवर्नमैंट का है, उस आब्लिगेशन से बचने के लिए, उस आब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं करने के लिए अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करने के लिए एक्ट लाया जा रहा है। और उससे गवर्नमैंट इसमें फेल हो गयी है इसको मेंटेन करने में, मैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा और एक बार मेरी प्रार्थना पर आप इसको वापस पढ़ें आर्टिकल को –

"Protection of monuments and places and objects of national importance. It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament…."

तो वह उनके लिए लागू होता है जो पार्लियामैंट ने डिक्लेयर कर दिये हैं या पार्लियामैंट, एक इसके लॉ के अण्डर में आते हैं। राजस्थान का यह

(श्री जोगाराम पटेल)

दोनों ही एक्ट और रूल्स यहां पडे हैं। मेरी नॉलेज के अनुसार पार्लियामैंट ने या सेंटर एक्ट ने ऐसे किसी को, ऐसे किसी मोन्यूमेंट्स को डिक्लेयर नहीं किया है जो राजस्थान में स्थित हो और जिसके लिए राजस्थान के किसी हिस्टोरिकल मंदिर हो और कोई सम्पत्ति हो, उसके पार्लियामैंट ने कानून बनाया हो। इसलिए यह आर्टिकल 49 जो है, आपका आर्ग्यूमेंट था वह आर्टिकल 49 इस प्रकरण में या इस पर्टिकूलर जो एक्ट है, इसके लिए लागू नहीं होता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कांकरेंट लिस्ट में है या नहीं ? I don't want to say.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): One by one, I will reply of all these things. आपने कांकरेंट लिस्ट का आर्ग्यू नहीं किया है। अब आर्ग्यू, सैकिण्ड में रिपीट कर देना, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। This is a State Act and this is not a Central Act. और जब पार्लियामैंट वह कानून बनाती है जो सेंटर एक्ट है, यह जो एक्ट है इसके प्रिएम्बल में पहले लिखा हुआ है-

"Be it enacted by Rajasthan Legislative Assembly in the Fifty-seventh year of the Republic Day as follows. This Act prepared, declared and made by a Legislative Assembly of the Rajasthan."

और इसमें जो है वह आएगा। उन अधिकारों के संबंध में, उन ला के संबंध में जो पार्लियामैंट बनाती है, आप जो सैकिण्ड आर्ग्यूमैंट कर रहे हैं वह वहां लागू होगा जो पार्लियामैंट ने बनाये कानून है, उसके अण्डर में आते हैं या पार्लियामैंट ने उनको डिक्लेयर कर दिया है। तो न तो पार्लियामैंट ने डिक्लेयर किया और न पार्लियामैंट ने कानून बनाया है। इसलिए यह दोनों जो आपके आधार थे वह टोटली रोंग हैं। और रोंग आर्ग्यूमैंट करना शोभा नहीं देता है। तीसरा आग्यूमेंट अभी किया गया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने और वह भी बड़ा विचित्र कि साहब, यह तो सेक्शन 14 को हटाने के लिए किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको भी देखिये। सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 4 क्या है और सेक्शन 13 क्या है?

सेक्शन 13 का सब क्लॉज वन, "The State Government shall maintain every monument which has been acquired under Section 12 or in respect of which any of the right mentioned in Section 14 have been acquired."

जहां तक मेरी नालेज है I may be wrong, यह सैक्शन 14 में जो लाइन वन थी, गलत थी। मिस प्रिंट है। यह 4 होना चाहिये क्योंकि आप 4 को देखें, 4 है

(श्री जोगाराम पटेल)

"Acquisition of rights in or guardianship of protected monument."

तो यह जो मंशा थी विधायिका की, उस वक्त सैक्शन 4 लिखने की थी पर यह टाइप मिस्टैक और अन्य किसी मिस्टैक से फोर्टीन हो गया है क्योंकि फोर्टीन में एक्वीजिशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सैक्शन फोर्टीन में तो वोलेन्टरी कांट्रीब्यूशन का प्रोविजन है। इसलिए यह जो अमेंडमैंट ऑफ प्रोविजन किया गया है, वह टाइप मिस्टैक थी। इसको ठीक करने के लिये फोर्टीन की जगह फोर लिखा गया। यह तो हुई आपने जो बातें बताई, तीनों हैं। और यह तीनों ही बातें मेरे ज्ञान के अनुसार जितना मैं समझ पाया हूं, टोटली गलत या तो मिस-इंटरप्रिटेशन है या कोई न कोई आर्ग्यू करने की वजह से आर्ग्यू किया गया है। लीगली यह तीनों ही बातें गलत हैं।

पर एक बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा और विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष नियम 1961 में नियम बने हुए हैं । इसमें जो अमेंडमैंट लाया गया है, इस अमेंडमैंट का सैक्शन 20 (A) में यह प्रोविजन किया गया है कि 2500 रुपये तक का जो चार्जेज है वह लगाया जा सकता है। पर इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूल है, उनका क्या होगा? अब यह कंट्राडिक्शन आयेगा कि एग्जिस्टिंग रूल में, रूल 6 है और उस रूल 6 को आप देखेंगे तो उसमें एग्जम्पटेड भी है। उस कैटेगिरी ऑफ पर्सन से वह एग्जम्पटेड है और उस रूल में शिड्यूल सैकण्ड फिक्स फीस है। आमेर महल में आओगे चार रुपये हैं, छात्र होगा तो दो रुपये हैं। अब यह फिक्स रूल में जो फिक्स रेट है या तो इस फिक्स रेट को इस रूल को विद्-ड्रा किया जाता और इस रूल को और इस फिक्स रेट को विद्-ड्रा नहीं किया गया है तो एक साथ दोनों पोसिबल नहीं, कंट्राडिक्शन आयेगा एक्ट एण्ड रूल्स में। रूल्स यह कहता है कि फिक्स रेट है, एक्ट यह कहता है कि 2500 रुपये तक कोई हो सकती है तो जब फिक्स आलरेडी है, रूल आलरेडी बने हुए हैं एग्जिस्टिंग रूल में कोई अमेंडमैंट नहीं मांगा गया है तो यह कंट्रोवर्सी आयेगी कि किसको माना जावे। एक्ट को माना जाये या रूल को माना जाये? अगर रूल को माना जायगा तो फिक्स है और एक्ट को माना जायेगा तो गवर्नमैंट को पॉवर है कि वह एक रुपये से लगाकर 2500 रुपये तक कोई भी कर सकती है। पहला तो मेरा सब्मिशन यह है। यह एक्ट और रूल में कंट्राडिक्शन आ रहा है इसलिए इस कंट्राडिक्शन को हटाया जाना जरूरी है।

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरा इसमें जो दूसरी वस्तुएं हैं कैमरा है, फोटोग्राफी से संबंधित है, उनमें भी कोई चार्जेज लगाये हुए हैं जब कि इस संबंध में कोई भी एक्ट या रूल्स में यह प्रोविजन नहीं किया हुआ है कि आप यह कहना चाहेंगे, मैं आपको ध्यान दिला दूं, आप यह कहना चाहेंगे कि हमको रूल्स बनाने का पावर है। आलरेडी एग्जिस्टिंग है, रूल आलरेडी 1968 के बने हुए हैं। (व्यवधान) हां, बदल देंगे तो यह बदल देने का नहीं लिखा है।

"Such entrance fee when so levied shall be collected in accordance with the rules made under this Act." तो कलेक्शन और फीस के लिये आपने एक्ट में प्रोविजन किया है, बाकी किसी के लिये नहीं किया है। इसलिए यह कंट्रडिक्शन आ सकता है और तीसरा यह कि यह जो फीस है 2500 रुपये तक, यह बहुत हैवी है। और इसमें भी कहीं यह राइट रिजर्व नहीं रखा गया है कि जो एग्रीमेंट हुआ, वह रूल्स बनाते कितना टाइम लग जाएगा और यह कल ज्यों ही लागू हो गया और जो एग्जिस्टिंग रूल है इसके बीच में जो वैकयूम आएगा, उसका क्या होगा? इन तीनों के संबंध में मेरा निवेदन है उसके बावजूद भी मैंने जो अपना प्रस्ताव है, उसे विद्-ड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरी अनुमति तो पूरी करो साहब।

श्री उपाध्यक्ष: एक साथ ही करवा देंगे। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्या सरकार ने और विभाग ने अभी तक जितनी प्रोपर्टी आर्किलोजी विभाग में है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, वह कितनी है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के बाहर हिन्दुस्तान भर में मैं पूरा तो नहीं कह सकता, पर कम से कम 400-500 अरब की प्रोपर्टी राजस्थान के बाहर होगी। मैं वृन्दावन मंदिर में गया, मुझे पता नहीं यह कौन से मंदिर की बात कह रहे हैं, जो जयपुर स्टेट की तरफ से बनाया हुआ है। इस मंदिर में मैं गया, उस मंदिर को मैंने देखा आज के 15 साल पहले। उस मंदिर की कोस्ट आज की तारीख में 150 करोड़ से कम नहीं है। उसका कोई रख-रखाव नहीं है, उन दिनों भी नहीं था। जितनी भीड़ दूसरे मंदिरों में हो रही थी, वह इतना शानदार बना हुआ है, पर वहां भीड़ नजर नहीं

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आई। रख-रखाव के अभाव में उसकी दुर्गति हो रही थी। ऐसे ही बनारस में हमारी प्रोपर्टीज हैं। मैंने देवस्थान विभाग के जो पहले मिनिस्टर थे, आज वह मंत्री महोदय रामकिशोरजी नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे भी कहा कि हमारे राजस्थान की अकूत सम्पदा राजस्थान के बाहर है, क्या हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, क्या हमने उसके लिये कोई प्लानिंग की है? यह खरबों रुपये की सम्पत्ति हम किसी एक व्यक्ति को नेस्त कर रहे हैं, किसी को ट्रस्ट करेंगे, क्या उसकी गारंटी है कि वह इसको हड़प नहीं जाएगा और क्या इसकी गांरटी है कि वह हमको पूरा पैसा दे देगा, क्या उसकी गारंटी है कि वह पहले रायल्टी हम को देगा या कोई न कोई जमा राशि अपने पास रखेगा ? हमने 100 करोड़ की सम्पत्ति उसको पकड़ाई और वह किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेगा, किसी को उसमें नहीं बसा देगा, किसी को किराये नहीं दे देगा, इसकी क्या गारंटी है ? क्या हम उससे 100 करोड़ की प्रोपर्टी के बजाय 5-25-50 करोड़ रुपया उसके हम एडवांस रखने की स्थिति में हैं ? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

राजस्थान की जहां तक सम्पदा का सवाल है, यह तो मैं आउट ऑफ राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान के इट्ससैल्फ यदि चित्तौड़ के किले का आप हिसाब लगाओ, वह आर्किलोजीकल है। आज की तारीख में 500 करोड़ से कम उसकी सम्पदा नहीं है। हम उसको किस हिसाब से देंगे और टिकट जो हमने लगाया है 2500 तक, यह बहुत ज्यादा है। मैं नहीं समझता और जब हम अमेरिका में यात्रा करने जाते हैं तो हमारे लिये टिकट अलग होते हैं जो फोरेनर कहलाते हैं और जो वहां के लोकल लोग हैं, उनसे अलग टिकट लिये जाते हैं। हम हॉलीवुड में देखने गये । वहां पर फिल्म देखने के लिये हम गये तो 3200 रुपये के आस-पास हमसे टिकट लिया गया। जब कि वहां के लोकल लोगों से 1000 रुपये भी नहीं लिये। इसलिए हिन्दुस्तान के लोग और बाहर के लोगों के बारे में हमको डिफ्रेंशियेट करना चाहिये। यह एक गंभीर विषय है। बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं कहना चाहता पर इसके बारे में हमें थोड़ा गंभीरतापूर्वक और इस जल्दबाजी में इसको पास नहीं करना चाहिये, यह मेरा मत है। इसको यदि आप, बहुत अच्छा हो, जैसा हमने यूनिवर्सिटी का बिल पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बना था तो मैंने और हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने सलेक्ट कमेटी में भेजा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हम तो यह बात विद्-ड्रा कर लेंगे,

(श्री शांतिलाल चपलोत)

जो हमने अमेंडमैंट दिया है जनमत जानने का, पर मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर थोड़ा-सा विचार करें और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज हम एक हजार, पांच सौ करोड़, दो सौ करोड़, सौ करोड़ की प्रोपर्टी के लिये घण्टों-घण्टों बात करते हैं पर यह खरबों रुपये की प्रोपर्टी है, वह किस प्रकार से रख-रखाव में रहेगी, उसके बारे में फटाफट में हम सब काम करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं वरना कहना तो बहुत कुछ है पर मुझे यूं लग रहा है कि सभी सदस्यों को जाने की सूझ रही है और यह अहम् मुद्दा है, इस पर मैं माननीय मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य यहां बिराजे हुए हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा इस को जल्दबाजी में पास नहीं करवाकर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष: डा. एन. एस. गुर्जर।

(समय : 20.00 बजे)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। यह जो मैं समझ पाया हूं, यह जो अमेंडमेंट आया है वह कारपोरेट फंडिंग को फैसिलिटेड करने के उद्देश्य से लाया गया है। जैसा इसमें बताया गया है, जो मैं समझा पाया हूं, मुझे मालूम नहीं, जब मंत्रीजी जवाब देंगे इसको अलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हैरिटेज को मेन्टेन करने के लिए कारपोरेट फंडिंग हो, आये, उसका रुझान हो इस तरफ मैन इसका मुझे लग रहा है कि यह इसका है। और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को अडोप्ट करे के लिए भी यह इसमें उद्देश्य बताया गया है लेकिन जैसे आपने कहा, मावली से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्य ने, बाकी उधर के सदस्यों ने भी लेकिन उसके पहले जहां तक कुछ हर्डल्स बताये नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, आर्टिकल 49 का उल्लेख किया, आर्टिकल 49, यह सही है कि स्टेट गवर्नमैंट का आब्लिगेशन है, यह स्टेट का आब्लिगेशन है कि इनकी रक्षा करे। लेकिन इन विच मैनर, यह इसमें कहीं भी नहीं है आर्टिकल 49 में। किस मैनर से करेंगे In what manner? How they will protect it? यह नहीं है। यह स्वतंत्रता दी गयी है स्टेट्स को कि वो खुद करते हैं या जो यह अभी अमेंडमेंड लाया गया है इनके द्वारा करते हैं या किसी ट्रस्ट से

(डा. एन. एस. गुर्जर)

करवाते हैं, किसी एजेंसी से करवाते हैं तो उस तरह से आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं है। मैं कानूनी तौर पर बात कर रहा हूं, इन वाट मैनर, यह इस आर्टिकल 49 में नहीं है। इसमें केवल लिखा है

"It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest..." लेकिन इन वाट मैनर, यह इसमें कहीं नहीं है इसलिए यह आर्टिकल इसमें बाधक नहीं है। पहली तो बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर अमेंडमैंट है मैं समझता हूं वहां तक। इस पर आप देखिये, इसमें आर्टिकल 13 के बाद 14 के पहले, इसमें सेक्शन 13 और 14 के बीच में 13 (ए) जोड़ा गया है "Power to enter into agreement for the maintenance of certain monuments." यह गवर्नमैंट एग्रीमेंट करेगी किसी के साथ भी और एग्रीमैंट किन के साथ कर सकती है, इनमें बताया है पर्सन, एनी पर्सन, फर्म, ट्रस्ट। यह इसमें बताया गया है। इसमें किसी के साथ भी एग्रीमैंट कर सकती है और इसके बाद कहा गया है 13 (ए) के क्लॉज II के

"Notwithstanding anything contained in Section 20A, the person, firm or trust referred to in sub-section (1) shall be entitled to collect and retain the whole or such portion of the fee leviable under Section 20A and for such period...."

अब यह सच पीरियड, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी लायर हैं, फोर सच पीरियड, यह पीरियड प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया है। यह एग्रीमेंट 99 ईयर्स के लिये कर लिया गया। आज यह गवर्नमेंट है, कल को दूसरी गवर्नमैंट आ गयी और किसी को भी 99 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट करके प्रोपर्टी दे दी गयी तो उस करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी को वो वापस कैसे छोड़ेगा, अरबों रुपये की प्रोपर्टी को? क्योंकि इसमें,

"....for such period, as may be agreed upon between the State Government and such person, firm or trust, having regard to the expenditure involved in the maintenance of the monument and collection of fee, interest on the capital invested...."

वो तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है इस एक्ट के माध्यम से। जो ले रहा है उसको तो पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है लेकिन गवर्नमैंट कितने पीरियड के लिए होगा एग्रीमैंट, इसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। और उसको प्रोटेक्शन कितना है, जितना वो पैसा लगायेगा वो, मेन्टीनेन्स में

(डा. एन. एस. गुर्जर)

खर्चा आयेगा वो, उसके ऊपर जो इन्ट्रेस्ट उसका लगेगा कैपिटल पर वो, कैपिटल इन्वेस्ट होगी वो, और ''...reasonable return on the investment and the volume of visitors." इसलिए उसका जो प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रोपर्टी का प्रोटेक्शन इस एक्ट के अन्दर जहां तक मैं समझ पाया हूं इस एक्ट में स्टेट प्रोपर्टी का, जो हमारा यह है, पुरातत्व की जो हमारी प्रोपर्टीज हैं इसको प्रोटेक्शन का इस एक्ट में कहीं जिक्र नहीं है।

फिर दूसरा मैं आगे आना चाहता हूं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि आज ही हम कुछ नहीं करेंगे तो कल कुछ बहुत बड़ा इसमें अरजेंट मैटर है यह कोई। दूसरा, इसमें आगे,

"20A. Power to levey entrance fee. The State Government may, by notification in the Official Gazette, levy entrance fee in respect of such protected monuments, and at such rates not exceeding two thousand five hundred rupees per head, as may be specified in such notification."

यह सही है कि ढ़ाई हजार से ऊपर नहीं लगाया जा सकता। मैं सहमत हूं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से कि विदेश का कोई आया, यह हालांकि बहुत ज्यादा रकम नहीं है, हमारे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा है, ढ़ाई हजार रुपये हमारा लोकल ट्यूरिस्ट होगा उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अगर यू.एस. का ट्यूरिस्ट है तो यू.एस. का 55 डालर के आस पास होता है, उसके लिए कोई ज्यादा नहीं है। उसके तो 55 रुपये हुए लेकिन हमारे ढ़ाई हजार रुपये। इसलिए इसमें कोई कहीं न कहीं यह फर्क करना पड़ेगा कि विदेशी आयेगी उससे इतना लिया जायेगा, हमारा आयेगा इतना लिया जायेगा। अब इसमें तय नहीं कर सकते, यहां रेट आपने इसमें दे दी हालांकि इसमें देना नहीं चाहिए। इसमें यह देना चाहिए था कि एजप्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स ताकि रूल्स, में आप अलग-अलग मोन्यूमैंट के लिए, अलग चीजों के लिए दे देते। एक्ट में ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इससे तो सहमत हैं क्या यह दे दो दूसरों को?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सुनिये, आगे सुनिये न मेरी। अब मैं आप जितना तो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जितनी मेरे में बुद्धि है उतना ही तो बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बुद्धि तो बहुत है, आपमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसलिए एक तो यह है। तो एक तो आप कितने पीरियड के लिए दे रहे हैं, कहीं जिक्र नहीं है इसमें। दूसरा इसमें पूरा प्रोटेक्शन उसको है। स्टेट का प्रोटेक्शन इसमें कम है। तीसरा यह रेट के बारे में आपने कोई इसमें कुछ वो नहीं है। और इसमें आगे दिया है कि,

''Such entrance fee when so levied shall be collected in accordance with the rules made under this Act."

वो किस तरह से कलेक्ट की जायेगी, इसके बारे में रूल्स बनाये जायेंगे इसके अलावा बाकी का रूल्स में प्रोविजन क्या होगा, इसमें कोई दिया नहीं गया है। क्योंकि इसमें केवल आपने इसका जो 20 (ए) का यह जो क्लाज (ii) है इसके अन्दर यह व्यवस्था की है। मेरे हिसाब से यह एम.ओ.यू. साइन होगा तो वह किसके आधार पर होगा, रूल्स बनेंगे किस आधार पर बनेंगे, क्या इसमें एक्सपर्ट्स की ओपीनियन शामिल होगी, एक्ट्स के कानून हैं वो मेन्डेटरी होंगे कि नहीं होंगे, क्या-क्या होंगे, किस मैनर में बनाये जायेंगे यह इसमें नहीं है।

मेरे हिसाब से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं समझ पाया हूं यह इजरायल का मोडल है। इजरायल मोडल के आधार पर, यह जो अमेंडमैंट बिल लाया गया है यह इजरायल मोडल के आधार पर लाया गया है और यह ... (व्यवधान) हां मैं कह रहा हूं लेकिन यह इजरायल मोडल के ऊपर, जहां तक मैं समझ पाया ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 400 इजरायल मिलते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं समझता हूं कि उस आधार पर यह लाया गया है। रूल्स में क्या प्रोविजन है, माननीय सदस्यों ने बता दिया बाकी लोगों ने भी मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि मैंने भी जनमत जानने के लिए इसको दिया है। मैं उसको तो विथड्रा करना चाहता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि स्टेट के इन्ट्रेस्ट में, आज सरकार और है कल को दूसरी आ जायेगी, परसों तीसरी आ जायेगी, इसके इन्ट्रेस्ट को देखते हुए, स्टेट के जो इतने बहुत बढिया-बढिया मोन्युमेंट्स अरबों रुपये के हैं, उनके इन्ट्रेस्ट को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल के सीनियर सदस्य बैठे हुए हैं और में उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जल्दबाजी में हम इसको पास नहीं करें। इसको प्रवर समिति को सौंप दें क्योंकि जब यहां पर यूनिवर्सिटी का मामला आया था उस समय भी जल्दबाजी में पास करने लगे। हमने उस समय मांग की कि इसको प्रवर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

समिति को दीजिए और प्रवर समिति में जाने के बाद, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, कितने उसमें अमेंडमैंट आये। और वो ही अधिकारी जो वकालत कर रहे थे, बिलकुल ठीक है, उन्हीं से हमने कितने चैंजेज करवाये वहां पर प्रवर समिति में।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सरकार से कि इसमें कोई इतनी हिस्ट में नहीं है। जल्दबाजी में क्या है? इसलिए इसको देकर के इसके बाद आप पास कर लें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ, इधर की आवाज और उधर की आवाज एक है आप सब की आवाज का तो ध्यान रखो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम (धोद)। (अनुपस्थित) श्री जोगेश्वर गर्ग। (अनुपस्थित) श्री जालम सिंह रावलोत। (अनुपस्थित) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। (अनुपस्थित) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (अनुपस्थित) । श्री मदन राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जनमत जानने हेतु जिन्होंने परिचालित किया उसका तो उत्तर मैं दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: साथ ही ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसको विथड्रा करवाओ यह तो प्रवर समिति का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो जनमत जानने का है इस पर तो व्यवस्था करवाओ पहले ।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों साथ ही हो जायेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने दिया था कि राजस्थान संस्मारक पुरातत्व स्थलों को संशोधन विधेयक ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: साथ ही हो जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, बिल को आप ही पायलट कर रहे हैं। दोनों पक्षों की राय एक है खरबों रुपए की प्रोपर्टी है वह स्टेट की। इसकी लुकआफ्टर स्टेट का इन्ट्रेस्ट प्रोटक्ट हो आपके माननीय सदस्यों की राय से हम भी सहमत हैं और हमारी राय से वह भी सहमत हैं । एक राय मिलती है अब चूंकि आप जो आपका निर्णय है उससे आप बंधे हुए हो । आज सदन की नेता और मुख्यमंत्रीजी यहां नहीं हैं। आप इसका कोई विकल्प सोचें कि उनकी मौजूदगी में सलैक्ट कमेटी का प्रस्ताव अगर नहीं है तो आप रख दो, इसको सलेक्ट कमेटी में देकर के पुनर्विचार कर लो। होगा वही जो आप चाहते हो हम तो राय दे सकते हैं। लेकिन मावली से आने वाले सदस्य ने बहुत गम्भीर बात कही है । सभी माननीय सदस्यों ने अच्छी बात कही है । हमारे बेस्ट लैजिस्लेटर हैं उन्होंने भी बहुत सुन्दर बात कही है एक ही राय बनती है सभी की कि आप इस पर गम्भीरता से सोचें, जल्दबाजी मत करो, सलेक्ट कमेटी को दे दो। मुख्यमंत्री जी आ जाएंगी उनकी मौजूदगी में वह अगर स्टेट की प्रोपर्टी को ट्रांसफर करती हैं कहीं भी व्यक्ति को, ट्रस्ट को, कार्पोरेशन को किसी को भी फिर तो कौन बोलेगा, उनकी भागीदारी होनी चाहिए इसमें यह मेरा अनुरोध है सत्ता पक्ष से उपाध्यक्ष महोदय आपके मार्फत इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बात बिलकुल सही है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और यदि सरकार इस पर पुनर्विचार कर सके तो करना चाहिए। इसमें एक क्लाज है किसी व्यक्ति, यह ठीक नहीं है थोड़ा विचार करें यदि पुनर्विचार कर सकें तो करना चाहिए यही मेरा निवेदन है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो पुनर्विचार की बात नहीं करते हैं मुख्य मंत्रीजी को आ जाने दो ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी वैसे भी सरकार आपकी है आप चाहेंगे जो होगा लेकिन इसको वैल थ्रोट करके करें तो ठीक रहेगा यह हमारा आपसे निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी की भागीदारी तो होने दो इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समझ में यह नहीं आया कि जब भी सरकार कोई प्रगतिशील कानून लेकर आए या कानून में संशोधन लेकर आए हर संशोधन और हर कानून को प्रतिपक्ष शंका की दृष्टि से क्यों देखता है? आप स्वयं साक्षी रहे हैं कि जितने भी कानून जितने भी विधेयक विचारार्थ लिए हैं कुल मिलाकर पूरी बात कहने के बाद प्रतिपक्ष की तरफ से एक ही बात आयी कि यह कानून काला कानून है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तावित राजस्थान संस्मारक पुरातत्व स्थल पुरावेश व संशोधन विधेयक, 2006 इसके पृष्ठ 8 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कारणों के कथन को स्पष्ट किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को विरासत में शानदार इतिहास मिला है इस पर हम सभी राजस्थानियों को गर्व भी है। और राजस्थान की पहचान की हम बात करते हैं देश के पैमाने पर और देश के बाहर तो राजस्थान की पहचान बनती है हमारे ऐतिहासिक स्मारकों से। और स्मारकों में त्याग, तपस्या, मान मर्यादा और भक्ति और शक्ति की अनगिनत कहानी छिपी हुई है। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, कर्नल टाड एक विदेशी इतिहासकार थे इन्होंने अपनी पुस्तक एनाइल्स एंड एंटीक्यूटीज आफ राजपूताना में एक बात कही है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में अगर राजस्थान के इतिहास को हम अलग कर दें तो इतिहास के पन्ने सिमट कर एक चौथाई रह जायेंगे। यही कारण है कि राजस्थान के अन्दर चाहे देशी पर्यटक हों चाहे विदेशी पर्यटक हों यह खिंचे चले जाते हैं ।

मैं आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा 2004 का राजस्थान के अन्दर 160 लाख देशी पर्यटक और 9.17 हजार विदेशी पर्यटक आए और 2005 के अन्दर 187 देशी पर्यटक आए और 11 लाख 31 हजार विदेशी पर्यटक आए। पिछले अगर हम दस सालों के आंकड़े देखें तो प्रतिवर्ष सोलह प्रतिशत पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस पर्यटन उद्योग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को जहां रोजगार मिला है वहीं यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गया है । जहां एक ओर विदेशी मुद्रा का इससे अर्जन होता है और उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे पर्यटक इतिहास को अपने आप में समेटे हुए उन स्मारकों के साथ साथ स्थापत्य कला से अलंकृत हमारे अद्भुत आकर्षणों को देखने आते हैं और यह सारे स्मारक आज के नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह सदियों पुराने हैं और समय के थपेड़ों के कारण इनका जीर्ण-शीर्ण और इनका क्षरण होना स्वाभाविक है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के अन्दर सौ वर्ष से पुरानी कितनी सम्पत्ति ऐसी है जो ऐतिहासिक हो सकती है, जिनके पीछे ऐतिहासिक तथ्य छुपे हैं । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में सात हजार ऐसी सम्पत्ति है जो लगातार क्षीण हो रही है, समाप्त हो रही है जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं, यह सौ वर्ष से पुरानी सम्पत्ति के बारे में मैंने जिक्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1961 में आज से कई वर्ष पहले तत्कालीन सरकार राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थलीय और पुरावेश अधिनियम लेकर आयी थी। पर इसके साथ-साथ में ही 1958 के अन्दर केन्द्र सरकार भी प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियिम 1958 में आर्कियोलोजी सर्वे आफ इण्डिया यह भी वह लेकर आई थी। उन दोनों के पीछे मकसद एक ही था कि हमारे पुरातत्व स्मारक कैसे बचे रहें। हमारी आने वाली पीढ़ी उन पुरातत्व स्मारकों से जहां एक ओर वह दर्शनीय हैं वहीं दूसरी ओर वह प्रेरणा के स्रोत के रूप में कैसे अपने उसी मूल रूप में रहें, उनको बचाने का था।

अभी यहां एक माननीय सदस्य कह रहे थे मावली से आने वाले कि पुरातत्व स्थल में राजस्थान के कितने मोन्युमैंट्स हमारे राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर जो आर्कियोलोजी सर्वे आफ इण्डिया है उसमें कितने हैं । तो उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थलीय पुरावेश अधिनियम 1961 के अधीन एक दो नहीं 225 ऐसे स्मारक हैं जिनको पंजीयन किया हुआ है। और आर्कियोलोजी सर्वे आफ इण्डिया में 160 स्मारक हैं। और यह पुरातत्व महत्व के जो स्मारक हैं इनको विधि के अनुसार जहां अधिसूचित किया गया है। और 1961 का कानून कहें चाहे हम 1958 का भारत सरकार का कानून कहें उस कानून की मुख्य मंशा एक ही रही कि हम अपनी प्राचीन धरोहर को किस तरह सुरक्षित करें और इनका उचित रख रखाव करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम जो 1961 का है उसकी मूल अधिनियम की धारा(4) में जिसकी अभी चर्चा लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने की, धारा 12 और 13 में इन ऐतिहासिक इमारतों और भवनों को स्मारकों को जहां अधिसूचित करने का अधिकार है, प्रावधान है वहीं अधिसूचित स्मारकों को यथारूप से रखरखाव करने का दायित्व भी सरकार अपने ऊपर लेती है। और आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे इस प्रावधान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़ः)

अनुसार अधिसूचित इमारतें हैं उन इमारतों का अगर रखरखाव भी हम इस प्रकार का करें कि वह अपने मूल रूप से क्षरित नहीं हों, वह मूल रूप में बनी रहें। तो इसके लिए जो आकलन राजस्थान की सरकार ने कराया उसमें एक हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब एक हजार करोड़ रुपए सरकार अपने खजाने से खर्च करके इन हमारे प्राचीन स्मारकों को संरक्षित रख सकती है, इनको मूल रूप में रख सकती है? अब आपको मालूम है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के संसाधन सीमित हैं। और अब समय की आवश्यकता भी है, समय की आवश्यकता इस बात की भी है जो ट्यूरिस्ट जिस चीज को देखने आता है। अगर उस आने वाले पर्यटक को वह स्मारक मूल रूप से नहीं मिले, वहां रखरखाव ठीक नहीं हो और वहां कुछ मूलभूत आधारभूत सुविधा उसको नहीं मिले तो वह किस तरह उनके प्रति आकर्षित होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस मूल अधिनियम की धारा 13 है जिसमें स्मारकों का संधारण का दायित्व सरकार पर मेन्डेटरी है। इसमें लिखा हुआ है, और इसकी धारा (2) के अन्दर लिखा है कि सरकार रक्षित स्मारकों को संरक्षण की देखरेख सरकार स्वयं कर सकती है और अपने एजेण्ट के माध्यम से कर सकती है।

आज जो संशोधन हम लेकर आए हैं वह संशोधन हम लेकर आए हैं मूल अधिनियम की धारा 13 और धारा 14 के बीच में एक नई धारा 13-ए, मैं धारा 13-ए के वह प्रावधान जो संशोधन का मूल रूप जिस मंशा के साथ सरकार आई है, यहां यह शक करना कि सरकार इन स्मारकों को इन स्थानों को किसी निजी हाथों में सौंप देगी, सरकार इन स्मारकों को इस तरह सौंप देगी जिसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी ट्रस्ट का कब्जा हो जाएगा, यह निर्मूल है, मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित स्मारकों के बेहतर रखरखाव तथा मूलभूत पर्यटक सुविधा व विकास हेतु अनुबंध के आधार पर किसी व्यक्ति, फर्म, न्यास के सहयोग से एक निर्धारित समय के लिये अनुज्ञा या लाइसेंस दिया जा सकता है। निश्चित है। ... (व्यवधान) नहीं, यह टेण्डर दिया जाए ... (व्यवधान) अब मैं बताऊंगा आगे। बता दूंगा आपको। और इस सैक्शन धारा 13(1) की 2 में यह कहा गया जिसकी चर्चा अभी टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें जिस व्यक्ति को निर्देशित व्यक्ति, फर्म या न्यास स्मारकों को बनाये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रखने के लिये फीस संग्रहण करेगा। उसमें लगे खर्चे, इनवेस्टमेंट पर रिटर्नेबल रिटर्नस, पूंजी पर ब्याज और विधि अनुसार प्रवेश फीस का पूरा भाग या ऐसा भाग जो राज्य सरकार व्यक्ति, फर्म या न्यास के माध्यम से करार द्वारा निश्चित किया जायेगा वह निश्चित की गयी अवधि तक संग्रहित करेगा। बिलकुल ठीक है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इसके साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि निजी सहभागिता जो प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने के बाद जो संरक्षित स्मारक हैं वह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में रहेंगे। सहभागिता सीमित और विनियमित यानि लिमिटेड और रेगुलेटड प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट यहां आया है।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम 1961 के नियम व 1968 के सभी प्रावधान स्मारक के निजी सहभागी के प्रबंधन के बावजूद भी यथावत लागू रहेंगे। निजी सहभागिता के आधार पर संरक्षित स्मारक के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान में वह वर्णित करने होंगे। इन कार्यों का पर्यवेक्षण विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यानि स्वामित्व सरकार का रहेगा और स्वामित्व सरकार के साथ उसका मूल रूप वैसा का वैसा रहेगा और उसके अन्दर किसी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार भी उसमें नहीं रहेगा और अगर कोई इसमें रखरखाव की बात भी होगी तो वह भी मास्टर प्लान जो राज्य सरकार अनुमोदित करेगी उसके अनुसार होगा। तो यह जो लिमिटेड और रेगुलेटेड पार्टनरशिप है अब इसके पीछे मूल बात यही है कि यह हमारे किसी तरह यह स्मारक इसी रूप में बने रहें। अब यहां चर्चा हुई कि धारा 20 के अन्दर और 20 में भी एक सैक्शन हम 20(1) में लेकर आए हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम की धारा 20 है वह रक्षित स्मारकों में जाने के सम्बन्ध में है। 20(1) में यह लिखा गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन जनता प्रत्येक रक्षित स्मारक में जाने की अधिकारी है परन्तु अगर इनका उल्लंघन करती है तो इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नयी धारा 20(1) में हमने जोड़ में प्रस्तावित की है उसमें यह लिखा है कि राज्य सरकार संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क का निर्धारण गजट नोटिफिकेशन से करेगी। मतलब यह अधिकार उनको नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, जो हमारे साथ अनुबंध के आधार पर आयेगा, प्रवेश शुल्क कितना लगेगा, उसका निर्धारण वह व्यक्ति नहीं करेगा। उसका निर्धारण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार करेगी और वह गजट नोटिफिकेशन में तय होगा और इसके लिये जो अधिकतम राशि है, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ढाई हजार रुपये ज्यादा है, यह अधिकतम राशि है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका अधिकार इसलिये ले रहे हैं कि इसके अन्दर देशी-विदेशी पर्यटकों को निश्चित तौर पर आपने कहा, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि इसके अन्दर कुछ केटेगरीज को हमें फ्री भी करना पड़ेगा। कुछ इस तरह के वर्क भी होंगे जिनको हम रियायती दरों पर, कुछ ऐसे विदेशी हमारे पर्यटक भी होंगे जिनसे हम पूरा शुल्क भी लेंगे इसलिये इसी धारा 20(1) में एक बात और कही गयी है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि राज्य सरकार लोक हित में उचित समझेगी तो वह व्यक्तियों के किसी वर्ग को अधिसूचना द्वारा प्रवेश शुल्क में पूर्ण या किसी भाग तक छूट दे सकती है। मतलब किसी स्मारक पर प्रवेश शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। दरों का निर्धारण भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करके करेगी और राज्य सरकार को यह भी अधिकार है वह पूर्ण, आंशिक रूप से छूट दे।

अब उपाध्यक्ष महोदय, आज कल आप दूरदर्शन पर देख रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। भारत सरकार ने पूरे विश्व के अन्दर एक केम्पेन चला रखा है। विज्ञापन के जरिये वह पूरे संसार के ट्यूरिस्ट हिन्दुस्तान ओर राजस्थान की ओर आकर्षित हों इसके लिये उन्होंने विज्ञापन इसलिये चलाया है कि यह जो पर्यटक आयेंगे इनसे विदेशी मुद्रा का अर्जन हम करेंगे। और इसीलिये यह बहुत बड़ी आवश्यकता आ गयी कि हम निजी निवेशकों को आकर्षित करें और हमारी सरकार के स्वामित्व में रहते हुए निश्चित समयावधि के लिये उनके रखरखाव के लिये हम इन निजी निवेशकों को दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मूल जो अधिनियम है उसके सैक्शन 38 के अन्दर रूल्स बनाने का अधिकार सरकार के पास है। यहां कई तरह की शंकाएं की गई, वह सारी शंकाओं में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स यदि सरकार बनायेगी तो उसके अन्दर यह सारी की सारी बातें बिलकुल स्पष्टता से कह दी जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े जोर शोर से बात कही गयी कि आप जो यह लेकर आए हैं इसके अन्दर वृंदावन में आपका, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वृंदावन का एक प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर को सरकार कुछ लोगों को सुपुर्द करना चाहेगी। मैं स्पष्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहूंगा राज्य सरकार की सुपुर्दगी नीति 11.9.1997 से बनी हुई है और उसका विधि सम्वत् प्रावधान भी है। अब एक ट्रस्ट ने राधा माधव मंदिर की सुपुर्दगी लेने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सरकार ने मेरिट बेसिस पर उसके लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करके आपत्तियां मांग ली। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है, यह मैरिट बेसिस पर फैसला होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जो मंदिर बाल मुकंद, होटल लक्ष्मी विलास, जयपुर, मंदिर गुलाब स्वरूप बिहारी जी, उदयपुर, मंदिर महादेश्वर मदार पहाड़, बांसवाड़ा, सूर्य मंदिर रणकपुर, तहसील देसूरी, मदन मोहनजी का मंदिर, स्वामी घाट, यह किसने दिये ? यह पिछली सरकार ने, जिसका उल्लेख मैंने किया 11.9.1997 की सुपुर्दगी नीति, उनकी तो राजस्थान की इस मौजूदा सरकार ने अभी तक एक भी मंदिर को सुपुर्दगीनामें न तो दिया है, सरकार ने विज्ञप्ति जरूर जारी की है, आब्जेक्शन मांगे हैं। इन्होंने 5-5 मंदिर उन लोगों को सुपुर्द कर दिये और यहां यह सवाल खड़ा कर दिया कि यह जो सारा कानून लेकर आए हैं यह कानून इसलिये लेकर आए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह सुपुर्दगी देने की भी कुछ निर्धारित शर्ते हैं। कुछ शर्तों का हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जिक्र किया। जो शर्ते उनको ठीक लग रही थी उनका तो कर दिया पर विस्तृत रूप से इसकी जो शर्ते हैं, 13 शर्ते हैं, जिन शर्तों के आधार पर यह किया जा सकता है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि मंदिर के लिये आपने आब्जेक्शन तो मांगे हैं, जिस किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने, एक ट्रस्ट ने आपको एप्लाई किया, आपने आब्जेक्शन मांगे, क्या आपने उसको देने के लिये जनरल इनविटेशंस से इनवाइट किये हैं क्या ? एक आदमी का, ट्रस्ट का आ गया, बस उस पर आपने आब्जेक्शन मांग लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जिस नीति, जो 1997 की नीति है, जिस नीति के तहत इन्होंने पाँच मंदिर दिये हैं उसी नीति और उसी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, हमने किया है वही काम आप करोगे, यह कह दो बात खतम हुई। हम बैठ जाते हैं। हमने पाँच मंदिर दिये, आप पचास दोगे, यह कह दो, बात खतम हुई। उन्हीं नियम और कानून के अन्तर्गत ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमने अभी तक नहीं दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप 50 दोगे ... (व्यवधान) आप यदि हमने कोई गलत काम किया है तो उसको ठीक करिये। यह कहकर आप थोड़ी बच सकते हैं कि आपने पाँच दिये थे, हम पचास देंगे। यह कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी होगा यहां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो भी निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये हम जो इसमें संशोधन लेकर आए हैं इसमें जो मोन्यूमेंटस आएंगे उसमें पारदर्शिता रहेगी। ओपन टेण्डर इनवाइट करेंगे। कुलड़ी में कुड़ फोड़ने की हमारी मंशा नहीं है। कि कोई कहे कि कुछ लोगों को फायदा देने के लिये कर रहे हैं। उसके बाकायदा नियमानुसार ओपन टेण्डर करके हम इसके बिड्स इनवाइट करेंगे। उनको कहेंगे कि अमुक-अमुक मोन्यूमेंटस हैं। इस मोन्यूमेंटस को सरकार स्वयं पहले अपनी शर्तें निर्धारित करेगी, इन शर्तों के आधार पर साफ सफाई रहेगी, मूल रूप में रहेगा, इस रेट पर, जो प्रवेश शुल्क है वह भी सरकार तय करेगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, आपके विभाग के पास एक्सपर्टाइज नहीं हैं, आप एक्सपर्टाइज का फैसला कैसे करोगे ? आप मुझे जवाब दो। हम यह टेण्डर करेंगे, फलां करेंगे, आपके देवस्थान विभाग के पास एक्सपर्टाइज नहीं हैं। उस एक्सपर्टाइज को आधार मानकर कैसे कर सकते हो? जब आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं हो टेण्डर क्या करोगे आप ? फिर पिक एण्ड चूज का क्या मतलब है? जब आपके पास एक्सपर्टाइज ही नहीं तो आप क्या करोगे ? बताना मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब जमाना पहले वाला तो रहा नहीं। आउट सोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज बड़े से बड़ा दिमाग कहीं से भी लिया जा सकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस पूरी चीज में जहां एक्सपर्टाइज की आवश्यकता पड़ी, वहां सरकार एक्सपर्टाइज भी लेगी।

और दूसरा मैं निवेदन करूं कि हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह विधेयक ही आप इसलिये लेकर आ रहे हो कि इस विधेयक के माध्यम से आप राधा माधव मंदिर है वह सरकार कुछ लोगों को देना चाहती है। यह विधेयक जो भी है, यह राजस्थान के अन्दर जो प्रोटेक्टिव मोन्यूमेंटस हैं, उन पर लागू है। यह कोई, यह जो राधा माधव मंदिर है ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह जबर्दस्त डिफैक्टिव है फिर आपका अगर यहां राजस्थान की सरकार की अपनी प्रोपर्टी जहां-जहां है वह भी इनक्लूड होना चाहिये। यह और डिफैक्ट है इसमें अगर नहीं है तो। यह और डिफैक्टिव है अगर राजस्थान की अपनी प्रोपर्टी जो दूसरे स्थान पर है और मोन्यूमेंटस में वह आती है और वह इसमें अन्तर्गत नहीं है अंडर कण्ट्रोल तो वह और भी ज्यादा डिफैक्टिव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, एक मिनट। राज्य सरकार के पास पूरे एक्सपर्टस का पैनल बना हुआ है। आपने जो कहा कि इनको एक्सपर्टस की सेवाएं लेनी, निश्चित तौर पर पैनल बना हुआ है। अभी यह ठेका ना तो दिया गया है ओपन टेंडर से, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 40 करोड़ का होगा या 30 करोड़ का होगा कि 20 करोड़ का होगा पर इसमें भी खुली निविदा राजस्थान सरकार पारदर्शिता से आमंत्रित करके करेगी। इसलिए यह भी निराधार है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, आप सदन में बोल रहे हैं, तीन बार मुख्यमंत्रीजी वहां पर गयी हैं, वहां काम चल रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि सदन में इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है । मंत्रीजी आप गंभीर होने चाहिए । आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए थी । यह बहुत गंभीर है। यह खाली जवाब देने के लिए मंत्री हैं, वहां पर तीन बार मुख्यमंत्रीजी गयी हैं, आमेर का काम दे रखा है प्राइवेट आदमियों को और कह रहे हैं कि दिया ही नहीं है । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बहुत जिम्मेवार सदस्य मानता हूं, लेकिन जो उत्तर मैं दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय मंत्रीजी, आपने तो राजस्थान दिवस समारोह में भी यह कंडीशन लगा दी कि जो-जो फलां कलाकारों की

(श्री संयम लोढ़ा)

स्वीकृति ले आयेगा उसको हम यह सारा काम देंगे। फिर खुद के आदमी को कह दिया कि तू स्वीकृति ले आ और सारा काम उसको दे दिया। आपने तो राजस्थान दिवस में भी करोड़ों का घोटाला किया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी वक्त पर बिना कोई बात के सरकार पर कोई भी आरोप लगा दें ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सरकार की नीयत की बात कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो इतना कह सकता हूं कि यह आरोप निराधार है और आमेर पैलेस में जो ठेका सरकार दे रही वह खुली निविदा से देगी, जिम्मेवारी से कह रहा हूं मैं । यह कोई बात हुई क्या, हर कोई कह दे यह अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालना चाहते हैं । यह नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप यह कहिये कि वहां काम विभाग करा रहा है और किसी एक्सपर्ट की राय से आप काम नहीं कर रहे हैं। आप हाउस को गुमराह मत करिये । आप बताइये कि वहां पर काम चल रहा है । विभाग करा रहा है या एक्सपर्ट की देखरेख में काम हो रहा है । आपने तीन बार उसको एक्सटेंशन किया है । पहले 35 करोड़ रूपये था अब 40 करोड़ रूपये है । बातें कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो बड़ी जिम्मेवारी से स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति को आमेर के अंदर 40 करोड़ का ठेका राजस्थान की सरकार ने नहीं दिया है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कितने में दिया है यह बता दें आप ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी सरकार उनकी कंसलटेंसी में काम करवा रही है और ठेका नहीं दिया उसकी बात कर रहे हैं । मना कर दीजिये आप । वह मि. जैन के अंडर में चालीस करोड़ का काम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है । ठेका नहीं दिया हमने फलां नहीं किया । कंसलटेंसी में काम कर रहे हैं । आपके पास मैन पावर नहीं है । सारा काम वह करवा रहे हैं और एक आदमी को काम दिया है आपने । कोई टेंडर नहीं करवाये । अब बोलिये खड़ा होकर के नहीं हो रहा है यह काम ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है और माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के पीछे जो मूल भावना है वह सरकार की यही है कि हमारी ऐतिहासिक विरासतें हमारी आने वाली पीढियों और वंशजों के लिये उसी तरह से प्रेरणा के स्रोत के रूप में बची रहें । जिस रूप में मूल रूप से वह हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि संशोधन का प्रस्ताव जो राजस्थान की सरकार लेकर आयी है, हम लेकर आये हैं उस संशोधन के प्रस्ताव को राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सॉरी, जनमत जानने हेतु प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है उसे निरस्त किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें एक मोटी बात का जवाब नहीं दिया है । आज नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया है । टेक्नोलॉजी युग में जिस इंडिविजुवल फर्म को आप ठेका दे रहे हैं वह इंडिविजुवल फर्म उस सबका वेबसाइट बनाकर के बाहर मार्केट में जो उसको एक्सपोज करेगा, उसकी रायल्टी कौन वसूल करेगा । मैं समझता हूं कि सरकार ने जो फैसला किया है उसमें इस बात का फैसला ही नहीं किया है । जिस तरह से आज दुनिया में वेबसाइट पर आदमी इन चीजों को देखकर लोगों को एड्रेस कर रहा है । इसमें टयुरिस्ट, ट्रेवल के आदमी इनवाल्व हो जायेंगे । वह आदमी को क्लाइंट पर करेगा । वह उसकी कंडीशन पर कर देगा । इतने मोन्युमेंटस देखकर के आओगे तो मैं इतना कमीशन लूंगा। आपको इन सब चीजों के संबंध में भी प्रोविजन करने की आवश्यकता थी । आप केवल मात्र जो प्रोविजन कर रहे हैं उसमें प्रोविजन कर रहे हैं कि उसमें अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हम एक्सपर्टाइज भी करेंगे, पहले आप आइंडेंटीफाई करिये कि जो मोन्युमेंटस हैं उस मोन्युमेंटस को इन्टेक करने के लिये आपने एक्सपर्ट सर्विसेज को लेकर के पूरा बना लिया है कि यह मोन्युमेंटस कितने साल का होगा, कितना पैसा

(डा. सी. पी. जोशी)

खर्च होगा। वाट इज दि मिनिमम अमाउंट यू रिक्वायर्ड इट। आपने फैसला किया नहीं है, आप टेंडर कर लेंगे, फर्म से कर लेंगे। वह जो आपका कट ऑफ पैसा है उस पर फैसला कौन करेगा? यह मोन्युमेंट 50 करोड़ रूपये का है, 10 करोड़ रूपये का है, 10 लाख रूपये का है, इसका फैसला जब तक पहले नहीं करेंगे तब तक इंडिविजुवल आदमी कैसे करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बीओटी और यह जो स्कीम लागू हो रही है, इस स्कीम में क्या हो रहा है कि नये आदमी को मालूम नहीं है कि बीओटी की स्कीम क्या लागू हुई है । जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्कीम में आ गया और मन में आये उस मर्जी से उस पर फैसला कर दिया । वह इन्टेक पर पैसा वसूल कर रहा है और मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है? राजस्थान सरकार के विभाग के पास पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास कितने मोन्युमेंटस हैं और उस मोन्युमेंटस में इतना खर्चा होगा । केपिटल इनवेस्टमेंट इतना होगा । इतने विजिटर्स देखने आ रहे हैं । इतना टोल टैक्स वसूल होगा । यह तो आपके पास में रोड मैप है ही नहीं । हम इसको ओपन रखकर के फैसला कर रहे हैं । हम एग्रीमेंट कर लेंगे और उस एग्रीमेंट के आधार पर हम फैसला कर लेंगे कि कितना इनवेस्टमेंट होगा और कितना रिटर्न होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा कहने का निवेदन यह है कि यह बात सही है कि राजस्थान के पास एक ही सोर्स है वह सोर्स है टयुरिज्म । यह सेक्टर बढ़ रहा है, टयुरिज्म बढ़ना चाहिए । आज कश्मीर आपके वायलेंस पर आ गया तो सबसे ज्यादा टयुरिस्ट राजस्थान में आयेंगे । इसको कोई अब रोक ही नहीं सकता । इससे हमारी इकानामी सुधरेगी । हम इस बात को भी मना नहीं करते हैं । लेकिन इकॉनामी सुधरेगी यह जानकारी कुछ लोगों को है। इसका लाभ कुछ लोग ही क्यों उठायें? राजस्थान के जो मोन्युमेंटस हैं उनका लाभ राजस्थान सरकार क्यों नहीं उठाये? राजस्थान सरकार की कंसोलिडेटेड फण्ड में कितना अमाउंट आयेगा यह बता दें। माननीय मंत्रीजी, जितनी आप स्कीम लागू कर रहे हैं मैंने कल भी उदाहरण दिया, रिडको का उदाहरण फिर देना चाहता हूं । पाँच करोड़ रूपये की इक्विटी ली है आपने । पाँच करोड़ आपने दिये हैं और पाँच करोड़ उस प्राइवेट कंपनी ने दिये हैं । 125 करोड़ रुपये एडवांस कर दिये आपने और एक हजार करोड़ का काम दे दिया आपने । एक हजार करोड़ की चार सड़कें बननी हैं राजस्थान में और उसमें राजस्थान

(डा. सी. पी. जोशी)

की इक्विटी पाँच करोड़ की है । आपने टेंडर इनवाइट किये, एक हजार करोड़ में कोई दूसरी फर्म आ सकती थी । हमने फैसला कर लिया कि तमिलनाडू में यह काम किया, फलाना काम किया । राजस्थान में भी यह काम कर लेगा । यह पाँच करोड़ रूपये में एक हजार करोड़ जो आदमी इनवेस्ट करेगा वह आदमी टोल टैक्स से कितना पैसा वसूल करेगा । इसकी जानकारी राजस्थान की जनता के पास होनी चाहिए । राजस्थान की जनता के पास पैसा लेकर के कंसोलिडेटेड फण्ड में पैसा नहीं आवे और कुछ लोग पैसे लेकर के चले जावें। यह जो नीतियां बन रही हैं उसका विरोध कर रहा हूं । हमें मालूम है कि आने वाले समय में राजस्थान टयुरिज्म में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जगह होगी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपका उदयपुर में बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। दिल्ली से आपकी डिस्टेंस कम हो रही है । सबसे ज्यादा टयुरिस्ट का इनफलो यहां पर होगा । उस टयुरिस्ट के इनफलो के जो एडवांटेज हैं वह राजस्थान सरकार को नहीं मिल रही हैं । यह एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस बारे में आज जानते हैं । आज उठाकर के देखिये कि टयुरिज्म में क्या हुआ, रणथम्भौर में क्या हुआ, आपके जो फाइव स्टार होटल हैं इनका फायदा कौन उठा रहा है ? राजस्थान का आदमी फायदा नहीं उठा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आप जयपुर डवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सेज ला रहे हैं, जयपुर डवलपमेंट का फायदा भी राजस्थान का बिल्डर नहीं उठा रहा है, बाहर का केपिटल आकर के उठा रहा है । राजस्थान के बिल्डर के लिये एक लाख बीघा देंगे और बाहर का बिल्डर आठ लाख बीघा दे रहा है । कालीचरणजी सर्राफ बोलेंगे नहीं, पता लगाइये आज जयपुर के अंदर कि जो 25 साल से राजस्थान में बिल्डर की लाइन में हैं वह सब बाहर हो गये हैं । बाहर का बिल्डर आकर के यहां कमाई करेगा । पैसा कमाकर के ले जायेगा और राजस्थान का आदमी दर्शक की तरह बैठा रहेगा । हम इस तरह की पालिसी बना रहे हैं जिस पालिसी के अंतर्गत हमें एक बहुत बड़ा स्वपन बताया जा रहा है, एक पिक्चर बताया जा रहा है कि राजस्थान में इतना बड़ा डवलपमेंट होगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा । आने वाले पाँच-दस साल में माननीय जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य राजस्थान का गरीब आदमी, शिडयुल्ड कास्ट का आदमी, बीपीएल का आदमी 25 किलोमीटर के आसपास जयपुर में मकान नहीं खरीद सकता है । आपने डीएलसी की रेट बढ़ा दी । रोज हमको भाषण दे रहे हैं

(डा. सी. पी. जोशी)

डीएलसी की रेट के आधार पर । आपने जीई को पैसा दे दिया इतना, फलाने को इतना पैसा दे दिया । राजा ने तो एक रुपये में जमीन दी है, राजा की कीमत आज कर रहे हैं एक हजार रुपये की, आपने डीएलसी की रेट बढ़ाई है, 25 हजार आपने डीएलसी की रेट की है और वर्ल्ड ट्रेड में आज बुकिंग हो रही है 40-50 हजार पर, यह जो उदाहरण देकर के हम राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं यह राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम 25 प्रतिशत उनको जमीन दे रहे हैं । 25 प्रतिशत जमीन कहां दे रहे हैं, उस किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं । अगले 25 साल तक वह कामर्शियल लैंड डवलप नहीं होगी । वह आदमी जमीन लेकर के चला जायेगा । हमने एक बहुत बड़ी स्कीम बना दी है । किसान को फायदा होगा, 25 प्रतिशत जमीन दे रहे हैं । 15 प्रतिशत कामर्शियल के लिये यह जो हवाई किला है या तो एल.आई.सी. वाले बताते हैं या ज्योतिषी बताते हैं कि स्वर्ग मिलेगा । यह स्वर्ग कब मिलेगा । यह 15 प्रतिशत कामर्शियल जमीन अगले 50 साल तक डवलप नहीं होगी । उसको लेकर के फंसाने का काम किया जा रहा है । यह जो सारी व्यवस्था बन रही है यह शोर्ट टर्म गेन के लिये बनाई जा रही है । यह राजस्थान की परंपरा नहीं रही है । इसलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्रीजी काम करें, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्रीजी के काम करने की जो प्रणाली है उसमें राजस्थान की जनता का पैसा लेकर के कुछ लोग कमाई करके चले जायें यह राजस्थान के साथ अन्याय है । इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम ऐसे नियम और कानून बनायें जिस कानून और नियम से गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं हो सके । यह नियम और कानून आप बनाना नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्रीजी को खुश करना चाहते हैं । मुख्यमंत्री तो आयेंगे और जायेंगे लेकिन राजस्थान की जनता आपसे पूछेगी, उन लोगों से पूछेगी जो 25-25, 30-30 साल तक सामाजिक जीवन के अंदर अपना जीवन निकाल रहे हैं । वह सामाजिक जीवन के आदमियों पर उँगली उठाकर के पूछेंगे कि यह नियम और कानून क्या बनाये हैं आपने । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं और सोच-समझकर कहना चाहता हूं माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब आज आपके पास यह मोन्युमेंटस हैं और उनको अपडेट करने की आपके विभाग के पास जानकारी नहीं है । इल्लिटरेट देवस्थान विभाग का आदमी है

(डा. सी. पी. जोशी)

वहां पर। आज देवस्थान में किसने कोर्स कर रखा है? देवस्थान के कमिश्नर का प्रमोशन कर लिया डिपार्टमेंट के आधार पर। किसके पास मोन्युमेंटस को रिटेन करने का आधार है । आज हम जो सारी चीजें कर रहे हैं वह जो नॉलेज का जिस तरह से एक्सप्लोजन हुआ है पहले उसका फायदा उठायें । हम अपने आपको अपडेट करें । हमारे पास पता लगाना चाहिये कि यह सूचना है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रजी मुझे बतायें कि ऐसे कौन से मोन्युमेंटस हैं जिनकी कीमत दस लाख रूपये हैं, ऐसे कितने मोन्युमेंटस हैं जिन पर दस करोड़ रूपयें खर्च होंगे, पचास करोड़ रूपये खर्च होंगे ...(व्यवधान) माननीय पीएचईडी मंत्रीजी, मैं आपकी भावना से संतुष्ट हूं, आमेर के किले में आदमी को पहले पकड़ा गया है और वहां काम बाद में शुरू किया गया है । या तो सरकार पहले यह आइडेण्टीफाई कर दे..।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आमेर किले के भी ओपन टेण्डर हुए हैं, ओपन टेण्डर, आपको पता भी है क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपको फिर मंत्रीजी, याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार ने पहले एक्सपर्ट को आइडेण्टीफाई किया, काम बाद में शुरू किया है। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं बहुत गम्भीरता से आपको कहना चाहता हूं कि हर चीज में पहले आइडेण्टीफाई किया है फिर उस आदमी की शक्ल देखकर काम करने का काम किया गया, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम किया है कि कैसे इसको लाभ मिले। 92बी आपने बनाई? 92बी का प्रोविजन हमने किया था, उसका फायदा आप उठा रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हमने की, आप किसका फायदा उठा रहे हैं? 25 हजार की डीएलसी रेट किसने की? यह उदाहरण देकर आप राजस्थान का भला नहीं कर सकते, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, यह राजस्थान की हमारी सांस्कृतिक आती है, जो मोन्यूमेण्ट हैं उनका पैसा राजस्थान के कंसोलिटेड फण्ड में आना चाहिए। इसका पैसा कुछ लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, आप ऐसे नियम और कानून बनाए तो हमें खुशी होगी। लेकिन जो नियम और कानून बना रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय यह हेस्ट में बना रहे हैं। आपके पास एक्सपरटाइज नहीं है, वह एक्सपरटाइज आकर बताएंगे जैसे वर्ल्ड बैंक बताता है कि हिन्दुस्तान में यह-यह समस्या है, पैसा लीजिए, यह एक्सपर्ट आकर बताएंगे कि इस मोन्यूमेण्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

की कीमत इतनी है, इतना पैसा वसूल करेंगे, इस ट्रैप में भगवान के लिए मत फंसाइए राजस्थान को, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस तरह से आपको निवेदन किया कि सरकार की मंशा सिर्फ इसी बात को लेकर है कि हमें जो ऐतिहासिक विरासतें मिली हैं, हमारे जो स्मारक हैं, जिस तरह का मैंने पहले कहा है सौ वर्ष से पुराने सात हजार स्मारक राजस्थान के विभिन्न अंचलों में हैं और उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो उनकी जिस तरह की हालत है, इसके पीछे सरकार की मंशा यह नहीं है कि बड़े-बड़े जो स्मारक हैं उनको हम निजी लोगों के हाथों में सौंप देंगे। मैंने पहले ही कहा, इसमें, बिलकुल जो शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया कि इसके अन्दर लिमिटेड रेगूलेटेड प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हमने की है। और बहुत लिमिटेड रेगूलेटेड, वह भी कानून की परिधि में, उसके अन्दर भी ओपन टेण्डर के द्वारा और इसके पीछे यह मंशा नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Let us know what is this limited and regulated private partnership? यह बताइए न? हम सपोर्ट करते हैं, बताइए न आप जो लिमिटेड और रेगूलेटेड उसको ट्रांसपेरेंट कहां कर रहे हैं? आप उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए हाउस के अन्दर कि यह हमारा लिमिटेड है और यह हमारा रेगूलेटेड है। इस चीज को तो आप अपनी जेब में रखना चाहते हैं, इसको आप आइडेण्टीफाई करेंगे, यह लिमिटेड और रेगूलेटेड है, यह अधिकार आप पिक एण्ड चूज कर रहे हैं। यही हम आपका विरोध करते हैं। आपकी ट्रांसपेरेंसी है तो बताइए कि लिमिटेड यह है और रेगूलेटेड यह है। यह चीज तो बता नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, रिडको को राजस्थान सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर करोड़ों रुपए के ठेके दिए। आज दिन तक उसके अन्दर पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी लाइए आप। फैसला करिए आप, पॉलिसी लाना चाहते नहीं, फैसला करना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम मोन्यूमेण्ट्स को बचाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, मैंने निवेदन किया कि लिमिटेड और रेगूलेटेड पार्टनरशिप की बात की तो किसी आधार पर की है। इसी 1961 के मूल अधिनियम की धारा 38 के अन्दर सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार है, जिस तरह की आशंका अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जताई कि रूल और एक्ट, दोनों में 2500 आपने मैक्सिमम बता दिया, रूल्स में कुछ निश्चित है। तो निश्चित तौर पर जब ये दोनों संशोधन आ जाएंगे, रूल्स बनाने का अधिकार है चूंकि इसके अन्दर 38 के अन्दर रूल्स के अन्दर अमेण्डमेण्ट जिसकी आवश्यकता जो है उस अमेण्डमेण्ट में हम करेंगे। और आपने पूछा कि वर्तमान में कितने इस तरह के संरक्षित प्रोटेक्टेड मोन्यूमेण्ट्स हैं तो 225 तो मूल 1961 के अधिनियम के तहत हैं। आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के तहत 161 हैं, 7 हजार ऐसे हैं जो सौ वर्ष से पुराने राजस्थान के विभिन्न अंचलों में बिखरे पड़े हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता के आधार पर यह कानून सरकार लेकर आई है। इन स्मारकों को बचाने के लिए लेकर आए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं साक्षी रहे हैं, हमने देखा, कई किले और बावडियां जिनकी हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह के इतिहास की बात छुपी हुई है, उनके इतिहास को जब सुनते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं और अन्दर जाकर देखते हैं कि इसमें जिस आदमी ने वीर गति को प्राप्त किया था उसके स्मारक की क्या हालत है तो देखने वाले कहते हैं जिस आदमी ने पूरे देश की आन बान के लिए अपना पूरा सर्वस्व अर्पण कर दिया आज उसके स्मारक की ऐसी हालत है। उन सबको उसी मूल रूप में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है। मूल रूप में किसी भी छेड़खानी, मूल रूप से नहीं की जाएगी। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रगतिशील सरकार की प्रगतिशील सोच है कि राजस्थान के हमारे स्मारकों के लिए यह संशोधन मील का पत्थर साबित होंगे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सदन के सारे माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसको पारित किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऑनरेबल पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर को तो अपोजिशन ही नजर आता है, इनको यही सूझता है। मैं कहता हूं कि जितने अच्छे सुझाव सत्ता पक्ष की तरफ से आए हैं उतने अच्छे सुझाव हमारी तरफ से नहीं आए। मावली से आने वाले माननीय सदस्य, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य.....।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको बेस्ट पार्लियामेण्टेरियन तो दिखते ही नहीं, उनसे आप नाराज हैं, देखते नहीं हैं, आप टोडारायसिंह वाले माननीय सदस्य का नाम लेना ही नहीं चाहते।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): टोडारायसिंह वाले तो घोल मथोल कर जाते हैं, इनका तो सपना दूसरा और है तो उस सपने में उलझ जाते हैं, जो सपने में उलझ जाते हैं वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं। वे बोले थे न, वह बिना लाग लपेट के बोले थे, यह लाग लपेट से बोलते हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर युग पुरुष हुए हैं हीरालालजी शास्त्री, जयनारायणजी व्यास, मोहनलालजी सुखाड़िया, हरिदेवजी जोशी और भैरोंसिंहजी शेखावत, ये पाँच इस प्रदेश के युग पुरुष हैं। और इस सदन में भी कई युग पुरुष छिपे होंगे, कह नहीं सकते, समय आने पर पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं जो आज आपकी सोच है। यह जो एक्ट आप लाए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको बार-बार पढ़ रहे हैं। मान्यवर, यह न तो आपको पता है न आपके देवताओं को पता है, किसने ड्राफ्ट किया है, जिसने ड्राफ्ट किया है वह आपको पता नहीं है और आपसे कोई कंसलटेशन नहीं हुआ है और आप मानेंगे नहीं मेरी बात को क्योंकि आपकी बात पिट जाती है, आप तो यही कहेंगे कि मैंने ही करवाया है लेकिन आपके देवताओं को भी नहीं पता है, जिस तरीके से ड्राफ्ट किया है वह बड़ा मिसचिवियस है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह तो परमानेण्ट देवता है ड्राफ्ट करने वाले।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, हां, तो कोई भी होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं पहले भी किया कि इसमें हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। आपका दिल जलता है, कलेजा जलता है, उससे भी हमारा राजस्थान के लिए कम नहीं जलता है। मैं उन क्षत्रियों को जो राजा महाराजा और जागीरदारों की थी और उनकी क्या गति हुई और किस तरह से बेच-बेच कर वह खा गए, वह मेरी आंखों के सामने है। (व्यवधान) हां, मैंने देखा है। लेकिन अब आप तो जिस तरीके पर चल रहे हैं, वही हालत होगी। आपने उसमें जोड़ दिया कि स्मारक का इण्डिणिजुअल शब्द जोड़ दिया कि उनको भी दे सकते हैं। आप सरकार का आधिपत्य रखो, ट्रस्ट बनाओ, कारपोरेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ पर सरकार

(श्री रामनारायण चौधरी)

का आधिपत्य रखो। आप कहते हो कि इतना रुपया आ जाएगा तो यह राजस्थान सरकार भी आप ठेके पर दे दो। आपको टैक्स वसूल नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे आ जाएगा, विकास करते रहना। यह भी ठेके पर दे सकते हैं आप। मान्यवर, यह नहीं है। आब्लीगेशन हैं आपके, जो सरकार है, जो सरकार है उसका एक दृष्टिकोण है। (व्यवधान) वह नीति के आधार पर, सोच के आधार पर चलती है। उसको चिन्ता रहती है कि हमारे वीरों की भूमि है, यहां हमारे लोक देवता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी सरकार ने पाँच-पाँच मंदिर सौंप दिए तो आपको बुरा नहीं लगा?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इधर बैठे थे आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मंदिरों की सुपुर्दगी का क्लॉज पास किया तो मैंने किया, मैं उस समय देव स्थान मंत्री था, ...(व्यवधान) देव स्थान मंत्री के नाते सुपुर्दगी श्रेणी में मंदिर देने का अपना एक क्लॉज है। उसी सम्प्रदाय के लोग जो उसकी पूजा सेवा करते हैं, उसी प्रकार का ट्रस्ट होगा, तो इन शर्तों के तहत मंदिरों को पूजा सेवा के लिए दिया था वह उस कानून के तहत दिया था। इस नए कानून को लाने की आवश्यकता उसमें महसूस नहीं हुई तो अपन उसी के तहत क्यों नहीं चल सकते थे। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मतलब इतनी बड़ी बात हम करने जा रहे हैं तो शांति से, संतोष से बैठकर इसके हर पहलू को देख लेने में कोई हरजा नहीं है। एक दिन नहीं, दो दिन बाद हो जाएगा। हम ऐसे अगर इस तरह से करेंगे और कई परिणाम अगर इसके दूसरे निकले तो कल लोग हमको भी तो पूछेंगे कि यह क्या किया, अगर इसमें विचार कर लेने में क्या हरजा क्या है? जिसके लिए दो दिन बाद कर देंगे, सात तारीख पहले-पहले कर देंगे, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए मेरी व्यक्तिगत राय है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो आपसे और चाहते क्या हैं? हम आपको कोई वह नहीं करना चाहते। शो डाउन नहीं करना चाहते। सरकार है, बहुमत है आपका, आपका बहुमत है। हमने तो आपको इतना ही कहा है कि आपके जितने अच्छे आदमी हैं, जिन्होंने जो बात कही है, वह हमारे से भी अच्छी बात कही है उन्होंने।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय,...।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात तो सुन लो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके जो माननीय सदस्य हैं, डिबेट से पहले इनको भी आप ट्रेण्ड करें तो और अच्छी बात है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने जो जितनी बात कही, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, पार्लियामेण्ट्री अफेयर मिनिस्टर साहब ने जितनी बात कही, हमने ध्यानपूर्वक शांति से सुना। अब आप कृपा करके पाँच मिनट मेरी बात तो सुन लें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज सदन के नेता यहां मौजूद नहीं हैं और उनकी मौजूदगी में यह डिस्कसन हो जाए और डिस्कसन होने के बाद जो आप करेंगे वही होगा, हमारा भी पार्टिशिपेशन हो जाने दीजिए आप। आप क्यों ऐसा करते हैं कि आप तो करोगे और हम आपको पीठ दिखाएंगे? ऐसा मत करो। हमारा भी इसमें इन्वॉल्वमेण्ट रखो। राजस्थान के हित में जो बात सोची जा रही है उसमें हमारा भी योगदान आप शामिल कीजिए, आपका भी योगदान शामिल कीजिए। आपके इनके ऊपर तो छड़ी घूम रही है व्हिप की। इसलिए ये तो आपकी हां में में हां मिलाएंगे, मिलाना भी चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तरीका है, लेकिन जैसा होम मिनिस्टर साहब ने राय व्यक्त की ऐसे ही उधर से माननीय सदस्यों ने राय व्यक्त की तो इनको तो आप दूसरी श्रेणी में नहीं रख सकते, इनकी तो वफादारी नम्बर वन पार्टी की है, वफादारी नम्बर वन राजस्थान की भी है। तो आप कृपा करके सलेक्ट कमेटी को सौंप दें और आपकी इच्छा हो जिन आदमियों को ले लो, आपकी इच्छा हो उनको ले लो। सलेक्ट कमेटी को सौंप दो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रतिपक्ष के नेता व माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा दो दिन के लिए एक छोटी कमेटी बना दें, बैठकर दो दिन बाद कर लें 7 तारीख को। क्या तकलीफ है? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है कि 7 को पास नहीं कर सकते। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपको ध्यान हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल में अपन ने इस बात को किया है। एक छोटी कमेटी बन जाए, अधिकृत कर देते हैं और आप बैठकर 7 तारीख को पास करा देना। इसको आज पास करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय अभी फरमा रहे थे कि हमको पीठ नहीं दिखानी पड़े तो आपका तो काम ही पीठ दिखाने का है। आप कई बार दिखा चुके हैं, चाहे हम जायज करें, जैसा ही करें हर काम में आपका काम है, हम जा रहे हैं, वाक आउट कर रहे हैं। कई बार कर चुके हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देखिए, ज्यादा हेकड़ी मत करो, ढाई साल है, दो साल 7 महीने बचे हैं, मैं आपको बता दूंगा पीठ दिखाते हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ढाई साल और चार साल तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर आपने अभी बतायी, कैसा ही कानून बनाएंगे आपको तो जो करना है वह आप करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर हम जिंदा रहे तो सांवरलालजी जाट से मैं दो साल 7 महीने बाद जयरामजी की कर लूंगा। तब बता देंगे पीठ दिखाते हो या नहीं दिखाते हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दो साल बाद पधार जाएंगे तो स्वागत करेंगे आपका यहां हाउस में।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो डेमोक्रेसी है, इसमें क्यों इतनी मार रहे हो? हमेशा ही पीठ दिखायी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप क्यों मार रहे हो इतनी हेकड़ी? डेमोक्रेसी है तो जानते हैं आपकी तरह हम भी। (व्यवधान) हम कोई जबर्दस्ती नहीं आये, डेमोक्रेसी है तो ही हम आये हैं यहां पर। और जो पीठ दिखाने की बात कर रहे हो वह तो आप दिखाओगे पीठ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम उस समय आये थे जिस समय सांवरलालजी जाट का कोई वजूद नहीं था। उस समय मैं यहां था। आप तो आज आये हो, आप तो 90 में आये हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हम आज आये हैं, पर आपसे कम नहीं। लगातार आ रहे हैं हम भी। आप पहले पैदा हो गये इसलिए हम आपके साथ कैसे आ जाते, यह बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं आज तो आप आये हैं, आपसे पहले हम तो आ गये थे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मालूम है हमको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आ गये थे। पीठ आप ही दिखाते रहे हो, आगे भी दिखा दोगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह सब जानते हैं कि आप हमारे वरिष्ठ सदस्य हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस भावना से बात हो रही है उस भावना को समझो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो उदाहरण माननीय गृह मंत्रीजी ने दिया, जो मेरा छोटा जीवनकाल है पाँच साल पहले का और ये दो साल गये, लेकिन पहला जो उदाहरण पेश किया है यह हम सबके लिए अनुकरणीय है कि आपने हिम्मत के साथ वाजिब बात को रखा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है कि दो दिन बाद पास कर लेंगे। आप दो दिन बाद पास कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम इसको पास नहीं करें। 7 को पास कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 7 को पास कर लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह ठीक रहेगा अपन इस डिबेट को ओपन रखें, आज क्लोज न करें और दो दिन बाद 7 को रख लें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): थर्ड रीडिंग बाद में करा देंगे। थर्ड रीडिंग बाद में करा देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 7 को कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रूल्स का रिलेक्सेशन करके आज की डिबेट को अपन यहीं रखें और 7 तारीख को वापस बैठकर बात कर लेंगे। घनश्यामजी, आप बता दो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की भावना बहुत अच्छी है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और यह सही है कि बहुत सारे कोई संभालता नहीं है, इतने पड़े हैं, उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। यह सही है, सरकार की भावना और इसका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो डाउट्स सदन में आये हैं इनके बारे में विचार कर लें, बस इतनी सी बात है, और कोई खास बात नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, इस डिबेट को यहीं अभी अपन विराम दे दें, 7 तारीख को अपन डिबेट को स्टार्ट करके पास करा देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई इस तरह की भ्रांति रहेगी और जो प्रस्ताव, जो संशोधन ..(व्यवधान) हम तो एक मूल एक्ट में संशोधन लेकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपसे बहुत गुजारिश की। अब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं, मैंने देखा कि ''अंधे ऊंटों पर चढ़ गये और चढ़ते ही हांक्या घणा, नकेलां गई छूट, अब राम रुखाळो राजिया।'' हम आपकी आगे की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं। और हम नहीं चाहते कि राजस्थान का हित हमारी आंखों के सामने देखते-देखते हमारे मत के साथ हो। हम चाहते हैं भगवान आपको सद् बुद्धि दे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सन् 1952 से यही कर रहे हो, जनता जानती है आपको।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं खण्ड 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4 डा. एन.एस. गुर्जर। संशोधन प्रस्तुत करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन को विदड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन तो आपने प्रस्तुत किया ही नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.58 बजे मंगलवार, 4 अप्रैल, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

खेतरली ग्राम पंचायत (पाली) में बालिका विद्यालय/छात्रावास

355. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा बाली की माड़ा चयनित पंचायतों में जनजाति/आदिवासी वर्ग के 5 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं, किशोर-किशोरियों, युवक-युवतियों की कुल संख्या कितनी हैं? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं, किशोर-किशोरियों, युवक-युवतियों के लिये अपनी-अपनी पंचायतों में पढ़ने के लिये सभी स्तर के राजकीय विद्यालय एवं छात्रावास उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कहां-कहां विद्यालय/छात्रावास नहीं हैं? कारण सहित पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या माड़ा चयनित पंचायत खेतरली में बार-बार क्षेत्रीय जनता व क्षेत्रीय विधायक की मांग के उपरान्त भी बालिका छात्रावास नहीं खोला गया? यदि हां तो क्यों?

(4) क्या सरकार माड़ा/चयनित इन पंचायतों में सभी स्तर के विद्यालय एवं छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा बाली की माड़ा चयनित पंचायतों में जनजाति/आदिवासी वर्ग के 5 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के कक्षा 1 से 12वीं तक के अध्ययनरत बालक-बालिकाओं, किशोर-किशोरियों, युवक-युवतियों की कुल संख्या 6547 है।

पंचायतवार संख्या की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को अपनी-अपनी पंचायतों में पढ़ने के लिए राजकीय विद्यालय एवं दो छात्रावास, भीमाना व दानवरली में उपलब्ध हैं।

पंचायतवार शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों की सूची परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) जी हां। माननीय विधायक बाली के खेतरली में बालिका छात्रावास खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) माडा चयनित इन पंचायतों में आवश्यकतानुसार राजकीय विद्यालय खुले हुए हैं फिर भी मापदण्डों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा इस पर विचार किया जावेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले की नगरपालिका को आबंटित राशि

356. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला बारां की किस-किस नगरपालिका को विगत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त नगरपालिकाओं को राशि आबंटित करने में भेदभाव बरता गया है? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर?

उत्तर

(1)जिला बारां की नगर पालिकाओं को विगत दो वर्षों में आबंटित राशि का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(अ) विभिन्न योजनानतर्गत आबंटित राशि

(लाखों में)

नगर निकाय का नाम	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम		स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना		यूरीफ योजना		ई.एफ. सी. स्लम योजना	विरासत संरक्षण योजना
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
बारां	28.01	54.23	1.52	4.14	-	20.00	40.59	-
अन्ता	2.57	37.16	1.58	0.85	-	20.00	50.10	-
छबड़ा	2.27	60.90	1.58	4.85	15.00	7.00	32.37	58.00
मांगरोल	2.35	22.33	1.40	0.64	-	-	25.87	-

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(ब) सामान्य अनुदान, चुंगी पुनर्भरण अनुदान आदि में आबंटित राशि :-

(लाखों में)

क्र. सं.	नाम न. पा.	योजना/मद का नाम	2004-05	2005-06 (27.03.06 तक)
1.	बारां	सामान्य अनुदान	14.43	14.43
		11/12वें वित्त आयोग (कोर सर्विस)	20.87	14.98
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	32.36	19.00
		चुंगी पुनर्भरण अनुदान	319.72	351.68
2.	अन्ता	सामान्य अनुदान	4.63	4.63
		11/12वें वित्त आयोग (कोर सर्विस)	6.68	6.83
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	10.40	-
		चुंगी पुनर्भरण अनुदान	70.78	77.88
3.	छबड़ा	सामान्य अनुदान	6.14	6.14
		11/12वें वित्त आयोग (कोर सर्विस)	5.74	6.21
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	8.80	14.00
		चुंगी पुनर्भरण अनुदान	54.53	60.04
4.	मांगरोल	सामान्य अनुदान	6.36	6.36
		11/12वें वित्त आयोग (कोर सर्विस)	5.95	6.21
		राज्य वित्त आयोग अनुदान	9.12	15.00
		चुंगी पुनर्भरण अनुदान	34.13	37.50

(2) जी नहीं। राशि आबंटन में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

सीकर जिले में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

357. श्री अमराराम (धोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में चिकित्सा कर्मियों के कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों का अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, वरिष्ठ बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, मलेरिया निरीक्षक एवं बीएचएस (मेल/फिमेल) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किए जाऐंगे। चिकित्सा अधिकारी (दन्त, हड्डी रोग, निश्चेतन) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण पर से प्रतिबंध हटने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डेंटल टैक्नीशियन एवं लैब टैक्नीशियन के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के धार्मिक/पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कार्य योजना

358. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में राज्य में कितने देशी व विदेशी पर्यटक आये और इससे सरकार को कितनी आय हुई? गत वर्षों मुकाबले पर्यटक संख्या व आय में कितनी वृद्धि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हेतु पर्यटन के

(श्री नवरतन राजोरिया)

पारम्परिक क्षेत्रों के अलावा नये क्षेत्रों की पहचान कर उनके विकास के लिये कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर झील, देवयानी कुण्ड व ज्वाला माता मंदिर (जोबनेर) का पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से महत्व हैं? क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से उक्त स्थालों के विकास हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 व 2005 में राज्य में आये देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या व उनमें हुई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है। अधिक पर्यटकों के आगमन से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सब व्यवसायियों की आय में वृद्धि होती है। परन्तु आय में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। उसका सही आंकलन विभाग द्वारा संकलित किया जाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार राज्य में साहसिक, हैल्थ, ईको पर्यटन, धार्मिक पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर पर्यटन के विकास का विचार रखती है।

(3) जी हां। राज्य योजनान्तर्गत सांभर स्थित देवयानी कुण्ड के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।

परिशिष्ट ''अ''

राज्य में देशी व विदेशी पर्यटकों का आगमन वर्ष 2004 से 2005 तक
(पर्यटन विभाग द्वारा संकलित)

क्र. सं.	वर्ष	पर्यटकों की संख्या			गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन प्रतिशत में		
		स्वदेशी	विदेशी	योग	स्वदेशी	विदेशी	योग
1.	2004	16033896	971772	17005668	27.81	54.60	29.09
2.	2005	18787298	1131164	19918462	17.17	16.40	17.13

गंगरार उपखण्ड मुख्यालय में सहायक अभियन्ता कार्यालय/डाक बंगले की स्थापना

359. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उपखण्ड मुख्यालय गंगरार में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला गया है? यदि हां, तो कब तथा यह किस भवन में चल रहा है?

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय गंगरार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय का भवन व डाक बंगला निर्माण के लिए राशि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-1(18)पी.डब्ल्यू/2000 दि. 23.2.04 के द्वारा उपखण्ड मुख्यालय गंगरार में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय का नव सृजन किया गया है। वर्तमान में उपखण्ड कार्यालय दिनांक 26.3.2006 से किराये के भवन गंगरार में चल रहा है।

(2) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय गंगरार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन के लिये राशि सरकार के उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। वर्तमान में गंगरार में डाक बंगला है।

मौजमाबाद (जयपुर) के माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण

360. श्री निर्भय लाल (रुपवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजमाबाद (जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण हैं? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय द्वारा तहसीलदार व एस.डी.एम दूदू को उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अनुरोध किया गया? यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की पालना में अभी तक उक्त भूमि का सीमांकन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? अब सीमांकन कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। दिनांक 16.9.92 को तहसीलदार दूदू द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी मौजमाबाद को भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

(3) जी नहीं। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 19.9.92 को सीमाज्ञान करवा दिया गया था।

बल्लभनगर के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ग्रामों का चयन

361. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के कितने गांवों को जनजाति उप-योजना क्षेत्र (टी.एस.पी. एरिया) में शामिल करने के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या प्रयास किये गये?

(3) उक्त गांव अब कब तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी. एरिया) में शामिल कर लिये जायेंगे?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के 20 गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

(सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए 7 बार लिखित रूप में भारत सरकार को अनुरोध किया जा चुका है।

(3) भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन करने के पश्चात ही इन गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट-अ

पंचायत समिति-भीण्डर, तहसील-बल्लभनगर, जिला-उदयपुर

अ) कुल जनसंख्या की तुलना में 50 प्रतिशत तथा अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली पंचायतों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत		ग्रामों के नाम	कोड़ नं.	कुल जन संख्या	अ.ज.जा. जन संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुन्डई	1	कुन्डई	152	792	199	25.13
		2	नाहरपुरा उर्फ नरपुरा	150	483	478	98.96
		3	भमेला	151	604	369	61.09
		4	गोटिपा	154	757	495	65.39
		5	पदमाखेड़ा	153	249	0	0.00
		6	कांकड़ियों का खेड़ा	155	185	0	0.00
			योग		**3070**	**1541**	**50.20**
2	धावडिया	1	धावड़िया	146	1434	1261	87.94
		2	खेडाफला		515	0	0.00
		3	रणिया	149	703	388	55.19
		4	रानी डूंगला	142	693	0	0.00
		5	नांगलिना	143	675	603	89.33
			योग		**4020**	**2252**	**56.02**
3	भोपाखेड़ा	1	भोपाखेड़ा	124	627	34	5.42
		2	हमेरपुरा	123	753	0	0.00
		3	फुसरिया	126	972	897	92.28
		4	बैरीपुरा	127	266	214	80.45
		5	रायला	144	463	463	100.00
			योग		**3081**	**1608**	**52.19**
4	माल की टूस	1	माल की टूस	65	1732	473	27.31
		2	गोवला	70	592	489	82.60
		3	फलेट	69	294	294	100.00
		4	टाक	67	1372	977	71.21
			योग		**3990**	**2233**	**55.96**
	योग (अ)	**20**			**14161**	**7634**	**53.91**

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समझौता समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्वति

362. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं पक्षकारों के मध्य विवादों के निस्तारण के लिए राज्य स्तर तथा जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर समझौता समिति का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो उक्त कमेटी का गठन कब किया गया? कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं तथा कब से मनोनीत हैं एवं मनोनीत सदस्य का वेतन क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गठित समझौता समिति द्वारा जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2005 तक कितने मामलों का निस्तारण किया गया? कितने मामले विचाराधीन हैं? समझौता समिति द्वारा किये गये समझौतों से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों को क्रियान्विति किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समझौता समिति की उक्त अवधि में कितनी बैठक हुई?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.12(82)नवि/2000 दिनांक 25.07.01 द्वारा राज्य स्तरीय व स्थानीय समझौता समिति का गठन हुआ था। अधिसूचना की छाया प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्यस्तरीय समझौता समिति एवं स्थानीय समझौता समिति के सदस्यों को नगरीय विकास विभाग की आज्ञा क्रमांक पं.12(82)नविवि/2000/पार्ट दिनांक 17.01.2002 के अनुसरण में वेतन एवं भत्ते दिये गये थे। वेतन एवं भत्तों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(2) जी नहीं। उक्त अवधि से पूर्व ही वर्ष 2003 से ही समिति ने कार्य करना बन्द कर दिया था ऐसी स्थिति में वर्ष 2004-05 में निस्तारण एवं बाद निस्तारण लम्बित होने के मामलों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) समझौता समितियों ने वर्ष 2003 में ही कार्य करना बन्द कर दिया था। अतः उक्त अवधि (01.01.04 से 31.12.05 तक) में समितियों की कोई बैठक नहीं हुई थी।

(अधिसूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां के राजकीय चिकित्सालय द्वारा क्रय मशीनें

363. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय चिकित्सालय बारां में 11वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत राशि के अन्तर्गत कौन-कौन सी मशीनें कितनी-कितनी राशि में किस-किस तारीख को किस-किस कम्पनी की क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 11वें वित्त आयोग के परिपत्र में मशीनों को खरीदने के संबंध में उसकी कम्पनी व गुणवत्ता के संबंध में क्या निर्देश दिए गए? क्या राजकीय चिकित्सालय बारां में क्रय उसी अनुरूप हुआ है? संबंधित परिपत्र/आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 11वें वित्त आयोग के अनुदान में चिकित्सा विभाग को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय बारां के लिए क्रय की गई मशीनों का विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) 11वें वित्त आयोग द्वारा जारी परिपत्र में चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित कार्यों के लिये राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी को विस्तृत कार्य योजना अनुमोदन के लिये अधिकृत किया गया है।

जी हां, राजकीय चिकित्सालय, बारां में क्रय उसी के अनुरूप हुआ है। सम्बन्धित परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सलूम्बर के उप खण्ड में जनजाति कृषकों को कृषि विद्युत कनेक्शन

364. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 में कितने कृषि कनेक्शन दिये गये तथा जिन के द्वारा अब तक डिमाण्ड राशि जमा कराई गई हैं, उन लोगों को सरकार कब तक कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सलूम्बर उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में कितने परिवारों के कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिया गया? क्या अब सरकार

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

डिमाण्ड राशि जमा कराने वाले जनजाति परिवारों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? देरी होने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान क्रमशः 178 एवं 218 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। इस क्षेत्र के 34 आवेदकों के मांग पत्र राशि जमा है जिन्हें कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) सलूम्बर उपखण्ड में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में जनजाति के क्रमशः 63 एवं 118 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये। इस उपखण्ड में जनजाति के 30 ऐसे प्रार्थी हैं जिनके मांग पत्र जमा हैं जिन्हें कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जारी है। देरी होने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

सलूम्बर के लम्बित आवेदकों की सूची जिनके मांग पत्र की राशि जमा है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मांग पत्र जमा होने की दिनांक	फार्म प्रस्तुत करने की दिनांक	आवेदक के कारण देरी का विवरण (जैसे कि सामान नहीं ले जाना राइट आफ वे उपलब्ध नहीं कराना आदि)
1	2	3	4	5
1	श्री ओनाल्ड सिंह/धन सिंह	27.09.04	10.01.04	समान नहीं लेकर गये
2	श्री नेन चन्द/ पुनम जी	02.06.05	04.08.05	समान नहीं लेकर गये
3	श्री प्रजा/ पदमा पटेल	06.01.05	15.10.05	समान नहीं लेकर गये
4	श्री केशर सिंह/ किशोर सिंह	19.10.04	27.01.05	समान नहीं लेकर गये
5	श्री भावा/माना मीणा	18.12.04	08.06.05	लाइन खिंचने का विवाद
6	श्री दला/गोता मीणा	22.02.05	23.06.05	समान नहीं लेकर गये
7	श्री कालिया/रतना मीणा	24.02.05	07.09.05	समान नहीं लेकर गये
8	श्री नानजी/देवा मीणा	25.04.05	09.09.05	समान नहीं लेकर गये
9	श्री कालू/गोता मीणा	02.05.05	24.09.05	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
10	श्री पेमजी/भोमा मीणा	18.01.05	27.09.05	समान नहीं लेकर गये
11	श्री कसना/चोखा मीणा	06.12.05	27.10.05	समान नहीं लेकर गये
12	श्री हुरजी/काना मीणा	14.12.04	07.11.05	समान नहीं लेकर गये
13	श्री कसाना/नवला मीणा	06.12.04	07.11.05	समान नहीं लेकर गये
14	श्री परला/खेमा मीणा	20.10.04	19.11.05	कार्य प्रगति पर है।
15	श्री राजिया/भेरा मीणा	06.12.04	01.12.05	समान नहीं लेकर गये
16	श्री रुपा/पगला मीणा	26.07.05	13.12.05	समान नहीं लेकर गये
17	श्री कोदर/मेघा मीणा	15.12.04	12.12.05	कार्य प्रगति पर है।
18	श्री वेला/भैंरा मीणा	03.01.05	06.01.05	कार्य प्रगति पर है।
19	श्री खूमा/लाला मीणा	03.01.05	06.01.05	कार्य प्रगति पर है।
20	श्री कालू/भाणा मीणा	03.01.05	6.01.06	कार्य प्रगति पर है।
21	श्री भीमा/डाया मीणा	10.01.05	6.01.06	कार्य प्रगति पर है।
22	श्री लाला/माना मीणा	4.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
23	श्री पाचिया/वक्ता मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
24	श्री लाला/ देवा मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
25	श्री गाना/पदा मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
26	श्री कालू/दामला मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
27	श्री वाला/वक्ता मीणा	4.11.04	24.01.06	समान नहीं लेकर गये
28	श्री चोखा/मानीगं मीणा	27.4.05	24.01.06	समान नहीं लेकर गये
29	श्री खेमा/उदा मीणा	29.12.05	24.01.06	कार्य प्रगति पर है।
30	श्री मावा/भग्गा मीणा	20.11.04	24.01.06	कार्य प्रगति पर है।
31	श्री रोड़ा/नवला मीणा	24.8.05	-	L Form नहीं आया
32	श्री गंगाराम/अमरजी मीणा	24.08.05	-	L Form नहीं आया
33	श्री केवा पेमा/मीणा	14.01.05	-	L Form नहीं आया
34	श्री मेधा/ गोविन्दा मीणा	14.12.04	27.02.06	समान नहीं लेकर गये

परिशिष्ट ''ब''

सलूम्बर उपखण्ड में जनजाति के लम्बित आवेदकों की सूची जिनके मांग पत्र की राशि जमा है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मांग पत्र जमा होने की दिनांक	फार्म प्रस्तुत करने की दिनांक	आवेदक के कारण देरी का विवरण (जैसे कि सामान नहीं ले जाना राइट आफ वे उपलब्ध नहीं कराना आदि)
1	श्री भावा/माना मीणा	18.12.04	08.08.05	लाईन खिंचने का विवाद
2	श्री दला/गोता मीणा	22.02.05	23.03.05	समान नहीं लेकर गये
3	श्री कालिया/रतना मीणा	24.02.05	07.09.05	समान नहीं लेकर गये
4	श्री नानजी/देवा मीणा	25.04.05	09.09.05	समान नहीं लेकर गये
5	श्री कालू/गोता मीणा	02.05.05	24.09.05	कार्य प्रगति पर है
6	श्री पेम जी/भोगा मीणा	18.01.05	27.09.05	समान नहीं लेकर गये
7	श्री कसना/ चोखा मीणा	06.12.04	27.10.05	समान नहीं लेकर गये
8	श्री हुरजी/काना मीणा	14.12.04	07.11.05	समान नहीं लेकर गये
9	श्री कसाना/नवला मीणा	06.12.04	07.11.05	समान नहीं लेकर गये
10	श्री परला/खेमा मीणा	20.10.04	19.11.05	कार्य प्रगति पर है
11	श्री राजिया/भेंरा मीणा	06.12.04	01.12.05	समान नहीं लेकर गये
12	श्री रुपा/पगला मीणा	26.7.05	03.12.05	समान नहीं लेकर गये
13	श्री कोदर/मेघा मीणा	15.12.04	12.12.05	कार्य प्रगति पर है
14	श्री वेला/भेंरा मीणा	03.01.05	06.01.08	कार्य प्रगति पर है
15	श्री खूमा/लाला मीणा	03.01.05	06.01.06	कार्य प्रगति पर है
16	श्री कालू/भाणा मीणा	03.01.05	06.01.06	कार्य प्रगति पर है
17	श्री भीमा/डाया मीणा	10.01.05	06.01.06	कार्य प्रगति पर है
18	श्री लाला/माना मीणा	04.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
19	श्री पाचिया/ वक्ता मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
20	श्री लाला/देवा मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये

1	2	3	4	5
21	श्री माना/पदा मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
22	श्री कालू/दामला मीणा	16.08.05	12.01.06	समान नहीं लेकर गये
23	श्री वाला/वक्ता मीणा	04.11.04	24.01.06	समान नहीं लेकर गये
24	श्री चोखा/मानीगं मीणा	27.12.04	24.01.06	समान नहीं लेकर गये
25	श्री खेमा/उदा मीणा	29.12.04	24.01.06	कार्य प्रगति पर है
26	श्री मावा/भग्गा मीणा	20.11.04	24.01.06	कार्य प्रगति पर है
27	श्री रोड़ा/नवला मीणा	24.08.05	-	L Form नहीं आया
28	श्री गंगाराम/अमरजी मीणा	24.08.05	-	L Form नहीं आया
29	श्री केवा पेमा/मीणा	14.01.05	-	L Form नहीं आया
30	श्री मेघा/ गोविन्दा मीणा	14.12.04	27.02.06	समान नहीं लेकर गये

हनुमानगढ़ की मिसिंग लिंक सड़कें

365. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में कुल कितनी व कौन-कौनसी मिसिंग लिंक सड़कें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितनी व कौन-कौनसी मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया गया और कितनी शेष हैं?

(3) सरकार इस वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में कौन-कौनसी मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार हनुमानगढ़ टाउन से टिब्बी तक मुख्य सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में वर्तमान में कुल 4 मिसिंग लिंक सड़कें हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत 2 वर्षो

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में 705 मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत की गई। जिसमें से 663 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। जिनकी सूची क्रमश: परिशिष्ट ''ब'' व ''स'' संलग्न है। 24 कार्य प्रगति पर हैं तथा 12 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। शेष 6 कार्य अन्य योजनाओं में स्वीकृत होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सम्भव नहीं है।

(4) हनुमानगढ़ टाउन से टिब्बी तक मुख्य सड़क मार्ग की चौड़ाइकरण का कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को ब्याज राशि में राहत

366. **श्री ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रींगंगानगर-हनुमानगढ़ जिलों के उपनिवेश क्षेत्र में किसानों को भूमि आबंटन की किस्तों पर राहत देने की दृष्टि से बकाया राशि पर ब्याज की छूट दी गई है? यदि हां, तो क्या ब्याज की छूट सीमा में उन काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा? जिनकी मात्र एक अथवा दो किस्तें शेष हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। ब्याज की छूट सीमा में उन काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा जिनकी मात्र एक अथवा दो किस्तें शेष हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित पेंशन प्रकरण

367. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन आदि के विचाराधीन मामलों के निपटाने हेतु समिति का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष अथवा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

परोक्ष हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन आदि के कुछ मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किन-किनके? सूची जिलेववार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समिति के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1.	मा. मुख्यमंत्री महोदया	अध्यक्ष
2.	मा. मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	श्री आनन्द लक्ष्मण खाण्डेकर स्वतंत्रता सेनानी, कोटा	सदस्य
5.	श्री दामोदर प्रसान कानूनगो स्वतंत्रता सेनानी, जयपुर	सदस्य
6.	श्री बृजकिशोर शर्मा, एडवोकेट स्वतंत्रता सेनानी, केकड़ी	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य सचिव

(2) जी हां। विवरण निम्नानुसार है :-

1. सुश्री बिलकिस बानो, निवासी ब्यावर, जिला अजमेर
2. श्री चरण सिंह, निवासी, श्रीगंगानगर
3. श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, निवासी, जयपुर
4. श्री नाथूसिंह, निवासी, सीकर
5. श्री गजसिंह बेस, निवासी, जोधपुर

(3) जी हां। राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत किए जाने हेतु गठित उप समिति की आगामी बैठक माह अप्रैल, 2006 में आयोजित की जाकर पेण्डिंग प्रकरणों का निस्तारण करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर स्लीप लेन प्रकरण

368. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

पूर्वी ओर सड़क क्षेत्र में आवागमन की स्लीप लेन को बंद कर पार्क बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व आगे रामनिवास बाग तक उक्त स्लीप लेन का क्या औचित्य है?

(2) उक्त स्लीप लेन निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई व पार्क बनाने का क्या कारण है व उस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है।

(3) क्या यह भी सही हे कि उक्त पार्क के कारण स्लीप लेन के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या सरकार उक्त स्लीप लेन को बंद कर पार्क निर्माण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर पूर्वी ओर बताई गई स्लीप लेन पूर्वी तरफ न होकर पूर्वी-दक्षिण कोने पर है जो वर्तमान में यथावत है एवं यातायात के उपयोग में आ रही है।

(2) उपरोक्तानुसार किसी भी स्लीप लेन का नवीन निर्माण नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) स्लीप लेन को बन्द कर पार्क निर्माण नहीं किया जा रहा है। अतः कार्य रोके जाने या पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है।

राज्य चिकित्सा कर्मियों की निजी प्रैक्टिस पर रोक

369. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार राजकीय चिकित्सकों एवं अधीनस्थ स्टाफ की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि पूर्व में इस तरह के किए गए प्रयासों के सकारात्मक अनुभव नहीं रहे हैं।

नवीन ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तों की पालना

370. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर्स की कमी के कारण नये विद्युत संबंध स्थापित करने तथा जले हुए ट्रांसफार्मर्स बदलने में अनावश्यक देरी हो रही है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से अब तक की अवधि में विद्युत वितरण निगम जयपुर द्वारा प्रदेश से बाहर स्थित किस फर्म को कितने एवं किस क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति के आदेश दिये गये तथा उनमें से किस-किस दिनांक को कितने प्राप्त हुए? क्रय आदेश की प्रति सहित फर्मवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ट्रांसफार्मर्स सप्लायर फर्मों द्वारा उक्त निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है तथा समय पर ट्रांसफार्मर्स सप्लाई करने में देरी की है? यदि हां, तो उक्त फर्मों के विरुद्ध व कब क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही संबंधी पत्रादि की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति कब तक करवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से अब तक की अवधि (फरवरी, 2006 तक) में जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा प्रदेश से बाहर स्थित जिन फर्मो को 25, 40, 63 व 100 के.वी.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के आदेश दिये गये हैं उनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' ''स'' तथा ''द'' पर उपलब्ध है। इस विवरण में आर्डर के समक्ष माहवार प्राप्त हुई संख्या दर्शायी गयी है। नमूने के तौर पर एक क्रय आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है। शेष क्रय आदेशों की शर्तें भी इसके समान हैं। फर्मवार दिये गये आदेशों की सूचना परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' तथा ''द'' पर उपलब्ध है।

(3) ट्रांसफार्मर्स सप्लायर निर्धारित शर्तों के अनुसार ही आपूर्ति कर रहे हैं। जो फर्मे देरी से आपूर्ति कर रही हैं उन पर क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार शास्ति की कटौती की जा रही है/की जायेगी।

(4) ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति आवश्यता के अनुसार करवाई जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भिवाड़ी-महुआ-करौली राजमार्ग का मरम्मत प्रकरण

371. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी-महुआ-करौली राजमार्ग को चौड़ा करने व मरम्मत के काम में करोड़ों रुपयों की अनियमितता का प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजमार्ग करीब 83 करोड़ रुपयों की लागत से लगभग 8 वर्षों में पूर्ण हुआ एवं इसमें सिमको इन्टरनेशन के साथ समझौता हुआ और इस कार्य को अन्य दो कम्पनियों को सबलेट किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त कार्य हेतु इन कम्पनियों के लिए विश्व बैंक एवं वित्तीय विभाग से स्वीकृति ली गई थी? यदि नहीं, तो समझौते का उल्लंघन करने एवं ठेकेदार को अनियमित भुगतान करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। भिवाड़ी महुवा, करौली राजमार्ग को चौड़ा करने के कार्य में माह अप्रेल, 1999 में अनियमितता की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

(2) जी नहीं। उक्त राजमार्ग का कार्य शुरू करने की तिथि 13.4.1992 व पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 12.4.1995 के साथ कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्य वास्तव में 10-7-1997 को पूर्ण हुआ। इस प्रकार कुल सवा पांच वर्ष में कार्य पूर्ण हुआ। इस कार्य पर कुल 96.67 करोड़ का खर्चा हुआ। इस कार्य का समझौता मैसर्स सिमको इन्टरनेशन नई दिल्ली के साथ किया गया और कोई भी अन्य कम्पनी को कार्य सबलेट नहीं किया गया।

(3) संवेदक मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल को उक्त कार्य कराने हेतु विश्व बैंक एवं वित्तीय विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

हिण्डौली एवं नैनवां (बूंदी) तहसील के लीजधारी कृषकों को खातेदारी अधिकार

372. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि तहसील हिण्डौली एवं नैनवां (बूंदी) में सिंचित क्षेत्र में बांधों के निर्माण के समय किसानों को कृषि कार्य करने हेतु कृषि भूमि लीज पर उपलब्ध कराई गई थी? जिस पर आज भी लीजधारी किसान कृषि करते चले आ रहे हैं? यदि हां, तो लीजधारकों तथा उनको आबंटित कृषि भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे लीजधारकों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस आधार पर और कितनी-कितनी राशि जमा करवाने पर?

(3) क्या सरकार लीजधारकों को आबंटित कृषि भूमि को वर्तमान दर के बजाय उस समय के निर्धारित मूल्य को आधार मानकर उस पर ब्याज की राशि जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। लीजधारकों तथा उनको आबंटित भूमि की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना में सरकारी भूमियों का आबंटन) नियम 1968 के नियमों के अन्तर्गत अभिलिखित आधार एवं राशि जमा करवाने पर।

(3) जी नहीं। अधिसूचना दिनांक 4.6.2002 में ऐसी भूमि के नियमन/पुख्ता आबंटन का प्रावधान है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सर्वव्यापक किशोर शक्ति योजना/सर्वव्यापक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

373. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों में सर्वव्यापक किशोर शक्ति योजना तथा सर्वव्यापक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्य को सहायता प्राप्त होती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? गत दो वर्षों में प्राप्त सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) उपरोक्त मदों के अन्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय राज्य सरकार किस प्रकार से करती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में इस मद में केन्द्र सरकार से प्राप्त कितनी राशि खर्च हुई तथा कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्य को सहायता प्राप्त होती है। इसमें से पूरक पोषाहार हेतु राशि का आबंटन आयोजना विभाग द्वारा इस विभाग को किया जाता है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में राज्य आयोजना मद में प्राप्त यह राशि 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है। 01.04.2005 से यह योजना समाप्त हो चुकी है।

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति ब्लाक 1.10 लाख रुपये के हिसाब से राशि भारत सरकार द्वारा इस विभाग को आबंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2004-05 तक 165 खण्डों में तथा वर्ष 2005-06 में 257 बाल विकास परियोजनाओं में किशोरी शक्ति योजना के संचालन हेतु राशि प्राप्त हुई है। गत 2 वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

(राशि लाखों में)

वर्ष	गत वर्ष की अवशेष	प्राप्त राशि	योग
2003-04	1488.83	5305.75	6794.58
2004-05	80.87	4774.50	4855.37
किशोरी शक्ति योजना			
2003-04	-	181.50	181.50
2004-05	-	181.50	181.50

(2) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु वर्ग 0-3 वर्ष के बच्चों के पूरक पोषाहार पर किया गया। भारत सरकार से विशेष शिथिलता प्राप्त कर इस राशि का उपयोग गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 3-6 वर्ष के बच्चों के पोषाहर पर भी किया गया था।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

किशोरी शक्ति योजना में प्रति ब्लाक प्रति परियोजना 1.10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। जिसमें से 1.05 लाख रुपये की राशि संबंधित परियोजना को आबंटित की जाती है जिसका विवरण नीचे अंकित है। शेष 0.05 लाख रुपये की राशि राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रखी जाती है।

क्र.सं.	विषय	राशि
1	संबंधित परियोजना के 20 प्रेरकों को 5 दिन का प्रेरक प्रशिक्षण (साथिन/आंगनबाडी कार्यकर्ता) ''भविष्य का चुनाव/नई दिशायें''	15,000
2	कैम्प, नवाचर गतिविधियों सम्बन्धी क्रियाकलापों का भ्रमण 750x20 गांव (1 वर्ष के लिए)	15,000
3	प्रगणकों को मानदेय (साथिन/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) दर 100/- प्रतिमाह– मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन हेतु	24,000
4	खण्ड स्तरीय कौशल/वोकेशनल प्रशिक्षण (75x5x40) (प्रत्येक चयनित आंगनबाड़ी केन्द्र/गांवों से 2 किशोर बालिकाएं)	18,750
5	आंगनबाड़ी केन्द्र स्तरीय कौशल/वोकेशनल प्रशिक्षण (ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण से संबंधित कच्चा माल (1162.50x20)	23,250
6	रिपोर्ट लेखन	3000
7	प्रशासनिक एवं यात्रा व्यय (परियोजना क्षेत्र के लिए)	5,000
8	विविध व्यय	1,000
	योग	**1,05,000**

(3) किशोरी शक्ति योजनानतर्गत केन्द्र सरकार से गत 2 वर्षों में प्राप्त 363.00 लाख रुपये की राशि में से 144.82 लाख रुपये की राशि व्यय की गई, जो कि 39.89 प्रतिशत है। इस योजना की विभिन्न प्रवृत्तियों के अन्तर्गत लाभान्वित हेतु लक्ष्य के विरूद्ध 92 प्रतिशत किशोरी बालिकाएं नामांकित की गई।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत विगत 2 वर्षो में राज्य के पास उपलब्ध राशि 11569.08 लाख रुपये के विरुद्ध 11318.47 लाख रुपये की राशि

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

व्यय की गई, जो कि 98 प्रतिशत रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 82 प्रतिशत तथा वर्ष 2004-05 में 94 प्रतिशत बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया गया।

रिंग रोड, जयपुर के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति

374. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? योजना की स्वीकृति, प्लान व अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिंग रोड़ के निर्माण के लिए जयपुर जिले के किसानों की भूमि को अवाप्त किया जा रहा है? यदि हां, तो भूमि अवाप्ति किन-किन शर्तों पर की जा रही है और किसानों को मुआवजे का भुगतान किस दर पर किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिंग रोड़ का निर्माण कितनी राशि में होने का अनुमान है और कब तक इस परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 23.3.2003 को सार्वजनिक निर्माण विभाग संचालन एवं हस्तान्तरण के लिए गठित उच्चाधिकार समिति के निर्णय के क्रम में उक्त कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। अब तक की प्रगति निम्न प्रकार है :-

1. दिनांक 25.11.2004 को रिंग रोड़ परियोजना को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित करने का निर्णय लिया गया।
2. दिनांक 31.12.2004 को परियोजना को पूर्ण करवाने के लिए एम्पावर्ड कमेटी एवं टास्क टीम के गठन का आदेश जारी किया गया।
3. दिनांक 17.03.2005 को रिंग रोड़ परियोजना के लिए सर्वे एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु 15.00 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
4. दिनांक 04.04.2005 को रिंग रोड़ एवं विकसित कोरीडोर परियोजना पर प्रस्तावित एलायन्मेन्ट का जयपुर विकास प्राधिकरण के सक्षम स्तर पर अनुमोदन हुआ।
5. दिनांक 07.07.2005 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर रोड़ से

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

आगरा रोड़ तक कुल 1556 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये।

6. दिनांक 15.07.2005 को अजमेर रोड़ से अगारा रोड़ तक भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गयी।

7. दिनांक 06.12.2005 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा परियोजना के लिए टोंक रोड़ से आगरा रोड़ तक (कुल 626 हैक्टेयर) अवाप्ताधीन भूमि के विरुद्ध आयी आपत्तियों की सुनवाई, निस्तारण एवं राज्य सरकार को धारा (6) के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे गये जो विचाराधीन हैं।

8. परियोजना के लिए अजमेर रोड़ से टोंक रोड़ तक (कुल 930 हैक्टेयर) भूमि अवाप्ति के विरुद्ध आई आपत्तियों की सुनवाई निस्तारण किया जा रहा है।

9. दिनांक 28.01.06 को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूमि के एवज में (दिनांक 16.02.2006 से 28.02.2006 तक) तिथिवार एवं ग्रामवार नि:शुल्क भूमि समर्पित करने के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई।

10. दिनांक 13.11.2005 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा दस्तावेज तैयार करवाने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति हेतु आमंत्रित एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट।

राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। परियोजना का अजमेर रोड़ से आगरा रोड़ तक तय किये गये अलाइनमेन्ट की फोटो प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। परियोजना संबंधी दस्तावेज परिशिष्ट-3, 4, 5, 6 व 7 पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिंग रोड़ के निर्माण के लिए जयपुर जिले के किसानों की भूमि को अवाप्त किया जा रहा है। भूमि की अवाप्ति, भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984) के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा रही है तथा किसानों को मुआवजे का नकद भुगतान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों तहत धारा (4)1 की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को प्रचलित बाजार दर से या खातेदार द्वारा नि:शुल्क भूमि समर्पण करने पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार 25 प्रतिशत तक विकसित भूखण्ड (20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) आबंटित किये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) रिंग रोड़ एवं विकसित कोरिडोर परियोजना के निर्माण में वर्तमान बाजार दरों के अनुसार लगभग 1600 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है। 2 वर्ष 6 माह की अवधि में इस परियोजना को पूर्ण करने की योजना तैयार की जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक के सआदत चिकित्सालय में उन्नयन एवं उत्थान हेतु कार्य-योजना

375. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक शहर के सआदत चिकित्सालय में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जाएगा?

(2) उक्त चिकित्सालय में कौन-कौनसी जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनके लिए क्या-क्या मशीन/उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध हैं? उक्त मशीन/उपकरण में से वर्तमान में कौन-कौन से खराब हैं और उनको कब तक ठीक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में उक्त चिकित्सालय का विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो संगठन द्वारा किये गये निरीक्षण में क्या–क्या कमियां व अनियमितताएं पाई गई और इनका सरकार द्वारा क्या निराकरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उक्त चिकित्सालय के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं?

(5) उक्त चिकित्सालय के विस्तार एवं चिकित्सा सुविधाओं में उन्नयन के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहादत चिकित्सालय टोंक में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) सहादत चिकित्सालय टोंक में एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, रक्त, बलगम, मल-मूत्र आदि की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके लिए एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, माइक्रोस्कोप, कैलोरीमीटर, ग्लूकोमीटर, सेन्ट्रीफ्यूज, सेमी ऑटो एनेलाइजर इत्यादि मशीनें/उपकरण उपलब्ध हैं। खराब मशीन एवं उपकरण का विवरण निम्न प्रकार है :-

मशीन/उपकरण का नाम

1. 60 एमए सिमेन्स मोबाईल एक्सरे मशीन
2. सेमी ऑटो एनेलाइजर

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खराब मशीन/उपकरण को ठीक कराने की कार्यवाही करायी जा रही है।

(3) 17 मई, 2005 को सहादत चिकित्सालय, टोंक का विश्व बैक के अधिकारी डा. पोटर द्वारा अवलोकन किया गया था। डा. पोटर की यात्रा का उद्देश्य राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना मद में से चिकित्सालय में कराये जा रहे मरम्मत कार्यों का अवलोकन करना था जो प्रथम वर्ष में चिन्हित थे। डा. पोटर ने कराये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर संतोष व्यक्त किया।

(4) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सहादत चिकित्सालय टोंक के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 तक स्वीकृत राशि में से कराए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि रु. लाखों में)

कार्यों का विवरण	**स्वीकृत राशि**
निर्माण कार्य	
रिनोवेशन एडीशन एवं आल्ट्रेशन कार्य	186.56
कचरा निस्तारण हेतु पिट्स का निर्माण	0.85
अन्य	
दवाईयां	5.85
हास्पिटल सप्लाई	1.87

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

फर्नीचर एवं उपकरण की मरम्मत	4.20
कार्यालय व्यय	1.44
होर्डिंग्स	0.35
नागरिक अधिकार पत्र	0.10
योग	201.22

(5) इस चिकित्सालय में उपलब्ध शैय्याओं का वर्ष 2005 में मात्र 49 प्रतिशत उपयोग हुआ है। इसलिए शैय्याओं में वृद्धि करना समुचित नहीं होगा।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट मद से सहादत चिकित्सालय टोंक में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए आधुनिक उपकरण, हॉस्पिटल फर्नीचर, जैविक कचरा निस्तारण की व्यवस्था एवं चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षित कराया जा रहा है।

परिशिष्ट ''अ''

सहादत चिकित्सालय टोंक में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन, सर्जरी, शिशुरोग, नेत्ररोग, स्त्रीरोग)	5	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन, स्त्री रोग, सर्जरी, निश्चेतन, हड्डीरोग, ईएनटी रेडियोलोजी, चर्मरोग, पैथलोजी, मनोरोग)	10	-	
	उप नियंत्रक	1	-	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	
	चिकित्सा अधिकारी	9	1	2/05
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-	
	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1	-	
	लैब टैक्नीशियन	1	-	
	रेडियोग्राफर	2	-	
	सहायक रेडियोग्राफर	1	-	

सूरतगढ़ की ढाणियों का विद्युतीकरण

376. श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एक किलोमीटर की परिधि में आने वाली 15 ढाणियों को नि:शुल्क विद्युतीकृत किये जाने का प्रावधन है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ऐसे कितने प्रकरणों का इस योजना में विद्युतीकरण किया गया तथा कितने प्रकरण शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे शेष प्रकरणों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 के लिये राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि यदि स्थापित विद्युत तंत्र से 1 किलोमीटर दूरी तक आने वाली ढाणी में 15 आवेदन जमा हो तो उक्त ढ़ाणी हेतु वांछित विद्युत तंत्र नि:शुल्क स्थापित कर उन आवेदकों को विधिवत विद्युत सम्बन्ध जारी कर दिये जाये। उक्त आदेश की अनुपालना में आबंटित लक्ष्य को पूर्ण करने के प्रयास स्वरूप जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रान्तर्गत विधान सभा सूरतगढ़ में 27 ढाणियों में आवश्यक विद्युत तंत्र स्थापित कर आवेदकों को विद्युत सम्बन्ध जारी किये गये तथा 11 ढाणियों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया जारी है जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ऐसे शेष प्रकरणों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रस्तावित है जिनको भारत सरकार के उपक्रम ''ग्रा.वि.नि'' से स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार क्रियान्वित किया जावेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र के दौरे हेतु उपलब्ध वाहन

744. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर विधायकों को अपने क्षेत्र में दौरे के लिये माह में 10 दिन के लिये जिला पूल से गाड़ी उपलब्ध कराने का आदेश प्रसारित किया हुआ है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है जिला कलक्टर द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की स्थिति दयनीय है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में विधायकों द्वारा कई बार जिला कलक्टर को शिकायतें भी की गई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा बजट के अभाव में उक्त वाहनों को ठीक नहीं कराया जाता तथा प्राइवेट वाहनों के लिये भी बजट के अभाव में भुगतान नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सभी जिलों कलक्टरों को मा. विधायकों के लिये अपने क्षेत्र में दौरे के लिये माह में 10 दिन के लिये जिला पूल की गाड़ी उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश दिनांक 3.3.2005 को जारी किया हुआ है। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट ''क' पर संलग्न है।

(2) जिला कलक्टरों द्वारा माननीय विधायकगणों को उनके यहां उपलव्ब्ध यथा सम्भव अच्छी दशा के वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही (मार्च में) में नये वाहन क्रय कर जिला कलक्टर्स को आबंटित किये गये हैं। इस कार्यवाही से समस्या का समाधान हो सकेगा।

(3) माननीय विधायकगण से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण की कार्यवाही जिला कलक्टरों द्वारा की जाती है। विधायकगण की सुविधा के मद्देनजर राज्य सरकार ने माह में पांच दिवस की अवधि को बढ़ाकर दस दिवस तक वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(4) वाहन ठीक कराने हेतु मोटर गैराज विभाग द्वारा जिला पूल धौलपुर को वर्ष 2005-06 में सामग्री प्रदाय (वाहन संधारण) उप मद में रु. 1.85 लाख का बजट आबंटित किया गया है। जिला पूल में वाहनों की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक नयी टाटा स्पेसियो वाहन उपलब्ध करायी गयी है।

परिशिष्ट ''क''

राजस्थान सरकार

स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 12(3)स्टे.मो.गै./98 जयपुर, दिनांक 3.3.2005

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान

समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय :- माननीय विधायकों को जिला पूल से वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.5.2000 एवं 11.2.2005

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा राजस्थान राज्य से निर्वाचित माननीय विधायकों को माह में 5 दिवसों के लिए जिला पूलों से वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।

इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों के अतिक्रमण में राज्य सरकार द्वारा अब माननीय विधायकों को माह में 5 दिवसों के स्थान पर 10 दिवस के लिए वाहन जिला पूल से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है। यदि किसी माह माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा 10 दिवस से कम वाहन का उपयोग किया जाता है तो शेष रहे दिनों की सीमा अवधि तक आगामी महीनों में इस अतिरिक्त सुविधा का उपयोग किया जा सकेगा। अत: माननीय सदस्य विधान सभा से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित जिला कलक्टर जिला पूल से एक माह में 10 दिवस के लिए एक वाहन उपलब्ध करायेंगे। यदि जिला पूल के वाहन उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के आदेश समसंख्यक दिनांक 11.2.2005 के अनुसरण में वाहन किराए पर लिए जा सकेंगे।

भवदीय,

चन्द्रमोहन मीणा

शासन सचिव

पद स्थापन की प्रतीक्षारत कार्मिकों को भुगतान

745. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग में अभी कितने अधिकारी/कर्मचारी पद स्थापन की प्रतीक्षा में कब से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात अभी तक कितने अधिकारी/कर्मचारी पद स्थापन की प्रतीक्षा में रहे हैं? उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतीक्षा अवधि में कितना भुगतान किया गया? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आबकारी विभाग में वर्तमान में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में है :-

क्र.सं.	नाम	पद	तिथि, जब से पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में हैं
1	श्री माधोलाल परेवा	आबकारी निरीक्षक	02.02.2006

(2) राजस्थान आबकारी विभाग में दिनांक 01.01.2004 के पश्चात अभी तक निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रहे हैं, उक्त अवधि में इन अधिकारियों को वेतन के रूप में भुगतान की गयी राशि का विवरण कालम संख्या 5 में अंकित है।

क्र. सं.	नाम	पद	अवधि	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में चुकाई गई राशि
1	श्री हिरेन्द्रसिंह चौधरी	जिला आबकारी निरीक्षक	18 जुलाई, 05 से 30 सितम्बर, 05 तक	38,356/-
2	श्री संतोष कुमार	आबकारी निरीक्षक	22 जून, 05 से 18 जुलाई, 05 तक	07,217/-
3	श्री पूनियाराम मीणा	आबकारी निरीक्षक	02 मई, 05 से 14 जुलाई, 05 तक	श्री मीणा को ए.पी.ओ रखे जाने के दौरान 01 मई, 05 से 20 जून, 05 तक की अवधि का

(आबकारी मंत्री)

1	2	3	4	5
				अवकाश स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्त अवधि का किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।
4	श्री विवेकानन्द शर्मा	आबकारी निरीक्षक	06 फरवरी, 04 से 27 फरवरी, 04 तक	09832/-
5	श्री माधोलाल परेवा	आबकारी निरीक्षक	02 फरवरी, 06 से लगातार	15,542/- (02/06 तक
			योग	**70,947/5**

ग्राम गेटोर (जयपुर) की भूमि पर अवैध निर्माण

746. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के वार्ड 28 के गेटोर गांव में सड़क के किनारे-किनारे पानी की टंकी के समीप अवैध रूप से अनेक मकानों व दुकानों का निर्माण हो चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों का निर्माण गांव की गोचर भूमि पर किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवैध निर्माणों के कारण नगर निगम को कीमती भूमि से वंचित होना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माणों को कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि पानी की टंकी के पास दुकानों व मकानों का निर्माण पुराना किया हुआ है। यह क्षेत्र गांव गैटोर की पुरानी आबादी का क्षेत्र है।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर बने हुए हैं जिसकी किस्म बंजड प्रथम है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) उक्त अवैध निर्माणों के प्रति विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही यह भूमि अन्य उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकती है। अत विधिक प्रक्रिया अपनाकर उचित कार्यवाही की जायेगी। यह क्षेत्र जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में न होकर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार में है।

आवासीय कालोनी, देवीपुरा (सीकर) के अविकसित पार्क

747. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा सीकर शहर में आवासन मण्डल की कालोनी, देवीपुरा का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया?

(2) इस कलोनी में कितने पार्क छोड़े गये? कालोनी का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा इस कालोनी को नगर परिषद् सीकर को कब स्थानान्तरित किया गया?

(4) उक्त कालोनी में अवस्थित कितने पार्क अविकसित हैं व कितने पार्कों पर अवैध अतिक्रमण है?

(5) क्या सरकार अतिक्रमित पार्कों एवं अविकसित पार्कों को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर शहर में आवासन मण्डल की कालोनी देवीपुरा का निर्माण वर्ष 1983-84 में प्रारम्भ कर वर्ष 1993 तक 323 आवासों का निर्माण तथा वर्ष 2005-06 में 42 आवासों का निर्माण करवाया गया।

(2) इस कालोनी में दो पार्क एवं एक ओपन-स्पेस छोड़े गए हैं। कालोनी के नक्शे की छाया प्रति संलग्न है।

(3) आवासन मण्डल द्वारा रखरखाव हेतु नगर परिषद, सीकर को उक्त कालोनी दिनांक 08.04.1993 को स्थानान्तरित की गई है।

(4) कालोनी के नक्शे के अनुसार दो पार्क एवं एक ओपन-स्पेस है, जिनमें से एक पार्क आंशिक रूप से विकसित है तथा एक ओपन स्पेस को पार्क के रूप में विकसित किया गया एवं एक पार्क की भूमि पर कब्जा लेने के समय से ही अतिक्रमण है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(5) वर्तमान में नगर परिषद, सीकर की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि इन पार्कों का विकास व रख-रखाव किया जा सके। परिषद को आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर इनका विकास किया जाना संभव हो सकेगा।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समूह आवासीय योजनाओं में आवश्यक सुविधाएं

748. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में राज्य कर्मचारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई है, यदि हां, तो किन-किन को व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की लाटरी निकालने के बाद भी अभी तक राशि जमा कर पट्टा जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कुछ आवासीय योजनाओं की भूमि के कुछ भाग पर अवैध अतिक्रमण हैं? यदि हां, तो किन-किन भूखण्डों पर व इससे कौन-कौन से भूखण्ड बाधित हो रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार अब इन अतिक्रमणों को कब तक हटाने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि जिन प्लाटों का पट्टा जारी हो चुका है उनका अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कब्जा दे दिया जावेगा?

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा योजनाओं के कोर्नर भूखण्डों की नाप करा ली गई है? यदि हां, तो उनके आबंटियों को मांग-पत्र कब तक जारी कर पट्टा दे दिया जावेगा? योजनावार कोर्नर प्लाटों की साइज की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि कुछ समूह आवासीय योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह भी सही है कि इस विस्तारित योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लाटरी निकाली जानी है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री गोविन्द सिंह)

(9) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त आवासीय योजनाओं में सीवर लाइन, पक्की रोड़, नाली व पानी की व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त व्यवस्था कर दी जावेगी?

(10) क्या यह सही है कि इन समूह आवासीय योजनाओं के कुछ भाग पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, यदि हां, तो इसमें कौन-कौनसी योजना के कौन-कौनसे भूखण्ड प्रभावित हो रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में राज्य कर्मचारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आबंटन दिनांक	परिशिष्ट
1	हाथोज	20.11.2003	परिशिष्ट-1
2	बिन्दायका	20.07.2003	-
3	हाथोज विस्तार	28.06.2004	परिशिष्ट-2
4	चक करोल	05.07.2004	परिशिष्ट-3
5	धाउवास	18.08.2003	परिशिष्ट-4
6	बालमुकुन्दपुरा	21.02.2004, 17.08.2004, 12.07.2005	परिशिष्ट-5
7	बक्सावाला	13.11.2003	परिशिष्ठ-6

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 से 6 पर संलग्न है। समूह आवासीय योजना बिन्दायका के आबंटियों द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाकर राशि वापस प्राप्त कर ली है।

(2) जी हां। समूह आवासीय योजना हाथोज पर श्रीधर शर्मा व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण, रिट याचिका संख्या 244/04 में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण पट्टा जारी नहीं किया गया है।

समूह आवासीय योजना हाथोज विस्तार में :-

1. दी बैंक आफ राजस्थान लि. बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण रेफरेन्स

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

संख्या 136/04 में माननीय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त करने से,

2. फिशरीज डिपार्टमेन्ट बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण रेफरेन्स संख्या 215/04 में माननीय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त करने से तथा

3. फ्रेन्डस एम्पलाइज ग्रुप बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण रेफरेन्स संख्या 137/04 में माननीय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण कब्जा पत्र एवं लीज डीड (पट्टा) जारी करने की कार्यवाही नहीं की गई है।

इसी तरह विधान सभा समूह आवासीय योजना ग्राम धाऊवास में 147 पंजीकृत व्यक्तियों को लाटरी निकालने के बाद में पट्टे जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि भूखण्ड संख्या 1 से 110 तक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हैं। 20 कॉर्नर भूखण्डों के दर निर्धारण एवं 15 भूखण्ड वादग्रस्त एवं अतिक्रमण से प्रभारित है। 1 भूखण्ड मन्दिर की भूमि में से प्रभावित है एवं 1 भूखण्ड नजराना राशि जमा नहीं कराने के कारण लम्बित है।

बालमुकुन्दपुरा योजना के 7 भूखण्ड अतिक्रमण से प्रभावित होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

समूह आवासीय योजना बिन्दायका के आबंटियों द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाकर राशि वापस प्राप्त कर ली है।

इसके अतिरिक्त चककरोल समूह आवासीय योजना में जिन आबंटियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को नियमानुसार देय राशि जमा करा दी है उन्हें पट्टे जारी किये जा चुके हैं तथा जिन आबंटियों द्वारा मांग पत्र अनुसार राशि जमा नहीं कराई गई है उन्हें पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(3) जी हां। चककरोल आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 189 व 190 पर अतिक्रमण है। विधान सभा सचिवालय आवासीय योजना, धाऊवास में भूखण्ड संख्या 154, 165, 158, 166, 178, 147, 111 से 120 कुल 16 भूखण्ड पर अतिक्रमण है।

बालमुकुन्दपुरा योजना में भूखण्ड संख्या बी-170, बी-171, बी-171 ''ए'', बी-167, बी-168, बी-169 तथा बी-169 ''ए'', कुल 7 भूखण्डों पर अतिक्रमण है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(4) विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(5) जिन प्लाटों का पट्टा जारी किया गया है उन्हें कब्जा दे दिया गया है। जिन आबंटियों द्वारा पट्टा जारी के पश्चात मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है उन्हें मौके पर कब्जा देने के लिए सम्बन्धित साइट अभियन्ता को निर्देशित किया हुआ है। हाथोज, बिन्दायका तथा हाथोज विस्तार आवासीय योजनाओं में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये हैं जिस कारण से कब्जा भी नहीं दिया गया है।

(6) जी हां। विधान सभा सचिवालय कर्मचारी आवासीय योजना ग्राम धाउवास में कार्नर के कुल 35 भूखण्ड हैं, जिनका मौका रिपोर्ट अनुसार 20 भूखण्डों की पेमाइश की गई है। 15 भूखण्ड अतिक्रमण एवं वाद से प्रभावित होने के कारण पेमाइश नहीं की जा सकी है। 20 भूखण्डों के मांग पत्र शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं। वे नियमानुसार राशि जमा कराने के पश्चात पट्टा जारी कर दिये जावेंगे। भूखण्डों की सूची परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

बालकुमन्दपुरा आवासीय योजना में 91 कार्नर भूखण्डों के मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं तथा जिन आबंटियों द्वारा राशि जमा करवा दी गई है उनके पट्टे जारी कर दिये हैं। कार्नर भूखण्डों की सूची परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(7) जी हां। विधान सभा समूह आवासीय विस्तार योजना ग्राम धाउवास में बनाई जा रही है।

(8) भूमि अवाप्ति की धारा 4(1) की कार्यवाही की जा चुकी है। अवाप्ति कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात लाटरी निकाली जाकर आबंटन की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

(9) जी नहीं। उक्त योजनाओं में सीवर लाइन पक्की रोड़, नाली व पानी की व्यवस्था की स्थिति तथा उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी का विवरण परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

(10) जी हां। वाद संख्या 244/04 श्रीधर बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण में समूह आवासीय योजना हाथोज की सम्पूर्ण योजना पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।

विधान सभा समूह आवासीय योजना ग्राम धाउवास के खसरा नम्बर

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

172 एवं 186 में सिविल रिट पिटीशन संख्या सी.डब्ल्यू. 8924/2002 जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम सोहनलाल में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है जिससे इस योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 10/0 तक के भूखण्ड प्रभावित हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में औद्योगिक भू-रूपान्तरण के लम्बित प्रकरण

749. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में कृषि भूमि से औद्योगिक रूपान्तरण हेतु कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) औद्योगिक नियमन स्वीकृति हेतु कितने प्रकरण सरकार के विचाराधीन हैं व सरकार द्वारा इन प्रकरणों पर कब तक निर्णय कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में कृषि भूमि से औद्योगिक रूपान्तण के 16 प्रकरण विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) न्यास, भीलवाड़ा से राज्य सरकार को प्राप्त प्रकरणों में से 3 प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। कमी पूर्ति उपरान्त इन पर शीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा।

परिशिष्ट-1

कार्यालय नगर विकास न्यास भीलवाड़ा
औद्योगिक प्रयोजनार्थ नियमन प्रकरण विचाराधीन

क्र. सं.	फर्म का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	प्रयोजन
1	रोलेक्स प्रोसेस	पुर	2570/2, 2524, 2525	औद्योगिक
2	एलोयज इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	पांसल	4042, 4043, 2780, 2782, 2783	औद्योगिक
3	सेनफोर्ड सिन्थेटिक्स ई.प्रा.लि.	मण्डपिया	98 मी, 98	औद्योगिक

क्र. सं.	फर्म का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	प्रयोजन
4	एम.बी. टेक्स फेब प्रा.लि.	मण्डपिया	138/2, 1300/138	औद्योगिक
5	जानकी प्रोसेसर्स लि.	मण्डपिया	59 60/1, 60/2, 41, 29, 30, 31, 33	औद्योगिक
6	वर्धमान अरविन्द कुमार रिवाईन्डिंग उद्योग	पालड़ी	1527, 34, 35	औद्योगिक
7	शुभलक्ष्मी सिन्थेटिक्स शांतिलाल पानगडिया	मण्डपिया	142/2 142 मी.	औद्योगिक
8	राधा देवी/रामपाल सोनी	आटूण	1257	औद्योगिक
9	संगम इण्डिया लि	आटूण	1258	औद्योगिक
10	मै. इंपोक लि.	आटूण	1024, 1029	औद्योगिक
11	श्रीमती रितु शर्मा/महेश शर्मा	ईसरा	3520	औद्योगिक
12	रामसिंह मीणा/रामदेव मीणा	पालड़ी	2259/872/1	औद्योगिक
13	राजकुमार अग्रवाल	पालड़ी	1528, 1531	औद्योगिक
14	कैलाशचन्द्र भदादा	सुवाणा	2720	औद्योगिक
15	गोपाल राटी	संतोकपुरा	7594/1	औद्योगिक
16	रोशनलाल कोली	सुवाणा	2719	औद्योगिक

जोधपुर नगर सुधार न्यास, हेतु आरक्षित भूमि पर काबिज कब्जेधारी

750. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा जोधपुर के 46 खसरों की राजकीय भूमि को मार्च, 1978 में नगर सुधार न्यास, जोधपुर हेतु आरक्षित की गई थी?

(2) क्या इस बारे में नगर सुधार न्यास द्वारा कब्जाधारियों से शुल्क वसूल करने की दर तय की गई थी?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या सभी कब्जाधारियों ने उक्त शुल्क जमा करवा दिया था अथवा इनमें से कोई वाद लंबित है?

(4) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 837/751 की भूमि के संबंध में कोई आदेश जिला कलक्टर द्वारा पारित किया गया था एवं क्या उक्त आदेश के विरुद्ध न्यास द्वारा अपील दायर की गई थी? यदि हां, तो इस प्रकरण में वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि बालोतरा एवं चौपासनी रोड के मध्य स्थित योजना में जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा 46 खसरों की राजकीय आबादी हेतु नगर सुधार न्यास, जोधुपर को दिनांक 2/03.03.1978 को ''आबंटित'' की गई थी।

(2) हां। इस बारे में नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा न्यास बैठक दिनांक 09.01.1997 के प्रस्ताव संख्या 13(12) के निर्णय अनुसार रुपये 560/- प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित की गई जिसको राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(276) नविआ/94 दिनांक 25.09.1998 के द्वारा अनुमोदन की गई है।

(3) 46 खसरों में जो हितबद्ध कब्जेधारी (जिन्होंने अति. कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) का पुराना पट्टा, रजिस्ट्री अथवा कोई इकरारनामा पेश किया और मौके पर भूखण्ड खाली था) थे उनको बिन्दु संख्या 2 के अनुसार राशि जमा करवा कर उनको लीज डीड जारी की गई थी। कुछ हितबद्ध कब्जेधारियों में आपस में विवाद/अन्य कारणों अथवा जिन्होंने कब्जे के संबंध में विवाद हैं या जिन्होंने अपना क्लेम के संबंध में उपयुक्त दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, उन्हें अभी तक लीज डीड जारी नहीं की गई है। 46 खसरों के बाबत समस्त प्रकरण के बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन कुछेक भूखण्डों के बाबत भूखण्डधारियों/कब्जेधारियों एवं नगर सुधार न्यास, जोधपुर के मध्य माननीय उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में विवाद चल रहे हैं।

(4) खसरा नम्बर-837/751 के संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 10.05.2005 के अनुसार ग्राम जोधपुर खसरा नम्बर-837/751 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि को खातेदारी मानते हुए 46 खसरों में से एक खसरे को निकालते हुए पूर्व में जारी सैट अपार्ट आदेश निरस्त कर दिया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

ऐसी स्थिति में प्रश्नगत खसरा नम्बर-837/751 रकबा 19.17 बीघा बाबत इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आबंटन/आबादी परिवर्तन आदेश 2/03.03.1978 आज प्रभाव में होना नहीं कहा जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया गया कि कार्यालय से पूर्व जारी आदेश क्रमांक एफ.13 (12)06 राजस्व/78/875 दिनांक 2/03.03.1278 के द्वारा खसरा नम्बर-837/751 रकबा 19.17 बीघा नगर सुधार न्यास, जोधपुर को आबंटन कर आबादी भूमि में परिवर्तन किया गया वो आज प्रभाव में नहीं होने से विलोपित समझा जावे।

उक्त आदेश के विरुद्ध नगर सुधार न्यास, जोधपुर के रिव्यू प्रार्थना-पत्र न्यायालय जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत किया है जिसकी आंशिक सुनवाई हो चुकी है न्याय निर्णय हेतु न्यायालय जिला कलक्टर, जोधुपर के यहां लम्बित है।

श्रीगंगानगर शहर को माडल शहर के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

751. **श्री ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार श्रीगंगानगर शहर को माडल शहर बनाने की योजना रखती है? यदि हां, तो इसके लिए किस योजना में कितना धन खर्च किया जायेगा व इस योजना में क्या-क्या कार्य करवाये जायेंगे?

उत्तर

श्रीगंगानगर शहर को माडल शहर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल में परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) का भर्ती प्रकरण

752. **श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जून, 1982 से दिसम्बर, 1987 तक परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 1 मार्च, 1983, 26 फरवरी, 1984 व 18 मई, 1984 के अलावा भी विज्ञप्ति जारी की गई है? यदि नहीं, तो उक्त विज्ञप्ति के अनुसार कितने

(श्री अशोक नागपाल)

परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की भर्ती किस प्रक्रिया के तहत की जानी थी?

(2) उक्त विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी तथा कितने अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कार हेतु किया गया? साक्षात्कार के बाद कितने अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गई व कब?

(3) भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में अलग-अलग उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जून, 1982 के बाद भी नियम विरुद्ध अस्थाई रूप से नियुक्ति की गई तथा उनमें से ही अभ्यार्थियों को स्क्रीनिंग द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया? यदि हां, तो कब-कब?

(5) विज्ञप्ति में जारी पदों पर भर्ती अभ्यार्थियों तथा अस्थायी अभ्यार्थियों में से स्क्रीनिंग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के वरिष्ठता क्रम में बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमावली तथा तत्पश्चात जारी वरीयता सूचियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त विज्ञप्ति के चयन प्रक्रिया के संबंध में उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 20 सितम्बर, 1986 में बोर्ड ने स्वीकार किया है कि उक्त विज्ञप्ति के तहत चयिनत अभ्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई जब कि उनको नियुक्ति 15 दिसम्बर 1987 को दी गई?

(7) क्या यह सही है कि नियम विरुद्ध भर्ती अभ्यार्थियों को स्क्रीनिंग के तहत चयन के महज छह माह पश्चात ही विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 1987 को परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया तथा विज्ञप्ति के तहत परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) पर दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 को नियुक्ति दी गई? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त अवधि में परियोजना (कनिष्ठ) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभिलेखानुसार अन्य विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी। उक्त प्रसारित विज्ञप्तियों के अनुसार परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) के कुल 77 पदों को भरने की कार्यवाही की जानी थी, जिसमें लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना था।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार लिखित परीक्षा में लगभग 1330 अभ्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से साक्षात्कार हेतु 146 अभ्यार्थियों का चयन किया गया। साक्षात्कार के उपरान्त 35 अभ्यार्थियों का चयन किया गया। इनमें से 27 अभ्यार्थियों द्वारा सहमति दिये जाने के आधार पर इनमें से 25 अभ्यार्थियों को दिनांक 24.11.1987 का व 2 अभ्यार्थियों को 28.11.1987 को आफर आफ अपाईन्टमेंट जारी किया गया जिनमें इन्हें 15.12.1987 को ज्वायन करने के निर्देश दिये गये।

(3) भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की सूची अवधि पश्चात् का अभिलेख होने के कारण उपलब्ध नहीं है। अतः लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यार्थियों की सूची जिन्हें साक्षात्कार हेतु योग्य पाया गया, परिशिष्ट (अ) पर संलग्न की जा रही है। साक्षात्कार में सफल अभ्यार्थियों की सूची परिशिष्ट (ब) पर है।

(4) माह जून, 1982 से माह जनवरी, 1983 तक की अवधि में 46 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया एवं इससे पूर्व के 2 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) कुल 48 तदर्थ कार्यरत परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) में से 41 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को संचालक मंडल की 131वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 131.16 की अनुपालना में कनिष्ठ चयन समिति की सिफारिश के आधार पर दिनांक 18.05.1987 से कार्यालय आदेश क्रमांक 980, दिनांक 19.05.1987 द्वारा चयनित गया।

(5) विज्ञप्ति में जारी पदों पर भर्ती अभ्यार्थियों तथा स्क्रीनिंग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के वरिष्ठता क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पृथक नियम निर्धारित नहीं किये गये हैं। परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की जारी अस्थाई वरिष्ठ सूची दिनांक 11.08.1989 की परिशिष्ठ (स) पर संलग्न है।

(6) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) की उक्त विज्ञप्ति में एक अभ्यार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 2304/85 मंडल के विरुद्ध दायर की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.1986 को खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रश्नान्तनर्गत स्पष्ट संदर्भ के अभाव में मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 20.09.1986 को नियुक्ति देना स्वीकार करने का तथ्य स्पष्ट नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(7) दिनांक 18.11.1987 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार 11 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के पद पर दिनांक 21.11.1987 को पदोन्नति किया गया था, जिसमें से 8 स्क्रीनिंग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को भी पदोन्नति दी गयी। विज्ञप्ति के तहत चयनित परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को दिनांक 15.12.1987 को ज्वाइन कराया जाकर दिनांक 16.12.1987 से निर्धारित ट्रेनिंग हेतु भेजा गया था। पदोन्नति मण्डल द्वारा निर्धारित कार्यानुभव पूरा करने के आधार पर की गई।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजनाएं

753. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 1998 से आज तक कितने प्रकरण 98 बी के प्राप्त हुए? इनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण कब-कब हुआ एवं कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ, उसके क्या-क्या कारण रहे? कारणों सहित विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 से अब तक कितनी नई आवासीय बनाई गई/ बनाई जाना प्रस्तावित हैं?

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2004 से अब तक कितनी सम्पत्तियों का कहां-कहां पर नीलाम/बेचकर कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 से आज तक कितने समाधान शिविर कहां-कहां और कब-कब लगाये गए? उक्त शिविरों में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई उनमें से कितनों का निस्तारण किया गया? शेष कितने प्रकरण लम्बित हैं? प्राधिकरण कब तक उनका निस्तारण कर देगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 से आज तक कितने प्रकरण भू-माफियाओं/ सोसायटियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराये गये? विवरण नामों की सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में 1998 से आज तक 90-बी के कुल 3163 प्रकरण प्राप्त हुए हैं इनमें से 1698 प्रकरणों को निस्तारित कर दिया गया है तथा 1465 प्रकरण लम्बित हैं। जोनवार निस्तारित तथा लम्बित प्रकरणों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जिन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ है उनके कारण परिशिष्ट-2 पर अंकित है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 से अब तक 13 आवासीय योजना बनाई गई है जो निम्नानुसार है:-

1. विधान सभा कर्मचारी समूह आवासीय योजना 2. पत्रकार आवासीय योजना, धौलाई, 3. सुरजपुरा भाटा वाला डेयरी योजना, 4. विमलपुरा आवासीय योजना, 5. रोहिणी नगर प्रथम आवासीय योजना, 6. रोहिणी नगर द्वितीय आवासीय योजना, 7. रोहिणी नगर तृतीय आवासीय योजना, 8. बालमुकुन्दपुरा आवासीय योजना, 9. हाथोज समूह आवासीय योजना, 10. हाथोज विस्तार योजना, 11. मूर्तीकला योजना, 12. पीताम्बरा आवासीय योजना, तथा 13. चक करोल आवासीय योजना।

मुरलीपुरा, सिरोली, दांतली आवासीय योजना एवं ग्राम कानोता, दयारामपुरा, मानगढ़, खोखावाला, मानसरवखेड़ी, बीलवा खुर्द में पृथ्वीराजनगर, के सफल आवेदकों एवं राजभवन कर्मचारियों के लिए आवासीय योजनाएं तथा विधान सभा कर्मचारी समूह आवासीय विस्तार योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2004 के पश्चात् कुल 592 सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 से जोनों में कोई समाधान शिविर नहीं लगाये गये है। चूंकि समाधान शिविर आहूत ही नहीं हुए हैं। अतः निस्तारण, लम्बित एवं कब तक निस्तारण होगा, इसकी सूचना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है

(6) प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2004 से 46 प्रकरणों में भूमाफियों/ सोसायटियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज कराये गये हैं। विवरण परिशिष्ठ-4 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नैनवां में निर्धन वर्ग के आबंटित भूमि

754. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में गत तीन वर्षों में किन-किन गांवों में कितनी भूमि निर्धन वर्ग को आबंटित की गई? क्या आबंटित भूमि पर आबंटितयों को कब्जा दिला दिया गया?

(2) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के किस-किस ग्राम में कितनी कितनी भूमि अब भी आबंटन योग्य है तथा उक्त भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नैनवां के 36 ग्रामों में 3314.4 एकड़ निर्धन व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई। सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

आबंटियों द्वारा भूमि की नियमानुसार आरक्षित मूल्य की किश्त जमा नहीं करवाई गई, उनको छोड़कर शेष सभी आबंटितियों को आबंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में आबंटन योग्य भूमि की सूची परिशिष्ठ ''ब'' संलग्न है। भूमि का आबंटन राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1970 के अन्तर्गत किया जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बायतू तहसील (जोधपुर) में राजस्व न्यायालय की स्थापना

755. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बायतू तहसील मुख्यालय के नजदीक 50-50 किलोमीटर की परिधि में तहसील कार्यालय के सिवाय कोई राजस्व न्यायालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बायतू तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्य कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब क व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। बायतू में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान, जयपुर को आबंटित भूमि

756. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हाड़ौता जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्था को सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी व कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षण संस्थान को भूमि आबंटन का प्रस्ताव ग्राम सभा या ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह भी सही है कि किसी भी संस्था को भूमि आबंटन के लिये सरकार को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम हाड़ौती में 4.83 हैक्टर भूमि का आबंटन दिनांक 5.7.2005 को महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिति, चौमूं को किया गया है।

(2) सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ौता द्वारा दिनांक 17.5.2001 को भूमि आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

(3) जी हां। केवल चरागाह भूमि के आबंटन की स्थिति में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत से परामर्श की आवश्यकता होती है।

डीडवाना तहसील में गोस्वामी समाज को भू-आबंटन प्रकरण

757. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में तहसील डीडवाना के ग्राम पंचायत पावा के ग्राम कुड़ी में गोस्वमी धर्मगुरू की समाधि हेतु दो बीघा भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटन हेतु प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर विधिवत रूप से जिला कलक्टर, नागौर द्वारा सरकार को भिजवाये गये थे? यदि हां, तो कब?

(3) क्या प्रस्ताव पर सरकार तदनुसार आबंटन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जब प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुए हैं, तो आबंटन पर विचार किया जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निम्बीजोधा तहसील (लाडनूं) में अवैध खनन

758. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम निम्बीजोधा तहसील लाडनूं के खसरा नम्बर 715, 1014, 1013 में ग्रामवासियों द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या सरकार उपरोक्त खसरा के अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब अवैध खनन चल ही नहीं रहा है तो आगे कार्यवाही की जरूरत ही नहीं है।

खैरवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

759. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में उप खण्ड अधिकारी कार्यालय स्वीकृत है? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्यालय को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। जब स्वीकृत ही नहीं है तो प्रारम्भ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

गृह जिले में पदस्थापित तहसीलदार

760. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नरेन्द्र नागर)

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार को नियमानुसार गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग दी जा सकती हैं? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ तहसीलदारों को गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग दी गई है? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन तहसीलदारों को उनके गृह जिले से हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसीलदारों को साधारणतया गृह जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाती है। वर्तमान में 03 तहसीलदार उनके गृह जिले में फील्ड पोस्टिंग के तहत कार्यरत है जो निम्नानुसार है :-

1. श्री सुमेर सिंह यादव।
2. श्री सुरेन्द्र सक्सैना।
3. श्री श्याम मनोहर गौतम।

(2) उक्त 03 तहसीलदारों को उनके गृह जिले में हटाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

हुरड़ा ग्राम (बनेड़ा) के राजस्व शिविर में आबंटित भूमि

761. श्री रामलाल शर्मा (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के ग्राम हुरड़ा में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशसन गांवों की ओर अभियानों में सरकार द्वारा किसानों को भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कितनी? क्या इस आबंटन को रिकार्ड में दर्ज किया गया है? यदि हां, तो कितने काश्तकारों की व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। तहसील हुरड़ा में 10 व्यक्तियों को 31.18 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। जिसमें से 8 व्यक्तियों को आबंटित भूमि रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है एवं 2 प्रकरणों में आबंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

तहसील बनेडा में 492 व्यक्तियों को 1583.02 बीघा भूमि का आबंटन

(राजस्व मंत्री)

किया गया है। जिसमें से 301 व्यक्तियों को आबंटित भूमि रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है, 168 प्रकरणों में आबंटन नियम विरुद्ध पाये जाने से आबंटन निरस्तीरकण की कार्यवाही विचाराधीन है एवं शेष 23 प्रकरणों में जांच विचाराधीन है।

न्यायालय सहायक कलक्टर गोगुन्दा का स्थानान्तरण प्रकरण

762. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्यायालय सहायक कलक्टर गोगुन्दा का मुख्यालय उदयपुर जिला मुख्यालय पर था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर गोगुन्दा का मुख्यालय उदयपुर से गोगुन्दा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जिला कलक्टर उदयपुर ने शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 1/अ(1) (2) स्था. /02-03/1584 दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को गोगुन्दा तहसील मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सृजित कर मुख्यालय गोगुन्दा कायम करने की अनुशंसा की है? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सहायक कलक्टर, गोगुन्दा के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(3) जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।

धार्मिक एवं वैदिक आश्रमों की गतिविधियों हेतु निगरानी समिति

763. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में साधु-सन्तों द्वारा वैदिक आश्रम बनाये जाते हैं और ये जन आस्थाओं का केन्द्र होने के कारण इनके साथ जनता का सहयोग भी रहता है और सरकार द्वारा भी इनके आंतरिक कार्यकलापों पर कोई दखल नहीं दिया जाता?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को समय-समय पर इन आश्रमों के बनने के कुछ समय बाद इनमें कई प्रकार के अपराधों के होने की जानकारी मिलती रहती है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के आश्रमों के आंतरिक कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए सरकार किसी मॉनिटरिंग एजेंसी के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में स्थित मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक पूजा स्थलों, उपासना स्थलों के समुचित प्रबंध एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधान दिनांक 1.7.1962 से लागू है। साधु-सन्तों द्वारा बनाये जाने वाले वैदित आश्रमों को जन आस्थाओं का केन्द्र होने तथा ऐसे आश्रम पूजा एवं उपासना स्थल होने से उनके कार्य कलापों के संबंध में भी उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(2) धार्मिक आश्रमों, पूजा स्थलों एवं उपासना स्थलों के कुप्रबंध एवं अपराधों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(3) राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 में देवस्थान विभाग के क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को धार्मिक न्यासों के पंजीकरण एवं शिकायतों की जांच की शक्तियां प्रदत्त है इसलिये किसी अन्य एजेन्सी के गठन की आवश्यकता नहीं है।

सहाड़ा की वक्फ सम्पत्ति

764. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहड़ा में किस-किस गांव में कितनी-कितनी भूमि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्पत्ति पर किन-किन के नाजायज कब्जे हैं?

(3) क्या सरकार इन कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व न हीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के कुल 36 गांवों में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सहाडा की तहसील सहाड़ा के ग्राम कांगनी में केवल एक प्रकरण में वक्फ की भूमि किशन पुत्र श्री मोती बलाई के कब्जे में है।

(3) खण्ड-2 में वर्णित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है निर्णय के उपरान्त तदनुसार ही कार्यवाही सम्भव है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बामनवास के चिकित्सा कर्मियों की बकाया राशि

765. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली एवं बामनवास मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा पुनर्भरण (बिल) बजट के अभाव में भुगतान हेतु कितनी अवधि से लम्बित हैं? वर्षवार नामवार, राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौंली एवं बामनवास में स्टाफ के लम्बित पड़े यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा पुनर्भरण बिलों का अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट- अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बौंली एवं बामनवास में स्टाफ के लम्बित पड़े यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा पुनर्भरण बिलों का विवरण

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	यात्रा भव्य		चिकित्सा पुनर्भरण	
		राशि	वित्तीय वर्ष	राशि	वित्तीय वर्ष
1	डा. के.एम. मीणा, चिकित्सा, अधिकारी	4691.00 4562.00	2002-03 2003-04	-	-
2	श्री रामधन मीणा, नर्स श्रेणी प्रथम	780.00 2400.00	2002-03 2002-03	5158.00 1400.00 2093.00	1999-2000 2003-2004 2004-2005

1	2	3	4	5	6
3	श्री सुरेश चन्द सिंहल, नर्स श्रेणी द्वितीय	1920.00	2003-04	-	-
4	श्री सुखवीर सिंह, वार्डबॉय	270.00 1140.00	2002-03 2003-04	-	-
5	श्री छीतर मल गुर्जर, स्वास्थ्य निरीक्षक	979.00 287.00 4069.00 1635.00 604.00	1994-95 1995-96 2000-01 2001-02 2003-04	1086.00 2507.00 1044.00 2043.00	1999-2000 2000-2001 2002-2003 2003-2004
6	डा. रामलाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी	253.00	2003-04		
7	डा. के.एम. गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ	323.00 308.00	2004-05 2005-06	-	-
8	श्री मुकेश कुमार शर्मा, लैब टैक्नीशियन	748.00	2003-04	-	-
9	श्री भरत लाल मीणा, नर्स श्रेणी द्वितीय	102.00	2005-06	514.00	2003-04
10	श्री कजोड़मल गोयल, कनिष्ठ लेखाकार	1762.00	2005-06	-	-
11	श्री तुलसी राम माली, नर्स श्रेणी प्रथम	646.00	2005-06	-	-
12	श्रीमती ललिता गुप्ता, स्टाफनर्स	-	-	5524.00 2449.00	2003-04 2004-05
13	श्री खेमा लाल मीणा, वार्डबाय	-	-	1603.00	2003-04
14	श्री राजेश सैन, वार्ड बाय	-	-	740.00	2003-04
	योग	**27479.00**		**26161.00**	

परिशिष्ट 'अ'

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बामनवास :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	यात्रा व्यय		चिकित्सा पुनर्भरण	
		राशि	वित्तीय वर्ष	राशि	वित्तीय वर्ष
1	डा. हंसराज मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7610.00	2004-05	1340.00	2004-05
2	डा. जी.बी. सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ	1240.00	2004-05	1960.00	2005-06
3	श्री उस्मान खां, नर्स श्रेणी द्वितीय	1200.00	2004-05	1830.00	2004-05
4	श्री रामहरि मीणा, नर्स श्रेणी द्वितीय	1338.00	2003-04	8416.00	2003-04
5	श्री नईम खान, नर्स श्रेणी द्वितीय	-	-	1838.00	2005-06
6	श्री भागचन्द मीणा, नर्स श्रेणी प्रथम	3470.00	2003-04	3430.00	2005-06
7	श्री सियाराम मीणा, लैब टैक्नीशियन	2468.00	2004-05	2410.00	2005-06
8	श्री धर्म सिंह मीणा, सहायक रेडियोग्राफर	800.00	2004-05	3308.00	2005-06
9	श्री अनिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	3940.00	2004-05	610.00	2005-06
10	श्री मुरारी लाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक	1133.00	2005-06	1140.00	2004-05
11	श्री हफीज खां, कनिष्ठ लिपिक	762.00	2005-06	2608.00	2004-05
12	श्री श्याम लाल गौतम, वार्डबॉय	640.00	2002-03	960.00	2005-06
13	श्री शिव दयाल मीणा, वार्डबॉय	1304.00	2003-04	1544.00	2004-05
14	श्री सीताराम	-	-	1130.00	2005-06
15	श्रीमती रामबाई, सफाई कर्मचारी	-	-	832.00	2005-06
16	श्री बनवारी लाल शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक	3266.00	2004	1940.00	2003-04
	योग	**29171.00**		**35296.00**	

घाटोल तहसील (बांसवाड़ा) के चिकित्सालय में रिक्त पद

766. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाया जा रहा है? यदि हां, तो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कब व किस वर्ष से चल रहा है? यहां वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वित्तीय वर्ष 1998-89 में पूर्व में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाटोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घाटोल में वर्तमान में स्टाफ के 22 पद स्वीकृत है जिनमें से 1 पद रिक्त है। दो चिकित्सक कार्यरत है।

कोटा जिले के महिला नसबन्दी शिविर में मृत महिला के परिजनों को सहायता

767. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2005-06 में परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबन्दी का कुल कितना लक्ष्य था तथा कुल कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले में वर्ष 2005-06 में महिला नसबन्दी शिविर में आपरेशन के कुछ दिन/समय बाद ही दो महिलाओं की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो मृतकों के क्या नाम हैं व सरकार द्वारा सहायता राशि के रूप में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? क्या मृतकों के परिवार को सहायता राशि प्रदान कर दी गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक यह राशि प्रदान कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक योग्य दम्पत्ति से परिवार सीमित करने के बारे में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जानकारी, सर्वे करवाकर प्राप्त की जाती है? इसी के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2005-06 में परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी का न्यूनतम उपलब्धि (MLA-Minimum level of achievement) अर्थात 432146 रखा गया, जिसके विरुद्ध जनवरी 2006 तक 229862 नसबन्दी आपरेशन किये गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मृतकों के नाम निम्न प्रकार है।

1. श्रीमति मन्नी बाई पत्नी श्री शम्भुदयाल निवासी झोपडिया, पोस्ट झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा।

2. श्रीमति कौशल्या बाई पत्नी श्री कन्हैयालाल निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

सरकार द्वारा यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जयपुर के माध्यम से रुपये 2.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार द्वारा उक्त दोनों मृतकों के वारिसो को दो-दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

वित्तीय वर्ष 2005-06 में परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबन्दी के जिलेवार लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है

S No.	District	MLA	Streilisation Upto January, 06 (2005-06)		
			Male	Female	Total
1	AJMER	16197	143	6937	7080
2	NAGAUR	20683	439	10399	10838
3	TONK	8977	363	5177	5540
4	BHILWARA	14921	80	6680	6760
5	JAIPUR	39471	150	21586	21736
6	DAUSA	9773	167	5665	5832
7	SIKAR	17032	425	10043	10468
8	JHUNJHUNU	14230	1419	10050	11469
9	ALWAR	22319	243	12799	13042

S No.	District	MLA	Streilisation Upto January, 06 (2005-06)		
			Male	Female	Total
10	BHARATPUR	15615	57	8675	8732
11	DHOLPUR	7286	7	3369	3376
12	CHURU	12407	601	6408	7009
13	BIKANER	14271	282	6193	6475
14	GANGA NAGAR	17503	325	7745	8070
15	HANUMANGARH	14704	756	6732	7488
16	JALORE	10756	8	6449	6457
17	BARMER	14603	22	6756	6778
18	JAISALMER	3760	41	1917	1958
19	PALI	13502	44	9286	9330
20	SIROHI	6305	315	2454	2769
21	JODHPUR	21415	57	9288	9345
22	BUNDI	8492	51	3545	3596
23	JHALAWAR	11837	31	4974	5005
24	KOTA	11652	87	5657	5744
25	BARAN	7582	21	5399	5420
26	S. MADHOPUR	8278	50	5069	5119
27	KARAULI	8945	50	5943	5993
28	CHITTORGARH	13378	97	9124	9221
29	UDAIPUR	19622	32	6787	6819
30	RAJSAMAND	7305	40	2331	2371
31	DUNGARPUR	8201	16	3511	3527
32	BANSWARA	11124	23	6472	6495
	RAJASHAN	**432146**	**6442**	**223420**	**229862**

MLA– Minimum level of achievement
Note-As per Weekly report

बांदीकुई में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

768. **श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/एड पोस्ट डिस्पेंसरी खोलने के मानदण्ड क्या हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/एड पोस्ट/डिस्पेंसरी खोली गई?

(3) क्या सरकार ग्राम बैजूपाड़ा, हिंगोदा एवं गुढलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करवाये जाने के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार के द्वारा निर्धारित निम्नांकित मानदण्डों के अनुरूप खोले जाने का प्रावधान है।

संस्थान	**माददण्ड (प्रति केन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर)**	
	सामान्य	**जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र**
उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000

पूर्व में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र (एडपोस्ट) में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान है जिसके मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में चिकित्सा संस्थान नहीं खोले गये हैं।

(3) आगामी वित्तीय वर्षो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

खैरवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

769. **श्री नानालाल अहारी** (खैरवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नानालाल अहारी)

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं इनमें से कितने पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के 24 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 16 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती अवधि
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेरवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	10/04
2. पी.टी.एस. खेरवाडा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	08/05
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिषभदेव	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य, मेडिसन, गायनिक)	3	11/04 12/03 07/04
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	06/02
	चिकित्सा अधिकारी	2	8/05

(2) जी हां। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण पर से प्रतिबंध हटने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

विशिष्ट आपातकालीन प्रसूती चिकित्सा इकाइयों में सुविधाएं

770. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी विशिष्ट आपातकालीन प्रसूती चिकित्सा इकाइयां हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) उपरोक्त प्रसूती इकाइयों में क्या-क्या सुविधाएं/उपकरण उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त प्रसूती इकाइयों में कितने स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा एनेसथेसिस्ट नियुक्त किये हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में कितने प्रसूती गृहों में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सौर ऊर्जा से संचालित हीटर उपलब्ध कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 92 विशिष्ट आपातकालीन प्रसूती चिकित्सा इकाई हैं सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विशिष्ट आपातकालीन प्रसूती चिकित्सा इकाइयों में निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध कराई जानी है।

1. गर्भवती महिला को नस या मासपेसी द्वारा ऐन्टीबायोटिक्स दिया जाना है।

2. गर्भवती महिला को नस या मासपेसी द्वारा मिर्गीरोधक दिया जाना है।

3. गर्भवती महिला को नस या मासपेसी द्वारा बच्चेदानी में सकुचन पैदा करने वाली दवायें दी जावेंगी। ताकि प्रसव पश्चात अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके।

4. सुरक्षित प्रसव के समय आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5. हाथ डालकर आवल नाल को निकालना आदि सेवा दी जानी है।

6. पेट की शल्य क्रिया करके बच्चे को बाहर निकालना।

7. खून चढ़ाना

उपरोक्त इकाइयों पर निम्नलिखित किट उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

1- किट ई-स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-I

2- किट एफ-स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-II

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3- किट जी-आई यू डी इर्न्सशन किट

4- किट एच-सी एच सी स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-III

5- किट आई-नोर्मल डिलेवरी किट

6- किट जे-स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-IV

7- किट के-स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-V

8- किट एल-स्टैण्डर्ड सर्जिकल सेट-VI

9- किट एम-इक्यूपमेंट फोर अनेस्थ्या

10- किन एन-इक्यूमेंट फोर एनईओ-नेटल रिस्यूकेशन।

11- किट ओ-इक्यूपमेंट फोर लेबोट्री टेस्ट एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूसन।

12. किट पी-मेट्रीयल किट फार ब्लड ट्रान्सफ्यूसन।

(3) **विशिष्ट** आपातकालीन प्रस्तुति चिकित्सा इकाइयों में नियुक्त स्त्री रोग एवं चिश्चेतन विशेषज्ञों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(4) 200 उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें युरोपियन कमीशन परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तूति गृहों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन पर वित्तीय वर्ष 2005-06 में सोर ऊर्जा से संचालित सोलर लाइटिंग सिस्टम स्थापित किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र पूरा करा दिया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में रिक्त पद

771. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगर के जिला चिकित्सालय में लम्बे समय से चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस बीमारी के विशेषज्ञों के पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य चिकित्सालय प्रतापगढ़ में विशेषज्ञों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदनाम	**रिक्त पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की अवधि**
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	3/06
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नाक, कान, गला)	1	7/04
कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथलोजी)	1	5/01
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजिस्ट)	1	10/2000
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	12/05

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

मेल नर्स द्वितीय के पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थाई नियुक्ति

772. **श्री गोपाल लाल धोबी** (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में मेलनर्स द्वितीय के पद पर संविदा पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संविदा पर नियुक्त उक्त कर्मचारियों को सरकार स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार मेलनर्स द्वितीय के रिक्त पदों पर नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा भर्ती प्रकिया क्या होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार वर्षों से संविदा पर मेलनर्स द्वितीय के पद पर कार्य करने वालों को नई भर्ती में प्राथमिकता तथा वरीयता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर कुल 1669 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) जी हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

खारची (पाली) के चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

773. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) के किस चिकित्सालय में कितने पद कब-कब से किस-किस संवर्ग में रिक्त हैं? सूची चिकित्सालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से चिकित्सालय में किस-किस संवर्ग के कर्मचारी को कहां-कहां पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में रिक्त चल रहे विभिन्न पदों को भरने का विचार रखती है और प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों का अवधि सहित चिकित्सा संस्थावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची (पाली) से डा. राजेश मालवीय, चिकित्सा अधिकारी, को सामान्य चिकित्सालय, सिरोही में कार्य सम्पादन हेतु लगाया हुआ है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, बीएचएस, मलेरिया निरीक्षक एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं शहरी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानान्तरण पर से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक कोष एवं लेखा तथा संगणक का रिक्त पद निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जाना संभव हो सकेगा। अन्य रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिनको भरने की कार्यवाही विचाराधीन है। जिला चिकित्सालय सिरोही में चिकित्सकों की कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारची से एक चिकित्सा अधिकारी को कार्य सम्पादन हेतु लगाया हुआ है। जिला चिकित्सालय सिरोही में चिकित्सकों के पद भरने के उपरान्त उक्त चिकित्सा अधिकारी को मूल पदस्थापन स्थान पर लगा दिया जावेगा।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों का अवधि सहित चिकित्सा संस्थावार विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	संस्था का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	8/02
		चिकित्सा अधिकारी	1	5/05
		बीएचएस (पु.)	1	11/99
		मलेरिया निरीक्षक	1	11/99
		संगणक	1	8/05
		कनिष्ठ लेखाकार	1	10/01
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांता	सफाई कर्मचारी	2	3/99
		बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	12/05

क्र. सं.	संस्था का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारण	चिकित्सा अधिकारी	1	3/05
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	11/05
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आउवा	लेब टैक्नीशियन	1	3/02
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामली	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	11/05
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोजावर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	10/04
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राणावास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	6/05
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरयारी	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	2/05
		लेब टैक्नीशियन	1	2/05
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	2/05
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	2/05
		सफाई कर्मचारी	1	2/05
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनला	चिकित्सा अधिकारी	1	8/05
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	6/05
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोल	सफाई कर्मचारी	1	4/2000

क्र. सं.	संस्था का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
11	उपकेन्द्र, निप्पल	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1/06
12	उपकेन्द्र, मेवीकलां	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/05
13	उपकेन्द्र, लापी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/05
14	उपकेन्द्र, मगरतलाब	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	10/04
15	उपकेन्द्र, कोट सोंलकियान	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/05
16	उपकेन्द्र, सिनला	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	6/05
17	उपकेन्द्र, चेलावास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/05
18	उपकेन्द्र, बासनी जोजावर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/05
19	उपकेन्द्र, बोरीमादा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/5
20	उपकेन्द्र, उपरली निम्बली	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1/05

बीकानेर एवं नोखा की अपूर्ण सड़कें

774. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नोखा से जसरासर जाने वाली सड़क विगत डेढ़ वर्षों से निर्माणाधीन है? यदि हां, तो यह सब कब तक पूर्ण हो जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर में पण्डित धर्मकांटा, जैसलमेर रोड से मुक्ता प्रसाद कालोनी को जाने वाली सड़क जो लगभग 2 किलोमीटर लम्बी है, पिछले छह माह से अधूरी पड़ी है? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण हो जायेगी?

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

(3) बीकानेर में कोटगेट जिन्ना रोड से गजनेर रोड़ रेलवे फाटक तक की सड़क जो पिछले काफी समय से निर्माणाधीन है को सरकार कब तक पूर्ण हो कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नोखा से जसरासर जाने वाली सड़क दिनांक 8.1.2003 को बोर्डर रोड आर्गनाईजेशन ग्रेफ चेतक परियोजना को हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान में ग्रेफ द्वारा इस सड़क का संधारण किया जा रहा है।

(2) जी हां। बीकानेर में पण्डित धर्म कांटा जैसलमेर रोड़ से मुक्ता प्रसाद कालोनी को जाने वाली सड़क का निर्माण नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा किया जा रहा है, नगर सुधार न्यास बीकानेर से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त कार्य अतिक्रमण के कारण रोक दिया था, जो आगामी दो माह में पूर्ण होना सम्भावित है।

(3) बीकानेर में कोट गेट जिन्ना रोड़ से गजनेर रोड़ रेलवे फाटक तक सड़क पर आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सीवरेज लाइन डालने का कार्य किया गया है, आर.यू.आई.डी.पी. से प्राप्त सूचना अनुसार सीवर लाइन डालने से जो सड़क का भाग क्षतिग्रस्त हुआ है उसका पुर्ननिर्माण आगामी तीन माह में आर.यू.आई.डी.पी./नगर विकास न्यास द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

पलाना कलां-भानसोल (मावली) की सड़कों का डामरीकरण

775. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार साकरोदा तहसील मावली, उदयपुर से मोगाना तहसील नाथद्वारा, जिला रामसमन्द की सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि पलाना कलां से भानसोल, तहसील मावली तक गिट्टी रोड़ बनी हुई है? यदि हां, तो इसका डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। साकरोदा से मोगाणा 4 कि.मी. लम्बाई तक मेटल सड़क बनी हुई है। उक्त सड़क पर मेटल से डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। पलाना कलां से भानसोल तक कुल दूरी 8 कि.मी. है। यह सड़क 7 कि.मी. तक मेटल सड़क है। उक्त सड़क पर 7 कि.मी. मेटल से डामरीकरण का कार्य आर.आई.डी.एफ.–XII तृतीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित है। शेष भाग 1 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

पीपल्दा (कोटा) की क्षतिग्रस्त सड़कें

776. **श्री प्रभुलाल वर्मा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोट) के ग्राम अयाना, इटावा कस्बे के अन्दर मुख्य सड़क में एक-एक फीट तक गहरे गड्डे हैं एवं उनमें कीचड़ भरा हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि कस्बे की मुख्य सड़क भी कीचड़ और पानी से भरी हुई है?

(3) क्या सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु इस कस्बे की सड़क को सीमेन्ट कंक्रीट बनवाकर प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। कस्बे में सड़क क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। वाटर वर्क्स की पाइप लाइन लीकेज के कारण पानी भर जाता है।

(3) जी हां। आयाना कस्बे में 300 मीटर लम्बाई में सीमेन्ट सड़क हेतु एस.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत रुपये 24.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। कार्य आदेश दिनांक 4.3.2006 को दिया जा चुका है। कार्य वर्ष 2006-07 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

चित्तौड़गढ़ जिले के धार्मिक स्थलों हेतु डामरीकृत सड़कें

777. **श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बद्रीलाल जाट)

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक जिले की एक सड़क को आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ में किस सड़क को आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को डामर से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कपासन उपखण्ड में सिंहपुर से झातला माता तक डामर की सड़क कब तक बना दी जायेगी?

(4) क्या सरकार ग्राम कानोड़ (उदयपुर) के निकट स्थित अचलाना जी धार्मिक स्थल को सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ में राज्य राज मार्गों पर नगरपालिका क्षेत्र में 4 कार्य स्वीकृत हैं जो प्रगति पर हैं तथा मेटल सड़क का डामरीकरण योजना में कुल 29 कार्य स्वीकृत हैं। कार्यों की सूची (परिशिष्ट ''अ'') पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार का प्रत्येक जिले में एक सड़क को आदर्श सड़क के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। चित्तौड़गढ़ जिले में धरियावाद-प्रतापगढ़-मन्दसोर सड़क (मुख्य जिला सड़क-12) कि.मी. 17/0 से 62/0 (45 कि.मी) को आदर्श सड़क विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। कपासन उपखण्ड में सिंहपुर से झातलामाता तक की लम्बाई 2 कि.मी. है, जो वर्तमान में कच्चा रास्ता है। इसका डामरीकरण राज्य के उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(4) जी हां। अचलानाजी धार्मिक स्थल को सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके हैं, स्वीकृति अपेक्षित है।

परिशिष्ट ''क''

मुख्य मंत्री सड़क योजना

जिला-चित्तौड़गढ़

1. आबादी क्षेत्रों में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क निर्माण

(i) निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जालौद सड़क (निम्बाहेडा

नगरपालिका) के कि.मी. 33/800 से 34/100 (पुरानी एस.एच.-4 का हिस्सा) में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क निर्माण।

(ii) कन्ट्रडा बरोदिया श्री छत्तरपुर सड़क (रावत भाटा नगरपालिका) एस.एच. 9-ए के कि.मी. 67/0 से 67/600 में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण।

(iii) मंगलवाड़ बड़ी सादड़ी नीमच सड़क (बड़ी सादड़ी नगरपालिका) एस.एच.-15 के कि.मी. 78/500 से 79/0 तक में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण।

(iv) अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ इन्दौर सड़क के चित्तौड़गढ़ बाइपास नगरपालिका क्षेत्र में (एस.एच.-79 का पुराना हिस्सा) 600 मीटर लम्बाई में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क निर्माण।

2. मेटल सड़कों पर डामरीकरण का कार्य

(i) डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. चरण प्रथम

1. सम्पर्क सड़क सीरडी
2. तलाउ से आलोद नोगांवा से चिकरड़ा

(ii) डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. चरण द्वितीय

1. निम्बाहेड़ा लांगच रोड़
2. कांकरवा फलासिया बाड़ी
3. सम्पर्क सड़क तुरकिया कलां
4. सम्पर्क सड़क तास्वारिया
5. सम्पर्क सड़क तरनाओ का खेड़ा
6. सम्पर्क सड़क हाफा खेड़ी
7. महेसरा छोटा खेड़ा रोड
8. सम्पर्क सड़क लोहारिया
9. सम्पर्क सड़क राजपुरस
10. आरनी सांखली वाया सोमी
11. हिण्डौली भीमगढ़ रोड़
12. सम्पर्क सड़क जालमपुरा
13. सम्पर्क सड़क रास्यामगरी
14. नगरी चौराहा अभयपुरा वाया मायरा घाटा
15. सम्पर्क सड़क भैरूसिंह का खेड़ा

16. सम्पर्क सड़क मदुरा तालाब सरी पीपली
17. सम्पर्क सड़क खेरमालिया
18. सम्पर्क सड़क भाटोली
19. सम्पर्क सड़क देवली
20. भवालिया लसड़ावन
21. कोटड़ी कलां चरलिया
22. सम्पर्क सड़क कोचढ़ा
23. गोतमेश्वर सलामगढ़
24. सम्पर्क सड़क उठेंल
25. सम्पर्क सड़क लुहारिया
26. सम्पर्क सड़क मोटाधामनिया
27. सम्पर्क सड़क मोतीखेड़ा

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में ''पूरा'' योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

778. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में ''पूरा'' योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में सड़क निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया व इन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के शेष रहे ग्रामों में सरकार उक्त योजनान्तर्गत कब तक सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत एक वर्ष में जिन 7 सड़कों का निर्माण करवाया गया है, सड़कवार व्यय की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में ''पूरा'' योजनान्तर्गत स्वीकृत शेष रहे 4 ग्रामों में उक्त सड़क एवं पुल निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत विचाराधीन है।

परिशिष्ट ''अ''

शाहपुरा में गत एक वर्ष में ''पूरा'' योजना में जुड़े गांव एवं व्यय की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	सम्पर्क सड़क कलजरी	2.16	27.86
2	सम्पर्क सड़क बालापुरा	1.58	16.67
3	सम्पर्क सड़क देवखेड़ा	1.34	14.19
4	सम्पर्क सड़क जुआरो का खेड़ा	1.83	18.67
5	सम्पर्क सड़क नया खेड़ा	0.85	9.62
6	सम्पर्क सड़क आरनी (पुरानी)	1.77	14.04
7	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा	1.87	21.81
	योग :-	**11.40**	**122.86**

दूदू-झाग रोड (जयपुर) सड़क निर्माण हेतु जारी मस्टररोल

779. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप-खण्ड दूदू, जिला-जयपुर द्वारा दूदू से झाग रोड़ पर जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1981 तक कई मस्टररोल्स जारी कर कार्य कराये गये थे?

(2) उक्त अवधि में किस-किस नम्बर की कितनी मस्टररोल्स जारी की गई व किस-किस श्रमिक को कितने-कितने दिनों के लिए दैनिक मजदूरी पर रखा गया? सम्बन्धित मस्टररोल्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक मस्टररोल्स के अनुसार किस-किस श्रमिक को कितना-कितना भुगतान किया गया? भुगतान पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माणा विभाग, जिला

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उपखण्ड-दूदू जिला जयपुर (तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड पश्चिम जयपुर) द्वारा जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1981 तक दूदू से झाग रोड पर मस्ट्रोल्स जारी कर कार्य कराये गये थे।

(2) उक्त अवधि में जारी किये गये मस्ट्रोल्स के नम्बर, श्रमिकों के नाम व श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य दिवसों की सूचना विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है। सम्बन्धित मस्ट्रोल्स की प्रतिलिपियां संलग्न है।

(3) प्रत्येक मस्ट्रोल के अनुसार किस-किस श्रमिक को कितना-कितना भुगतान किया गया है, संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम संख्या-7 में उपलब्ध है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगरार के गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कें

780. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कई सड़कें गांवों के मध्य से गुजरती हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें किस-किस गांव से होकर गुजरती हैं? वर्तमान में गांव में निर्मित इन सड़कों के क्या हालात हैं? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गांवों के मध्य से गुजरने वाली समस्त सड़कों की मरम्मत व डामरीकरण के बजाय सीमेन्ट सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस गांव में व कितनी-कितनी लम्बाई की व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 18 सड़कें हैं जो 37 गांवों के मध्य से गुजरती हैं जिसकी सूची परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है। वर्तमान में पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने से गांवों में सड़कों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

(2) गांवों के मध्य गुजरने वाली सड़कों पर सीमेन्ट कंक्रीट/स्टोन खरंजा सड़क बनाने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	सड़क का नाम एवं वर्गीकरण	गांवों के नाम जिससे से सड़क गुजरती है
1	कनेरा विजयपुर बस्सी आम्बा रोड़ एम.डी. आर.-20	साडास, जवालिया का खेड़ा, फलोदी, तुम्बडिया
2	राशमी गंगरार किमी 0/0 से 34/0 ओ.डी. आर.-7	भीमगढ़, रूद सुदरी, गंगरार
3	कपासन राशमी किमी 15/0 से 25/0 ओ.डी.आर.-2	डिन्डोली, राशमी
4	राशमी कारोई रोड़ किमी 0/0 से 22/0 ओ.डी.आर-6	राशमी, उपरेड़ा, सांखली, पहुंना
5	ए/आर गंगरार रेलवे स्टेशन किमी 0/0 से 2/0 वी.आर.-8	गंगरार
6	राशमी नेवरिया किमी 0/0 से 26/0 वी.आर-15	मुरोली, ऊंचा, सिंहाना, नेवरिया
7	डिन्डोली आरनी गंगापुर किमी 0/0 से 15/0 वी.आर.-25	मात्रिकुण्डिया, आरनी, पहुंनी
8	रूद-चन्देरिया किमी 0/0 से 10/0 वी.आर-60	खारखंदा, कांटी, बोरदा
9	डिन्डोली भीमगढ़ किमी 0/0 से 9/0 वी.आर.-63	डिन्डोली, अडाना
10	सूरजपुरा-कुन्डिया, राशमी रोड़ किमी 6/0 से 14/0 वी.आर.-70	हरनाथपुरा
11	आरनी गोपालपुरा किमी 0/0 से 4/0 वी.आर.-86	गोपालपुरा
12	बोरदा-सांवता-गंगरार वी.आर.-251	बोरदा, सावंता
13	मुरोली लसाडिया किमी 0/0 से 3/0 वी.आर.-61	मुरोली
14	भीमगढ़ सिंगपुर रोड़ किमी 0/0 से 9/0 वी.आर.-68	भीमगढ़, बारू
15	सांखली रेवाड़ा वी.आर.-177	मन्यास, रेवाड़ा
16	गंगरार साडास किमी 0/0 से 15/0 वी.आर.-54	आम्बो का जवासिया, मण्डफिया, भानपी
17	ए/आर सुवानिया वी.आर-309	सुवानिया
18	ए/आर झालोटा की खेडी वी.आर.-261	भालोटा की खेड़ी

श्रीडूंगरगढ़ की मिसिंग लिंक सड़कें

781. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिन गांवों को जोड़ा गया है वे मात्र एक तरफ से ही जुड़ पाये हैं। उनके पास के गांव जो 2-4 कि.मी. की दूरी पर है, बिना जुड़े रह गये जिससे सड़क से जुड़े गांवों में सीधे आने-जाने के बजाय चक्कर काटकर आना-जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के तहत गांवों को एक तरफ से ही जोड़े जाने का प्रावधान है।

मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत ऐसी मिसिंग लिंक सड़कों को बनाने की योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

बाबा सीताराम वाया गढ़ी पट्टी (महुवा) सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि से प्रभावित कृषक

782. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील महुवा जिला दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से बाबा सीताराम वाया गढ़ी पट्टी सड़क बनाई जा रही है? यदि हां, तो उक्त सड़क की स्वीकृति कब व किस-किस खसरा नम्बर में होकर किस स्तर के अधिकारी द्वारा दी गई? उक्त सड़क निर्माण में ग्राम गढ़ी पट्टी के किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि आयेगी? मय नक्शा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम गढ़ी पट्टी के प्रभावित काश्तकारों द्वारा इस संबंध में तहसील स्तर पर महुवा, सहायक अभियन्ता, तहसीलदार, उप जिला कलक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में कार्यवाही की और ध्यान आकर्षित किया गया है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी को दिये गये प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही सहित प्रार्थना पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व में उक्त सड़क की चौड़ाई कितनी स्वीकृत हुई एवं किस-किस

(डा. समरजीत सिंह)

खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि सड़क निर्माण में लिया जाना प्रस्तावित था एवं वर्तमान में मौके पर किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि पर सड़क का कार्य करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सड़क निर्माण में मौके पर पूर्व में स्वीकृत नक्शे की बजाय अन्य मार्ग से सड़क निर्माण किया जा रहा है जिसकी शिकायत पर उप जिला कलक्टर दौसा, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग महुआ, तहसीलदार महुवा एवं पटवारी से मौका मुआयना रिपोर्ट भी मंगवायी गई थी? यदि हां, तो पटवारी द्वारा प्रेषित मौका मुआयना रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही सहित मौका मुआयना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) पूर्व में स्वीकृत नक्शे में परिवर्तन किस अधिकारी द्वारा किस स्तर पर किस आदेश के तहत किया गया? क्या सरकार सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(6) यदि राजस्व रेकार्ड में उक्त सड़क की चौड़ाई 30 फीट होने के बावजूद भी किसी भी काश्तकार की जमीन सड़क निर्माण में नहीं आती है तो फिर 22 फीट में ही प्रभावित कृषकों की खातेदारी भूमि आने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण पूर्व में तयशुदा मार्ग के अनुसार ही करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पीड़ित काश्तकारों द्वारा जिला कलक्टर दौसा को भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है? यदि हां, तो उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही के विवरण सहित प्रार्थना पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एन.एच. 11 से गढ़ी पट्टी तक पूर्व में निर्मित सड़क का मरम्मत एवं सुधार का कार्य करवाया जा रहा है। सड़क मरम्मत हेतु स्वीकृति आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 2(1)(7)स.आ/लेखा/बजट/05/27203-73 दिनांक 22-11-2005 द्वारा निकाली गयी। पूर्व में निर्मित सड़क में ग्राम गढ़ी पट्टी के निम्न खसरों से निम्नानुसार भूमि आयी है। खसरा प्लान मय जमाबन्दी नकल सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
15	196	खातेदारी
16	308	खातेदारी
19	280	मन्दिर माफी
20	120	सिवाय चक
21	518	सिवाय चक
22	240	खातेदारी
26	64	खातेदारी
27	384	खातेदारी
28	42	खातेदारी
66	470	मन्दिर माफी
66	174	मन्दिर माफी
69	126	मन्दिर माफी
70	132	मन्दिर माफी
71	46	मन्दिर माफी
95	22	सिवाय चक

(2) जी हां। गढ़ी पट्टी से प्रभावित काश्तकारों में से मात्र एक व्यक्ति द्वारा अनियमितता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र उप जिला कलक्टर महुवा को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर उप जिला कलक्टर महुवा को पूर्व में निर्मित सड़क का मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है, के सम्बन्ध में अवगत करवा दिया गया था। प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पत्र के परिशिष्ट ब, स, द पर संलग्न है।

(3) उक्त सड़क पूर्व में ही 7.00 मीटर चौड़ाई में बनी हुई है। मद संख्या-1 पर विवरण के अनुसार तत्समय भूमि सड़क में काम में ली गई थी। वर्तमान में कोई अतिरिक्त भूमि काम में नहीं ली गई है।

(4) जी नहीं। अन्य मार्ग से सड़क निर्माण नहीं कराया जा रहा है, इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता के आधार पर उप जिला कलक्टर महुवा द्वारा मौका रिपोर्ट मांगी गयी थी। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड महुवा के पत्रांक 846 दिनांक 17.3.2006 द्वारा पूर्व में निर्मित सड़क का मरम्मत व सुधार कार्य करवाया जा रहा है, के सम्बन्ध में अवगत करवा दिया। मौका रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(6) अ-राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त ग्राम को कोई गै. मु. रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जो रास्ता पूर्व में निर्मित किया गया था, सभी काश्तकारों की सहमति के आधार पर 22 फुट चौड़ाई में बनाया गया था।

ब-जी हां।

(7) जिला कलक्टर दौसा को इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होनो नहीं पाया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आमेर किला (जयपुर) के विकास हेतु कार्य-योजना

783. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा आमेर विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आमेर किले का विकास कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस-किस कार्य पर कितना व्यय होगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आमेर विकास एवं प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन पंजीकृत पंजीकृत संस्थान के रूप में नवम्बर, 2005 में किया गया है। (पंजीकरण प्रमाण पत्र परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है)

(2) जी हां। आमेर विकास एवं प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा आमेर किले के संरक्षण कार्य के लिए राशि रुपये 445.00 लाख की निविदायें जारी करी है। (विवरण प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है)। इसके अतिरिक्त आमेर किले में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम का संचालन प्रस्तावित है जो कि शीघ्र आरम्भ करना प्रस्तावित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिना विद्युत उपयोग मीटरिंग के विरूद्ध कार्यवाही

784. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार को बिना बिजली उपयोग किये भी मीटर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चलने की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विभाग में बिना बिजली उपभोग के मीटर चलने की शिकायत प्राप्त होती रहती हैं। उक्त उपभोक्ताओं के मीटरों की जांच की जाती है एवं यदि मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है तो न केवल उसे बदला जाता है अपितु वर्ष 2004 से लागू विद्युत आपूर्ति की शर्तो की धारा 28 की उपधारा 4 व 5 के अनुसार अधिक आंके गये विद्युत उपभोग का समायोजन भी किया जाता है।

उक्त धारा 28 के तहत प्रदत्त प्रावधान का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट– अ

(28) दोषपूर्ण मीटर (Defective Meter)

(1) यदि उपभोक्ता या निगम किसी मीटर के समुचित रूप से काम करने के और मीटर की यर्थाथता का निगम द्वारा स्थल पर या इसकी प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसा चाहे तो परीक्षण की विद्युत निरीक्षण में या जैसा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, व्यवस्था करवाई जाएगी।

(2) जहां मीटर को परीक्षण के लिए हटाया जाना है, तो स्थल पर संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाया जाएगा मीटर को मजबूत कपड़े से लपेटकर सील की जाने वाली सामग्री से उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किया जाएगा।

(3) जहां ट्रांइवेक्टर मीटर या होल करण्ट मीटर रीडिंग प्रदर्शित करना बन्द कर दे तो परीक्षण में मीटर का पठन भी सम्मिलित होगा। मीटर की रीडिंग का पता लगाने तथा भार सर्वे प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु परीक्षण निर्माता के कार्यों पर किया जाएगा।

(4) मीटर के अयथार्थ पाए जाने की दशा में उपभोक्ता से वसूल की गयी अधिक राशि को अनुवर्ती दो विपत्रों में समायोजित किया जा सकता है यदि कोई अतिरिक्त राशि उपभोक्ता से वसूल की जानी है तो वह अनुवर्ती दो विपत्रों में वसूल की जाएगी।

(5) उप-वाक्यांश (4) के अन्तर्गत अधिक या कम राशि, मीटर के पिछले परीक्षण की तिथि से परीक्षण हेतु हटाये गए मीटर के प्रतिस्थापन की तिथि तक परन्तु किसी भी दशा में छः माह से अधिक नहीं की अवधि के लिए समायोजित या वसूल, जैसी भी स्थिति है की जा सकती है।

(6) इस उपाबन्ध के अन्तर्गत विवाद उत्पन्न होने की दशा में विद्युत निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा या जैसा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

(29) मीटर आदि के परीक्षण शुल्क (Testing fee for meter etc)

अपने मीटरिंग उपकरण, कैपेसीटर, या ट्रांसफार्मर तैल का परीक्षण चाहने वाला उपभोक्ता, भाग-द्वितीय मद-5 पर विहित शुल्क के साथ, निगम को अनुरोध कर सकता है।

(30) मीटर का प्रतिस्थापन (Replacement of meter)

किसी मीटर के बन्द हो जाने/त्रुटिपूर्ण हो जाने/ जल जाने पर।

लूणी के अविद्युतीकृत विद्यालय/चिकित्सालय

785. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित सभी राजकीय विद्यालयों को विद्युतीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित सभी राजकीय विद्यालयों/अस्पतालों/उप केन्द्रों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लूणी में स्थित राजकीय विद्यालयों/अस्पतालों/उपकेन्द्रों को विद्युतीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर तुरन्त कनेक्शन देने का प्रावधान है।

नेछवा ग्राम (सीकर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय

786. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसरदेव बाबर)

(1) क्या यह सही है तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ से ग्राम नेछवा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है? क्या यह भी सही है कि ग्राम नेछवा की जनता को विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार सीकर मुख्यालय होते हुए लक्ष्मणगढ़ स्थित सहायक अभियंता कार्यालय जाना पड़ता है?

(2) क्या सरकार ग्राम नेछवा, जिला सीकर में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ से ग्राम नेछवा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है एवं वह सड़क/मार्ग सीकर मुख्यालय होकर ही गुजरता है।

(2) ग्राम नेछवा जिला सीकर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल की अनुशंसानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

दिवेर (मेवाड़ सर्किट) के पर्यटन विकास हेतु कार्य-योजना

787. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पिछले बजट में दिवेर को मेवाड़ सर्किट से जोड़ा गया तथा इसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

अजमेर की होटल खादिम के विक्रय काउण्टर हेतु निविदाएं

788. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2004 को होटल खादिम अजमेर में आईसक्रीम, टाफी व चाकलेट के काउन्टर के बिक्री स्थलों की निविदा सुचना राजस्थान के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी? यदि हां, तो इस हेतु कितनी निविदाएं प्राप्त हुई?

(2) इस काउन्टर को प्राप्त करने के लिये उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म कौनसी थी?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(3) उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म से किस दिनांक को व कितनी अवधि (कब से कब तक) हेतु अनुबन्ध किया गया?

(4) अनुबन्ध होने के पश्चात क्या इस फर्म को कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये? यदि हां, तो किस तिथि को?

(5) क्या फर्म द्वारा उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस हेतु एक निविदा प्राप्त हुई।

(2) इस काउन्टर हेतु एक ही फर्म मैसर्स मामराज सिंह, मीठे कुए की गली, पुलिस लाईन, लोहाखाना, अजमेर से निविदा प्राप्त हुई थी।

(3) उक्त फर्म को अवधि दिनांक 01.03.2004 से दिनांक 31.3.2004 तक के लिए आबंटन पत्र दिनांक 23.02.2004 को जारी किया गया। इस हेतु अनुबन्ध नहीं किया गया था।

(4) जी हां। दिनांक 23.02.2004, 07.04.2004, 13.10.2004, 09.12.2004 व 03.01.2005 को आबंटन पत्र जारी किया गया था।

(5) जी नहीं। पार्टी द्वारा न्यायालय में आरटीडीसी के विरूद्ध वाद दायर किये जाने व प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पार्टी द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, जा सका है।

द्वाकरा परियोजना की अधिशेष ग्राम सेविकाओं का समायोजन

789. **श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीणा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में द्वाकरा परियोजना समाप्त होने से ग्राम सेविका (द्वाकरा) को महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद पर लगाया गया? यदि हां, तो कितनी ग्राम सेविका (द्वाकरा) को इस पद पर लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इनको समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस पद पर? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग में समायोजित किये जाने पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार होगा?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.4.99 से द्वाकरा योजना को

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

समाप्त किए जाने के फलस्वरूप इस योजना में कार्यरत सभी 193 ग्राम सेविकाओं को वर्ष 2000 में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों के प्रति स्वयं के वेतनमान में कार्य करने हेतु लगाया गया। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्राम सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर समायोजन की कार्यवाही विचाराधीन थी। किन्तु ग्राम सेविका के पद की वेतन श्रृंखला महिला पर्यवेक्षक की वेतन श्रृंखला से कम होने के कारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण समायोजन की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। अब राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में ग्राम सेविका से महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के प्रावधान सम्बन्धी नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन चल रही है। नियमों में संशोधन के उपरांत इनकी महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति सम्भव हो सकेगी।

(3) राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के उपरांत इन नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के पश्चात वरिष्ठता के नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठता का निर्धारण हो सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

चौरासी में जनजाति उपयोजना हेतु आबंटित राशि

790. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में किन-किन पंचायत समितियों को गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनजाति मद से कितनी राशि विधान सभा क्षेत्र चौरासी हेतु उक्त अवधी में आबंटित की गई? योजनावार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में उपयोजना क्षेत्र की पंचायत समितियों को आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनजाति मद से विधान सभा क्षेत्र चौरासी हेतु गत दो वर्षों में कुल राशि रुपये 612.84 लाख आबंटित की गई है।

योजनावार राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विगत दो वर्षों में उपयोजना क्षेत्र में पंचायत समितिवार राशि का आबंटन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1	कोटड़ा	140.41	167.54
2	झाडोल	77.96	76.15
3	खेरवाड़ा	435.74	46.97
4	सलूम्बर	54.67	57.28
5	गिर्वा	63.81	43.15
6	सराड़ा	46.13	40.84
7	धरियावद	49.31	47.29
1	सागवाड़ा	50.13	55.37
2	सीमलवाड़ा	69.99	36.10
3	आसपुर	14.01	24.30
4	डूंगरपुर	26.45	20.45
5	बिछीवाड़ा	48.05	48.84
1	घाटोल	17.35	37.25
2	पीपलखूंट	11.65	21.50
3	कुशलगढ़	11.80	13.50
4	सज्जनगढ़	15.90	7.00
5	तलवाड़ा	32.30	18.95
6	गढ़ी	93.46	70.50
7	आनन्दपुरी	26.21	35.00
8	बागीदौरा	20.89	44.95
1	आबूरोड़	232.61	128.79
1	प्रतापगढ़	234.58	325.06
2	अरनोद	114.63	181.69
	योग	1888.04	1548.47

परिशिष्ट-ब

चौरासी विधान सभा (योजनावार विवरण)					
प्रश्न संख्या 2–का जवाब					
क्र. सं.	कार्य योजना का नाम	पं.सं.	2003-04	2004-05	योग
1	2	3	4	5	6
1	एनीकट निर्माण	डूंगरपुर		6.98	6.98
		बिछीवाडा	15.34	26.60	41.94
		सीमलवाड़ा	25.82	23.20	49.02
		योग :	41.16	49.80	90.96
2	सड़क निर्माण	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाड़ा	37.30	5.00	42.30
		सीमलवाड़ा	2.50	82.75	85.25
		योग :	39.80	87.75	127.55
3	स्कूल कमरे	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाडा	10.80	5.00	15.80
		सीमलवाड़ा	2.50		2.50
		योग :	13.30	5.00	18.30
4	सामुदायिक भवन	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाड़ा	2.50		2.50
		सीमलवाड़ा			0.00
		योग :	2.50	0.00	2.50
5	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	डूंगरपुर	3.75	7.51	11.26
		बिछीवाडा	3.75	11.27	15.02
		सीमलवाड़ा			0.00
		योग :	3.75	18.78	26.28

1	2	3	4	5	6
6	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	डूंगरपुर		1.50	1.50
		बिछीवाड़ा		3.00	3.00
		सीमलवाड़ा		3.00	3.00
		योग :	0.00	7.50	7.50
7	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाडा			0.00
		सीमलवाड़ा	70.00		70.00
		योग :	70.00	0.00	70.00
8	आ.छा. में ट्यूबवेल	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाड़ा	6.00		6.00
		सीमलवाड़ा	2.00		2.00
		योग :	8.00	0.00	8.00
9	हैण्डपम्प स्थापना	डूंगरपुर		2.00	2.00
		बिछीवाडा	2.00	3.00	5.00
		सीमलवाड़ा	2.00	2.40	4.40
		योग :	4.00	7.40	11.40
10	आ. छा. में अतिरिक्त आवासीय रूम निर्माण	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाड़ा	45.60		45.60
		सीमलवाड़ा	10.00		10.00
		योग :	55.60	0.00	55.60

1	2	3	4	5	6
11	बस्ती विद्युतीकरण	डूंगरपुर	14.00		14.00
		बिछीवाड़ा			0.00
		सीमलवाड़ा			0.00
		योग :	14.00	0.00	14.00
12	आ. छा. में वार्डन क्वाटर	डूंगरपुर			0.00
		बिछीवाड़ा	12.50		12.50
		सीमलवाड़ा	2.50		2.50
		योग :	15.00	0.00	15.00
13	जलग्रहण विभाग कार्यक्रम	डूंगरपुर	7.50	3.75	11.25
		बिछीवाड़ा			0.00
		सीमलवाड़ा	22.50	11.25	33.75
		योग :	30.00	15.00	45.00
14	छात्राओं को मुक्त पुस्तक वितरण	सीमलवाड़ा	0.36	0.35	0.71
		बिछीवाड़ा	0.28	0.23	0.51
		डूंगरपुर	0.05	0.05	0.10
		योग :	0.69	0.63	1.32
15	आवासीय छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग	सीमलवाड़ा	1.61	1.60	3.21
		बिछीवाड़ा	0.23	0.23	0.46
		डूंगरपुर	0.20	0.60	0.80
		योग :	2.04	2.43	4.47

1	2	3	4	5	6
16	नवीन छात्रावासों में बर्तन एवं साजो सामान क्रय	सीमलवाड़ा			0.00
		बिछीवाड़ा			0.00
		डूंगरपुर	1.18		1.18
		योग :	1.18		1.18
17	छात्र गृह किराया योजना	सीमलवाड़ा	10.00	9.00	19.00
		बिछीवाड़ा	6.50	6.00	12.50
		डूंगरपुर	2.00	2.00	4.00
		योग :	18.50	17.00	35.50
18	प्राकृतिक आपदा एवं गंभीर बीमारी	सीमलवाड़ा	0.80	0.80	1.60
		बिछीवाड़ा	0.60	0.65	1.25
		डूंगरपुर	0.20	0.20	0.40
		योग :	1.60	1.65	3.25
19	प्रतिभावान छात्रवृत्ति	सीमलवाड़ा	1.00	1.00	2.00
		बिछीवाड़ा	0.50	0.55	1.05
		डूंगरपुर	0.20	0.25	0.45
		योग :	1.70	1.80	3.50
20	जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेने हेतु मानदेय	सीमलवाड़ा	0.00	0.00	0.00
		बिछीवाड़ा			0.00
		डूंगरपुर			0.00
		योग :	0.00	0.00	0.00
21	फसलों के लिए कार्यक्रम	सीमलवाड़ा	1.70	1.70	3.40

1	2	3	4	5	6
		बिछीवाड़ा	1.20	1.20	2.40
		डूंगरपुर	0.50	0.50	1.00
		योग :	3.40	3.40	6.80
22	फसलों के लिए सहायता	सीमलवाड़ा	0.90	0.95	1.85
		बिछीवाड़ा	0.70	0.75	1.45
		डूंगरपुर	0.50	0.55	1.05
		योग :	2.10	2.25	4.35
23	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	सीमलवाड़ा	3.75	3.80	7.55
		बिछीवाड़ा	3.00	3.00	6.00
		डूंगरपुर	1.50	1.45	2.95
		योग :	8.25	8.25	16.50
24	आवासीय विद्यालय सीमलवाड़ा का संचालन	सीमलवाड़ा	18.51	19.00	37.51
		बिछीवाड़ा			0.00
		डूंगरपुर			0.00
		योग :	18.51	19.00	37.51
		डूंगरपुर	31.58	27.34	58.92
		बिछीवाड़ा	148.80	66.48	215.28
		सीमलवाड़ा	178.14	160.50	338.64
		योग :	358.52	254.32	612.84

थानागाजी हेतु विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत आबंटित राशि

791. श्री कान्तिप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा माडा व बिखरी जनजाति हेतु वर्ष 2003-04 व 2004-05 में कितना बजट आबंटित किया गया जिसमें से विधान सभा क्षेत्र

(श्री कान्तिप्रसाद मीणा)

थानागाजी हेतु कितना बजट आबंटित किया गया एवं कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वर्ष 2003-04 व 2004-05 में राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा माडा एवं बिखरी जनजाति हेतु वर्ष 2003-04 व 2004-05 में आबंटित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

	क्षेत्र	**आबंटन**	
		2003-04	**2004-05**
1	माडा	1078.78	1651.68
2	बिखरी	269.54	1015.44
	योग	**1348.32**	**2667.12**

राशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है अपितु आबंटन जिलेवार किया जाता है। उक्त वर्षों में विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में आबंटन एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**वर्ष 2003-04**		**वर्ष 2004-05**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
1	माडा	13.62	11.53	10.20	10.20
2	बिखरी	0.46	0.46	1.31	1.31
	योग	**14.08**	**11.99**	**11.51**	**11.51**

(2) जी हां। यह सही है कि विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वर्ष 2003-04 व 2004-05 में राशि आबंटित की गई। राशि का आबंटन विधानसभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है, अपितु आबंटन जिलेवार किया जाता है। जिला परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला स्तर से विधानसभा क्षेत्र थानागाजी हेतु निम्नानुसार राशि आबंटित की गई है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

	क्षेत्र	आबंटित राशि	
		वर्ष 2003-04	2004-05
1	माडा	4.44	2.70
2	बिखरी	0.46	1.10
	योग	**4.90**	**3.80**

योजनावार विवरण (परिशिष्ट-अ) पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	मदवार	क्षेत्र	आवंटन	व्यय
1	2003-04	उच्च शिक्षा प्रो. छात्रवृत्ति	बिखरी	3500	3500
2	2003-04	प्रतिभावान छात्रवृत्ति	बिखरी	3500	3500
3	2003-04	छात्रावास में आवासित छात्राओं को छात्रवृत्ति	माडा	40000	40000
4	2003-04	छात्रावास में आवासित छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तक	माडा	3149	3149
5	2003-04	छात्रावास संचालन व्यय	माडा	361000	361000
6	2003-04	डीजल पम्पसेट अनुदान	माडा	40000	40000
7	2003-04	डीजल पम्पसेट अनुदान	बिखरी	30000	30000
8	2003-04	फव्वारा सिंचाई सेट अनुदान	बिखरी	9000	9000
	योग :			**490149**	**490149**
1	2004-05	डीजल पम्पसेट अनुदान	माडा	30000	30000
2	2004-05	फव्वारा सिंचाई सेट अनुदान	माडा	40000	40000
3	2004-05	एनीकट निर्माण	माडा	200000	200000
4	2004-05	डीजल पम्प सेट अनुदान	बिखरी	50000	50000
5	2004-05	फव्वारा सिंचाई सेट अनुदान	बिखरी	60000	60000
	योग			**380000**	**380000**

बांसवाड़ा जिले के जनजाति कृषकों को डीजल पम्प सैट क्रय हेतु आबंटित राशि

792. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जिलों में आबंटित की गई राशि का विवरण जिलेवार व योजनावार सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में गत दो वर्षों में स्वीकृत की गई राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में जनजाति के कृषकों को दिये जाने वाले डीजल पम्प सैट के लक्ष्यों को पंचायत समितिवार समय पर आबंटित नहीं किया जाता तथा मनमर्जी से मार्च के अन्त में स्वीकृतियां जारी की जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जिलों में आबंटित की गई राशि का जिलेवार व योजनावार ब्यौरा परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में गत दो वर्षों में स्वीकृत की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। डीजल पम्पसेट के लक्ष्यों का आबंटन पंचायत समितिवार यथा समय किया जाता है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गफ्फार खां मेमोरियल यूनानी चिकित्सालय, फतेहपुर हेतु आबंटित राशि

793. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, फतेहपुर के गफ्फार खां मेमोरियल ''ए'' श्रेणी यूनानी चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से किस-किस श्रेणी के कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री भंवरू खान)

(2) उक्त चिकित्सालय हेतु सालाना किस-किस मद में कितना-कितना बजट दिये जाने का प्रावधान है? क्या सरकार द्वारा हर साल निर्धारित बजट अस्पताल में आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में किस-किस मद में कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फतेहपुर जिला सीकर में संचालित विभागी ''अ'' श्रेणी यूनानी चिकित्सालय में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	संख्या
यूनानी चिकित्सक	3
नर्स/कम्पाउण्डर	4
कनिष्ठ लिपिक	1
परिचारक	2

इनमें से वर्तमान में मात्र यूनानी चिकित्सक का पद दिनांक 14.7.05 से रिक्त है। पदों को भरने की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) विभाग को उपलब्ध बजट प्रावधान में से चिकित्सालय को भी उसकी मांग के अनुरुप अनुपातिक रूप से बजट उपलब्ध कराया जाता है।

गत तीन वर्षो में उपलब्ध कराये गये बजट का मदवार विवरण परिशिष्ट-क में सदन में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-क

राजकीय 'अ' श्रेणी यूनानी चिकित्सालय, फतेहपुर (सीकर) को वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में उपलब्ध कराये गये बजट का विवरण

(राशि रुपयों में)

लेखामद	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
सवेतन	1258000	1360000	1350000
यात्रा व्यय	3000	4000	3000

लेखामद	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
चिकित्सा व्यय	5000	6000	5000
कार्यालय व्यय	8000	3000	7000
सामग्री व्यय	2000	2000	2000
विद्युत एवं जल	7000	7000	6000
मुद्रण सामग्री	500	500	500
लेखन सामग्री	1000	500	500
खाद्य सामग्री	6000	4000	6000
कपड़े बिस्तर	2000	-	-
मशीन साजसामान	1000	-	-
योग -	**1293500**	**1392000**	**1380000**

इसके अतिरिक्त विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां निम्नानुसार सप्लाई की गई है :-

वर्ष 2003-04 77494/- रुपये

वर्ष 2004-05 55663/- रुपये

वर्ष 2005-06 81259/- रुपये

पूर्व आबंटित कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन तिथि से दर निर्धारण

794. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या उप निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1976 में भूमिहीन किसानों को आबंटित कृषि भूमि की कीमत कमाण्ड/अनकमाण्ड के आधार पर निश्चित कर आबंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि के कमाण्ड/अनकमाण्ड में बिना परिवर्तन हुए आबंटन दर में परिवर्तन किया जा सकता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंण्टन के बाद भूमि कमाण्ड से अनकमाण्ड या अनकमाण्ड से कमाण्ड होने पर वास्तविक कमाण्ड/अनकमाण्ड

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

स्थिति अनुसार किस्त जमा किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस दर से?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पूर्व में आबंटन शुदा भूमि कमाण्ड से अनकमाण्ड होने एवं ततपश्चात पुन: कमाण्ड होने पर आबंटन की दिनांक की दर से किस्त वसूल की जानी चाहिए? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भूमि के कमाण्ड से अनकमाण्ड तथा अनकमाण्ड से कमाण्ड में बिना परिवर्तन हुए आबंटन दर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(2) जी हां। आबंटित भूमि कालान्तर में कमाण्ड से अनकमाण्ड या अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित होने पर वास्तविक स्थिति के अनुसार भूमिहीन आबंटन के प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 17(4) व 17(5) के अन्तर्गत भूमि की किस्म परिवर्तन के अनुसार कीमत निर्धारण का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में इस तरह का प्रावधान नहीं है।